निष्पादन प्रतिवेदन
2022-23

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

निष्पादन प्रतिवेदन 2022-23

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पटल से

मुझे वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था (साई इंडिया) के निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है। यह प्रतिवेदन वर्ष के दौरान हमारी प्रमुख उपलब्धियों को रेखांकित करता है और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी प्रमुख गतिविधियों पर प्रकाश डालता है।

साई इंडिया भारत के संविधान और उसके कानूनों से अपना अधिकार और अधिदेश प्राप्त करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की हमारे देश के संघीय ढांचे में एक अनूठी भूमिका है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों की लेखापरीक्षा के साथ-साथ अधिकांश राज्य सरकारों के लेखा संकलन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे विधानमंडलों के प्रति सरकारों का उत्तरदायित्व तय होता है।

हमने अपनी नीतिगत प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति करना जारी रखा। हमने 2022-23 के दौरान 172 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप दिया, जिनमें से 35 संसद में और 137 राज्य विधानसभाओं के पटल पर प्रस्तुत किए गए; और इस तरह हमने अपने पिछले निष्पादन को पीछे छोड़ दिया। हमने अपने लेखांकन कार्यों में भी उल्लेखनीय प्रगति की, दिसंबर 2022 के अंत तक 2021-22 के सभी 28 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखाओं को संकलित एवं प्रमाणित किया।

कोविड महामारी के बाद, हमने परिवर्तित शासन संरचनाओं और प्रक्रियाओं को अपनाने में अपनी प्रौद्योगिकियों और कौशल का सफलता पूर्वक लाभ उठाया है। हमारे हितधारकों के साथ उन्नत लेखापरीक्षा साधन, आंकड़ा

विश्लेषण और गहराई से जुड़ाव के उपयोग ने हमें अपनी लेखापरीक्षा तकनीकों में सुधार करने और आंतरिक लेखापरीक्षा करने में सक्षम बनाया है जिसने हमारे कार्य करने के तौर तरीकों को उन्नत किया है। साई इंडिया में हमारे नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का सार-संग्रह का दूसरा संस्करण, जिसका शीर्षक 'दा केटलिस्टस इन परसुऐट ऑफ गुड गर्वनैन्स' है, लेखापरीक्षा तकनीकों में हमारे आधुनिक नवाचारों पर उचित रूप से प्रकाश डालता है।

हमने अपनी बुनियादी ढांचा योजनाओं में निश्चित प्रगति की, क्योंकि हम लेखापरीक्षा तंत्र के पूर्ण डिजिटलीकरण के अपने उद्देश्य को पूरा करने के और करीब पहुँचे। हमारे एक-आईएएडी-एक प्रणाली (ओआईओएस) अनुप्रयोग का विकास 2019 में शुरू की गई, एक आरंभ से अंत तक लेखापरीक्षा प्रक्रिया और ज्ञान प्रबंधन प्रणाली वर्ष के दौरान पूर्ण हुआ और साई इंडिया के सभी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से पूरी तरह से संचालित हुआ। हमने साई इंडिया में भारत सरकार के आईटी अनुप्रयोग (ई-एचआरएमएस) के चरण-वार परिनियोजन के माध्यम से मानव संसाधन/प्रशासन कार्यों का स्वचालन भी आरंभ किया।

पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा को मजबूत करना, जो जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले शासन का अंतिम स्तर है, हमारी प्राथमिकता बनी रही। हमारे लेखापरीक्षक कर्मियों की सहायता के लिए, स्थानीय निकायों के प्राथमिक लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता की योजना और संचालन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा युक्त अभ्यास दिशानिर्देश जारी किया गया।

हमने वर्ष के दौरान अपने लेखांकन और हकदारी कार्यों में महत्वपूर्ण प्रगति की। वाउचर आँकड़ा विश्लेषण, आँकड़ा सत्यापन, आँकड़ा-आधारित आश्वासन और वाउचर स्तर के आंकड़ों के आधार पर आँकड़ा मानस चित्रण के लिए एक अखिल भारतीय डैशबोर्ड का विकास अपने अंतिम चरण में है।

साई इंडिया सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए इंटोसाई नीतिगत उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जबकि एसडीजी के कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा हमारे निष्पादन लेखापरीक्षा का हिस्सा है, हमने प्राकृतिक संसाधनों के लेखांकन के लिए प्रक्रियाओं के विकास की दिशा में अपने प्रयासों को भी निर्देशित किया। हमने वर्ष 2020 में प्राकृतिक संसाधन लेखांकन (एनआरए) में एक अवधारणा पत्र विकसित करके इस पहल की शुरुआत की। इसमें संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और पर्यावरणीय लेखांकन प्रणाली - केंद्रीय ढांचे के अनुसार भारत में एनआरए को लागू करने की परिकल्पना की गई थी। हमने खनिज और ऊर्जा स्रोतों पर परिसंपत्ति खाते तैयार करने के लिए सभी 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया। इन परिसंपत्ति लेखों के आधार पर 107 प्रमुख/गौण खनिजों और जीवाश्म ईंधन को शामिल करने वाले खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय परिशिष्ट जारी किया गया था।

साई इंडिया ने 16 नवंबर 2022 को सीएजी की संस्था की स्मृति में द्वितीय ऑडिट दिवस मनाया। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इस अवसर पर उपस्थित हो कर इसकी शोभा बढाई। हमारे आगे बढने की गतिविधियों के भाग के रूप में, भारत में विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए निर्दिष्ट समकालीन विषयों पर एक राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता (अंग्रेजी और हिंदी भाषाओं में) का आयोजन किया गया। हमारे युवा नागरिकों को शामिल करने का उद्देश्य शासन और सार्वजनिक जवाबदेही प्रतिमान की उनकी समझ में सुधार करना और सीएजी की संस्था की उनकी अपेक्षाओं में हमें अंतर्दृष्टि प्रदान करना था। विजेताओं को ऑडिट दिवस पर नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

साई इंडिया एक जन संचालित संगठन है और हमारे कर्मचारी हमारी संपत्ति हैं। संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए, सीएजी की सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार वर्ष 2021 में स्थापित किए गए थे। 2022 में अपने दूसरे संस्करण के दौरान, देश भर में फैले हमारे कार्यालयों से चयनित आठ दलों को पुरस्कार प्रदान किए गए। पुरस्कारों ने उन परियोजनाओं को मान्यता दी जो उच्च स्तर की गुणवत्ता को प्राप्त करने और हमारी प्रणालियों को सुव्यवस्थित करने के लिए जुनून और सोच को परिलक्षित करती हैं। यह स्वीकार करते हुए कि व्यक्तिगत उत्कृष्टता के अलावा, संगठनात्मक दृष्टिकोण से सर्वांगीण गुणात्मक सुधार को पोषित करना भी महत्वपूर्ण है, नौ कार्यालयों को सबसे बेहतर कार्यालयों के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए जिन्होंने लेखा, लेखापरीक्षा और प्रशिक्षण क्षेत्र के निष्पादन में अधिकतम सुधार दिखाया था।

हमारी उपलब्धियाँ हमारे कर्मचारियों के समर्पित कार्य का परिणाम हैं। हम अपने लोगों के निरंतर पेशेवर विकास की आवश्यकता के प्रति सचेत हैं। हमारे प्रशिक्षण संस्थान हमारे कर्मचारियों को कई विषयों पर गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करते हैं ताकि वे कार्यक्षेत्र विशेषज्ञता का निर्माण कर सकें और अपने कार्य के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल से सुसज्जित हो सकें। नोएडा और जयपुर में हमारे अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए क्रमशः आईटी और पर्यावरण क्षेत्रों में विश्वस्तरीय सुविधाएं और प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में, हम सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियन संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदार रहे। वर्ष के दौरान, संयुक्त राष्ट्र के पांच निकाय हमारे लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत थे, अर्थात् खाद्य और कृषि संगठन (2020-2025), विश्व स्वास्थ्य संगठन (2020-2023), अंतर- संसदीय संघ (2020-2022), रासायनिक हथियार निषेध संगठन (2021-2023) और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण (2022-2027)। हमें वर्ष के दौरान अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (2024-2027) के बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में भी नियुक्त किया गया। हमें अपनी व्यावसायिकता और विशेषज्ञता पर गर्व है, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा क्षेत्र में हमारी आधिकारिक उपस्थिति का मार्गदर्शन करती है।

साई इंडिया ने हमेशा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा में उन्नत व्यावसायिक प्रथाओं के लिए ज्ञान और अनुभवों को साझा करने वाले अन्य साई के साथ साझेदारी को बहुत महत्व दिया है। 2022-23 के दौरान, हमने चार नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और विभिन्न साई के साथ समझौता ज्ञापन विस्तारित किया। इन साई के साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध न केवल इन देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि एक उन्नत लेखापरीक्षा गुणवत्ता व्यवस्था के विकास के लिए आपसी सहयोग को बढ़ाने का भी काम करते हैं।

दिसम्बर 2022 से जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तत्वावधान में साई इंडिया ने साई20 सहभागिता समूह की अध्यक्षता की। साई20 निगरानी, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता के दृष्टिकोण के द्वारा जी-20 सदस्य राज्यों की सरकारों के लिए नीतिगत भागीदार के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साई इंडिया ने साई20 द्वारा विचार और सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में 'ब्लू इकोनॉमी' और 'रिस्पॉन्सिबल एआई' को चुना। भारत में साई20 शिखर सम्मेलन के विषय, अर्थात् 'ब्लू इकोनॉमी' और 'रिस्पॉन्सिबल एआई' जो नए युग के अवसरों और चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो इन क्षेत्रों में उपयुक्त लेखापरीक्षा ढांचे को विकसित करने के लिए सदस्य राज्यों के बीच सहयोग का महत्व रखते हैं। दोनों विषयों को जी20 की भारतीय अध्यक्षता के व्यापक विषय के साथ संरेखित किया गया है जो 'वसुधैव कुटुम्बकम' है - एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। जून 2023 में निर्धारित साई20 शिखर सम्मेलन के

अग्रदूत के रूप में, साई इंडिया ने मार्च 2023 में गुवाहाटी, असम में साई20 के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। बैठक में जी20 सदस्य देशों, अतिथि देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भागीदारी देखी गई।

शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की भारत की अध्यक्षता की छत्रछाया में, सीएजी ने एससीओ साई की अध्यक्षता ग्रहण की। साई इंडिया ने फरवरी 2023 में दो उप-विषयों के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के साथ 'लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना' विषय पर लखनऊ में छठी एससीओ साई प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। हमने अक्टूबर 2022 में नई दिल्ली में 'लोक क्षेत्र लेखापरीक्षा में नागरिक सहभागिता' विषय पर ब्रिक्स साई प्रतिनिधियों की तीसरी बैठक की भी मेजबानी की। इसके बाद सीएजी ने ब्रिक्स साई संस्था की अध्यक्षता दो वर्षों के लिए संभाली।

मुझे आशा है कि यह निष्पादन प्रतिवेदन हमारे हितधारकों - विधि निर्माताओं, कार्यपालकों, शिक्षाविदों और जनता के सदस्यों को हमारे कार्य का समग्र दृष्टिकोण समझने में मदद करेगी। मैं हमारे मूल्यवान हितधारकों को उनके सहयोग और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के हमारे प्रयासों में योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

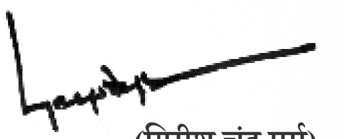

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

विषय सूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
	प्राक्कथन	9
	प्रमुख तथ्य	11
खंड 1	**साई इंडिया: अधिदेश और संरचना**	
अध्याय 1	भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्धता	17-21
अध्याय 2	साई इंडिया का अधिदेश	25-30
अध्याय 3	साई इंडिया का संगठन	33-36
अध्याय 4	प्रशिक्षण अवसंरचना	39-42
अध्याय 5	हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं	45-48
खंड 2	**हमारे अधिदेश को पूरा करना**	
अध्याय 1	हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना	53-64
अध्याय 2	हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना	67-78
खंड 3	**वर्तमान प्रगति**	
अध्याय 1	मार्गदर्शनों का विकास	83-92
अध्याय 2	क्षमता निर्माण	95-105
अध्याय 3	आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन	109-111
अध्याय 4	हमारी आईटी पहल	115-127
अध्याय 5	ऑडिट दिवस 2022	131-137
अध्याय 6	30वां महालेखाकार सम्मेलन	141-146
अध्याय 7	उतनी ही महत्वपूर्ण, अन्य गतिविधियाँ	149-155

अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
खंड 4	**हितधारकों के साथ अन्त:क्रिया**	
अध्याय 1	विधायी समितियों के साथ हमारी अन्त:क्रिया	161-163
अध्याय 2	लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड	167-168
अध्याय 3	अधिगम की प्रगति	171-176
खंड 5	**अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	
अध्याय 1	संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता	181-186
अध्याय 2	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	189-199
अध्याय 3	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता	203-205
अध्याय 4	द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद	209-216
अध्याय 5	अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम	219-222

प्राक्कथन

इस निष्पादन प्रतिवेदन के बारे में

भारत के संविधान और भारत की संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) को लेखापरीक्षा और लेखांकन के क्षेत्र में विविध दायित्व सौंपे है। अधिकांश राज्यों की सरकारों के लेखा का संकलन तथा केंद्र व राज्य सरकारों और उनके संगठनों की गतिविधियों की लेखापरीक्षा आयोजित करना सीएजी का प्रमुख वैधानिक दायित्व हैं। इसके अलावा सीएजी लेखांकन मानकों और नीतियों तथा वित्तीय विवरणों के रूप से संबंधित मामलों में कार्यपालक को सलाह देते हैं और कुछ राज्यों के लिए हकदारी कार्य भी करते हैं।

सीएजी और भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) का गठन करते हैं, साथ में सरकार के मामलों में वित्तीय उत्तरदायित्व और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का दायित्व भी रखते है।

यह रिपोर्ट साई इंडिया के उत्तरदायित्व की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रस्तुत की जा रही है। यह वर्ष 2022-23 के दौरान हमारी गतिविधियों और उपलब्धियों के साथ-साथ हमारे संसाधनों के उपयोग में नियमितता और दक्षता तथा हमारे काम की प्रभावशीलता का लेखा-जोखा देता है।

हमारा उद्देश्य साई इंडिया के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना है। हम अपने सेवार्थियों और हितधारकों को अपने प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना चाहते हैं और सार्वजनिक जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी के योगदान के उत्तम मूल्यांकन की दिशा में अपने कुछ असाधारण कार्यों का प्रदर्शन करना चाहते हैं।

प्रमुख तथ्य

172	अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
₹ 5,037.35 करोड़	लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर वसूल की गई धनराशि
96.66%	पेंशन/भविष्य निधि अभिदाताओं से प्राप्त शिकायतों का शीघ्र निवारण
8,915	लेखा जाँच
38,778	अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित की गई इकाईयां (नियोजित इकाईयों का 95.39 प्रतिशत)
26,807	जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन
2,821	अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ
3,721	जाँच की गई लेखापरीक्षा रिपोर्टों के लिए कृत्त कार्रवाई नोट
2,207	निरीक्षित कोषागार
1,95,061	सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के निर्धारित समय के भीतर अंतिम रूप दिए गए अंतिम भुगतान मामले (95.79 प्रतिशत)
5,93,985	मूल और पुनरीक्षण पेंशन मामलों का निपटारा (प्राप्त मामलों का 89.99 प्रतिशत)
1,874	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों मे चलाए गए और आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
31,770	उपरोक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रतिभागी
5	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय संगठन (खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, अंतरसंसदीय संघ, रासायनिक हथियार निषेध संगठन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन)
4	2022-23 के दौरान अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के साथ नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

खंड 1

साई इंडिया : अधिदेश और संरचना

- **अध्याय 1**
  भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्धता
- **अध्याय 2**
  साई इंडिया का अधिदेश
- **अध्याय 3**
  साई इंडिया का संगठन
- **अध्याय 4**
  प्रशिक्षण अवसंरचना
- **अध्याय 5**
  हम अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करते हैं

सीएजी कार्यालय परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा

अध्याय 1

भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के विकास की चरणबद्धता

1.1 हमारी विरासत

भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (साई) भारत के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की भूमिका विधायिका और अभ्यास के माध्यम से विकसित हुई है। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से ठीक पहले, भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग द्वारा एक प्रमुख प्रशासनिक पुनर्गठन किया गया था। उन्हीं की पहल के कारण पहली बार मई 1858 में महालेखाकार के साथ एक अलग विभाग की स्थापना हुई। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के अन्तर्गत वित्तीय लेनदेन के लेखाकरण और लेखापरीक्षण के लिए उत्तरदायी थे। 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत के प्रशासन को संभाला और भारत सरकार अधिनियम, 1858 पारित किया। इस अधिनियम ने 1860 में राज्य संबंधी आय और व्यय के वार्षिक बजट की एक प्रणाली शुरू की। बजट प्रणाली ने राज्य संबंधी लेखापरीक्षा की आधारशिला रखी। सर एडवर्ड ड्रमंड ने 16 नवंबर 1860 को पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शब्द का प्रयोग पहली बार 1884 में किया गया था। 1919 के मोंटफोर्ड रिफॉर्मर्स ने महालेखापरीक्षक को सरकार से स्वतंत्र कर दिया। भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने संघीय व्यवस्था में प्रांतीय महालेखापरीक्षकों का प्रावधान करके महालेखापरीक्षक की स्थिति को मजबूत किया। 1947 तक जब अंतिम ब्रिटिश महालेखापरीक्षक सर बर्टी मोनरो स्टैग ने कार्यभार सौंपा, तब यह विभाग ब्रिटिश प्रशासन का एक अभिन्न अंग बना रहा और पूरे ब्रिटिश भारत के लिए एकीकृत लेखाकरण और लेखापरीक्षा व्यवस्था प्रदान की।

स्वतंत्रता के बाद ये व्यवस्थाएं 1950 में भारत के संविधान को अपनाने तक जारी रहीं जिससे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को एक संस्था बनाया गया। श्री वी. नरहरि राव स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक थे। 1971 में संसद द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों) अधिनियम के पारित होने से सार्वजनिक व्यय पर निरीक्षण के अतिरिक्त उत्तरदायित्व के साथ एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में साई इंडिया की स्थिति को और मजबूत किया गया।

संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने भाषण में कहा :

"मेरी राय है कि यह गणमान्य शायद भारत के संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखने जा रहा है कि संसद द्वारा मतदान किए गए व्ययों से अधिक व्यय तो नहीं किया जाता है, या संसद द्वारा निर्धारित किए गए व्ययों जिसे विनियोग अधिनियम कहा जाता है, से भिन्न तो नहीं है।"

1.2 साई इंडिया के विकास में महत्वपूर्ण चरणबद्ध तिथियां (माईलस्टोन)

स्वतंत्रता से पूर्व

वर्ष	घटना
1858	ईस्ट इंडिया कंपनी के वित्तीय लेनदेन के लेखाकरण और लेखापरीक्षण के लिए उत्तरदायी एक महालेखाकार के अन्तर्गत एक अलग विभाग बनाया गया
1860	ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत के पहले महालेखापरीक्षक को नियुक्त किया गया
1866	भारत के महालेखापरीक्षक को महालेखानियंत्रक के रूप में नामित किया गया
1884	महालेखानियंत्रक को लेखापरीक्षा और लेखा दोनों के लिए जिम्मेदारियों के साथ भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के रूप में फिर से नामित किया गया
1919	भारत सरकार अधिनियम, 1919 ने सीएजी को भारत में अंतिम लेखापरीक्षा प्राधिकरण के रूप में वैधानिक मान्यता दी और इसे भारत में महालेखापरीक्षक के रूप में पदनामित किया गया
1921	महालेखापरीक्षक के नियम 1921 में प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया
1924	सीमा शुल्क राजस्व की लेखापरीक्षा महालेखापरीक्षक को सौंपी गई थी
1925	वाणिज्यिक लेखापरीक्षा शाखा भारतीय लेखापरीक्षा विभाग में स्थापित की गई
1935	भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने (i) इंग्लैंड के राजा द्वारा सीएजी की नियुक्ति, (ii) संघीय न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में इसी तरह और समान आधार पर सीएजी को पद से हटाने और (iii) कार्यालय खाली करने पर सीएजी को भारत में शासन के अन्तर्गत किसी भी पद पर रहने से निषिद्ध कर सीएजी की स्वतंत्रता और स्थिति को मजबूत किया गया। महालेखापरीक्षक के पद को भारत के महालेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया
1936	सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखाकरण कार्यों का विवरण देते हुए भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखा आदेश), 1936 को जारी किया गया
1938	लेखापरीक्षा कोड का अद्यतन किया गया जिसने 1921 में जारी किए गए पहले संस्करण में निहित पिछले सभी नियमों और निर्देशों को हटा दिया गया

स्वतंत्रता के बाद

1947 — भारत सरकार (लेखापरीक्षा और लेखा आदेश), 1936 को भारतीय अंतिम संविधान आदेश 1947 द्वारा अपनाया गया

1948 — भारत सरकार, वित्त विभाग के तत्कालीन सचिव, श्री वी. नरहरि राव को 15 अगस्त 1948 को भारत के स्वतंत्र प्रभुत्व के पहले भारतीय महालेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया

1950 — भारत के संविधान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए प्रावधान किया गया, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लेखाकरण और लेखापरीक्षण कार्यों के साथ सौंपा गया, जिसमें केंद्र प्रशासित क्षेत्र/केंद्र शासित प्रदेश शामिल हुए

1953 — भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें अधिनियम) को 1953 में प्रख्यापित किया गया

1956 — भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 ने सरकारी कंपनियों को कानूनी दर्जा दिया और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा पूरक लेखापरीक्षा का प्रावधान किया, जिन्होंने कंपनियों में लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर सरकार को सलाह भी दी

1960 — भारत सरकार के साथ आयकर प्राप्तियों और प्रतिदाय के लेखापरीक्षा के लिए एक समझौता ज्ञापन पर सहमति व्यक्त की गई

1962 — लेखापरीक्षा संहिता के अधिक्रमण में, दो खंडों में स्थायी आदेश (तकनीकी) की नियमावली को जारी किया गया

1971 — सीएजी के डीपीसी (कर्त्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, सीएजी के कर्तव्यों, शक्तियों और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए संविधान के अन्तर्गत पारित किया गया

1976 — सीएजी के डीपीसी (कर्त्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 में संशोधन किया गया ताकि सीएजी को भारत सरकार के लेखाओं के रखरखाव से संबंधित कर्त्तव्यों और कार्यों से मुक्त किया जा सके

1984 — संयुक्त महालेखाकारों के कार्यालयों को अलग-अलग संवर्गों के साथ दो अलग-अलग कार्यालयों अर्थात सभी लेखापरीक्षा कार्यों के लिए महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और सभी लेखा और हकदारी कार्यों के लिए महालेखाकार (ले. एवं हक़.) में विभाजित किया गया

1991 — स्थायी आदेशों की नियमावली (तकनीकी) को परिवर्तित नाम स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा) को संशोधित किया गया और अद्यतन किया गया

1993 — सीएजी 1993-1999 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षकों के बोर्ड का सदस्य बने

1994 पहले लेखापरीक्षण मानकों को मूल सिद्धांतों और प्रथाओं का विवरण देते हुए जारी किया गया जिनका लेखापरीक्षकों को पालन करना चाहिए

1996 सीएजी 1996-2004 के लिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के बाह्य लेखापरीक्षक बने

1997 सीएजी 1997-2003 के लिए रासायनिक हथियारों के निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने

1998 साई इंडिया द्वारा सरकारी लेखापरीक्षा के क्षेत्र में की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों और योगदान के सम्मान में साई इंडिया को इंटोसाई (इंकोसाई) की कांग्रेस द्वारा जोर्ग कंडच पुरस्कार से सम्मानित किया गया

1999 सीएजी ने लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया

1999 वाउचर स्तर कम्प्यूटरीकरण को शुरू किया गया

2000 सीएजी 2000-2012 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और 2000-2015 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2002 सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने सहित सरकारी लेखाकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों को स्थापित करने और सुधारने के लिए की गई थी

2002 स्थायी आदेशों की नियमावली (लेखापरीक्षा) को संशोधित और अद्यतन किया गया

2002 सीएजी के संशोधित लेखाकरण मानक जारी किए गए थे जिन्होंने 2001 में इंटोसाई द्वारा जारी किए गए पुनर्रचित लेखाकरण मानकों को उपयुक्त रूप से अपनाया

2002 सीएजी 2002-2008 के लिए खाद्य और कृषि संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2004 निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे साई इंडिया को निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को अपनाने में मदद मिली

2004 सीएजी 2004-2012 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2007 सीएजी द्वारा, सीएजी के डीपीसी अधिनियम के अन्तर्गत नियमों और विनियमों को बनाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करके लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम, 2007 जारी किए गए

2010 सीएजी 2010-2016 के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम और प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2012 लेखापरीक्षा में क्षेत्रीय उन्मुखीकरण शुरू करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन को लागू किया गया

2012 सीएजी 2012-2016 के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और 2012-2017 के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2014 संशोधित निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए

2014 सीएजी 2014-2020 के लिए लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र बोर्ड के सदस्य बने

2016 अनुपालन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए

2017 सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों को संशोधित और अद्यतन किया गया

2020 लेखापरीक्षा और लेखा 2007 पर विनियम, को लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियम (संशोधन) 2020 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया

2020 समूहों/क्षेत्रों के आधार पर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों के पुनर्गठन को लागू किया गया

2020 सीएजी 2020-2025 के लिए खाद्य और कृषि संगठन, 2020-2023 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और अंतर संसदीय संघ 2020-22 के बाह्य लेखापरीक्षक बने

2021 सीएजी 2021-23 के लिए रासायनिक हथियार निषेध संगठन और 2022-2027 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के लिए बाह्य लेखाकार बने

2022 सीएजी को 2024-2027 की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का बाह्य लेखापरीक्षक बनाया गया

2022 1 दिसंबर 2022 से जी20 के भारतीय अध्यक्ष पद के अन्तर्गत, साई इंडिया ने साई20 नियुक्ति समुह की अध्यक्षता संभाली

अध्याय 2

साई इंडिया का अधिदेश

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

2.1 साई इंडिया के बारे में

भारत के संविधान के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) तथा उसने अधीन कार्य करने वाला भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग (आईएएंडएडी) संघीय ढाँचे में एकीकृत लेखापरीक्षा तंत्र प्रदान करता है। संसदीय लोकतंत्र में जाँच और संतुलन की संवैधानिक योजना में इस तंत्र को विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। लेखापरीक्षा नियामक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य लोक वित्त के विवेकपूर्ण प्रबंधन के स्वीकृत मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। राज्यों में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिनिधित्व करने वाले साई इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

संसद/राज्य विधानमंडल वार्षिक बजट और अनुपूरक विनियोजनों का अनुमोदन करता है और सरकार को कर वसूल करने का प्राधिकार देता है। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली है। सरकारी विभागों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जबाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक केंद्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

हमारे संघीय बहुदलीय प्रजातंत्र के दृष्टिगत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की भूमिका का बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं जिनमें बड़े सार्वजनिक संसाधन शामिल हैं। विकास, सर्व-समावेशी कल्याण, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास को बढ़ावा देने, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने पर भी निरंतर जोर दिया गया है। इसकी अनुक्रिया में, साई इंडिया लगातार हमारी प्रक्रियाओं, बुनियादी ढांचे और क्षमताओं की पुन: जांच करने और विकसित करने में लगा हुआ है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उभरते हुए शासन मॉडल और सूचना प्रौद्योगिकी संचालित मंचों पर सीएजी के अधिदेशों का प्रभावी ढंग से निर्वहन किया जा सके।

पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) का उचित लेखाकरण और लेखापरीक्षण केंद्रीय वित्त आयोगों के लिए चिंता का विषय रहा है। तदनुसार, हमने स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों/स्थानीय निधियों के परीक्षकों के क्षमता निर्माण को बढ़ाने और राज्य संगठनों के आपसी मेल-जोल को बढ़ाने के लिए सक्रिय उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि जमीनी स्तर पर सुशासन को बढ़ाने के प्रयास में हितधारकों के साथ भी जुड़ रहे हैं।

भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद का भाषण, 21 जुलाई 1954

“जहां तक राज्य के धन का संबंध है, सीएजी के पास किसी भी अधिकारी के लेखा को मांगने की शक्ति है, चाहे वह कितने भी उच्च स्थान पर क्यों न हो। इसलिए उसे सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए ताकि यह सर्वोत्तम संभव तरीके से इसे आवंटित कर्त्तव्यों के निर्वहन को सुनिश्चित करने के लिए गणना किए गए तरीके से कार्य करने में सक्षम हो सके।”

2.2 हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

दूरदृष्टि

(हमारी दूरदृष्टि यह दर्शाती है कि हम क्या बनना चाहते हैं)

सार्वजनिक संसाधनों पर स्वतंत्र और विश्वसनीय आश्वासन प्रदान करना जारी रखें और सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षण में वैश्विक रूप से अग्रणी बनें।

उद्देश्य

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है:

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित हम उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देते हैं और अपने हितधारकों विधानमंडल, आम जनता और कार्यकारिणी को स्वतंत्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों को दक्षता और कुशलता से संग्रहित किया जा रहा है।

नैतिक मूल्य

हमारे नैतिक मूल्य उन सभी के लिए मौलिक विश्वास है जो हमारी संस्था और हमारे लोगों का मार्गदर्शन करते हैं

संस्थागत मूल्य: पेशेवर मानकों उद्देश्य और संतुलित दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और पारदर्शिता को बनाए रखना।

लोक मूल्य: नैतिक व्यवहार, अखंडता, पेशेवर क्षमता, निष्पक्षता और सामाजिक जागरूकता।

2.3 साई इंडिया की स्वतंत्रता

भारत के संविधान में भारत सरकार और राज्यों की कार्यकारी शाखा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 149 और 150 में (सीएजी) के कर्त्तव्यों और शक्तियों का प्रावधान किया गया हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संसद अथवा राज्य विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करना होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है जो न तो कार्यपालिका और न ही विधायिका के अंग हैं।

संविधान में निम्नलिखित प्रावधान से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से लेखापरीक्षा के लिए सक्षम बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने के लिए विशेष प्रक्रिया, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर लागू है;
- सीएजी का वेतन और खर्च, संसद के मत के अधीन नहीं है; और
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में सीएजी की अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि साई इंडिया में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और सीएजी की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी जो सीएजी के परामर्श के पश्चात् राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित की जाएं।

2.4 हमारे लेखा अधिदेश

भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्त्तव्यों, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971[1] (सीएजी का डीपीसी अधिनियम 1971) में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, (सीएजी) लेखाओं को तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को, राज्यों के राज्यपालों को और विधानसभा वाले संघ-राज्य क्षेत्रों (यूटी) के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित माँगी गई सूचना भी प्रदान करते है और सहायता भी प्रदान करते है। हम कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते है। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के तरीके की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और निधियों के अधिक व्यय, वापस की गई राशि, व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं।

संघ सरकार को सीएजी के परामर्श के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभागों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत किया जाता है, जिसमें वह तरीका भी शामिल है जिसमें कोषागारों, कार्यालयों और लेखा कार्यालयों को लेखा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा प्रारंभिक और सहायक लेखाओं को रखा जाना है।

2.5 हमारा लेखापरीक्षा अधिदेश

2.5.1 सीएजी का डीपीसी अधिनियम, 1971

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश को सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 और संसद द्वारा बनाए गए कुछ अन्य कानूनों में परिभाषित किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के अधिदेश है:

- संघ और राज्य सरकारों की समेकित निधि में देय सभी प्राप्तियां और व्यय;
- आम बजट के बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन, (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केंद्र के साथ-साथ राज्य स्तरों पर न्यासी या बैंकर के रूप में सरकार द्वारा धारित जनता के निजी धन की आवाजाही (जिसे लोक लेखा कहा जाता है);

[1] भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971 की धारा 10,11 एवं 12

- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे;
- कंपनी अधिनियम 2013 में परिभाषित सभी सरकारी कंपनियों और किसी अन्य कंपनी के लेखे;
- सभी विनियामक निकायों और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों/निगमों के लेखे, जिनमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा उनकी लेखापरीक्षा का शासी विधियों में प्रावधान है;
- सरकारी कोष से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों के लेखे;
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम, 1971 के समर्थकारी प्रावधानों के अन्तर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल/उपराज्यपाल द्वारा लोकहित में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को लेखापरीक्षा हेतु विशिष्ट रूप से सौंपे गए किसी निकाय या प्राधिकरण के लेखे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को निम्नलिखित विशेष उत्तरदायित्व भी सौंपे गए हैं:

- क्रमिक केंद्रीय वित्त आयोगों की सिफारिशों पर, राज्यों सीएजी के डीपीसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को राज्य सरकारों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षा स्कंधों, जो स्थानीय निकायों (एलबी) के प्राथमिक लेखापरीक्षक हैं, को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) प्रदान करने की भूमिका सौंपी है। टीजीएस के घटकों में अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा मानकों की स्थापना, लेखापरीक्षा योजना, उन्नत लेखापरीक्षा पद्धतियों को अपनाने और क्षमता निर्माण के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षकों का सहयोग और आपसी सहयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, केंद्र/राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त निधियों का उपयोग और स्थानीय निकायों द्वारा केंद्रीय/राज्य स्कीमों के कार्यान्वयन की भी लेखापरीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, उन स्थानीय निकाय की सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखापरीक्षा की जाती है जो या तो भारत/राज्यों की समेकित निधि से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित होते हैं या जहाँ ऐसी लेखापरीक्षा, जो राज्य सरकारों द्वारा सौंपी गई है।
- राज राजकोषिय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम के अन्तर्गत संघ सरकार की अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में निष्पादन की समीक्षा करना।
- केंद्रीय कर/शुल्क की निवल आय को प्रमाणित करना जो राज्यों के साथ साझा करने योग्य हैं।

2.5.2 न्यायिक घोषणा के माध्यम से अधिदेश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास किसी निजी कम्पनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा का भी अधिकार है, जो सामान्यतया भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा अधिदेश में नही है, यदि कम्पनी को लाइसेंस की शर्तों के अन्तर्गत दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति दी गई है, जिसमें अपेक्षित है कि कम्पनी उससे अर्जित राजस्व के एक भाग को सरकार के साथ सहभाजित करेगी। इस अधिकार को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 17 अप्रैल 2014 निर्णय द्वारा दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने वाली कम्पनियों के संबंध में समर्थन दिया गया था।

2.6 हमारी शक्तियां

2.6.1 लेखापरीक्षा करने की शक्तियां

ऊपर उल्लिखित कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास निम्नलिखित शक्तियाँ[2] हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी भी कार्यालय या संगठन का निरीक्षण;
- किसी भी लेखापरीक्षित सत्त्व से किन्हीं अभिलेखों, कागजातों, दस्तावेजों को मांगना ;
- लेखापरीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देन की जांच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देन की किसी श्रेणी की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देन के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वेअवधारित करें।

2.6.2 प्रत्यायोजन की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम,1971 अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकते हैं, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उनकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

2.6.3 विनियम बनाने की शक्तियां

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम 1971 के प्रावधानों को लागू करने, जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है, के लिए विनियम बना सकते हैं।

पर्यावरण में महत्वपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए जिसमें सार्वजनिक लेखापरीक्षक कार्य करते हैं जैसे शासन प्रतिमान, सरकारी प्राथमिकताओं में परिवर्तन, सरकार की सेवा वितरण और डेटा वातावरण में आईटी उपकरणों की व्यापक तैनाती, संस्थागत व्यवस्थाओं का नया स्वरूप, सीएजी के अधिदेश की न्यायिक व्याख्या, सार्वजनिक लेखापरीक्षा प्रावधानों का दायरा और प्रयोज्यता आदि, उपर्युक्त शक्तियों के तहत 2007 में जारी किए गए 'लेखापरीक्षा और लेखा पर विनियमों' की समीक्षा की गई थी और उन्हें लेखापरीक्षा और लेखा (संशोधन) 2020 पर विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

2.7 साई इंडिया द्वारा आयोजित विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की शक्तियां किसी लेखापरीक्षा के आयोजन में अपनाए जाने वाले कार्यक्षेत्र सीमा, पद्धति तथा उपागम को मानते हुए विस्तारित हैं। इस संबंध में हम, हमारे अधिदेश और भारत के नियंत्रक एवं

[2]भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डीपीसी अधिनियम 1971, की धारा 18, 21, 22, 23, और 24

महालेखापरीक्षक द्वारा जारी मानदंडों और दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षित सत्त्वों में वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा या इन लेखापरीक्षा प्रकारों के किसी संयोजन की लेखापरीक्षा करते है।

2.7.1 वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा यह निर्धारित करने से संबंधित है कि क्या किसी सत्त्व के वित्तीय विवरण और जानकारी ठीक से तैयार की गई है, सभी मामलों में पूर्ण है और निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग और नियामक ढांचे के अनुसार पर्याप्त प्रकटीकरण के साथ प्रस्तुत की गई है; और लेखापरीक्षक को एक राय व्यक्त करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त साक्ष्य प्राप्त करके पूरा किया गया है कि क्या वित्तीय विवरण और जानकारी इकाई की वित्तीय स्थिति के एक सच्चे और निष्पक्ष दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक गलत बयानी से मुक्त है।

2.7.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र निर्धारण है कि क्या कोई दी गई विषय वस्तु (एक गतिविधि, वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन, इकाई या इकाइयों के एक समूह के संबंध में जानकारी) लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, स्थापित कोड आदि और सरल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन और सार्वजनिक अधिकारियों के आचरण को नियंत्रित करने वाले सामान्य सिद्धांतों के साथ सभी भौतिक संबंधों का अनुपालन करता है।

2.7.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा एक स्वतंत्र, उद्देश्य पूर्ण और विश्वसनीय परीक्षा है कि क्या सरकारी सत्त्व, संस्थाएं, संचालन, कार्यक्रम, निधियां, गतिविधियां (उनके इनपुट, प्रक्रियाओं, आउटपुट, परिणामों और प्रभावों के साथ) मितव्ययता, दक्षता और प्रभावशीलता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहे हैं और क्या सुधार की गुंजाइश है।

अध्याय 3

साई इंडिया का संगठन

3.1 साई इंडिया का संगठन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के माध्यम से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं। साई इंडिया एक ज्ञान आधारित और मानव संसाधन संचालित संगठन है। इसमें लगभग 40,000 कर्मचारी सम्मिलित हैं। नई दिल्ली में स्थित सीएजी का कार्यालय साई इंडिया का मुख्यालय है। 2022-23 के दौरान, 136 क्षेत्रीय कार्यालयों (पूरे भारत में फैले 131कार्यालयों और विदेशों में स्थित पांच कार्यालयों) द्वारा सहायता प्रदान की गईथी। तीन राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान और 12 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करते हैं।

नई दिल्ली में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय साई इंडिया के लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से संबंधित सभी कार्यकलापों को निर्देशित,निरीक्षित और नियंत्रित करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षण मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रसंस्करण और अनुमोदन करता है।

इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, रक्षा लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, राज्य सरकारी लेखापरीक्षा, व्यवसायिक प्रथाएं, नीतिगत प्रबंधन, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, बृहत डेटा प्रबंधन इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिवीजनों के प्रमुख उप/अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक हैं जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक, निदेशक और उप निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं।

देश के विभिन्न भागों में स्थित क्षेत्रीय कार्यालय सीएजी के लेखापरीक्षा और लेखा अधिदेश को पूरा करने के लिए उत्तरदायी हैं। लंदन, कुआलालंपुर और वाशिंगटन डीसी में लेखापरीक्षा कार्यालय भारत सरकार के विदेशी उद्देश्यों की लेखापरीक्षा करते हैं, जबकि रोम और जिनेवा में हमारे बाह्य लेखापरीक्षा कार्यालय क्रमशः संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन की लेखापरीक्षा करते हैं।

हमारे कार्यक्षेत्रों को हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अनुसार संरचित किया जाता है, अर्थात केंद्र सरकार की लेखापरीक्षा, राज्य सरकार की लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी और प्रशिक्षण और मानव संसाधन के अनुसार संरचित होते हैं।

संगठनात्मक व्यवस्था को निम्न चित्र में दर्शाया गया है:

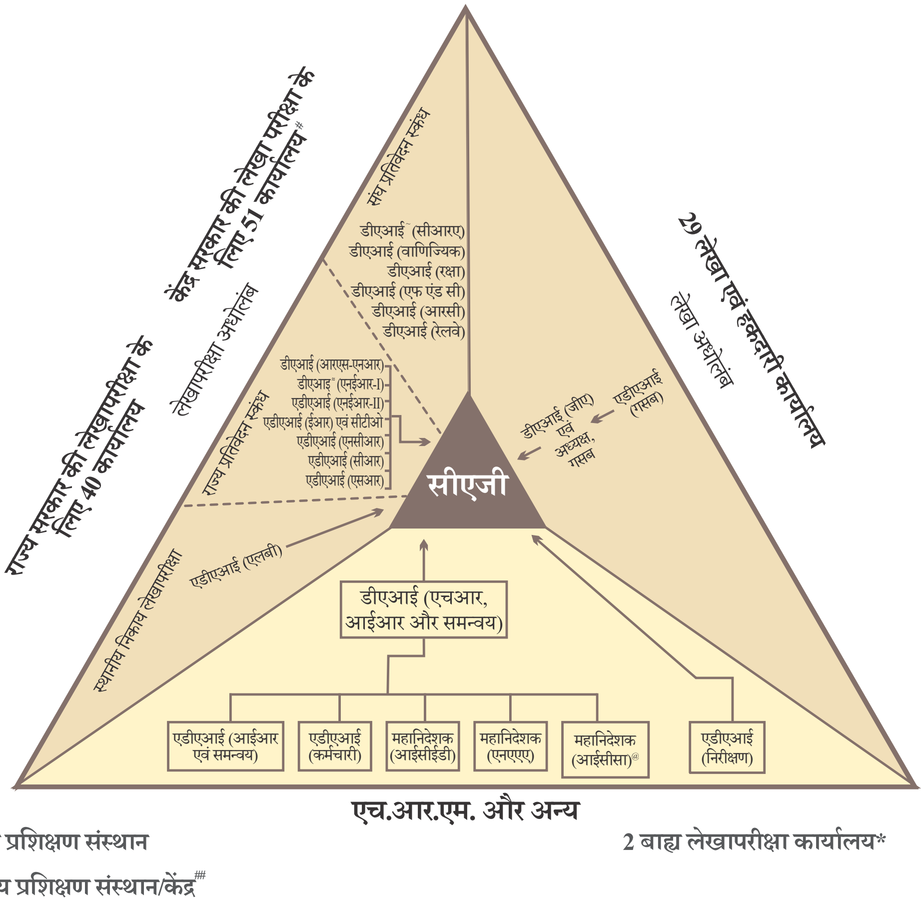

@ एडीएआई (एसआर) के पास महानिदेशक (आईसीसा) का अतिरिक्त प्रभार है
# कुआलालंपुर, लंदन और वाशिंगटन डीसी में 3 विदेशी कार्यालय शामिल हैं
* रोम और जिनेवा में स्थित है
एक आरटीसी एक अलग कार्यालय नहीं है
~डीएआई: उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
≈एडीएआई : अतिरिक्त उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट https://cag.gov.in/en/organisation-chart पर उपलब्ध है। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए वेब लिंक https://cag.gov.in/en/home/our-office/1 पर उपलब्ध है।

3.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा संबंधित मामलों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सलाह देने के लिए एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड होता है। जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक और सांविधिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रीत करने के लिए सुझाव देता है।

बोर्ड में मनोनीत बाहरी सदस्य शामिल होते है जो भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखाविभाग में उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के साथ –साथ विविध क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति होते हैं। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन प्रत्येक दो वर्ष में किया जाता है। प्रथम बार लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था। तब से 31 मार्च 2023 तक बोर्ड को नौ बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011,

2013, 2015, 2018 और 2021) पुनर्गठित किया गया है। द्विवर्ष 2021-23 के लिए अप्रैल 2021 में किया गया गठित दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य हैं:

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

श्री गिरीश चंद्र मुर्मू
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - अध्यक्ष

सभी उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक - पदेन सदस्य

बाहरी सदस्य

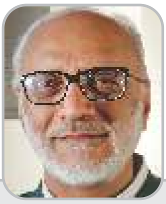

श्री अशोक गुलाटी
कृषि अर्थशास्त्री

डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी
अध्यक्ष एवं कार्यकारी निदेशक, नारायण स्वास्थ्य

श्री एच. के. दास
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

प्रो. मकरंद आर. परांजपे
शिक्षाविद्

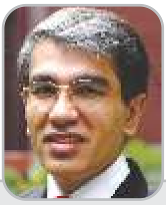

श्री मनीष सभरवाल
मानव संसाधन सलाहकार

श्री मारूफ रज़ा
सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी और राष्ट्रीय सुरक्षा विश्लेषक

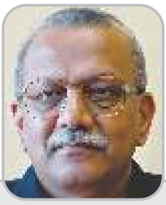

श्री नितिन देसाई
विशिष्ट फेलो, टेरी

श्री पी. के. श्रीवास्तव
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त

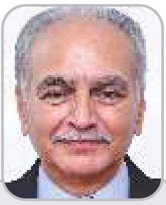

डॉ. रविंदर एच. ढोलकिया
अर्थशास्त्री

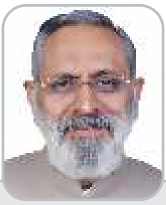

डॉ. राजीव लोचन बिश्नोई
क्रेडिट और वित्तीय विशेषज्ञ

श्री एस.एम. विजयानंद
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी

3.3 राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

इसी आधार पर लेखापरीक्षा कार्यालयों के संबंधित प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों की अध्यक्षता में राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का गठन किया गया है। राज्यों में अन्य महालेखाकार बोर्ड के पदेन सदस्य हैं। बाह्य सदस्यों में प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों और सेवानिवृत्त सिविल सेवकों को नामित किया जाता है। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्डों का उद्देश्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के वरिष्ठ प्रबंधन और विभिन्न क्षेत्रों के जानकार और अनुभवी पेशेवरों के बीच पेशेवर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करके, हमारी लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। बोर्ड की बैठक वर्ष में दो बार होती है और इसे द्विवार्षिक रूप से पुनर्गठित किया जाता है।

अध्याय 4

प्रशिक्षण अवसंरचना

4.1 साई इंडिया की प्रशिक्षण अवसंरचना

भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान साई इंडिया की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान[1] और दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं।

4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखा अकादमी, शिमला

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए) साई इंडिया का उच्चतम प्रशिक्षण संस्थान है, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती किए गए भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) के अधिकारी प्रशिक्षुओं को आरंभिक प्रशिक्षण देने और आईएएंडएएस और अन्य अखिल भारतीय और केंद्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों के लिए सेवा कालीन प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

एनएएए, शिमला

अकादमी के प्रमुख उद्देश्य लेखापरीक्षण, लेखाकरण, लोक प्रशास तथा सुशासन के क्षेत्र में समकालीन बेहतर पद्धतियों के साथ सुप्रवीण सक्षम अधिकारियों के सवंर्ग का विकास करना है। प्रत्येक वर्ष दिसंबर के मध्य के आस-पास अकादमी में 89 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय आरंभिक प्रशिक्षण शुरू होता है जिसे प्रथम चरण, कार्यभार पर रहते हुए प्रशिक्षण (ओजेटी) तथा द्वितीय चरण प्रशिक्षण वाले कई स्वरूपों में आयोजित किया जाता है। प्रथम चरण, प्रशिक्षण को सरकारी एवं वाणिज्यिक लेखाकरण; अनुपालन, निष्पादन, वित्तीय और सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा सहित सार्वजनिक लेखापरीक्षा; सार्वजनिक वित्त और नीति; प्रशासन और सार्वजनिक व्यय; लागत और वित्तीय प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रथम एवं द्वितीय छमाहियों में विभाजित किया गया है। साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्य करने का अनुभव प्रदान करने के लिए देश भर के चुनिंदा क्षेत्रीय कार्यालयों में 30 सप्ताह के लिए कार्यभार पर रहते हुए प्रशिक्षण द्वारा कक्षा प्रशिक्षण को पूर्ण किया जाता है।

यारोज़, एनएएए, शिमला

अधिकारी प्रशिक्षुओं को भारतीय प्रबंधन संस्थानों, राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, भारतीय रिज़र्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान और लोकतंत्रों के लिए संसदीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान सहित कार्यक्षेत्र विशिष्ट ज्ञान के लिए उत्कृष्टता के अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी भेजा जाता है।

अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान, खेल, सांस्कृतिक, सामाजिक संपर्क और अन्य पाठ्येतर गतिविधियों के माध्यम से अधिकारी प्रशिक्षुओं के पारस्परिक कौशल

[1] क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों को जुलाई 2023 में क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थानों/केंद्रों के रूप पुन: नामित किया गया है।

और व्यक्तित्व विकास के उत्थान पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। अधिकारी प्रशिक्षुओं द्वारा संचालित विभिन्न समितियां हैं। इन समितियों द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों में 'अकादमी कॉलिंग' और 'येरोस ड्यू' पत्रिकाएं प्रकाशित करना, 'अभिव्यक्ति' के रूप में पहचाने जाने वाले संपूर्ण साई इंडिया की वार्षिक फोटोग्राफी सह एवं लघु वीडियो प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन, वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता 'बैटल ऑफ आइडियाज', वार्षिक जिज्ञासा प्रतियोगिता, प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए क्रेच का संचालन, रक्तदान और स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन, विभिन्न खेल आयोजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना सम्मिलित है।

संस्थान आईएएंडएएस अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों को मध्य-कैरियर और सेवारत प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। संस्थान अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं जैसे भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे यातायात सेवा, भारतीय डाक सेवा आदि के लिए विशेष कार्यक्रम को पूर्ण करता है।

4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा के लिए केंद्र (आईसीसा)

नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली तथा लेखापरीक्षा केंद्र आईसीसा 2002 में स्थापित किया गया था और आईसीसा एक आईएसओ 9001:2008 तथा आईएसओ 27001 प्रमाणित संस्थान है जो कि प्रशिक्षण में गुणवत्ता प्रणाली सुनिश्चित करने तथा बेहतर वैश्विक प्रथाओं के साथ आईटी लेखापरीक्षा के संरेखण के लिए प्रयासरत है। आईसीसा आईटी लेखापरीक्षा पर ईंटोसाई कार्यप्रणाली समूह की एक नामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है।

आईसीसा, नोएडा

आईसीसा भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखाविभाग के अधिकारियों को उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित है। इसके अतिरिक्त केंद्र विभिन्न सेवाओं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वनसेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, सैन्य अभियांत्रिकी सेवाएँ , भारतीय सिविल लेखा सेवाएँ तथा केंद्रीय स्वायत निकायों के साथ-साथ अन्य साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है।

आईसीसा का अधिदेश सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण को बढाना है। आईसीसा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा और नियंत्रण संघ (आईएसएसीए) भारतीय अध्याय, प्रमुख लेखापरीक्षा फर्मों, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-इन), भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद (डीएससीआई) और मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निदेशालय जैसे संस्थानों और एजेंसियों के साथ सहयोग करता है।

आईसीसा अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो चार सप्ताह की अवधि के होते हैं। विदेश मंत्रालय भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) योजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इन कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- भारत सरकार, जो इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना तथा अन्य सरकारों के बीच में द्विपक्षीय सहयोग बढाना;

- विभिन्न साई को एक साथ आने और लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में उनके विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मंच प्रदान करना; एवं
- साई के विभिन्न प्रतिभागियों को लेखापरीक्षा में समकालीन सर्वोत्तम प्रथाओं का विवरण प्राप्त करने और उभरती लेखापरीक्षा प्रयोजनों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान करना।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) से वरिष्ठ तथा मध्य स्तर के अधिकारियों तथा अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व, मध्य पूर्व, पैसिफिक तथा पूर्व यूरोपीय क्षेत्र जैसे देशों की सरकारों के अधिकारियों ने इन अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया है।

आईसीसा द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (साई) के क्षमता निर्माण में योगदान देता है। आईसीसा ने अफगानिस्तान, भूटान, चिली, इस्वातिनी, इराक, जमैका, मालदीव, नेपाल, ओमान, युगांडा और वियतनाम जैसे कई देशों से सहभागियों के लिए विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रारूप बनाया तथा प्रदान किया है। द्विपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम साई और संबंधित देशों के बीच संबंधों को गहरा बनाने के लिए एक प्रभावी साधन हैं।

4.1.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

जयपुर में आईसीईडी की स्थापना मई 2013 में हुई थी और यह पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह की एक निर्दिष्ट वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा है और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (इंटोसाई) के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निष्कर्षण उद्योगों पर (अगस्त 2016 से) कार्यकारी समूह है। जीटीएफ के रूप में, आईसीईडी इंटोसाई डब्ल्यूजीईए और ऐसोसाई डब्ल्यूजीईए दोनों मंचों में साथियों के बीच सीखने, अनुभव और ज्ञान-साझाकरण और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को बढ़ाने में एक शानदार भूमिका निभाता है।

आईसीईडी, जयपुर

आईसीईडी विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम (आईटीईसी) के अन्तर्गत पर्यावरण लेखापरीक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अग्रणी संस्थान भी है। अपने आंतरिक क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए, आईसीईडी पर्यावरण के मुद्दों की लेखापरीक्षा पर राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है जो विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित होते हैं।

आईसीईडी परिसर

इसके परिसर को देश की पहली जीआरआईएचए (एकीकृत पर्यावास निर्धारण हेतुहरित श्रेणी) पांच सितारा श्रेणी हरित भवन होने का अनूठा गौरव प्राप्त है।

पर्यावरण संरक्षण के प्रति साई इंडिया की प्रतिबद्धता को पुख्ता करते हुए आईसीईडी को जीवंत पर्यावरण का हिस्सा बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आईसीईडी

का परिसर 16 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर फैला हुआ है, जो ऐतिहासिक शहर जयपुर के ठीक बाहर, अरावली पहाड़ियों की सुरम्य पृष्ठभूमि के बीच है। इसमें लगभग 10,537 पौधों और पेड़ों की एक विस्तृत हरित पट्टी है, जिसमें झाड़ियाँ, हेजेज और जैव-विविध भूभाग के पौधे शामिल हैं। कुल क्षेत्रफल में से, परिसर का 85 प्रतिशत हिस्सा 'हरित क्षेत्र' है, जिसमें विविध वनस्पतियाँ और जीव-जंतु हैं।

4.1.4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/केंद्र

साई इंडिया के पास वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों, साई इंडिया के समूह ख और ग संवर्गों के लिए लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी में गहन प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए देश भर में 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) और दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आरटीसी) स्थित हैं जो पर्यवेक्षी संवर्ग और लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा स्टाफ कैडर का गठन करते हैं। ये संस्थान चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, प्रयागराज, रांची और शिलांग में स्थित हैं। दो आरटीसी बैंगलुरु और दिल्ली में स्थित हैं।

क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र इनको दिए गए विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं। ज्ञान केंद्रों के रूप में, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र विशेषज्ञता के क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल (एसटीएम), वैयक्तिक अध्ययन तथा अन्य प्रशिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। वे इन्हें आवंटित विशेषज्ञता क्षेत्रों में अखिल भारतीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते हैं।

आरटीआई चेन्नई

आरटीआई कोलकाता

आरटीआई रांची

आरटीआई हैदराबाद

अध्याय 5

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

5.1. वित्तीय प्रबंधन-व्यय के घटक

हमने 2022-23 में ₹ 5,871.02 करोड़ खर्च किए। कुल व्यय (89.25 प्रतिशत) का मुख्य भाग हमारे मानव संसाधनों – 'वेतन' पर 84.45 प्रतिशत और 'यात्रा' पर 4.80 प्रतिशत पर व्यय किया गया था। व्यय के घटकवार विवरण आंकड़े दिए गए हैं:

व्यय के घटक (आंकडे ₹ करोड़ में)

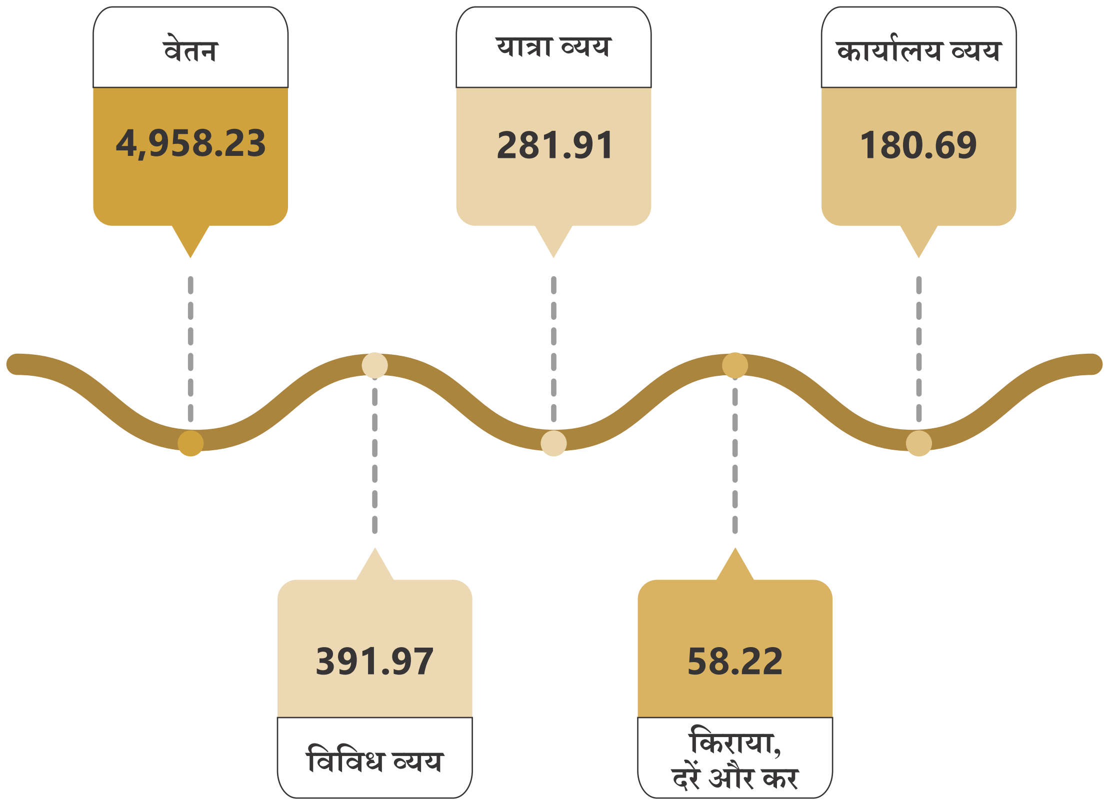

वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए कुल व्यय क्रमशः ₹ 5097.49 करोड़, ₹ 5,035.25 करोड़ और ₹ 5,352.06 करोड़ था। कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय में कमी आई।

5.1.1 कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

व्यय में सबसे अधिक भाग सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों का है, जिसके बाद, लेखा एवं हकदारी कार्यालयों का व्यय आता है। समग्र रूप से हमने लेखापरीक्षा पर (मुख्यालय को छोड़कर) लगभग 67.72 *प्रतिशत* व्यय किया। लेखा एवं हकदारी कार्यालयों पर कुल व्यय लगभग 26.09 *प्रतिशत* था।

तालिका I.5.1

कार्यालय की श्रेणी	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय	219.90	3.74
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	2,986.73	50.87
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	270.91	4.61
वित्त और संचार लेखापरीक्षा कार्यालय	231.25	3.94
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	292.58	4.98
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	146.50	2.50
लेखा एवं हकदारी कार्यालय	1,531.57	26.09
संयुक्त राष्ट्र लेखापरीक्षा (विश्व स्वास्थ्य संगठन-जिनेवा और एफएओ-रोम में बाह्य लेखापरीक्षा निदेशकों का कार्यालय)	4.57	0.08
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	43.29	0.74
प्रशिक्षण[1]	83.14	1.42
केंद्रीय अधिप्राप्तियां[2]	46.61	0.79
विभागीय कैंटीन	13.97	0.24
कुल	**5,871.02**	**100**

5.2 मानव संसाधन प्रबंधन

हमारे ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण जनता हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति है। आईएसएसएआई 40 निर्धारित करता है कि साई की तैयार की गयी नीतियों और प्रक्रियाओं को यह आश्वासन प्रदान करने के लिए स्थापित करना चाहिए कि इसमें पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं जो अपने कार्यों का प्रभावी ढ़ग से निर्वहन कर सकते हैं।

हमारे श्रमबल को व्यापक रूप में चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

श्रेणी	अधिकारियों/स्टाफ की संख्या (1 मार्च 2023 तक)
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा	493
पर्यवेक्षी संवर्ग	17,852
लेखापरीक्षा और लेखा स्टाफ	19,203
बहुविधि कार्य स्टाफ	2,435
कुल	**39,983**

[1] उप-शीर्ष 'प्रशिक्षण' वित्तीय वर्ष 2022 – 23 से खोला गया। प्रशिक्षण उप-शीर्ष के अन्तर्गत व्यय किए गए ₹83.14 करोड़ के व्यय में आईसीसा, नोएडा के लिए ₹11.77 करोड़, एनएएए शिमला के लिए ₹18.61 करोड़, आईसीईडी जयपुर के लिए ₹11.74 करोड़ और आरटीआई के लिए ₹41.02 करोड़ सम्मिलित हैं।

[2] उप-शीर्ष 'केंद्रीकृत अधिप्राप्तियां' वित्तीय वर्ष 2022-23 से खोला गया।

साई इंडिया में 45.88 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबन्धकीय और पर्यवेक्षी स्तर पर हैं और 48.03 *प्रतिशत* लोग लेखापरीक्षा एवं लेखा स्टाफ में है। कुल क्षमता का केवल 6.09 *प्रतिशत* सहायता कार्य करते हैं।

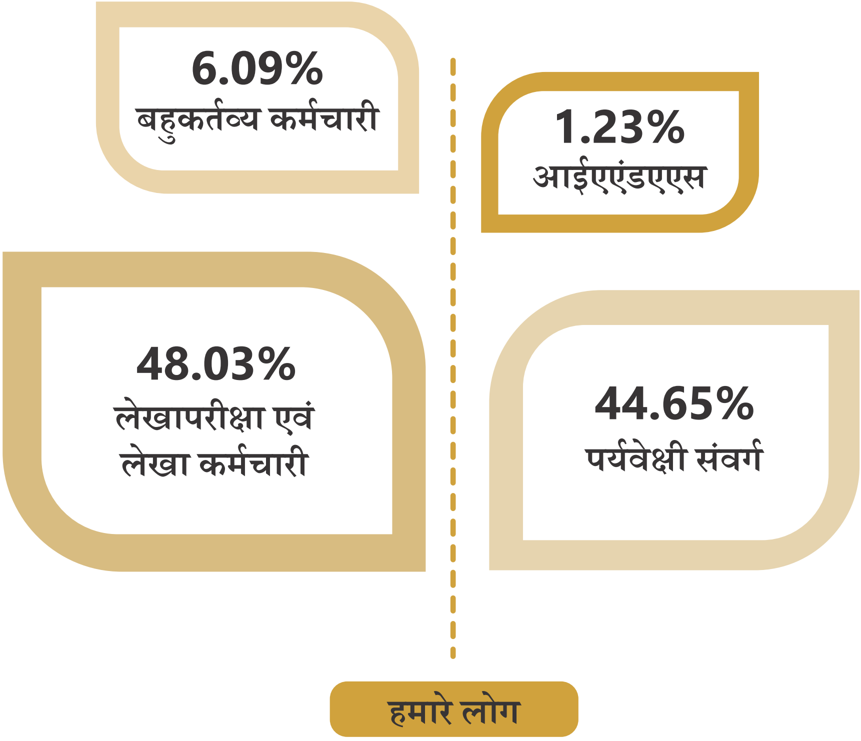

भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। साई इंडिया के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबन्धन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। इसके अलावा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों को भी पदोन्नति द्वारा इस सेवा में शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर, वे भारत सरकार में समूह 'क' सेवा का गठन करते हैं।

पर्यवेक्षी संवर्ग – राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (समूह क- राजपत्रित), सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी (समूह ख-राजपत्रित) और पर्यवेक्षक (समूह ख-अराजपत्रित) होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी सीधे कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से आते हैं अथवा सामान्यतया अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने के बाद संवर्ग में उनकी पदोन्नति की जाती है।

लेखापरीक्षा एवं लेखा कर्मचारी – यह संवर्ग डेटा एंट्री आपरेटर (डीईओ), लिपिकों, लेखापरीक्षकों/लेखाकारों, वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों और सहायक पर्यवेक्षकों से बनता है और हमारे कुल श्रमबल का 48.03 *प्रतिशत* है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या फीडर संवर्ग से पदोन्नति होती है।

बहुविधी कार्य स्टाफ – विभिन्न भारतीय लेखापरीक्षा तथा लेखा विभाग कार्यालयों में सभी सहायता कार्य बहुविधी कार्य स्टाफ द्वारा किए जाते है।

5.2.1 योग्यताएं

आईएएंडएएस संवर्ग में 15 डॉक्ट्रेट, 222 स्नातकोत्तर और 347 स्नातक हैं। उनमें से 380 व्यावसायिक रूप से योग्यता[3] प्राप्त अधिकारी हैं। वर्ग 'क', 'ख' और 'ग' के गैर आईएएंडएएस संवर्गों में अधिकारी और कर्मचारी भी काफी योग्य हैं। हमारे पास इन संवर्गों में 45 डॉक्ट्रेट, 4,105 व्यावसायिक रूप से योग्यता प्राप्त कार्मिक, 4,518 स्नातकोत्तर और 20,150 स्नातक हैं।

5.2.2 भर्ती

क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम कर्मचारियों को कार्य पर लगाने मे 2022-23 के दौरान विभाग का ध्यान केंद्रित करना जारी रहा है। सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों, मंडल लेखाकारों, कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों, आशुलिपिकों के पदों पर सीधी भर्ती करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग से की गई मांग को 2022-23 के दौरान कार्यन्वित किया गया।

- हमने 2022-23 में 2,098 व्यक्तियों की भर्ती की नामत: 750 सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, 500 लेखापरीक्षक, 798 मंडल लेखाकार, 50 आशुलिपिक ग्रेड-II
- विशिष्ट आवश्यकता आधार पर 2022-23 में 398 सलाहकार नियुक्त किए गए थे।

5.2.3 लिंग संतुलन

नीचे दी गई तालिका विभिन्न संवर्ग में विभाग के लिंगानुपात को दर्शाती है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरूष	महिलाओं की प्रतिशतता
आईएएंडएएस	141	352	28.60
पर्यवेक्षी संवर्ग एवं लेखापरीक्षा/लेखा कर्मचारी	5,865	31,190	15.83
बहुविधि कार्य	398	2,037	16.34
कुल	**6,404**	**33,579**	**16.02**

जबकि पर्यवेक्षी संवर्ग और बहुकर्तव्य कर्मचारी के मामले में महिलाओं का अनुपात क्रमशः 15.83 और 16.34 प्रतिशत था, यह आईएएंडएएस में 28.60 प्रतिशत अधिक था।

5.2.4 कर्मचारी संघ

हमारे पास लेखापरीक्षा तथा लेखा कर्मचारी और पर्यवेक्षी सवंर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले 222 कर्मचारी संघ और पांच अखिल भारतीय संघ हैं। संबंधित क्षेत्र स्तरीय सेवा संघ के साथ प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा आवधिक रूप से राज्य स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थी।

[3] अभियंता, प्रबंधक, डाक्टर, सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएफई, सीआईएसए आदि।

खंड 2

हमारे अधिदेश को पूरा करना

- **अध्याय 1**
  हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना
- **अध्याय 2**
  हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा सीएजी कार्यालय परिसर में

अध्याय 1

हमारे लेखापरीक्षा अधिदेश को पूरा करना

1.1 हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया कई चरणों का पालन करती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है:

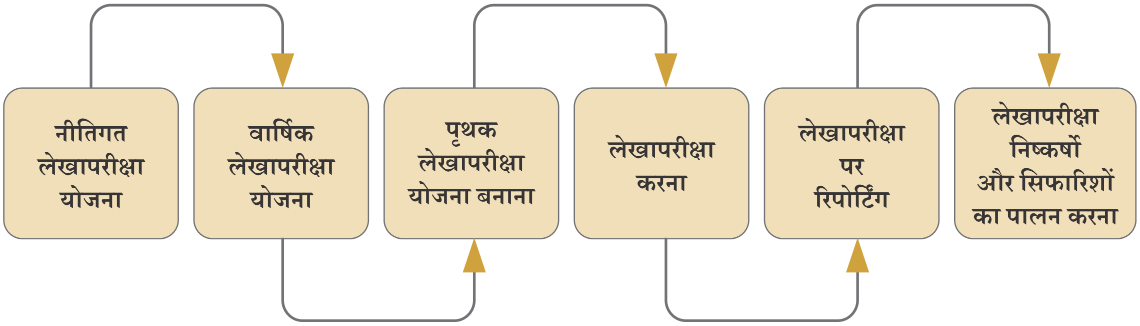

नीतिगत योजना एक लंबी समय सीमा के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर साई इंडिया में योजना बनाने के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। वर्ष 2023-30 हेतु साई इंडिया की नीतिगत योजना तैयार कर ली गई है और जिसे अपनाने के लिए अंतिम प्रक्रिया चल रही है।

प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विकसित वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान निष्पादन हेतु अलग-अलग योजनाबद्ध लेखापरीक्षाओं का विवरण होता है। वार्षिक योजना कार्य में मामले या इकाई और उपलब्ध मानव संसाधन के महत्व सहित लेखापरीक्षा अधिदेश; जोखिम निर्धारण; और अन्य प्रासंगिक मापदण्डों द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवधिकता को भी ध्यान में रखा जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए विषयों का चयन विभिन्न विचारों जैसे जोखिम निर्धारण, सार तथा महत्व, विषय की दृश्यता, पिछली लेखापरीक्षाएं, अनुमानित प्रभाव, योजना विकास का कवरेज और चरण, आदि द्वारा निर्देशित किया जाता है।

हम तैनात किए जाने वाले लेखापरीक्षा दलों, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तिथियों का वर्णन करते हुए विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम भी बनाते हैं। लेखापरीक्षा दल अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में विश्वसनीय, सक्षम और पर्याप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर लेखापरीक्षा करते हैं। उनका मार्गदर्शन साई इण्डिया के लेखापरीक्षण मानकों तथा समय-समय पर जारी किये गये अन्य अनुदेशों द्वारा किया जाता है।

लेखापरीक्षा के समापन पर लेखापरीक्षित सत्त्व को एक निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया जाता है। उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष या वह जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, उन्हें संघ तथा राज्य स्तर पर संसद/विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए आगे संसाधित किया जाता हैं।

लेखापरीक्षित सत्त्वों से लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही करने की अपेक्षा की जाती है और उनसे यह अपेक्षित है कि वे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर की गई कार्यवाही टिप्पणियाँ भेजें। संघ और राज्य स्तरों पर नियंत्रक एवं भारत के महालेखापरीक्षक द्वारा

जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर संबंधित लोक लेखा समितियों (पीएसी) और लोक उपक्रम समितियों (सीओपीयू) द्वारा चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों तथा सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की भी जाँच की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा गठित लेखापरीक्षा समितियां लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिये एक तंत्र है। लेखापरीक्षित सत्त्व और साई इंडिया के अधिकारियों से बनी लेखापरीक्षा समितियां, अनुवर्ती प्रक्रिया का अनुवीक्षण करती हैं, ताकि अनुबोध अंतराल को कम किया जा सके और बकाया लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संप्रेषण के स्तर को बढ़ाया जा सके।

1.2 वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022-23 की मुख्य बातें

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2022-23 ने अनिवार्य वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा से संबंधित कार्यों को प्राथमिकता दी थी। अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं की हमारी कवरेज लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की गुणवत्ता और समयबद्धता पर बल देने के साथ, जोखिम निर्धारण और हमारे शेष संसाधनों के इष्टतम उपयोग द्वारा मार्गदर्शित थी।

हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ कई बार बातचीत करने के बाद, 2022-23 वर्ष के दौरान 'सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं', 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौशल घटक का विकास' और 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' पर अखिल भारतीय निष्पादन लेखापरीक्षाएं शुरू की गईं। इसके अतिरिक्त, हमने राज्यों में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' और 'भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर' पर क्रॉस कटिंग लेखापरीक्षा की। हमने कई राज्यों में मुख्य और गौण खनिज' पर भी लेखापरीक्षा की।

1.3 लेखापरीक्षा में मुख्य परिणाम एवं उपलब्धियाँ

साई इंडिया के मुख्य कार्यात्मक क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), और उनके अधीन स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा करना शामिल है। साई इंडिया इन कार्यात्मक क्षेत्रों में वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा का आयोजन करता है।

इन लेखापरीक्षाओं के मुख्य परिणाम निरीक्षण रिपोर्टें तथा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के साथ लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र हैं, जो लेखापरीक्षित सत्त्व के प्रबंधन को जारी किए जाते हैं। इन लेखापरीक्षा परिणामों में सूचित की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है, जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के प्रावधानों के अंतर्गत संसद/राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इन लेखापरीक्षा परिणामों की गुणवत्ता तथा समयबद्धता सुनिश्चित करना साई इंडिया का मुख्य परिणामी क्षेत्र है। आगामी अनुच्छेदों में, हमने 2022-23 के दौरान अपने द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं तथा हमारे लेखापरीक्षा परिणामों के मुख्य बिंदुओं की सूचना दी है।

1.3.1 वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा

संघ तथा राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखाओं की वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा के अतिरिक्त, साई इंडिया आर्थिक सहायता समझौतों के भाग के रूप में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किए गए व्यय को भी प्रमाणित करता है।

2022-23 के दौरान, हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयू, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य सत्त्वों के 8,915 लेखाओं की जांच की और प्रत्येक लेखे के लिए एक लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र टिप्पणियां जारी की।

लेखा संबंधित है	जांच किए गए लेखा की संख्या	समय पर लेखापरीक्षा प्रमाणीकरण
संघ/राज्य सरकार	195	151
पीएसयू (केंद्र/राज्य)	1,837	1,062
स्वायत्त निकाय (केंद्र/राज्य)	1,156	608
बाहय सहायता प्राप्त परियोजनाएं (केंद्र/राज्य)	192	139
अन्य (केंद्र/राज्य)	5,535	632
कुल	**8,915**	**2,592**

लेखाओं के प्रमाणीकरण में विलंब मुख्यत लेखापरीक्षित निकायों से लेखे प्राप्त होने में विलंब, प्रबंधन/सांविधिक लेखापरीक्षक से उत्तर/प्रत्युत्तर की प्राप्ति में विलंब, संशोधित लेखे प्राप्त होने में विलंब, जो एक वर्ष से अधिक समय तक लेखाओं की प्राप्ति आदि के कारण हुआ।

1.3.2 अनुपालन लेखापरीक्षा

1.3.2.1 लेखापरीक्षा कवरेज

2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा के लिए कुल 40,651 इकाईयों की योजना बनाई गई। इसकी तुलना में, वर्ष के दौरान 38,778 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई थी। नीचे दिया गया ग्राफ दर्शाता है कि संघ स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 95.69 *प्रतिशत* एवं राज्य स्तर पर नियोजित लेखापरीक्षाओं का 95.25 *प्रतिशत* कार्य पूरा किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा कवरेज

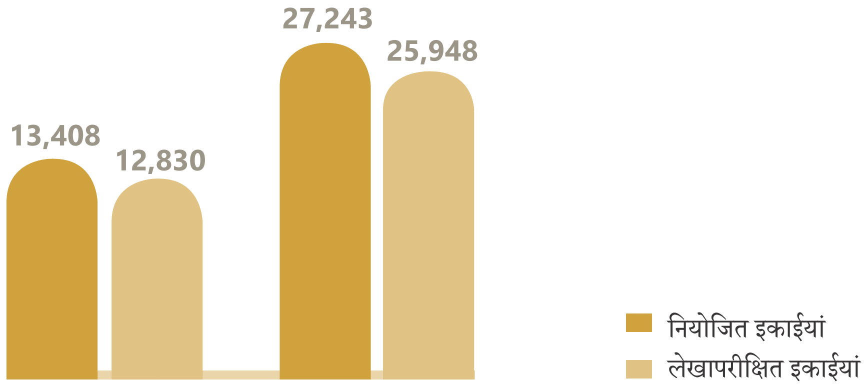

	Union	States
नियोजित इकाईयां	13,408	27,243
लेखापरीक्षित इकाईयां	12,830	25,948

[1] अन्य में ग्राम पंचायत और केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं सहित वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय उपक्रमों के प्रोफॉर्मा लेखा शामिल हैं।

1.3.2.2 निरीक्षण रिपोर्टें

निरीक्षण प्रतिवेदन (आईआर) लेखापरीक्षित सत्त्व को प्रत्येक लेखापरीक्षा पूरी होने पर जारी की जाती है। वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित 38,778 इकाईयों में से 22,088 इकाईयों (56.96 *प्रतिशत*) के मामलों में 2022-23 में निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 2022-23 से पहले लेखापरीक्षित इकाईयों के लिए भी 4,719 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए गए थे।

संघ स्तर पर, 81.50 *प्रतिशत* निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर अर्थात 30 दिनों के अन्दर जारी किए गए जबकि राज्य स्तर पर 66.91 *प्रतिशत* का निष्पादन समय पर हुआ था।

निरीक्षण प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान वास्तव में लेखापरीक्षित इकाईयों के लिए जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	2022-23 से पहले लेखापरीक्षित इकाईयों को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान जारी की गई कुल निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों के अंदर जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदन	30 दिनों में जारी की गई निरीक्षण रिपोर्टों की प्रतिशतता
संघ	8,043	2,050	10,093	8,226	81.50
राज्य	14,045	2,669	16,714	11,184	66.91
कुल	**22,088**	**4,719**	**26,807**	**19,410**	**72.41**

1.3.2.3 अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान की गई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किया गया है। 2022-23 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में कुल 1,543 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ (820 संघ के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में और 723 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में) सम्मिलित की गई थी। एकल अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए महत्वपूर्ण विषय 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना', 'दक्षिणी भारत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पथकर संचालन' और 'खादी और ग्रामोद्योग आयोग में आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित विभागीय व्यापार इकाईयां' सम्मिलित थी।

संघ स्तर पर, लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा 820 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 233 को स्वीकार किया गया और 66 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। राज्य स्तर पर लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा 723 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 291 को स्वीकार किया गया और 168 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।

1.3.3 निष्पादन लेखापरीक्षा

जैसा कि पैराग्राफ 1.2 में उल्लेख किया गया है, लेखापरीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय 'सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाएं', 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के कौशल घटक का विकास', 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)', 'शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन', 'भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर' और 'मुख्य और गौण खनिज' लिये गये थे।

इसके अलावा, 'भारत में चाय के विकास में चाय बोर्ड इंडिया की भूमिका', 'हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का परिचालन प्रदर्शन', 'महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का कार्यान्वयन', 'आयुध कारखानों में छोटे हथियारों का उत्पादन', 'सीजीएचएस में दवाओं की अधिप्राप्ति और आपूर्ति', बिहार में 'सतही सिंचाई परियोजनाओं के परिणाम', 'पश्चिम बंगाल में लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों का उन्नयन', 'हिमाचल प्रदेश में पेयजल

सेवाएं', 'केरल विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली', 'सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (राजस्थान में) का कार्यान्वयन', 'महाराष्ट्र सरकार द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का वितरण' और 'लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में बड़े पुलों का निर्माण निष्पादन', लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के लिए कुछ महत्वपूर्ण विषय थे।

1.3.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

संविधान का अनुच्छेद 151 यह परिकल्पित करता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक संसद या राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदनों को तैयार करेंगे और राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत करेंगे।

2019-22 के बीच, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत करने हेतु औसतन वार्षिक रूप से 135 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अनुमोदित किया। 2022-23 के दौरान, 172 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन अनुमोदित किए गए थे, जिनमें से 35 संसद में प्रस्तुत किए जाने थे और 137 प्रतिशत राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने थे। 2022-23 के दौरान 172 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से, 29 संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 77 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए गए। इसके अलावा, 2022-23 के दौरान, अप्रैल 2022 से पहले अनुमोदित किए गए 17 संघ लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 60 राज्य लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भी क्रमशः संसद/राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों को संसद/राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किए जाने के बाद, *https://cag.gov.in/audit-reports* पर लोक क्षेत्र में रखा जाता है।

1.3.5 लेखापरीक्षा का प्रभाव

1.3.5.1 लेखापरीक्षा द्वारा की गई सिफारिशों की स्वीकृति

वर्ष 2019-22 के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई, औसतन वार्षिक रूप से 1,869 सिफारिशों में से 616 सिफारिशें को लेखापरीक्षा सत्त्वों द्वारा स्वीकार किया गया था।

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुमोदित 172 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की स्थिति इस प्रकार थी:

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष के दौरान अनुमोदित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की संख्या	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
केंद्र सरकार	35	509	91
राज्य और संघ शासित प्रदेशों की सरकारें	137	2,312	1,109
कुल	**172**	**2,821**	**1,200**

इस प्रकार, 2022-23 के दौरान अनुमोदित किए गए 172 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 2,821 सिफारिशें की गईं, जिनमें से 1,200 सिफारिशों को लेखापरीक्षित सत्त्वों द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

1.3.5.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

हमारी कुछ लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां करों के कम निर्धारण या राजकोष को विशिष्ट हानि से संबंधित हैं, जिससे संबंधित पक्षों से वसूली की आवश्यकता होती है। वर्ष 2022-23 के दौरान, लेखापरीक्षा में बताए जाने पर की गई वसूली नीचे दर्शाई गई है:

(₹ करोड़ में)

	स्वीकृत की गई वसूली	प्रभावित वसूली
केंद्र सरकार	25,275.65	1,391.89
राज्य सरकार	22,584.00	3,645.46
कुल	**47,859.65**	**5,037.35**

1.3.5.3 पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रभाव

(i) वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के वार्षिक लेखाओं के मामले में हम कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) के अन्तर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। 2022-23 के दौरान 1,453 कंपनियों और निगमों (संघ और राज्य दोनों) के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी और लेखाओं पर इन लेखापरीक्षाओं का प्रभाव था: (क) लेखाओं की टिप्पणियों में संशोधन: ₹1,66,399.70 करोड़ (ख) वर्गीकरण अशुद्धियाँ: ₹3,79,169.86 करोड़ (ग) लाभ तथा हानि में परिवर्तन: ₹38,340.44 करोड़ और (घ) परिसम्पत्तियों तथा देयताओं में परिवर्तन: ₹1,13,565.50 करोड़।

(ii) सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में पुनरीक्षण

वर्ष 2021-22 के लिए प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा जांच के आधार पर, **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (बीडीएल), बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड (बीएलएएल), मिश्र धातु निगम लिमिटेड (एमआईडीएचएएनआई), उत्कर्ष एल्युमीनियम धातु निगम लिमिटेड (यूएडीएनएल) और विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वीआईएल)** के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को संशोधित किया गया था।

(iii) लेखाकरण नीतियों/ लेखाओं के लिए टिप्पणियों में परिवर्तन (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान जारी किए गए प्रबंधन पत्रों और लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का निम्नलिखित प्रभाव पड़ा:

- फरवरी 2022 में जारी प्रबंधन पत्र के आधार पर, आकस्मिक परिसंपत्तियों के प्रावधानों के संबंध में लेखाकरण नीति को **इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड** द्वारा इंड़एएस 37 के अनुरूप संशोधित किया गया।

- जारी किए गए प्रबंधन पत्र के आधार पर, **स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआईएल)** ने 2021-22 के अपने लेखाओं की लेखाकरण नीति में निम्नलिखित बदलाव किए।
  - o एसएचसीआईएल ने अपनी महत्वपूर्ण लेखा नीतियों में शामिल किया कि मूल्यह्रास की गणना स्थापना के महीने/ उपयोग किये जानी है।
  - o एसएचसीआईएल ने एक महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति को शामिल किया कि वर्ष के दौरान खरीदी गई प्रत्येक संपत्ति की व्यक्तिगत रूप से ₹5,000 या उससे कम की लागत पूरी तरह से बट्टे खाते में डाली जाएगी।
- जारी किए गए प्रबंधन पत्र के आधार पर **मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड** ने 2021-22 के अपने लेखाओं में ₹ एक करोड़ तक की राशि वाले पट्टा करारों के लिए पट्टा देयता के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण किए।
- जारी किए गए प्रबंधन पत्र के आधार पर **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड** ने 2021-22 के अपने लेखाओं में लेखाकरण नीति में संशोधन किया और कहा कि "एआईएफ/उद्यम पूंजी निधि के संबंध में राजस्व को नकद आधार पर मान्यता दी जाती है"।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर **यूबीआई सर्विसेज लिमिटेड** ने वित्त वर्ष 2021-22 के अपने संशोधित वित्तीय विवरणों में अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण किया।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर **एनएमडीसी लिमिटेड** ने वर्ष 2021-22 के लिए अपने लेखाओं में एक लेखाकरण नीति शामिल की अर्थात अतिरिक्त पुर्जे, अतिरिक्त उपकरण और पीपीई की परिभाषा को पूरा करने वाले सेवा उपकरण और प्रत्येक मामले में ₹ 20 लाख से अधिक मूल्य वाले उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर पूंजीकृत होते हैं।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर वर्ष 2021-22 में **नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड** ने (i) पूर्व भुगतान शुल्क के माध्यम से मान्यता प्राप्त आय और (ii) गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों की वसूली के विनियोग के आदेश के संबंध में विशिष्ट लेखाकरण नीतियां शामिल की।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान **बीएमआरसीएल** (i) पुर्जों के घटकीकरण सहित मूल्यह्रास/परिशोधन पर अपनी लेखाकरण नीति को संशोधित किया और (ii) अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति के अंतर्गत पट्टों पर एक नीति को शामिल किया।
- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा पूछताछ के आधार पर **भारत डायनेमिक्स लिमिटेड** ने आश्वासन दिया कि ग्राहक द्वारा प्रदान की गई परिसंपत्तियों पर आस्थगित राजस्व का प्रकटीकरण राजस्व के पृथक श्रेणी मद के रूप में और तुलन पत्रक के प्रासंगिक टिप्पण के अंतर्गत पाद टिप्पणी के माध्यम से ग्राहक वित्त पोषित परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण वित्त वर्ष 2022-23 से लेखाओं में किया जाएगा।
- **भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड** ने एक वर्ष से अधिक समय से उप-संविदाकारों के पास रखी सामग्री पर जीएसटी के प्रावधान के सृजन के लिए एसओपी जारी की।
- **केएमआरसीएल** ने 2020-21 में अपनी अवाणिज्यिक गतिविधि को देखते हुए लाभ और हानि लेखा तैयार करने से दूर करने की नीति अपनाई थी। लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2021-22 से लाभ और हानि विवरण तैयार करने के लिए पूर्व प्रथा को बहाल किया।

(iv) लेखाकरण नीतियों/लेखाओं के लिए टिप्पणियों (राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में परिवर्तन

(क) हरियाणा

लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर **दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)** ने 2021-22 की अवधि के लिए अपने वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न लेखाओं के लिए टिप्पणियों में बीमांकिक मूल्यांकन पर एक विस्तृत प्रकटीकरण प्रदान किया है।

(ख) केरल

जारी किए गए प्रबंधन पत्र के आधार पर **स्टेट फार्मिंग कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड** ने 2022-23 में पुनर्रोपण और अन्य संपदा गतिविधियों से संबंधित अप्रत्यक्ष व्ययों को विभाजित करने के मामले में अपनी लेखाकरण नीति में बदलाव किया।

वर्तमान में संबंधित सम्पदाओं के अप्रत्यक्ष व्यय जो पुनर्रोपण और अन्य संपदा गतिविधियों से संबंधित हैं को केवल उस संपत्ति के कुल क्षेत्र के लिए किसी विशेष संपत्ति के पुनर्रोपण के क्षेत्र के अनुपात में विभाजित किया जाता है। हालांकि पहले इन अप्रत्यक्ष व्ययों को कंपनी के कुल क्षेत्र में एक विशेष संपत्ति के पुनर्रोपण के क्षेत्र के अनुपात में विभाजित किया गया था।

1.3.5.4 लेखापरीक्षा के बताने पर नीतियों, कानूनों और नियमों और प्रक्रियाओं में परिवर्तन

हमारी अभ्युक्तियों के आधार पर संघ/ राज्य सरकारों के मंत्रालयों/ विभागों द्वारा बनाई गई नीतियों, कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं में कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं:

संघ लेखापरीक्षा

(i) वाणिज्यिक लेखापरीक्षा – लेखापरीक्षा ने बताया (**इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, मानेसर (2017-19) पर निरीक्षण प्रतिवेदन और राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और आरएंडडी अवसंरचना परियोजना (2020-21) पर निरीक्षण प्रतिवेदन**) कि आईसीएटी, एनएटीआरआईपी की एक इकाई ने ग्रेड वेतन प्रणाली को समाप्त कर दिया और वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बिना अतिरिक्त निष्पादन से जुड़े परिवर्तनीय वेतन (पीएलवीपी) के साथ छठे वेतन आयोग के केंद्रीय महंगाई भत्ता प्रतिरूप का पालन करते हुए एक नया रनिंग मूल वेतनमान अपनाया। लेखापरीक्षा के बताए जाने पर एनएटीआरआईपी ने मार्च 2022 में आईसीएटी में पीएलवीपी को निलंबित करने के आदेश जारी किए और अप्रैल 2022 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों का वेतन तय करने का निर्देश दिया।

(ii) रक्षा लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने बताया **(2021 की प्रतिवेदन संख्या 15: 'डीआरडीओ में निर्माण और संपदा प्रबंधन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा)** कि डीआरडीओ में दो स्कंध अर्थात मुख्य निर्माण अभियंता (सीसीई) (आरएंडडी) और मुख्य अभियंता (सीई) (आरएंडडी) विभिन्न नियमों और विनियमों/दरों की अनुसूची का पालन करते हुए कार्यों का निष्पादन कर रहे थे।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर ये स्कंध अब दरों की समान अनुसूची का अनुसरण कर रहे हैं। लेखापरीक्षा की सिफारिशों को शामिल करते हुए डीआरडीओ की अनुसंधान एवं विकास निर्माण स्थापना कार्य प्रक्रिया को भी अद्यतन किया जा रहा है।

(iii) रेलवे लेखापरीक्षा

(क) लाइसेंस शुल्क के विलंब से भुगतान के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से दंडात्मक ब्याज की वसूली न होने पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों **(2019 की प्रतिवेदन संख्या 19)** के आधार पर रेलवे बोर्ड ने अप्रैल 2022 में सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी किए कि वे भविष्य के सभी करारों में लाइसेंस शुल्क के विलंब से भुगतान के लिए दंड की धारा के साथ ही मौजूदा करारों के लिए उनके नवीनीकरण के समय रेलवे स्टेशनों पर एटीएम की स्थापना को भी शामिल करें।

(ख) लेखापरीक्षा ने बताया **(2022 की प्रतिवेदन संख्या 25)** कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने पूर्व-आवश्यक सिविल कार्यों की प्रगति सुनिश्चित किए बिना रेलवे विद्युतीकरण कार्य प्रदान किए थे। इसके परिणामस्वरूप सामग्रियों की खरीद पर ₹ 9.0 करोड़ के व्यय के बाद दो विद्युतीकरण कार्यों को कम समय में बंद कर दिया गया।

रेलवे बोर्ड ने उत्तर (फरवरी 2023) में आश्वासन दिया कि एक जांच सूची तैयार की जाएगी और भविष्य की निविदाएं जारी करने से पहले इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

(ग) लेखापरीक्षा ने सूचित किया **(2019 की प्रतिवेदन संख्या 19)** कि रतलाम डिवीजन के लिमखेड़ा में कर्षण उप स्टेशन (टीएसएस) के लिए दिए गए दो कार्यों में से एक के पूरा होने में विलंब के परिणामस्वरूप अतिरिक्त व्यय बचाया जा सकता था।

संविदात्मक कार्यों की प्रगति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का ध्यान रखने के लिए रेलवे बोर्ड ने ईपीसी (अभियांत्रिक अधिप्राप्ति और संविदा) निविदाओं या समग्र कार्य निविदाओं के अंतर्गत टीएसएस का निर्माण करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत सभी इलेक्ट्रिकल और सिविल कार्यों को एक कार्य संविदा के अंतर्गत दिया जाता है जिससे विलंब से बचा जाता है और एक एकल संविदा प्रबंधन होती है।

राज्य लेखापरीक्षा

(i) ओडिशा

वर्ष 2019-20 के लिए लोकायुक्त, ओडिशा की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा ने लोकायुक्त अधिनियम 2014 की धारा 42 के अनुसार अनुदान के माध्यम से लोकायुक्त को निधि प्रदान करने और लेखाओं के प्रारूप को संशोधित करने या लोकायुक्त अधिनियम 2014 में संशोधन करने का सुझाव दिया था। तदनुसार ओडिशा सरकार द्वारा लोकायुक्त अधिनियम 2014 में संशोधन किया गया।

(ii) उत्तराखंड

एक लेखापरीक्षा अभ्युक्ति (निरीक्षण प्रतिवेदन) के आधार पर जून 2022 में दरों की अनुसूची (एसओआर) तैयार करने के संबंध में एक नया एसओपी जारी किया गया था जिसे निर्माण कार्यों के लिए सभी अभियांत्रिक और सिविल विभागों द्वारा लागू किया जाना था।

(iii) हिमाचल प्रदेश

लेखापरीक्षा ने (31 **मार्च** 2019 **को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र और पीएसयू) और** 31 **मार्च** 2020 **को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र))** खरीदारों द्वारा गलत दूरी के हलफनामे प्रस्तुत करने के कारण राजस्व हानि को सूचित किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नवंबर 2021 में अधिसूचना जारी की जिसमें इस तरह के राजस्व की हानि को रोकने के लिए लागू सर्कल रेट का पता लगाने के लिए ग्राम राजस्व अधिकारी द्वारा दूरस्थ प्रमाण पत्र जारी करना अनिवार्य है।

(iv) हरियाणा

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों **(मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिकारी, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) की अनुपालन लेखापरीक्षा)** के आधार पर एचएसवीपी ने 2022-23 में बढ़े हुए शुल्कों का अनुपालन करने के लिए पानी और सीवरेज शुल्क के लिए अपनी आईटी प्रणाली को संशोधित किया। बढ़े हुए शुल्क के लिए नोटिस जारी किए गए। इस सुधार का समग्र प्रभाव ₹35 करोड़ से अधिक था।

(v) राजस्थान

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों **(वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 01 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों का कार्यान्वयन अधिनियम, 2016' की निष्पादन लेखापरीक्षा)** के आधार पर विशेष रूप से विकलांग व्यक्ति निदेशालय, राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए संचालित आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों और पुनर्वास घरों के मेस व्यय के अनुदान को प्रति निवासी ₹2000 से बढ़ाकर ₹2500 प्रति माह प्रति निवासी कर दिया।

(vi) केरल

लेखापरीक्षा ने बताया **(2021 की प्रतिवेदन संख्या 4 (आर्थिक क्षेत्र))** संविदाकारों से विभागीय बिटुमन की अंतर लागत की वसूली न होने के कारण उन्हें अनुचित लाभ दिए जा रहे हैं। लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर केरल सरकार ने आदेश जारी किए थे जिसमें सभी भावी संविदाओं के लिए प्रत्याशित प्रभाव से बिटुमन के मूल्य अंतर/वसूली की कीमत में कमी की अनुमति देने के प्रावधानों को बंद करने का निदेश दिया गया था।

(vii) कर्नाटक

लेखापरीक्षा ने बताया **(2019-21 की अवधि के लिए बेसकॉम कॉर्पोरेट कार्यालय पर निरीक्षण प्रतिवेदन)** कि कंपनी पीक अवधि के लिए उच्च दरों के आधार पर और सामान्य दर पर (दर में कमी पर विचार किए बिना) ऑफ पीक अवधि के लिए समय-समय पर टैरिफ के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं पर बिजली कर लगा रही थी, जो सही नहीं था, क्योंकि बिजली कर एक यथामूल्य शुल्क है। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर **बेसकॉम** ने जनवरी 2022 से अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन किए।

(viii) तमिलनाडु

(क) लेखापरीक्षा ने बताया **(पूम्पुहर शिपिंग कॉरपोरेशन पर निरीक्षण प्रतिवेदन)** समय की बचत और ईएमडी के कम संग्रह के कारण पोत्त के मालिक को ₹5.33 करोड़ तक का अनुचित लाभ हुआ। निगम ने ईएमडी राशि (₹10 लाख से ₹20 लाख) बढ़ाकर और अतिरिक्त व्यय के कारण खंड को हटाकर अपनी प्रथाओं में सुधार किया।

(ix) तेलंगाना

(क) बजट से बाहर के उधारों पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों **(2022 की प्रतिवेदन संख्या 1)** के आधार पर व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) ने निर्णय लिया (मार्च 2023) कि बजट से बाहर उधार जैसे राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, विशेष प्रयोजन वाहनों और अन्य समकक्ष उपकरणों द्वारा उधार जहां मूलधन और/या ब्याज को राज्य के बजट से बाहर किया जाना है, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार होने के बावजूद सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां/सांविधिक निकाय राज्य के बजट के बाहर ऋण दे करके राज्य की शुद्ध उधार सीमा को एक तरफ करने का प्रभाव है। ऐसे उधारों का राजस्व

घाटे और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार इनका प्रभाव राज्य एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत राजकोषीय संकेतकों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पार करने का होता है। पिछले वर्ष अर्थात 2020-21 और 2021-22 के दौरान राज्य द्वारा लिए गए किसी भी बजट (में सम्मिलित न हुए) उधार को समायोजित किया जाएगा।

(ख) 'राज्य आपदा प्रतिक्रिया और अग्निशमन सेवा विभाग के कामकाज के निष्पादन लेखापरीक्षा पर अनुवर्ती कार्रवाई (मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए सामान्य और सामाजिक क्षेत्र पर सीएंडएजी प्रतिवेदन)' पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों **(2018 की प्रतिवेदन संख्या 4)** के आधार पर तेलंगाना सरकार ने निम्नलिखित कार्रवाई की:

- ऊंची इमारतों में आग से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की तैयारी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
- संचार के लिए अति उच्च आवृत्ति सेटों की खरीद की गई है और राज्य के सभी अग्निशमन स्टेशनों को इनकी आपूर्ति की गई है।

(x) मध्य प्रदेश

(क) लेखापरीक्षा ने **(2019 की प्रतिवेदन संख्या 3)** कलेक्टर, मुरैना एवं श्योपुर द्वारा सहायक ग्रेड-3 एवं चपरासी के पदों पर अवैध नियुक्तियों का उल्लेख किया जिसके परिणामस्वरूप वेतन एवं भत्तों मे ₹ 76.12 लाख का अनियमित व्यय हुआ। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर राज्य सरकार ने प्रधान राजस्व आयुक्त को नियुक्तियों को रद्द करने का निर्देश दिया क्योंकि ये नियुक्तियां अवैध थीं और लेखापरीक्षा सिफारिश के अनुसार सभी जिला कलेक्टरों को जिलों में कलेक्टरों द्वारा की गई ऐसी सभी नियुक्तियों के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया था।

(ख) **लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर (2021 की प्रतिवेदन संख्या 6- डायल 100 आपातकाल प्रतिक्रिया प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)**

- लेखापरीक्षा ने परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के चयन में अनियमितताओं की ओर इशारा किया, राज्य सरकार ने नवंबर 2022 में सूचित किया कि पीएमसी के चयन की प्रक्रिया को ठीक कर दिया गया है।
- लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और कॉल के प्रेषण की सिफारिश के आधार पर नवंबर 2022 में राज्य सरकार ने सूचित किया कि कॉल सेंटर में एक मिस्ड कॉल डेस्क स्थापित किया गया है और इसकी आवधिक समीक्षा के लिए एसओपी तैयार की गई है।

(ग) **2021 की प्रतिवेदन संख्या 1- सामान्य और सामाजिक क्षेत्र**

- अनावश्यक नमूनों का निपटान न होने पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा ने सभी नामित अधिकारियों को आदेश जारी किए जिसमें अनावश्यक नमूनों के निपटान की प्रक्रिया निर्धारित की गई जिसका अनुपालन जिला कार्यालयों के निरीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
- 'लाइसेंस जारी करने/पंजीकरण जारी करने' पर लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने सूचित किया कि एफएसएसएआई ने खाद्य व्यापारियों की जिलावार और राज्यवार संख्या जानने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान किया है जिसमें तहसील आदि सहित राज्य के सभी जिलों में व्यवसाय करने वाले खाद्य व्यापारियों की जानकारी उपलब्ध है।

1.3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई

आईएसएसएआई 10 में निर्धारित किया गया है कि साई के पास अनुवर्ती कार्रवाई के लिए स्वतंत्र प्रक्रियाएं होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या लेखापरीक्षित संस्थाएं अपनी अभ्युक्तियों और सिफारिशों को उचित प्रकार से हल करती हैं और सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। लेखापरीक्षा और लेखा विनियम 2020 में यह निर्धारित किया गया है कि संबंधित विभाग की सरकार के सचिव लोक लेखा समिति/सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति को प्रस्तुत करने के लिए अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गई स्व-व्याख्यात्मक कार्रवाई नोट तैयार करेंगे जिन्हें लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

कार्रवाई नोट (एटीएन) में कहा गया है कि-

- क्या लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में तथ्य और आंकड़े स्वीकार्य हैं;
- क्या ऐसी परिस्थितियां घटीं जिनमें लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनियमितता हुई है;
- इसे पूर्ण करने के लिए जिम्मेदारी और संभावित समय सीमा तय करने के लिए की गई कार्रवाई;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिए गए सुझावों एवं सिफारिशों पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई; तथा
- भविष्य में इसी प्रकार की चूक की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई।

2022-23 के दौरान केंद्र के मंत्रालयों/विभागों (1,839 एटीएन) और राज्य सरकारों (2,146 एटीएन) से 3,985 एटीएन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,721 एटीएन (केंद्र सरकार से 1,738 एटीएन और राज्य सरकार से 1,983 एटीएन) की जांच साई इंडिया के कार्यालयों द्वारा की गई थी। वर्ष के दौरान 1,808 एटीएन (1,102 एटीएन केंद्र सरकार से और 706 एटीएन राज्य सरकार से) का निपटान किया गया। मार्च 2023 के अंत में पुनरीक्षण के बाद भी 10,998 एटीएन (807 केंद्र सरकार से संबंधित और 10,191 राज्य सरकारों से संबंधित) निपटान के लिए लंबित थे। इसके अलावा 31 मार्च 2023 तक सरकारों द्वारा 7,597 एटीएन (केंद्र सरकार- 812, राज्य सरकार- 6,785) एक बार भी प्रस्तुत नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा भविष्य में ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए की गई अथवा प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई को सत्यापित नहीं कर सका।

अध्याय 2

हमारे लेखा अधिदेश को पूरा करना

सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 और 12 के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ तथा राज्यों के लेखाओं के संबंध में सीएजी के कर्त्तव्य तथा शक्तियां निर्धारित की गई हैं। सीएजी पर राज्य सरकारों (एनसीटी दिल्ली एवं गोवा को छोड़कर) के लेखाओं के संकलन और इन्हें तैयार करने, 20 राज्यों के सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) लेखाओं का अनुरक्षण, 19 राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने और नौ राज्यों में राजपत्रित हकदारी (जीई) कार्यों एवं 18 राज्यों में लोक निर्माण संभागीय लेखाकारों का कैडर नियंत्रित करने का दायित्व है। विवरण इस अध्याय के अंत में **तालिका-II.2.1** में प्रस्तुत किए गए है।

2.1 लेखा कार्य से संबंधित निष्पादन

2.1.1 राज्य के प्रधान महालेखाकार (प्र.म.ले)/महालेखाकार(म.ले)/(लेखा एवं हकदारी) संबंधित राज्यों के वार्षिक वित्त और विनियोग लेखाओं को तैयार करते हैं, जिन पर, लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण के बाद, निर्धारित समय सीमा के अनुसार राज्य विधानमंडलों के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए सीएजी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

2.1.2 वार्षिक लेखाओं के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को नियमित रूप से मासिक सिविल लेखाओं तथा व्यय के आंकड़ों से सम्बन्धित विभिन्न एमआईएस प्रतिवेदन उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य सरकारों को अग्रेषित करने हेतु प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक़.) द्वारा "वार्षिक लेखे: एक दृष्टि में" तैयार किया जाता है, जो वित्त और विनियोग लेखाओं पर वृहत अवलोकन प्रदान करता है और पिछले पांच वर्षों की अवधि के लिए राजकोषीय संकेतक भी है।

2.1.3 लेखाओं की समयबद्धता

i. वित्त और विनियोग लेखे

2021-22 के लिए 28 राज्यों के वित्त और विनियोग लेखाओं को दिसंबर 2022 तक प्रमाणित किया गया जिसमें से 2021-22 के लिए 25 राज्यों के लेखाओं को 2023 के बजट सत्र से पहले या उसके दौरान राज्य विधानमंडलों में प्रस्तुत किया गया था।

ii. मासिक सिविल लेखे

2021-22 के दौरान ले. एवं हक़. कार्यालयों द्वारा 28 राज्यों के 364 मासिक[3] सिविल लेखाओं में से 301 (83 प्रतिशत) लेखे समय पर प्रदान किए गए थे। शेष लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलंब हुआ जो मुख्य रूप से राज्य सरकारों के कोषागारों/ प्रभागों/अन्य लेखे प्रदान करने वाली इकाईयों से विलम्ब से प्राप्त हुए और कुछ मामलों में राज्य सरकार की ओर से तकनीकी गड़बड़ियों के कारण हुआ।

iii. तुल्यकालन स्कन्ध के साथ संयुक्त कार्यशालाएँ

सर्वप्रथम, संयुक्त कार्यशालाएं सरकारी लेखा (जीए) विंग एवं राज्य रिपोर्ट तादात्म्य विंग द्वारा ले. एवं हक़. कार्यालयों तथा क्षेत्र-वार लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए आयोजित की गई। लेखापरीक्षा और लेखा क्षेत्रों के अधिकारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया था, जो जुलाई 2022 और अगस्त 2022 के महीनों के दौरान, अर्थात राज्य सरकारों के वार्षिक लेखा 2021-22 के समापन के बाद आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य राज्यों के वार्षिक लेखों को समय पर तैयार करना और प्रमाणन करना, मौके पर ही मुद्दों का समाधान

[3] मार्च (अनुपूरक) लेखों सहित वर्ष में 28 राज्य X 13 लेखे

करना, वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को मजबूत करना और राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एसएफएआर) की गुणवत्ता में सुधार करना था।

यह पहल न केवल 2021-22 के राज्य सरकारों के लेखों को समय पर अंतिम रूप देने में लाभप्रद रही बल्कि बजट सत्र 2023 से पहले या उसके दौरान राज्य विधानसभाओं में 25 राज्य सरकारों के 2021-22 के वार्षिक लेखों को रखने में भी मदद मिली।

2.1.4 लेखाओं की पूर्णता

2022-23 के दौरान राज्य सरकारों को प्रदान किए गए मासिक सिविल लेखे सभी मामलों में पूर्ण थे। राज्यों के वार्षिक वित्त लेखे 2021-22 में किसी भी लेखे को छोड़ा नहीं गया था।

2.1.5 संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे

संघ तथा राज्य सरकारों के संयुक्त वित्त और राजस्व लेखे (सीएफआरए) एक सूचनाप्रद संकलन है, जो वर्ष के लिए संघ, संघ शासित प्रदेशों (यूटी) तथा सभी राज्यों के लेखाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ उनके शेष तथा बकाया देयताओं और उनकी वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित अन्य जानकारियों का समाकलन करता है। सीएफआरए वार्षिक रूप से प्रकाशित होते हैं और विभिन्न हितधारकों के लिए उपयोगी हैं क्योंकि इसमें संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का समेकन एक ही स्थान पर होता है।

तीन खंडों वाले सीएफआरए विवरणों को महालेखाकार (ले. एवं हक़.) पंजाब द्वारा संकलित किया जाता है और महालेखाकार (ले. एवं हक़.) हरियाणा द्वारा लेखापरीक्षा की जाती हैं। "एक नज़र में संघ और राज्य वित्त" सीएफआरए विवरणों की पूर्णता के लिए सीएजी कार्यालय की सरकारी लेखा शाखा द्वारा तैयार किया गया है।

2020-21 के लिए सीएफआरए मार्च 2023 के अंत में अंतिम रूप दिए जाने के बहुत निकट था। सीएजी वेबसाइट पर डैशबोर्ड संघ/राज्यों और यूटी[4] के लिए 2019-20 तक पांच साल की अवधि के लिए सीएफआरए डेटा परिचारित करता है।

2.1.6 वीएलसी डैशबोर्ड का विकास

डैशबोर्ड व्यावहारिक डेटा प्राप्त करने और मुख्य निष्पादन संकेतक (केपीआई) को केंद्रीकृत करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है ताकि यह पता लगाया जा सके कि वास्तव में क्या चल रहा है। एक डैशबोर्ड अपने उपयोगकर्ताओं के लिए किसी विशेष अवधि में किसी विशेष उद्देश्य के लिए संचार या सूचना संचारित या प्रदर्शित करके निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। वर्तमान में सभी राज्यों के लिए पिछले सात वर्षों (2015 से) के डेटा एकत्र किए गए हैं। डैशबोर्ड के उपयोगी होने की उम्मीद है:

(i) डेटा निष्कर्षण, ट्रांसफॉर्मिंग और लोडिंग के माध्यम से डैशबोर्ड का अनुप्रयोग करके वार्षिक लेखों और वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए आश्वासन जुटाने मे।

(ii) तथ्यों और वर्तमान डेटा के आधार पर निर्णय लेने मे।

(iii) प्राप्ति, व्यय और ऋण लेनदेन की अधिकता को समझने और समान मैट्रिक्स के अनुप्रयोग मे।

(iv) आउटलाइनर्स का पता लगाने के लिए मैट्रिक्स का उपयोग करने मे।

[4] http://cag.gov.in लेखे संघ और राज्य वित्त के लिए डैशबोर्ड

वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा, वीएलसी डेटाबेस डैशबोर्ड, वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी, जोखिम विश्लेषण, योजना लेखापरीक्षा आयोजित करने एवं वाउचर डेटा का दृश्यावलोकन के संबंध में लेखापरीक्षा की आवश्यकताओं को कवर करता है।

वीएलसी डेटा का अखिल भारतीय डैशबोर्ड अंतिम रूप देने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है।

2.1.7 पीएफएमएस के माध्यम से एकल नोडल एजेंसी (एसएनए)

23 फरवरी 2023 को सीएजी कार्यालय में एसएनए के तहत लेनदेन के लेखाकरण पर हाइब्रिड मोड में एक बहु-हितधारक बैठक आयोजित हुई थी। भारत सरकार के वित्त सचिव, अपर सचिव (लोक वित्त – राज्य, भारत सरकार), सीएजी कार्यालय के अधिकारियों, वित्त मंत्रालय, सीजीए कार्यालय, राज्य के निजी सहायक/एएसजी, राज्य वित्त विभागों एवं कार्यालयों ने बैठक में भाग लिया।

बैठक के दौरान बातचीत करते हुए विभिन्न हितधारक

बहु-हितधारक बैठक निम्नलिखित निर्णयों के साथ संपन्न हुई:

(i) बैठक में बताए गए और चर्चा किए गए मुद्दों की जांच करने के लिए पीएफएमएस संभाग, सीजीए कार्यालय, वित्त मंत्रालय और सीएजी कार्यालय के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कार्य समूह का गठन किया जाना चाहिए।

(ii) कार्य समूह पीएफएमएस प्रणाली में या आईएफएमएस प्रणाली में एकीकृत और चतुर्थ चरण में काम करने के लिए आवश्यक लेखाकरण सूचना, दस्तावेजों और प्रक्रियाओं और अन्य जांच एवं नियंत्रण सहित व्यवहार्य विवरणों पर काम करेगा। टीम आईएफएमआईएस, पीएफएमएस को एकीकृत करने के तरीके सुझाएगी तथा एजी के वीएलसी तंत्र सूचना के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करेंगे।

(iii) महालेखाकर के सभी कार्यालयों को पीएफएमएस प्रणाली का अभिगम प्रदान किया जाएगा।

कार्य समूह समिति का गठन कर दिया गया है एवं राज्यों के साथ समिति की बैठकें चल रही हैं।

2.1.8 गूगल फॉर्म के माध्यम से मासिक रिपोर्टिंग और निगरानी:

सीएजी कार्यालय ने प्रमुख रिपोर्टिंग क्षेत्रों (केआरए) के रूप में कार्यालयों के लिए जांच और संतुलन की एक प्रणाली तैयार की। केआरए को प्रत्येक तिमाही में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा संकलित किया जाता है और सूचना हेतु मुख्यालय कार्यालय को भेजा जाता है। इस त्रैमासिक रिपोर्ट की विस्तार क्षेत्र और आवधिकता को ध्यान में रखते हुए, जीए विंग ने मौजूदा त्रैमासिक केआरए रिपोर्टिंग को बाधित किए बिना प्रमुख वस्तुओं पर केंद्रित एक सरलीकृत मासिक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली शुरू की। गूगल फॉर्म, शेयरपॉइंट, व्हाट्सएप और ईमेल जैसे आईटी टूल का उपयोग डेटा संग्रह के लिए किया गया एवं चित्रमय तस्वीर का उपयोग डेटा विश्लेषण, दक्षता बढ़ाने तथा पूरे भारत में 31 कार्यालयों में समय पर निर्णय लेने की सुविधा के लिए किया गया था।

(कूट रंगों के साथ) सचित्र ग्राफ गूगल फॉर्म में निहित प्रश्नों के आधार पर विभिन्न कार्यालयों के मूल्यांकन को दर्शाता है जैसे मासिक सिविल लेखों को समय पर तैयार करना, अपवर्जित हुए लेखाओं का प्रतिशत एवं सीएजी की वेबसाइट

पर मासिक प्रमुख संकेतकों (एमकेआई) को समय पर प्रस्तुत करना। इसी प्रकार मूल, पुनरीक्षण पेंशन मामलों, जीपीएफ के अंतिम प्राधिकृत मामलों तथा पात्रता संबंधी शिकायतों के निराकरण को समय पर अंतिम रूप देना। उदाहरण के लिए, पहले मानचित्र में कर्नाटक, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय ने मासिक सिविल लेखों (एमसीए) को कुछ विलंब से बंद कर दिया। दूसरे चित्र में मासिक सिविल लेखों (एमसीए) में लेखों का अपवर्जन दिखाया गया है| तीसरे चित्र में, हरे रंग से चिह्नित कार्यालयों ने 90 प्रतिशत से अधिक पेंशन मामलों को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक, तमिलनाडु आदि जैसे कुछ लाल रंग से चिह्नित कार्यालयों ने 80 प्रतिशत से कम मामलों को निपटाया है।

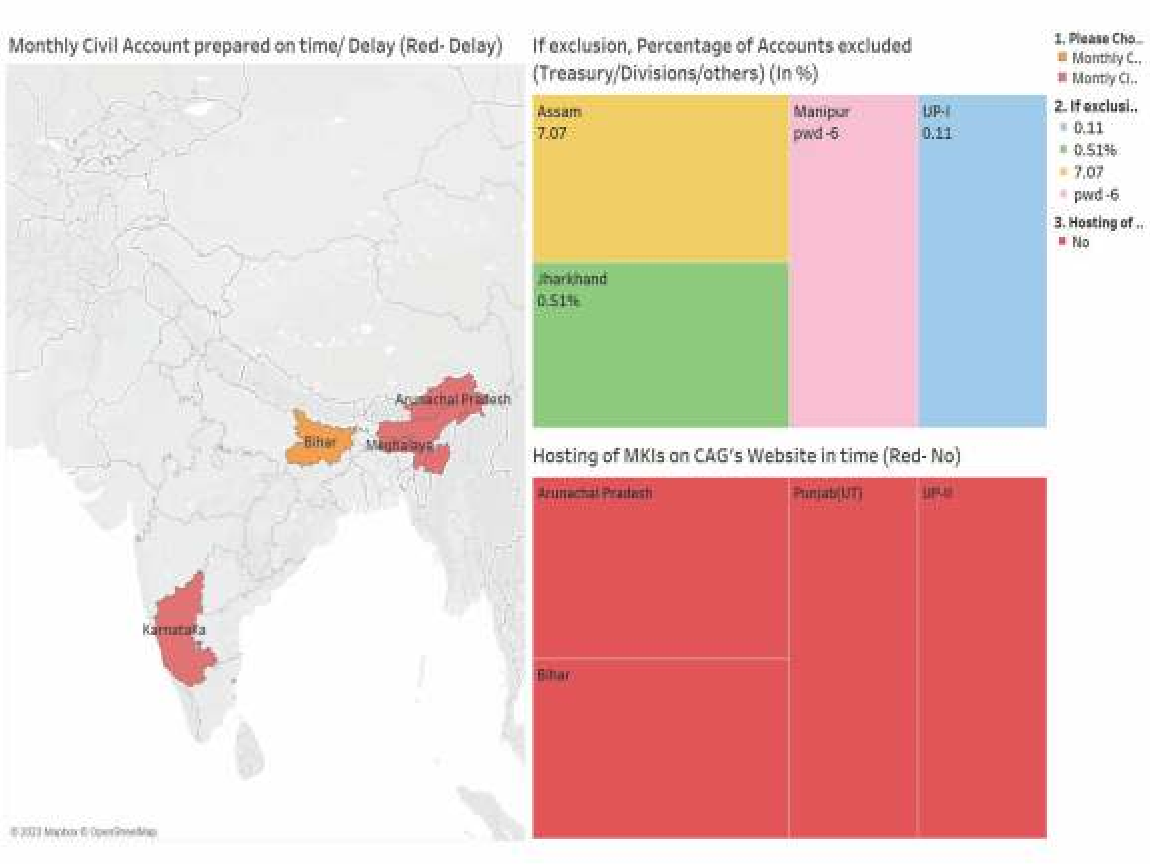

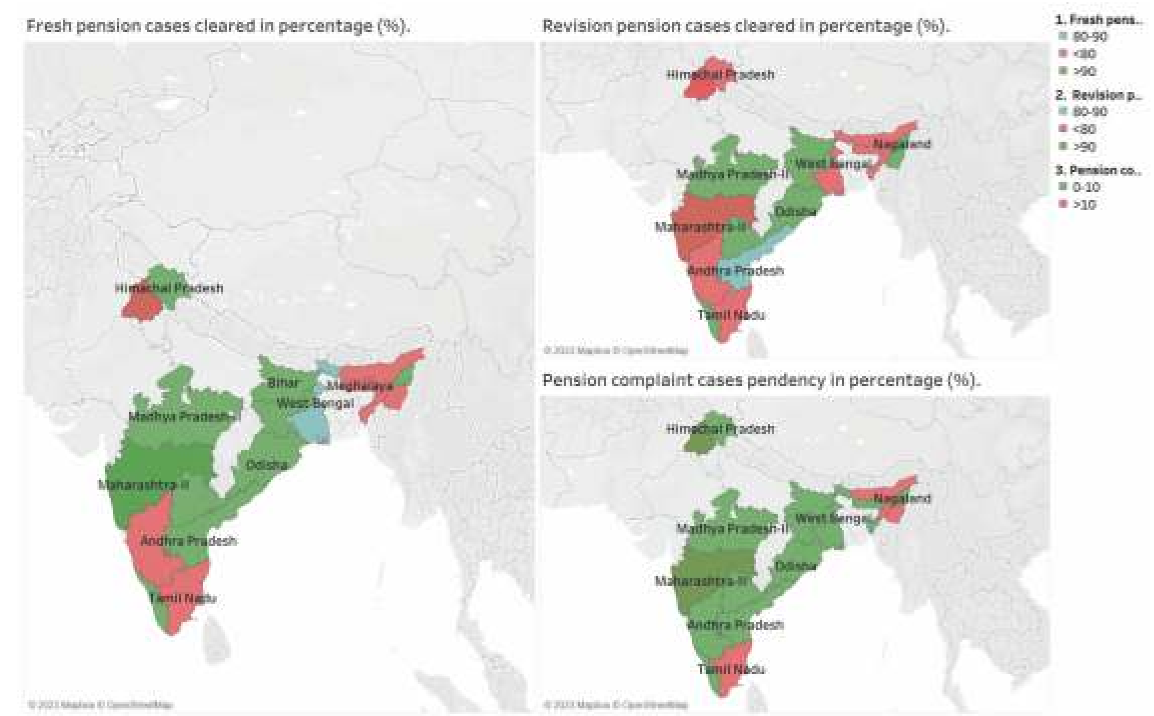

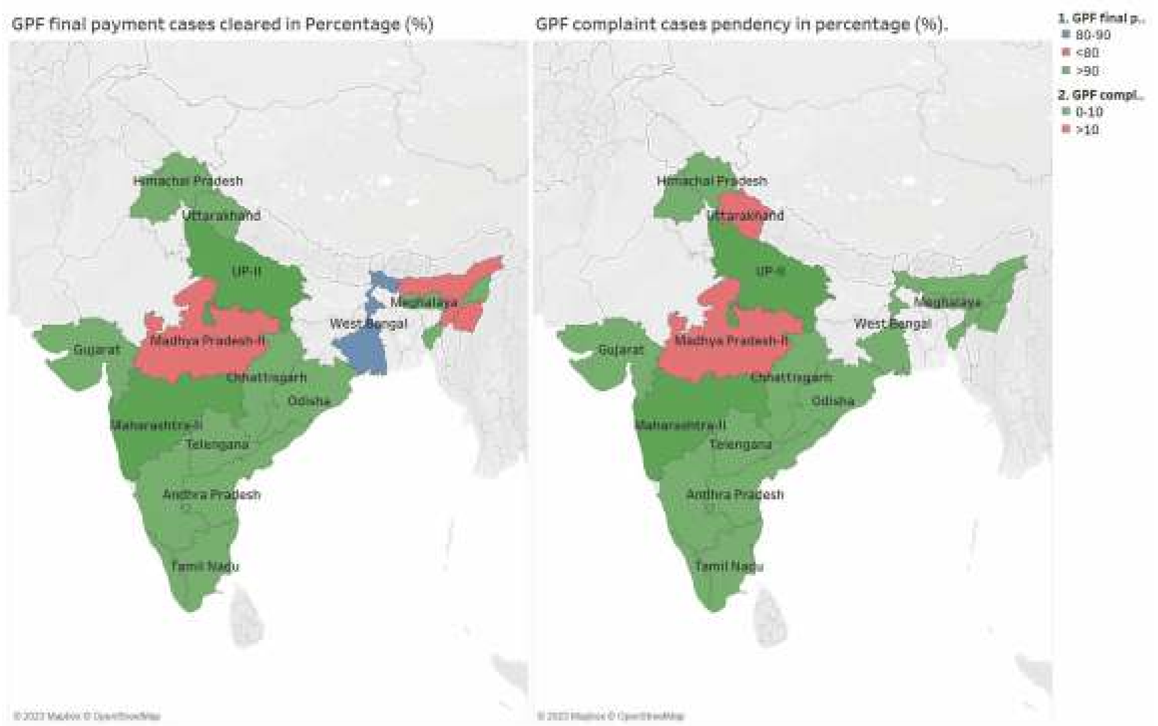

इस टूल का उद्देश्य विश्लेषण के लिए डेटा को आसानी से उपलब्ध कराना और मासिक आधार पर लेखाओं और पात्रता कार्यों पर त्वरित रिपोर्टिंग लागू करने के लिए मुद्दों/क्षेत्रों पर ध्यान देने के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण बनाना है। विशिष्ट मुद्दों को यदि कोई हो चिह्नित करके एक समेकित कार्यालय-वार मासिक रिपोर्टिंग उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (जीए और गसब) को प्रस्तुत की जाती है।

2.1.9 कोषागार निरीक्षण

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता होने के नाते, प्र.म.ले/म.ले (ले. एवं हक़.), राज्य सरकारों के लेखाओं की कोषागार निरीक्षण के माध्यम से कोषागारों में आंतरिक नियंत्रण तंत्र की जांच करते है। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि कोषागारों द्वारा आंरभिक लेखा तैयार करने, वेतन, पेंशन आदि के भुगतान के लिए निर्धारित विभिन्न जांच बिंदुओं तथा क्रियाविधियों का विधिवत अनुपालन किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों में कोषागार कम्प्यूटरीकृत।

2022-23 के दौरान, कुल नियोजित 2,270 कोषागारों/उप-कोषागारों के प्रति 2,207 कोषागारों/उप-कोषागारों का निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के परिणामस्वरूप, 1,835 निरीक्षण रिपोर्टें जारी की गईं जिनमें 5,584 सिफारिशें की गईं।

2.1.9.1 कोषागार निरीक्षणों के परिणाम

2022-23 के दौरान कोषागार निरीक्षणों से राज्य के वित्तीय/हकदारी नियमावली के अनुपालन से सम्बन्धित कई विचलनों का पता चला, जो राज्यों की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में दोषपूर्ण प्रचलनों की ओर इशारा करते है और वित्तीय प्रबंधन को प्रभावित करते है। कुछ दृष्टांत नीचे दिए गए है:

क्रम सं.	राज्य	अवलोकन एवं उजागर किए गए मुद्दे
1.	आंध्र प्रदेश	छुट्टी नकदीकरण हेतु दोहरे भुगतान के महत्वपूर्ण मामले, किराया वाहन प्रभार, जीपीएफ अंतिम निकासी और पेंशनभोगियों से पेंशन के रूपान्तरण मूल्य की वसूली न होना।
2.	छत्तीसगढ़	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जगदलपुर द्वारा दी गई लंबित अस्थायी अग्रिम राशि का समायोजन न करना।
3.	गुजरात	सात कोषागारों में ₹5.04 करोड़ की पेंशन राशि का अधिक भुगतान।
4.	पंजाब	छुट्टी नकदीकरण का अधिक भुगतान और पेंशनभोगियों को किया गया अंतिम भुगतान।
5.	राजस्थान	टीडीएस में अनियमितता, पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान।
6.	तमिलनाडु	आउटसोर्सिंग एजेंसियों से आयकर की कटौती न करना
7.	तेलंगाना	अपात्र पेंशनभोगियों को अधिक पेंशन, महंगाई राहत और चिकित्सा भत्ते का आहरण।
8.	उत्तराखंड	डीसीआरजी और रूपांतरित राशि का दोहरा भुगतान।

2.2 हकदारी कार्यों के संबंध में निष्पादन

समस्त बोर्ड में, ले. एवं हक़. कार्यालयों ने जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों के निपटान में तेजी लाकर, पेंशन के प्राधिकार और वेतन पर्ची जारी करके हकदारी कार्यों को सुव्यवस्थित आदि करके संतुष्टि के स्तर में सुधार करने के प्रयास किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर की ओर बढ़ते हुए, ई-ऑथराइजेशन से कुछ कार्यालयों में मामलों के निपटान में लगने वाला समय कम हो गया है। नागरिक चार्टर में यथा निर्धारित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा का पालन करने के सभी प्रयास किए गए थे। लगभग सभी ले. एवं हक़. कार्यालयों में ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहे हैं।

2.2.1 हकदारी कार्यों से संबंधित जानकारी

पेंशन, जीपीएफ तथा जीई कार्यों की स्थिति से संबंधित जानकारी संबंधित महालेखाकार कार्यालयों की वेबसाईट पर तथा एसएमएस आधारित सेवा, जहां कार्यालयों को राज्य के कार्मिकों द्वारा विवरण प्रदान किया गया है के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। इससे संबंधित राज्य की वेबसाईटों पर अपलोड की गई जानकारी देखने में संबंधित हितधारकों तथा अन्य आगंतुकों को सहायता मिलती हैं और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना मिलती है।

2.2.2 अंतिम रूप दिए गए पेंशन मामले

पेंशन प्राधिकरण का कार्य 20 ले. एवं हक़. कार्यालयों द्वारा किया जा रहा है। 2022-23 के दौरान इन कार्यालयों ने मूल और पेंशन संशोधन के 5,93,985 मामलों को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त और अंतिम रूप दिए गए कुल पेंशन मामलों का राज्य-वार ब्यौरा अध्याय के अंत में **तालिका II.2.2** में दिया गया है। नागरिक चार्टर के अनुसार, महालेखाकार कार्यालय में सभी संदर्भों में पूरा मामला प्राप्त होने से 30 कार्य दिवसों के भीतर मूल पेंशन मामलों को अंतिम रूप दिया जाना है। असम, हरियाणा, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र-II, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु और त्रिपुरा में पेंशन मामले को अंतिम रूप देने में लगने वाला औसत समय निर्धारित समय के भीतर था। शेष राज्यों में, पेंशन मामले को अंतिम रूप देने में लिया गया औसत समय 30 दिनों से अधिक था, जो मुख्य रूप से संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त करने या जनशक्ति की कमी जैसी अन्य परिचालन बाधाओं के कारण था।

2.2.3 जीपीएफ खातों का अनुरक्षण

20 राज्यों में, 22 ले. एवं हक़. कार्यालय, राज्य सरकार के कर्मचारियों के जीपीएफ खातों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार हैं। 2022-23 के दौरान इन कार्यालयों द्वारा 25,44,893 जीपीएफ खातों का अनुरक्षण किया गया था। राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय पेंशन योजना शुरू किए जाने के कारण वर्ष 2004 से पिछले वर्ष की तुलना में 5.53 प्रतिशत अंशदाताओं (पिछले वर्ष कुल ग्राहकों की संख्या 26,93,856 थी) में कमी आई है।

2.2.4 जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रूप देना

2022-23 के दौरान, जीपीएफ के अंतिम भुगतान के लिए देय 2,03,628 मामलों में से, ले. एवं हक़. कार्यालयों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर 1,95,061 मामलों (95.79 प्रतिशत) को अंतिम रूप दिया। (सभी प्रकार से पूर्ण मामले की प्राप्ति की तारीख से एक माह)

2022-23 में देय जीपीएफ के अंतिम भुगतान मामलों की संख्या	अंतिम रूप दिए गए अंतिम भुगतान मामलों की संख्या
2,03,628	1,95,061

2.2.5 हितधारकों के साथ अग्रसक्रिय जुड़ाव

वर्ष 2022-23 के दौरान पेंशनभोगियों एवं अंशदाताओं के लिए भारत के विभिन्न राज्यों में अदालतें,कार्यशालाएं, तथा सम्मेलन आयोजित किए गए। इन आयोजनों का उद्देश्य पेंशनभोगियों की शिकायतों का समाधान करना, सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श प्रदान करना और सेवा वितरण में सुधार करना है। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं:

1. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना:** 'पेंशन/जीपीएफ अदालतें - पीएजी आपके जिले में' कई जिलों में आयोजित की गई।
2. **झारखंड:** दुमका और रांची में जिला कोषागार अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के लिए वार्षिक कार्यशालाएं।
3. **कर्नाटक:** राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श में सहायता के लिए सात जिलों में पेंशन अदालतें आयोजित की गई।
4. **मेघालय:** आहरण और संवितरण अधिकारियों के लिए ई-जीपीएफ और ई-पे स्लिप वेब-आधारित एप्लिकेशन पर जीपीएफ अदालत एवं कार्यशाला।
5. **महाराष्ट्र** II: पेंशनभोगियों की त्वरित शिकायत निवारण के लिए भंडारा और औरंगाबाद में पेंशन अदालतें आयोजित की गई।
6. **महाराष्ट्र** I: पुलिस विभाग के लिए एक डीडीओ कार्यशाला-सह-पेंशन अदालत मुंबई में आयोजित की गई, जिसमें 61 डीडीओ के 150 अधिकारियों ने भाग लिया, और 11 जिलों में कार्यशालाओं के साथ-साथ लगभग 500 पेंशनभोगियों के साथ एक पेंशनभोगी अदालत भी उसी दिन आयोजित की गई।
7. **ओडिशा:** कई पेंशन अदालतें और कोषागार अधिकारियों का सम्मेलन शिकायतों का समाधान करने और जुड़ाव में सुधार के लिए आयोजित किए गए।
8. **पंजाब:** पेंशनर सेवा शिविरों के साथ-साथ जिलों के उपायुक्तों के समन्वय से पेंशन अदालतें आयोजित की गई।
9. **तमिलनाडु:** चेन्नई में विभिन्न विभागों के लिए पेंशन प्रस्तावों पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
10. **उत्तर प्रदेश:** मुख्य/वरिष्ठ कोषागार अधिकारियों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए कोषागार कार्यशालाएं आयोजित की गई।
11. **पश्चिम बंगाल:** लेखाकरण मुद्दों के समाधान के लिए कोषागार अधिकारियों और डीडीओ के लिए संभाग-वार कार्यशाला सह संवेदीकरण कार्यक्रम।
12. **मध्य प्रदेश:** कर्मचारियों की जीपीएफ संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए आठ संभागों में जीपीएफ अदालतें आयोजित की गई।

कर्नूल में पेंशन/जीपीएफ अदालत, आंध्र प्रदेश कार्यालय द्वारा आयोजित

एपी सचिवालय में पेंशन/जीपीएफ कार्यशाला, आंध्र प्रदेश कार्यालय द्वारा आयोजित

कर्नाटक कार्यालय द्वारा कोडगु/कल्याण जिलों में पेंशन अदालत आयोजित की गई

वेतन एवं लेखा कार्यालय, मुंबई में पेंशन अदालत

महाराष्ट्र पुलिस विभाग के डीडीओ की कार्यशाला

सामान्य भविष्य निधि लोक अदालत: 215 प्रकरणों का मौके पर ही हुआ निराकरण

इनका कहना है

लोक अदालत

जीपीएफ लोक अदालत में अधिकारियों-कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण

मध्य प्रदेश कार्यालय द्वारा जीपीएफ अदालत का आयोजन किया गया

2.2.6 सीएजी की वेबसाइट में वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र

एसएआई इंडिया के पास शिकायतों को ऑनलाइन पंजीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित शिकायत निवारण तंत्र है। जीपीएफ अंशदाता/पेंशनभोगी संबंधित ले. एवं हक़. कार्यालय में ऑनलाइन या ई-मेल के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत निवारण प्रणाली से संबंधित सभी लिंक सीएजी की वेबसाइट[5] पर उपलब्ध हैं। शिकायत दर्ज करने पर प्रणाली स्वचालित रूप से शिकायत का विशिष्ट पंजीकरण संख्या उत्पन्न करती है और भविष्य के संदर्भ के लिए शिकायतकर्ता को एक एसएमएस भेजती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान राज्य पेंशनभोगियों/अंशदाताओं से सीएजी कार्यालय में कुल 1,916 (ऑफ़लाइन और ऑनलाइन) शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,852 का नागरिक चार्टर की समय सीमा के भीतर निवारण किया गया। निपटान के लिए लंबित शेष शिकायतें नागरिक चार्टर की निर्धारित अवधि (30 कार्य दिवस) के भीतर थीं। प्राप्त शिकायतों और निवारण पर एक रिपोर्ट मासिक और त्रैमासिक आधार पर उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जाती है।

[5] https://cag.gov.in/en/page-entitlement-grievance

तालिका II.2.1
राज्य महालेखाकार (ले. एवं हक.) के साथ कार्य

लेखे	सामान्य भविष्य निधि	पेंशन	राजपत्रित हकदारी	संभागीय लेखाकार संवर्ग नियंत्रण
1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. आंध्र प्रदेश	1. असम	1. अरुणाचल प्रदेश*
2. असम	2. असम	2. असम	2. बिहार	2. बिहार
3.अरुणाचल प्रदेश*	3. छत्तीसगढ़	3. बिहार	3. झारखंड	3. छत्तीसगढ़
4. बिहार	4. गुजरात	4. हरियाणा	4. कर्नाटक	4. गुजरात
5. छत्तीसगढ़	5. हरियाणा	5. हिमाचल प्रदेश	5. केरल	5. हिमाचल प्रदेश
6. गुजरात	6. हिमाचल प्रदेश	6. जम्मू और कश्मीर	6. मणिपुर	6. हरियाणा
7. हरियाणा	7. कर्नाटक	7. झारखंड	7. मेघालय	7. झारखण्ड
8. हिमाचल प्रदेश	8. केरल	8. कर्नाटक	8. नागालैंड	8. मणिपुर
9. जम्मू और कश्मीर	9. मध्य प्रदेश	9. केरल	9. तमिलनाडु	9. मध्य प्रदेश$
10. झारखंड	10. महाराष्ट्र	10. महाराष्ट्र		10. महाराष्ट्र$
11. कर्नाटक	11. मणिपुर	11. मणिपुर		11. ओडिशा
12. केरल	12. मेघालय	12. मेघालय		12. पंजाब
13. मध्य प्रदेश$	13. नागालैंड	13. नागालैंड		13. राजस्थान
14. महाराष्ट्र$	14. उड़ीसा	14. उड़ीसा		14. तमिलनाडु
15. मणिपुर	15. तमिलनाडु	15. पंजाब		15. त्रिपुरा
16. मेघालय	16. तेलंगाना	16. तमिलनाडु		16. उत्तर प्रदेश$
17. मिजोरम*	17. त्रिपुरा	17. तेलंगाना		17. उत्तराखंड
18. नागालैंड	18. उत्तर प्रदेश	18. त्रिपुरा		18. पश्चिम बंगाल
19. उड़ीसा	19. उत्तराखंड	19. पश्चिम बंगाल		
20. पंजाब	20. पश्चिम बंगाल			
21. राजस्थान				
22. सिक्किम				
23. तमिलनाडु				
24. तेलंगाना				
25. त्रिपुरा				
26. उत्तर प्रदेश$				
27. उत्तराखंड				
28. पश्चिम बंगाल				

नोट: * ये कार्यालय ले. एवं हक. और लेखापरीक्षा कार्यों के लिए समग्र कार्यालय हैं।
$ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो ले. एवं हक. कार्यालय हैं। महालेखाकार (ले. एवं हक.)-II, मध्य प्रदेश में केवल जीपीएफ कार्य है।

तालिका II.2.2

2022-23 के दौरान मूल पेंशन मामलों को राज्यवार अंतिम रूप देना तथा पेंशन मामलों में संशोधन

क्र. सं.	कार्यालय	मूल पेंशन		पेंशन में संशोधन	
		प्राप्त मामलों की संख्या (शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या	प्राप्त मामलों की संख्या (शेष राशि सहित)	निपटाए गए मामलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	3,064	2,843	41,036	40,340
2	असम	19,107	17,761	1,123	1,027
3	बिहार	25,304	23,792	49,380	46,922
4	हरियाणा	11,912	11,912	11,855	11,855
5	हिमाचल प्रदेश	13,542	12,645	44,079	21,160
6	जम्मू एवं कश्मीर	13,774	13,643	28,215	28,148
7	झारखंड	8,835	8,391	18,336	14,610
8	कर्नाटक	24,727	23,591	12,791	11,583
9	केरल	23,509	23,254	16,607	15,143
10	महाराष्ट्र-I	31,514	31,514	31,737	29,620
11	महाराष्ट्र-II	19,703	19,703	11,346	11,346
12	मणिपुर	4,190	3,916	2,279	2,172
13	मेघालय	2,928	2,749	331	316
14	नागालैंड	5,323	5,259	4,452	4,452
15	ओडिशा	14,048	13,300	3,868	3,734
16	पंजाब	19,022	18,997	64,644	45,977
17	तमिलनाडु	23,862	22,365	7,966	7,589
18	तेलंगाना	1,672	1,606	3,347	3,228
19	त्रिपुरा	5,528	5,065	199	159
20	पश्चिम बंगाल	22,092	19,733	12,831	12,565
	कुल	**2,93,656**	**2,82,039**	**3,66,422**	**3,11,946**
कुल प्राप्त मामले (मूल पेंशन मामले और पुनरीक्षण पेंशन मामले)		**6,60,078**			
निपटान किए गए कुल मामले		**5,93,985**			

खंड 3

वर्तमान
प्रगति

- **अध्याय 1**
  मार्गदर्शनों का विकास
- **अध्याय 2**
  क्षमता निर्माण
- **अध्याय 3**
  आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन
- **अध्याय 4**
  हमारी आईटी पहल
- **अध्याय 5**
  ऑडिट दिवस 2022
- **अध्याय 6**
  30वां महालेखाकार सम्मेलन
- **अध्याय 7**
  उतनी ही महत्वपूर्ण, अन्य गतिविधियाँ

सीएजी कार्यालय परिसर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा

अध्याय 1

मार्गदर्शनों का विकास

लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण पर व्यावसायिक मानक गुणवत्ता लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण की मुख्य इमारत है। हम सरकारी लेखापरीक्षकों एवं लेखाकारों दोनों के लिए व्यावसायिक मानकों एवं पद्धतियों के महत्व के प्रति सचेत हैं। ये सभी पेशेवरों द्वारा विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत पालन किए जाने वाले मार्गदर्शन प्रदान करते हैं एवं गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं के लिए मानदंड के रूप में कार्य करते हैं। साई इंडिया के लेखापरीक्षण मानकों में परिकल्पना की गई है कि साई के पास एक उपयुक्त गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली होनी चाहिए।

1.1 सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

अगस्त 2002 में, सीएजी ने भारत सरकार के परामर्श से सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) का गठन किया था। गसब का मिशन सार्वजनिक जवाबदेही एवं निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार करने के लिए लेखाकरण मानकों को तैयार करना एवं सिफारिश करना है। नई प्राथमिकताएं सुशासन, राजकोषीय विवेक, दक्षता एवं पारदर्शिता पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

गसब में सरकार (संघ एवं राज्य), पेशेवर लेखाकरण संस्थानों, आरबीआई एवं अकादमिक जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व के साथ 15 सदस्य होते हैं।

गसब दो प्रकार के मानक तैयार करता है:

(i) नकद आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर भारत सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएएस) जो सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्यों एवं विधानमंडल वाले संघ शासित क्षेत्रों के अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं; एवं

(ii) प्रोद्भवन आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर भारत सरकार के वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईजीएफआरएस) जो संस्तुतिपरक हैं। इन्हें इसलिए तैयार किया गया था क्योंकि संघ एवं राज्य स्तर पर प्रोद्भवन लेखाकरण में स्थानांतरण पर मूल अध्ययन एवं अनुसंधान प्रयासों को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रोद्भवन आधार पर लेखाकरण ढांचे एवं लेखाकरण मानकों की आवश्यकता थी।

हितधारक के परामर्श से तैयार ये मानक भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 जिसमें निर्दिष्ट किया गया है कि संघ एवं राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति, सीएजी से परामर्श के पश्चात् विहित करेंगे, के अनुसार अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय (एमओएफ) को भेजे जाते है।

1.1.1 भारत सरकार द्वारा अधिसूचित लेखाकरण मानक

- आईजीएएस 1: सरकारों द्वारा दी गई गारंटियां: प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- आईजीएएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं वर्गीकरण
- आईजीएएस 3: ऋणों एवं अग्रिमों का लेखाकरण
- आईजीएएस 4: पूर्व अवधि समायोजन

1.2 2022-23 के दौरान लेखाकरण मानक/प्रकटीकरण विवरणों पर प्रगति

1.2.1 गसब की 36 वीं बैठक

महामारी के बाद की रिकवरी अवधि में, 29 जून 2022 को सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड की 36वीं बैठक आयोजित की गई थी। बोर्ड की बैठक का उद्घाटन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने किया था।

सीएजी ने अपने भाषण में सरकारी लेखों की वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार के लिए बोर्ड के सदस्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग के महत्व पर जोर दिया। सीएजी ने कहा कि भारत में सरकारी लेखाकरण बड़े पैमाने पर कैश बेसिस लेखाकरण का पालन करता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, कुछ देशों में लेखाकरण प्रोद्भवन लेखाकरण के परिवर्तनकारी चरण में है एवं कुछ देशों ने पहले से ही पूर्ण रूप से प्रोद्भवन लेखाकरण को अपनाया एवं लागू किया है। बोर्ड द्वारा तैयार किए गए मानकों का लक्ष्य आईपीएसएएस (इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर लेखाकरण स्टैंडर्ड्स) कैश बेसिस के अनुवर्ती होना चाहिए, जो एक अस्थायी चरण है एवं उचित समय में प्रोद्भवन लेखाकरण की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम है।

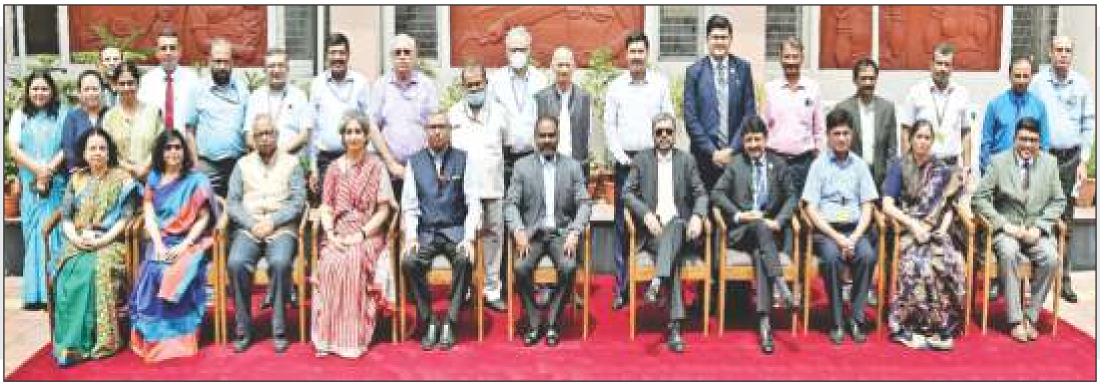

गसब की 36वीं बोर्ड बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ सीएजी

नवीनतम स्थिति के साथ बैठक में विचार-विमर्श के बिंदु नीचे दिए गए हैं:

1.2.1.1 बोर्ड द्वारा 'पूर्व अवधि समायोजन' का अनुमोदन एवं वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना

बैठक में गसब को आईपीएसएएस आधारित मानकों को अपनाने के बारे में बताया गया था, जो देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत लेखाकरण पद्धतियों के साथ-साथ प्रत्येक मानकों पर अब तक हुई प्रगति के अनुवर्ती बनाने में सक्षम होगा। 'पूर्व अवधि समायोजन' पर मसौदा मानक को मंजूरी दी गई। **2 मार्च 2023 को इस मानक को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया।** यह मानक न केवल हमें आईपीएसएएस कैश बेसिस अनुवर्ती विवरणों की ओर बढ़ने में मदद करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत किए गए सर्वोत्तम लेखाकरण एवं वित्तीय रिपोर्टिंग पद्धतियों के अनुवर्ती नियम आधारित लेखाकरण से मानक आधारित लेखाकरण में स्थानांतरित होने में भी मदद करेगा।

मानकों के प्रारूपण एवं अंतिम रूप देने में नए दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप:

- मानकों को सिद्धांत आधारित बनाना एवं कार्यान्वियन रणनीति को अलग से विस्तृत करना ताकि तंत्र परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त लचीला हो।

- प्रत्येक स्तर पर सभी हितधारकों विशेष रूप से लेखा महानियंत्रक कार्यालय को शामिल करना तथा उनके साथ निकट समन्वय में काम करना।
- नियमित बैठकें आयोजित करना ताकि हितधारकों से प्राप्त सभी इनपुट पर विचार किया जा सके एवं मानकों में प्रस्तुत किया जा सके।
- राज्यों में मूल अध्ययन आयोजित करना एवं मानक के लिए प्रारूपों को अंतिम रूप देने से पहले लेखाकरण प्रविष्टियों का उपयोग करके मानक की निपुणता का परीक्षण करना।

2 मार्च 2023 को इन उपायों की परिणति पूर्व अवधि समायोजन पर मानक की अधिसूचना में हुई है।

1.2.1.2 नियत प्रक्रिया का संशोधन

गसब की कार्यप्रणाली अब तक वर्ष 2011 में बनाए गए 'व्यवसाय के नियमों' द्वारा निर्देशित थी। हालाँकि, गसब के कार्यों को सुव्यवस्थित एवं संहिताबद्ध करने के लिए उन्हें अधिक केंद्रित, मजबूत एवं समावेशी बनाने के लिए, 'गसब की नियत प्रक्रिया' का संकेत दिया गया है। हालांकि, गसब के कार्यों को अधिक केंद्रित, मजबूत एवं समावेशी बनाने के लिए उन्हें सुव्यवस्थित एवं संहिताबद्ध करने के लिए, गसब की दृष्टि, मिशन, उद्देश्यों, हितधारकों की भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों, मानकों के निर्माण में शामिल प्रक्रियाओं, मानकों की संरचना आदि को दर्शाते हुए 'गसब की नियत प्रक्रिया' को अगस्त 2020 में संशोधित किया गया था।

संशोधित 'नियत प्रक्रिया' को बोर्ड के सदस्यों के साथ साझा किया गया एवं फरवरी 2022 में एक वर्चुअल बैठक में इसकी चर्चा की गई। चर्चाओं के आधार पर जून 2022 में संशोधित दस्तावेज़ बोर्ड बैठक में रखे गए। बैठक से प्राप्त होने वाली सदस्यों की टिप्पणियों/सुझावों को शामिल किया गया था एवं अंतिम दस्तावेज वित्त मंत्रालय को उनकी सहमति के लिए भेजा गया था। फरवरी 2023 में आयोजित कोर कमेटी की बैठक में इस पर आगे चर्चा की गई। नियत प्रक्रिया अंतिम चरण में है एवं गसब की वेबसाइट पर मुद्रण/प्लेसमेंट के लिए वित्तमंत्रालय की सहमति की प्रतीक्षा है।

प्रमुख निर्णय एक कोर ग्रुप का गठन करना है जो उन विषयों को अंतिम रूप दे सकता है जिन पर भारत सरकार की प्राथमिकताओं के अनुवर्ती मानक/मार्गदर्शन टिप्पण बनाने की आवश्यकता है तथा जो कार्यान्वयन कठिनाइयों, यदि कोई हो, पर उचित विचार करेगा।

1.2.1.3 भारत में कैश बेसिस आईपीएसएएस को अपनाना

अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक क्षेत्र लेखाकरण मानक (आईपीएसएएस) सार्वजनिक निकायों द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करने वाले मानकों का प्रमुख समूह है। आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी द्वारा किए गए राज्य वित्त लेखों एवं कैश बेसिस आईपीएसएएस विवरण के बीच अंतर विश्लेषण अध्ययन से पता चला है कि राज्य वित्त लेखे काफी हद तक आईपीएसएएस के अनुवर्ती हैं। आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी ने सुझाए गए मॉडलों के साथ-साथ भूटान, नेपाल एवं श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों द्वारा लागू किए गए मॉडलों का विश्लेषण किया गया एवं तीन राज्यों- कर्नाटक, राजस्थान एवं पश्चिम बंगाल में सफलतापूर्वक संचालित किया गया। मूल अध्ययन रिपोर्टों को प्रयोग के आधार पर लेखाकरण वर्ष 2022-23 से सभी राज्यों में दोहराने के लिए सरकारी लेखा विंग को भेज दिया गया है।

बोर्ड को सूचित किया गया कि उत्साहजनक परिणामों एवं गसब के प्रस्ताव के आधार पर, सीएजी ने तीन साल की समय सीमा में चरणबद्ध तरीके से देश में कैश आधारित आईपीएसएएस को रूपांतरित करने/अपनाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है।

1.2.1.4 आईपीएसएएस कैश बेसिस अनुवर्ती वित्तीय विवरण तैयार करना

गसब ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के सहयोग से आईपीएसएएस कैश बेसिस अनुवर्ती विवरण तैयार करने के लिए निम्नलिखित विषयों की पहचान की है:

(i) आकस्मिक देनदारियां;

(ii) राजस्व प्राप्तियों की मान्यता;

(iii) बाह्य सहायता के प्राप्तकर्ता

तीन मसौदा मानकों की तैयारी पूरी कर ली गई है एवं मूल अध्ययन संचालित किए गए हैं। इन मूल अध्ययनों के परिणामों के आधार पर दस्तावेजों को संशोधित किया गया एवं तकनीकी सलाहकारों (टीए) को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए भेजा गया।

राजस्व प्राप्तियों की मान्यता पर अंतिम दस्तावेज यात्रा के कई दौरों के दौरान टीए की टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर तैयार किया गया एवं फरवरी 2023 में बोर्ड के सदस्यों को परिचालित किया गया।

1.2.1.5 नीतिगत विकास योजना (एसडीपी)

एसडीपी तीन साल की अवधि के लिए तैयार की गई एक रोलिंग योजना है जिसमें से गसब के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है। एसडीपी सरकारी लेखाकरण एवं वित्तीय रिपोर्टिंग में सुधार की दृष्टि से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, सरकारी लेखाकरण मानकों के निर्माण के लिए विषयों की पहचान करने के लिए तैयार किया जाता है।

सदस्यों द्वारा प्रस्तावित नए विषयों को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। कोर समिति को बोर्ड के निर्णय के अनुसार उन क्षेत्रों को अंतिम रूप देने के लिए शामिल किया गया था जिन पर मानकों की आवश्यकता थी। समिति द्वारा प्राथमिकता प्रदत्त विषयों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाना है तथा एसडीपी को वार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से प्रचालित किया जाना है।

कोर कमेटी का गठन अपर उप-नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (गसब) की अध्यक्षता में इसके अध्यक्ष के रूप में किया गया था। बैठक 15 फरवरी 2023 को आयोजित की गई थी जिसमें एसडीपी में प्राथमिकता के लिए नए विषयों पर चर्चा की गई एवं उन्हें अंतिम रूप दिया गया।

1.2.2 अन्य मानक

1.2.2.1 आरक्षित निधियों पर मानक मसौदा

आरक्षित निधियां भविष्य के लिए विशिष्ट प्रयोजन के लिए सृजित निधियों का संचय हैं एवं अव्यपगत हैं। वर्तमान में, आरक्षित निधियां विभिन्न मुद्दों से ग्रस्त हैं जिनमें इन निधियों में धन का गैर-हस्तांतरण/अल्प-स्थानांतरण, निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए धन का विचलन आदि शामिल हैं।

इस मानक का उद्देश्य आरक्षित निधि के लेखाकरण एवं उसकी वित्तीय रिपोर्टिंग के तरीके पर मार्गदर्शन प्रदान करना है ताकि निधि के तहत शेष राशि की मात्रा, आरक्षित निधि में धन के हस्तांतरण, व्यय के बारे में जानकारी मिल सके। निधियों से प्राप्त स्रोतों का समुचित रूप से खुलासा किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या निधियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए उन्हें बनाया गया था।

नवंबर 2022 में सीजीए से प्राप्त मसौदा मानक की समीक्षा की गई एवं जनवरी 2023 में अतिरिक्त सीजीए एवं संयुक्त सीजीए के साथ चर्चा की गई। विचार-विमर्श के दौरान, मसौदा मानक पर कार्यान्वयन भाग के अलावा ग्रीन बॉन्ड एवं आरक्षित निधियों के सृजन जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई।

संशोधित मसौदा फरवरी 2023 में सीजीए द्वारा अग्रेषित किया गया था एवं इसे वित्तमंत्रालय के साथ साझा किया गया एवं जांच/समीक्षा के लिए जीए विंग को भेजा गया है।

1.2.2.2 मानकों की समीक्षा, अधिसूचना के लिए भेजी गई लेकिन अभी तक अधिसूचित नहीं की गई

जून 2019 में संशोधित मानक अर्थात. **आईजीएएस 2: सहायता अनुदान का लेखाकरण एवं आईजीएएस 3: ऋण एवं अग्रिम** का लेखाकरण अधिसूचना को अंतिम रूप देने के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया था। सीजीए के परामर्श से आगे के संशोधन के लिए संबंधित दस्तावेजों की फिर से समीक्षा की जा रही है।

साई, इंडिया ने घोषणाओं को अघतन करने, संशोधित करने, चालू रखने एवं सरकारी लेखाकरण वातावरण में परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक तीन वर्ष में मौजूदा घोषणाओं की समीक्षा करने का प्रस्ताव किया था। वित्त मंत्रालय को मसौदा मानकों को भेजे जाने एवं तत्पश्चात अधिसूचना के उद्देश्य से इन मानकों के लंबित रहने पर समय अंतराल को देखते हुए, निम्नलिखित मानकों एवं मार्गदर्शन नोट को स्वतः संशोधित करने का निर्णय लिया गया था:

i. विदेशी मुद्रा लेनदेन एवं विनिमय दर में बदलाव से हानि या लाभ

ii. इक्विटी में सरकारी निवेश/सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विनिवेश

iii. सार्वजनिक ऋण एवं सरकारों की अन्य देनदारियां।

iv. अचल संपत्तियों के लेखाकरण पर मार्गदर्शन नोट

इक्विटी में सरकारी निवेश संबंधी मानक के मसौदे को हितधारकों के उत्तरों/टिप्पणियों के आधार पर पूर्णत संशोधित किया गया था एवं इसका नाम बदलकर 'सार्वजनिक परिसंपत्तियों का विनिवेश' कर दिया गया था। संशोधित मसौदा मानक को टीए को परिचालित कर दिया गया है एवं उनकी टिप्पणियों/सुझावों के आधार पर मानक के मसौदे को अघतन किया गया है तथा बोर्ड के सदस्यों को टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है। सदस्यों की टिप्पणियों के आधार पर, मसौदा मानक को चर्चा एवं आगे की कार्रवाई के लिए अगली बोर्ड बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

दिए गए उपरोक्त अन्य मानकों के संबंध में संशोधित मसौदों को लक्ष्य के अनुसार वर्ष के दौरान पूरा कर लिया गया है एवं सदस्यों को पुनरीक्षण एवं टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है। आगे संशोधन करने तथा इसे अंतिम रूप देने के लिए इन पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है|

1.3 भारत में प्राकृतिक संसाधन लेखाकरण: परियोजना का अवलोकन एवं उपलब्धियाँ

भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2030 का एक हस्ताक्षरकर्ता है। निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य, पर्यावरण-आर्थिक लेखाकरण प्रणाली - केंद्रीय ढांचे की आवश्यकताओं के अनुसार गसब(जुलाई 2020) द्वारा एनआरए पर एक संकल्पना पत्र तैयार किया गया था। इस पेपर में एसडीजी, 2030 के लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने के लिए लघु, मध्यम एवं दीर्घकालिक लक्ष्य नामक त्रिस्तरीय कार्य योजना निर्धारित की गई थी। जबकि खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिमितता एवं जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव के कारण परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी को प्राथमिकता दी गई थी, पेपर में जल, वानिकी एवं वन्यजीव एवं भूमि संसाधनों जैसे अन्य संसाधनों को भी सूचीबद्ध किया था।

एनआरए को लागू करने में गसब की पहल एवं प्रयास को नीचे दिए गए ब्लॉक आरेख के माध्यम से दर्शाया गया है।

इन पर निम्नानुसार चर्चा की गई है:

निरंतर विचार-मंथन - सलाहकार समिति एवं राज्य एनआरए प्रकोष्ठ: केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय एनआरए प्रकोष्ठों का गठन हितधारको के साथ किया गया था जिनमें भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालय, विनियामक एजेंसियां, ज्ञान केंद्र एवं शैक्षिक समुदाय शामिल हैं। इन विशेषज्ञों की विशेषज्ञता से काफी लाभ हुआ क्योंकि गसब ने खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं के टेम्पलेट तैयार करते समय राज्यों में महालेखाकार (महालेखाकारों के) कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकारों के साथ सहयोग किया जिसमें डेटा प्राप्त किया जाना है।

लगातार अनुवर्ती कार्रवाई एवं मार्गदर्शन: अक्टूबर 2021 से, सभी 28 राज्यों, संघ शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ मासिक बैठकें कार्य की प्रगति की निगरानी करने, विचारों का आदान-प्रदान करने, चुनौतियों एवं अच्छी पद्धतियों के लिए आयोजित की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी राज्य इस समयबद्ध प्रक्रिया को पूरा करने में एक साथ हैं।

मार्गदर्शन/एसओपी/सलाह: टेम्प्लेट भरने में राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सहायता करने के लिए, गसब ने दिसंबर 2021 में मार्गदर्शन एवं मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। गसब ने परिसंपत्ति लेखाओं की तैयारी की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई सलाह भी जारी की थी।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण: उपर्युक्त के अलावा, गसब ने न केवल महालेखाकार कार्यालयों में बल्कि राज्य सरकार के विभागों में भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं क्षमता निर्माण की व्यवस्था की थी। एनआरए के विचार को व्यक्त करने, मुद्दों एवं चुनौतियों, नवाचारों, अच्छी पद्धतियों पर चर्चा करने के लिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक एवं हिमाचल प्रदेश में सात राज्य विशिष्ट कार्यशालाएँ आयोजित की गई - जो राज्यों के पूर्ण सहयोग से काफी हद तक सफल रहीं।

खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं का राष्ट्रीय संग्रह: 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर में तैयार किए गए परिसंपत्ति लेखाओं के आधार पर, गसब ने इन राज्यों में 107 प्रमुख/लघु खनिजों एवं जीवाश्म ईंधन से युक्त एक राष्ट्रीय संग्रह तैयार किया है, जिसे 20 अक्टूबर 2022 को माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान राज्य मंत्री तथा सीएजी द्वारा जारी किया गया था। माननीय मंत्री ने अपने भाषण में देश में खनिजों का पहला ऐसा संकलन लाने के लिए सीएजी की संस्था को बधाई दी एवं आजादी की 75 वीं वर्षगांठ *आज़ादी का अमृत महोत्सव* के शुभ अवसर पर राष्ट्र को दस्तावेज समर्पित किया-एवं कहा कि यह खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर सबसे प्रामाणिक दस्तावेज है जो सीधे उनके बेहतर प्रबंधन में योगदान देगा।

खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं का संग्रह 20 अक्टूबर 2022 को माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री, श्री प्रह्लाद जोशी द्वारा सीएजी एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में जारी किया गया।

परिसंपत्ति लेखाओं के संकलन के अलावा, संग्रह में अच्छी पद्धतियों, राज्यों में नवाचार एवं अध्ययन से मिली टिप्पणियों को शामिल किया गया था। इसके अलावा, गसब ने संग्रह के अध्याय सात में तीन खंडों में अलग-अलग तीन आयामी सुझाव देने वाले उपायों को शामिल किया है ताकि इष्टतम राजस्व वसूली एवं खनिज संसाधनों की बर्बादी/चोरी को रोकने के लिए संसाधनों के प्रबंधन में राज्यों की सहायता करने के लिए उन्हें अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके।

खंड क में उन संभावित पहलों के बारे में चर्चा की गई है जो मंत्रालयों एवं राज्यों में खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों के प्रबंधन में पहले से मौजूद प्रणालियों एवं प्रक्रियाओं में सुधार कर सकती हैं।

खंड ख में खनन परिचालनों के सभी पहलुओं पर आद्योपांत आंकड़े प्राप्त करने एवं प्रभावी निगरानी के लिए जिला स्तर के कार्यालयों से निदेशालयों तक समान आवधिक रिपोर्टिंग तंत्र को व्यवस्थित करने एवं भविष्य के लिए परिसंपत्ति लेखाओं के संकलन के लिए त्रैमासिक रिपोर्टिंग ढांचे के परिचालन के लिए अनुप्रयोग शामिल है।।

खंड ग में राज्य के राजकोष के लिए राजस्व श्रोतों के इष्टतम उपयोग एवं भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की संवहनीयता में मदद करने के लिए अवैध/अवैज्ञानिक खनन की गुंजाइश को कम करने के लिए सर्वोत्तम संभव नियंत्रण एवं निगरानी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए संसाधनों की आपूर्ति एवं उपयोग/बिक्री/निर्यात का मानचित्रण करने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है।

संसाधनों के उपयोग एवं आपूर्ति के मानचित्रण की महत्वाकांक्षी योजना: भारत में एनआरए को लागू करने एवं देश भर में संसाधनों के प्रबंधन की एक त्रुटिरहित तंत्र बनाने के गसब के विचार में अन्य बातों के साथ-साथ देश में खनिज संसाधनों की आपूर्ति एवं उपयोग या 360 डिग्री रूपरेखा की मानचित्रण की महत्वाकांक्षी योजना शामिल थी।

पर्यावरणीय क्षति के लिये लेखाकरण: ऊपर उल्लिखित प्रयास के समानांतर, गसब ने पर्यावरणीय क्षति के लेखाकरण को भी रेखांकित किया है जो पर्यावरण-आर्थिक लेखा तंत्र (एसईईए) ढांचे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य आवश्यकता है। रूपरेखा को पांच राज्यों- असम, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु एवं तेलंगाना में संचालित किया जा रहा है एवं 2023-24 के दौरान शेष राज्यों में भी इसके दोहराए जाने की उम्मीद है।

अच्छी तरह से प्रलेखित वेबपेज: एनआरए के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति के प्रसार के लिए, 'एनआरए' नामक एक लिंक गसब वेबसाइट में शामिल किया गया है एवं सीएजी की वेबसाइट से भी जोड़ा गया है। की गई प्रगति, बैठकों के कार्यवृत्त, कार्य की स्थिति, दिशानिर्देशों/एसओपी की प्रतियां आदि सभी की जानकारी सार्वजनिक सूचना एवं इनपुट, यदि कोई हो, तो वास्तविक समय के आधार पर अपलोड की जाती है।

परियोजना का परिणाम: राज्यों के लिए महत्वपूर्ण सूचना के भंडार के रूप में उनके संसाधन आधारों, राजस्व के भावी स्रोतों एवं वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों की पहचान के संबंध में परिसंपत्ति लेखे महत्वपूर्ण हैं। देश के लिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखाओं के कार्यान्वयन से भारत उन विशिष्ट देशों के समूह में प्रवेश करने में सक्षम होगा जो राष्ट्रीय एवं राज्य-वार भौतिक एवं मौद्रिक दोनों अर्थों में प्राकृतिक संसाधनों पर वार्षिक परिसंपत्ति लेखे सृजित करते हैं।

दूसरा, कमजोर संसाधनों पर परिसंपत्ति लेखे तैयार करके, गसब ने भारत को उन देशों की विशिष्ट सूची में शामिल होने में सक्षम बनाया है जहां एनआरए सालाना उत्पन्न होता है।

तीसरा, गसब ने राज्यों में किए गए अध्ययन के दौरान की गई टिप्पणियों को भी शामिल किया है जो अध्याय चार एवं छः में शामिल हैं। इनमें प्रभुत्व एवं बाजार मूल्यों के बीच भिन्नता, संसाधनों की संवहनीयता, आंकलन में कमियां एवं जिला खनिज फाउंडेशन के संग्रह, संसाधनों के ग्रेड-वार उत्पादन का रिपोर्ट में उल्लेखित न होना जिससे राजस्व के रिसाव की गुंजाइश, अवैध खनन पर उचित निगरानी का अभाव, जियो-टैगिंग एवं जियो-फेंसिंग आदि शामिल है, जिसमें राज्यों में विशिष्ट लेखापरीक्षा जैसे पीए/टीए उत्पन्न करने की क्षमता है।

1.4 लेखापरीक्षा पद्धति एवं मार्गदर्शन

व्यावसायिक व्यवहार समूह (पीपीजी) के अधिदेश में नई लेखापरीक्षा पद्धतियों का विकास, प्रसार एवं कार्यान्वयन शामिल है एवं यह लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली एवं प्रक्रियाओं से संबंधित तकनीकी मुद्दों के लिए एक सलाहकार विंग के रूप में कार्य करता है। पीपीजी एक नई कार्यप्रणाली को अपनाने या पहल करने से पहले एवं मौजूदा कार्यप्रणाली को संशोधित करते समय एक परामर्शी दृष्टिकोण अपनाता है। पीपीजी नई लेखापरीक्षा पद्धतियों के विकास के साथ-साथ नए दिशानिर्देशों एवं अभ्यास नोट्स जारी करके विभाग के भीतर सर्वोत्तम पद्धतियों के उनके आंतरिककरण पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक संगठन को व्यावसायिक इनपुट भी प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान अनुपालन लेखापरीक्षा, वित्तीय लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा से जुड़ी मौजूदा कार्यप्रणालियों एवं प्रक्रियाओं पर स्पष्टीकरण जिनमें हितधारकों के साथ बातचीत; प्रारूपण एवं रिपोर्टिंग; संसद/विधानमंडल के साथ बातचीत; पीएसयू/पीएसई के लिए सामान्य प्रयोजन वित्तीय रिपोर्ट आदि, जैसे मामले शामिल थे, अच्छे लेखन पर सामान्य सलाह को शामिल करने के लिए "शैली मार्गदर्शिका"- हिंदी स्टाइल गाइड, लेखापरीक्षा रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली परंपराएँ; हिंदी में रिपोर्ट तैयार करने में व्याकरण संबंधी विशिष्टताएँ एवं बारीकियाँ; शब्दकोश आदि का उपयोग के लिए प्रकाशित की गई।

1.5 स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा हेतु जारी मार्गदर्शन

स्थानीय निकायों के लेखापरीक्षा के संबंध में 2022-23 के दौरान निम्नलिखित मार्गदर्शन जारी किए गए

(1) जिला निरीक्षण रिपोर्ट (डीआईआर) के लिए संशोधित टेम्पलेट के साथ, स्थानीय निकायों (एलबी) द्वारा उन्हें सौंपे गए कार्यों के लिए सेवा वितरण का आकलन करने के लिए, जिला केंद्रित लेखापरीक्षा में मुख्य केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य -आधारित लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए जुलाई 2022 में मार्गदर्शन जारी किया गया था। इसके बाद कार्य-आधारित लेखापरीक्षा के लिए मुद्दा विश्लेषण की तैयारी के लिए मार्गदर्शन/विचार दिए गए(दिसंबर 2022)।

(2) संशोधित प्रारूप में वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट (एटीआईआर) तैयार करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन का संचालन एवं समर्थन की योजना के लिए विस्तृत रूपरेखा वाली एक 'टीजीएस प्रैक्टिस गाइड' दिसंबर 2022 में जारी की गई थी।

(3) क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगर निगमों के लेखापरीक्षा पर विशेष ध्यान देने के लिए दिसंबर 2022 में एक मार्गदर्शन जारी किया गया था।

(4) फरवरी 2023 में स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में दो अलग-अलग रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शन जारी किया गया था, अर्थात सीएजी की स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा रिपोर्ट, जिसमें सीएजी के डीपीसी अधिनियम के अनुसार आईए एंड एडी द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल किया गया था, एवं तकनीकी मार्गदर्शन एवं समर्थन गतिविधि की गतिविधियों एवं परिणाम को कैप्चर करते हुए एटीआईआर तैयार करना।

1.6 सीएजी के संगठन में नई पहल एवं अच्छी पद्धतियों का संग्रह

सीएजी के संगठन में नई पहलों एवं अच्छी पद्धतियों का संकलन जिसका शीर्षक 'दा केटलिस्टस इन परसुऐट ऑफ गुड गर्वनैन्स' का दूसरा संस्करण सीएजी द्वारा 'ऑडिट दिवस' – 16 नवंबर 2022 को जारी किया गया था। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में जारी किया गया सार-संग्रह, सीएजी के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कार्यात्मक विंग में नई पहलों एवं सर्वोत्तम पद्धतियों का संकलन है। इस पहल में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे लेखापरीक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार, क्षमता निर्माण एवं वर्ष के दौरान आयोजित प्रभावशाली लेखापरीक्षा। यह संग्रह हमारे हितधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा एवं लेखाकरण के हमारे मानकों को लगातार नया करने एवं सुधारने के लिए हमारी संस्था के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

अध्याय 2

क्षमता निर्माण

2.1 प्रस्तावना

साई इंडिया अपने कर्मियों में मजबूत प्रशिक्षण क्षमता के माध्यम द्वारा, व्यवहारिक कौशल तथा विशेषज्ञता के निरन्तर उन्नयन का प्रयास करता है। प्रशिक्षण कार्य नीति, ***"पेशेवर तथा संस्थागत विकास को बढ़ावा देने"*** के लक्ष्य को पूरा करने के लिए गहन प्रशिक्षण तथा ज्ञान सहभाजन प्रदान करने के माध्यम से कार्मिक को अपनी भूमिका के निष्पादन तथा मूल्य निर्माण में सहायता करने तथा मजबूत बनाने के प्रति उन्मुख है।

2.2 साई इंडिया में क्षमता निर्माण

साई इंडिया के क्षमता निर्माण के उद्देश्य निम्न हैं:

- कार्य-क्षेत्रज्ञान को सुधारना तथा इसे प्रशिक्षण सामग्री में बदलना
- ज्ञान तथा सूचना सहभाजन
- शिक्षण एवं अध्ययन वातावरण में सुधार करना
- सीखने के परिणामों में सुधार करना

2.3 प्रशिक्षण कार्य प्रणाली तथा प्रक्रियाएं

i. **केंद्रिय प्रशिक्षण सलाहकार समिति** (सीटीएसी) प्रतिवर्ष केंद्र बिन्दु, गुणवत्ता तथा औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए साई इंडिया में सभी प्रशिक्षण गतिविधियों तथा कार्यक्रमों की समीक्षा करती है। सीटीएसी, क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों की क्षेत्रीय सलाहकार समिति के कार्यों का भी निरीक्षण करती है। 47वीं सीटीएसी बैठक मार्च 2023 में, उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर और समन्वय) की अध्यक्षता में सीएजी कार्यालय में आयोजित की गई थी।

ii. **आरटीआई/आरटीसी के अध्यक्षों की बैठक**: आरटीआई/आरटीसी के अध्यक्षों की बैठक अपने समकक्षों के साथ अपनी विशेषज्ञता और बेहतर प्रथाओं को साझा करने हेतु एक संगोष्ठी प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की जाती है।

बैठक का उद्घाटन करते हुए सीएजी

माननीय सीएजी, उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर और समन्वय), महानिदेशक (प्रशिक्षण) और आरटीआई/आरटीसी के प्रमुख

आरटीआई/आरटीसी के अध्यक्षों की 5वीं बैठक मार्च 2023 में सीएजी कार्यालय में आयोजित की गई थी। बैठक का उद्घाटन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया तथा इसकी अध्यक्षता उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एचआर, आईआर और समन्वय) ने की थी।

iii. **प्रशिक्षण आवश्यकता का विश्लेषण**, प्रशिक्षण के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण की ओर पहला कदम है तथा इसे पाठयक्रमों के प्रभावकारी रूप-रेखा, कार्यान्वयन तथा प्रशिक्षण के मूल्यांकन के लिए प्रतिवर्ष कार्यान्वित किया जाता है।

iv. **संरचित प्रशिक्षण मॉड्यूल** प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने के लिए सामग्री और संदर्भों का एक सुसंबद्ध संकुल है। इसमें प्रशिक्षक के काम को सुविधाजनक बनाने के लिए मार्गदर्शक पत्र, पृष्ठभूमि दस्तावेज़ और नोट्स के अलावा प्रतिभागियों के लिए पठन सामग्री भी शामिल है। प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए विषय-वस्तु अधिकारियों की एक टीम जो विषय-वस्तु विशेषज्ञ होते हैं, के द्वारा विकसित की जाती है।

31 मार्च 2023 तक, 74 एसटीएम विकसित किए गए, समकक्ष समीक्षा की गई तथा प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए आरटीआई/आरटीसी को भेजा गया। निम्नलिखित एसटीएम, 2022-23 के दौरान विकसित किए गए थे:

- सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)
- एक सरकारी कर्मचारी को स्वीकार्य विभिन्न हकदारियां
- कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीक (सीएएटी) के रूप में पोस्टग्रेएसक्यूएल का उपयोग करना
- पंचायती राज संस्थानों का विधायी ढांचा और लेखाकार ढांचा (अद्यतन)
- आईटी सुरक्षा और साइबर कानून
- डेटा सुरक्षा - गोपनीयता और संरक्षण

- आईटी सुरक्षा मुद्दे - नेटवर्क सुरक्षा और मूल्यांकन
- पोर्ट ट्रस्टों की लेखापरीक्षा
- वित्त और विनियोग लेखाखातों की तैयारी (अद्यतन)

v. वैयक्तिक अध्ययन/शोध पत्रों का विकास:

वैयक्तिक अध्ययन परिपक्व शिक्षा विधि हेतु सशक्त तथा व्यवहारिक उपकरण है। वैयक्तिक अध्ययन प्रक्रिया एक अध्ययन कक्ष बनाती है जिसमें विद्यार्थी साधारण तौर पर तथ्यों तथा सिद्धांतों को आत्मसात करके ही नहीं सीखते अपितु वास्तविक मामलों में विश्लेषण, संश्लेषण, नेतृत्व तथा दलकार्य के कौशल का उपयोग करके भी सीखते हैं।

31 मार्च 2023 तक, प्रशिक्षण उद्देश्यों के लिए 39 वैयक्तिक अध्ययन विकसित किए गए हैं, समकक्ष समीक्षा की गई है तथा आरटीआई/आरटीसी को प्रसारित किया गया है। 2022-23 के दौरान निम्नलिखित वैयक्तिक अध्ययन विकसित किए गए:

- पश्चिम बंगाल में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन
- डेटा एश्योरेंस और विश्लेषिकी उपकरण
- व्यय का गलत वर्गीकरण: पूंजीगत से राजस्व एवं राजस्व से पूंजीगत
- पीआरआई द्वारा निर्माण योजना का अनुमोदन
- 2017-18 के लिए महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर नोट
- आईएनडीएएस 115 में निहित राजस्व मान्यता के सिद्धांतों की प्रयोज्यता
- वित्तीय विवरणों में उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) ऋण का लेखांकन
- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) व्यवस्था में निजी भागीदार के अभिलेखों तक पहुंच - लेखापरीक्षा का अधिदेश और दायरा
- डेस्क-सह -बेंच का परिहार्य व्यय एवं अतिरिक्त खरीद
- स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने ऑडिट दिवस 2022 के अवसर पर प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा संकलित 'वैयक्तिक अध्ययन का संग्रह' का पहला अंक जारी किया। यह संग्रह विभाग के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए साई प्रशिक्षण पोर्टल पर उपलब्ध है।

2.4 साई इंडिया के संस्थानों में प्रशिक्षण

साई इंडिया की प्रशिक्षण अवसंरचना में तीन केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान तथा दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र सम्मिलित है।

2.4.1 केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण

2.4.1.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा तथा लेखाअकादमी (एनएएए)

2022-23 के दौरान, एनएएए ने 2020, 2021 और 2022 बैच के अधिकारी प्रशिक्षुओं के लिए समावेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न चरणों का आयोजन किया, जिसमें 53 भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा सेवा (आईएएंडएएस) अधिकारी प्रशिक्षुओं और छह अधिकारी भूटान के रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण के तथा साई मालदीव के दो

अधिकारियों ने अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त किया था/प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। 2020 बैच के 20 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं ने सितंबर 2022 में अकादमी में सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया एवं अकादमी में अपना चरण-1 प्रशिक्षण पूरा करने वाले 2021 बैच के 16 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु वर्तमान में अपने कार्यस्थलीय प्रशिक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों में हैं। 2022 बैच के 17 आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षु और रॉयल लेखापरीक्षा प्राधिकरण भूटान के दो अधिकारी एवं साई मालदीव के दो अधिकारियों ने दिसंबर 2022 में अकादमी में अपने समावेशन प्रशिक्षण में शामिल हुए तथा वर्तमान में अकादमी में उनका चरण-1 का प्रशिक्षण चल रहा है।

अकादमी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है अधिकारी प्रशिक्षुओं को आंतरिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर और सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से सिविल सेवकों के रूप में व्यावसायिक ज्ञान और क्षमता प्राप्त करने में मदद करना। व्यावसायिक ज्ञान के लिए इनपुट एक संवादात्मक कक्षा वातावरण के माध्यम से अध्ययन सत्रों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तित्वों द्वारा व्याख्यान श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न संगठनों के कामकाज पर व्यावहारिक सत्र के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान, अकादमी ने प्रख्यात व्यक्तित्वों द्वारा 'प्रज्ञान' व्याख्यान श्रृंखला के तहत दो व्याख्यान आयोजित किए। पहला व्याख्यान 21 अप्रैल 2022 को नीति आयोग के सदस्य प्रो. रेमेश चंद ने "भारतीय कृषि के लिए मुद्दे, चुनौतियाँ और आगे का रास्ता" विषय पर दिया और भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ वी अनंत नागेश्वरन ने 13 अगस्त 2022 को "अर्थशास्त्र और सार्वजनिक उत्तरदायित्व के संगम" पर दूसरा व्याख्यान दिया।

आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के समावेशन प्रशिक्षण के अलावा अकादमी कार्यरत आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम और अन्य केंद्रीय सेवाओं के अधिकारी प्रशिक्षुओं और भारतीय सेना के अधिकारियों के लिए लेखापरीक्षा एवं लेखा संवेदीकरण पाठ्यक्रम आयोजित करती है। 2022-23 के दौरान अकादमी में दो कार्यशालाओं सहित 13 सेवारत पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 296 अधिकारियों ने भाग लिया।

2.4.1.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा)

अंतर्राष्ट्रीय सूचना पद्धति एवं लेखापरीक्षा केंद्र (आईसीसा), नोएडा साई इंडिया का प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है जो मुख्य रूप से आईएस लेखापरीक्षा और डेटा विश्लेषिकी से संबंधित क्षेत्रों में दुनिया भर के लेखापरीक्षकों की क्षमता निर्माण में काम करता है। आईसीसा की स्थापना मार्च 2002 में सूचना प्रणाली एवं सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा के लिए नवीनतम शिक्षाशास्त्र और प्रशिक्षण उपकरणों का उपयोग करके फ्रंटलाइन लेखापरीक्षा उत्पादों को अभिकल्पित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए उच्च गुणवत्ता, कौशल-विकासशील प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए की गई थी। आईसीसा विविध क्षेत्रों में प्रासंगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम डिजाइन और वितरित करने के लिए अत्याधुनिक आईएस प्रौद्योगिकियों में भारत में उपलब्ध समृद्ध प्रतिभावापी का उपयोग करता है। आईसीसा ने 31 मार्च 2023 तक विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 150 देशों के 5,080 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों[1] (आईटीपी) के संचालन के अलावा, आईसीसा ने वर्ष 2022-23 के दौरान 16 राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों (आईएएंडएडी के अलावा सात अन्य विभागों सहित) आयोजित किए, जिनमें सूचना प्रणाली, डेटा विश्लेषिकी और अन्य लेखापरीक्षा के क्षेत्रों में 398 प्रतिभागियों (अन्य विभागों से 167 सहित) ने भाग लिया।

---

[1] खंड 5 का अध्याय 5 का संदर्भ लें

आईसीसा एक द्विवार्षिक ई-जर्नल-पर्स्युट प्रकाशित करता है, जिसे ईमेल के माध्यम से सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रसारित एवं आईसीसा की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। आईसीसा ने लेखापरीक्षिती सत्त्वों द्वारा उपयोग किए जाने वाले आईटी अनुप्रयोगों का विवरण एकत्र करने के लिए एक टूलकिट भी विकसित किया है, जिसे सभी क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के साथ साझा किया गया है। इसके अलावा, आईसीसा विभिन्न ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित करके क्षमता निर्माण में योगदान दे रहा है। आईसीसा द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक ई-लर्निंग मॉड्यूल विकसित किया गया है और इसे साई प्रशिक्षण पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है।

2.4.1.3 पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईसीईडी)

आईसीईडी की स्थापना 2013 में पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए की गई थी। आईसीईडी पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र के लिए विशिष्ट रूप से समर्पित है एवं वर्षों से पर्यावरण लेखापरीक्षा करने में भारत की विशेषज्ञता का उपयोग करना चाहता है। आईसीईडी, पर्यावरण लेखापरीक्षा पर कार्य समूह की तथा सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के निष्कर्षण उद्योगों पर कार्य समूह (अगस्त 2016 से) की एकनामित वैश्विक प्रशिक्षण सुविधा (जीटीएफ) भी है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, आईसीईडी द्वारा 23 क्षमता-निर्माण और ज्ञान-साझाकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इनमें से नौ राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, चार राष्ट्रीय कार्यशालाएं/क्षेत्रीय सेमिनार, चार प्रशिक्षण प्रशिक्षक के कार्यक्रम के लिए तथा छह अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम थे। चार कार्यक्रम ऑनलाइन मोड में और 19 कार्यक्रम ऑफलाइन मोड में आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में कुल 423 प्रतिभागियों (179 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी और 244 राष्ट्रीय प्रतिभागी) ने भाग लिया।

आईसीईडी के पास साई इंडिया की पर्यावरण लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान परियोजनाएं लाने के लिए टेरी (द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट) जैसे अग्रणी शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से एक जीवंत संस्थानिक अनुसंधान कार्यक्रम है।

आईसीईडी विभिन्न पर्यावरण लेखापरीक्षा रिपोर्ट और अन्य संबंधित सामग्री के इनपुट को मिलाकर एक त्रैमासिक समाचार पत्र "ग्रीन फाइल्स" जारी करता है, जिसे साई इंडिया में एवं उसके बाहर बहुत सराहा जाता है।

2022-23 की अवधि के दौरान, आईसीईडी ने समसामयिक पर्यावरणीय विषयों और जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा से संबंधित उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन को कम करने में वर्षावनों के महत्व जैसे वर्गों को शामिल किया है।

ब्लू इकोनॉमी पर उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आईसीईडी

ब्लू इकोनॉमी की अवधारणा पेचीदा, उलझी हुई, जटिल से जटिल, एवं प्रकृति में भिन्न है तथा लेखापरीक्षा के लिए कई चुनौतियां पेश करती है। साई इंडिया द्वारा लेखापरीक्षा केंद्र बिन्दु के एक उभरते क्षेत्र के रूप में ब्लू इकोनॉमी को पर्यावरण लेखापरीक्षा में आईसीईडी की समग्र भूमिका के अनुरूप बनाया जा सकता है।

आईसीईडी, आईसीईडी के संस्थागत तंत्र के अंतर्गत अनुसंधान और संबद्ध गतिविधियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम के रूप में "ब्लू इकोनॉमी पर उत्कृष्टता केंद्र" बनना चाहता है। यह पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास के मुद्दों में विशेष क्षमता निर्माण के संचालन में आईसीईडी के दशक भर के अनुभव का उपयोग करेगा।

2.4.2 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्र/संस्थानिक प्रशिक्षण में प्रशिक्षण

साई इंडिया के देश भर में 10 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान (आरटीआई) और दो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र(आरटीसी)स्थित हैं। क्षमता निर्माण के लिए कार्यालय विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय अल्पावधि के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं।

2022-23 के दौरान आरटीआई/आरटीसी ने 653 पाठ्यक्रम (382 सामान्य और 271 आईटी) आयोजित किए और 14,226 को प्रशिक्षित किया। इसी अवधि के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों ने 1,221 संस्थानिक पाठ्यक्रम आयोजित किए और 17,544 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

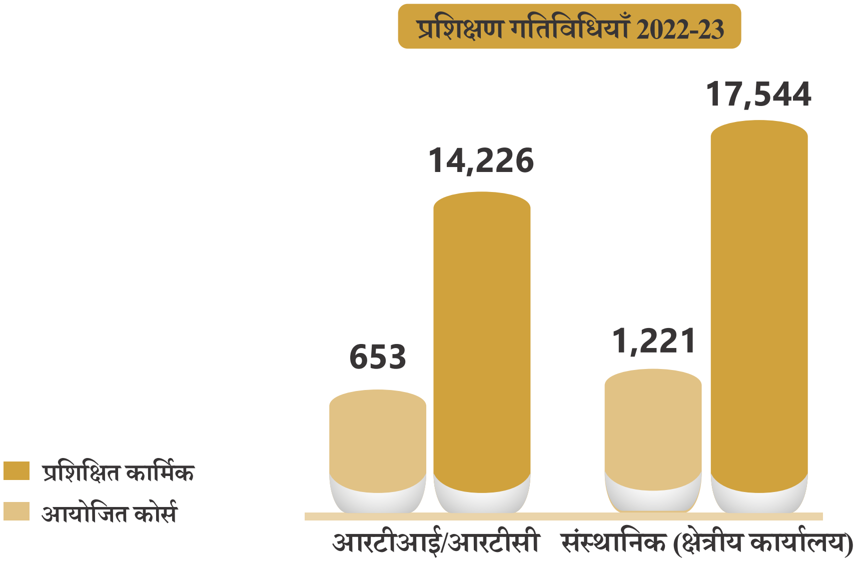

ये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जीएसटी, कार्य लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा और आईटी विषयों जैसे कि डेटा विश्लेषिकी, आईटी वातावरण में लेखापरीक्षा, ओरेकल और कंप्यूटर सहायता प्राप्त लेखापरीक्षा तकनीकों जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित किए गए थे।

आरटीआई शिलांग में ओआईओएस

कार्यशाला आरटीआई चेन्नई में प्रशिक्षण सत्र

2.5 प्रतिष्ठित संस्थाओं में आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए सेवाकालीन महत्वपूर्ण प्रशिक्षण

आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) के पैटर्न को मई 2016 में डीओपीटी के आदेशों के अनुसार संशोधित किया गया था। वर्तमान में इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

i) **7-9 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए कार्यकारी विकास कार्यक्रम (ईडीपी)** ताकि सार्वजनिक नीति तथा वित्तीय मुद्दों की जानकारी को बढ़ाया जा सके, विश्लेषणात्मक साधनों तथा प्रबंधन कुशलता को सुदृढ़ किया जा सके।

ii) **14-16 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी)** ताकि अवसरों का तथा तकनीकी इनपुटों के विस्तार, विश्लेषणात्मक साधन, प्रबंधन कुशलता तथा अंर्तवैयक्तिक कौशलों को सुदृढ़ किया जा सके।

iii) **26-28 वर्षों की सेवा वाले आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए विकसित प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एएमडीपी)** ताकि वरिष्ठ प्रबंधकों के द्वारा सामना किए जा रहे बहु-आयामी मुद्दों, जिसमें, नीति विकास, निष्पादन प्रबंधन, संगठनात्मक रूपरेखा, मध्यस्थता वार्ता और नेतृत्व सम्मिलित हैं, के अवसरों का विस्तार किया जा सके।

वर्ष 2022-23 के लिए आईएएंडएएस अधिकारियों की एमसीटीपी निम्नानुसार आयोजित की गई थी:

- आईआईएम बैंगलुरु में 25 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए दो चरणों में तीन सप्ताह का ईडीपी आयोजित किया गया था अर्थात चरण I -02 से 11 जनवरी 2023 तक और चरण II-27 फरवरी से 03 मार्च 2023 तक।
- 20 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का एमडीपी अर्थात सप्ताह-1 में 27 फरवरी से 03 मार्च 2023 तक के लिए आईआईएम अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। और सप्ताह-2 में 13-17 मार्च 2023 तक एनएए, शिमला (विदेशी घटक के बदले) में है।
- 23 आईएएंडएएस अधिकारियों के लिए 20 फरवरी से 03 मार्च 2023 तक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (आईएसबी) हैदराबाद में दो सप्ताह का एएमडीपी आयोजित किया गया था।

2.6 वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारियों के लिए बाह्य प्रशिक्षण

2022-23 के दौरान, 94 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत, हरियाणा में "प्रशिक्षण आवश्यकता विश्लेषण" और "दिवाला और दिवालियापन" 'क्षमता मानचित्रण', 'वित्त पेशेवरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता' और 'ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी एवं क्रिप्टो-मुद्रा' पर पाँच प्रशिक्षणों में प्रशिक्षित किया गया था।

2.7 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए स्व-नामांकन योजना

सीएजी ने भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में एसएओ/एएओ के प्रशिक्षण के लिए स्व-नामांकन योजना को मंजूरी दी (अक्टूबर 2019)। स्व-नामांकन योजना को नवंबर 2021 में संशोधित किया गया ताकि एसएओ/एएओ आईआईएम द्वारा आयोजित ऑनलाइन/हाइब्रिड प्रशिक्षणों में भी भाग ले सकें।

2022-23 के दौरान आईआईएम अहमदाबाद, बेंगलूरु, कोलकाता, लखनऊ और इंदौर में 15 पाठ्यक्रमों में 68 एसएओ/एएओ को प्रशिक्षित किया गया।

2.8 वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारियों और सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों के लिए मध्य-सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

मार्च 2022 से प्रशिक्षण प्रभाग ने एसएओ/एएओ के लिए पांच स्तरीय मध्य-सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीटीपी) लागू किया:

एमसीटीपी	विवरण
स्तर 1	सीधी भर्ती वाले एएओ/पदोन्नत एएओ के लिए समावेशन प्रशिक्षण आरटीआई /आरटीसी में आयोजित किया जाता है
स्तर 2	7 से 12 वर्ष के सेवा कार्यकाल वाले एएओ के लिए-आरटीआई/आरटीसी में
स्तर 3	12-17 वर्ष के सेवा कार्यकाल वाले एसएओ/एएओ के लिए- आरटीआई/आरटीसी में
स्तर 4	17-22 वर्ष के सेवा कार्यकाल वाले एसएओ/एएओ के लिए बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों अर्थात ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (ओपीजेजीयू), सोनीपत और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद में
स्तर 5	22 से अधिक वर्षों के सेवा कार्यकाल वाले एसएओ/एएओ के लिए अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम), फरीदाबाद में

2022-23 के दौरान, 113 एमसीटीपी आयोजित किए गए जिनमें 3,323 एसएओ/एएओ को प्रशिक्षित किया गया।

2.9 सीपीडी परीक्षा के लिए पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण

क्षेत्रीय कार्यालयों एवं आईसीसा नोएडा द्वारा संस्थानिक प्रशिक्षण के अलावा, अरुण जेटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (एजेएनआईएफएम) एवं ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी (ओपीजेजीयू) जैसे बाह्य

प्रशिक्षण भागीदारों को एसएओ/एएओ/वरिष्ठ डीएओ/डीएओ-I के लिए सीपीडी पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण के लिए लगाया गया है। 2022-23 के दौरान, 731 एसएओ/एएओ/वरिष्ठ डीएओ/डीएओ-I को सीपीडी परीक्षा के लिए पूर्व-परीक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

2.10 स्व-शिक्षण मॉड्यूल (एसएलएम)

साई इंडिया के सभी अधिकारियों को आईटी के इष्टतम कार्यात्मक ज्ञान से लैस करने के लिए, एमएस-वर्ड, एमएस-एक्सेल, एमएस-एक्सेस, एमएस-पावरपॉइंट, ई-मेलिंग, ई-ऑफिस, पीएफएमएस, बीईएमएस और स्पैरो पर एसएलएम विकसित किए गए थे। ये मॉड्यूल साई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराए गए थे। क्षेत्रीय कार्यालयों से इन एसएलएम पर आवधिक आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करने का अनुरोध किया गया था, ऐसी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सफल उम्मीदवारों का प्रमाणन होना चाहिए।

मार्च 2023 के अंत तक, 143 कार्यालयों में 13,425 कर्मचारी, इन मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षित, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आयोजित मूल्यांकन परीक्षणों के लिए उपस्थित हुए और 11,479 कर्मचारियों को सफल घोषित किया गया।

2.11 निष्पादन निगरानी ढांचा

2015-16 में आरटीआई के लिए मात्रात्मक मापदंडों के साथ एक निष्पादन निगरानी ढांचा (पीएमएफ) डिजाइन किया गया एवं पेश किया गया। पीएमएफ आरटीआई की आंतरिक प्रक्रियाओं को पणधारकों की अपेक्षाओं से जोड़कर उत्कृष्टता को आंतरिक एवं संस्थागत बनाने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण वातावरण सुनिश्चित करने और प्रभावी ढंग से प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ-साथ ज्ञान केंद्रों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने की परिकल्पना करता है। आरटीआई और उसके उपयोगकर्ता कार्यालयों द्वारा आवंटित अंकों को आरटीआई का भौतिक निरीक्षण करके सत्यापित किया जाता है। वर्ष 2021-22 के लिए पीएमएफ सत्यापन 2022-23 के दौरान पूरा किया गया।

2.12 2022-23 के दौरान प्रशिक्षण प्रभाग की विशेष उपलब्धियां

2022-23 के दौरान क्षमता निर्माण में निम्नलिखित अन्य माइलस्टोन भी प्राप्त किए गए:

i) **साई इंडिया में इंटर्नशिप योजना:** 2022-23 के दौरान साई इंडिया में इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत, प्रशिक्षण प्रभाग ने तीन कार्यात्मक विंग द्वारा इंटर्न की आवश्यकता को संसाधित किया और कस्टम विंग (दो वाईपी), इकोनोमिक विंग (एक वाईपी) और वित्त एवं संचार विंग (एक वाईपी) के लिए चार युवा पेशेवरों को शामिल किया।

ii) **सिस्टम ऑटोमेशन इनिशिएटिव (एसएआई) प्रशिक्षण एप्लीकेशन:** 2022-23 के दौरान साई प्रशिक्षण पोर्टल चरण- IV की प्रगति इस प्रकार है:

क्रम सं.	मॉड्यूल	विवरण
1	ज्ञान भंडार	साई प्रशिक्षण पोर्टल पर ज्ञान भंडार स्थापित किया गया है, जिस पर सीटीआई/आरटीआई/आरटीसी,आईएएंडएएस ओटी के लिए एसएएस परीक्षा और विभागीय परीक्षा (डीई) से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री की प्राप्त की जा सकती है। यह विभाग के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
2	आईआईएम प्रशिक्षण के लिए स्व-नामांकन	कर्मचारी या तो स्वयं को नामांकित कर सकते हैं (स्व-नामांकन) या एसएआई प्रशिक्षण पोर्टल के माध्यम से भारत भर के आईआईएम में आयोजित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए विभागाध्यक्ष द्वारा नामांकित किए सकते हैं।
3	मूल्यांकन मॉड्यूल	आरटीआई/आरटीसी/क्षेत्रीय कार्यालयों को (पाठ्यक्रम पूर्व) प्रवेश व्यवहार और समापन-कोर्स मूल्यांकन परीक्षा करने में सक्षम बनाने के लिए परीक्षा मॉड्यूल, अप्रैल 2023 तक अखिल भारतीय रोल-आउट के लिए विकास के अंतिम चरण में है।

iii) **शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस):** विभाग में स्व-शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, प्रशिक्षण प्रभाग ने एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) की शुरुआत की। 2022-23 के दौरान प्रायोगिक आधार पर पोर्टल में चार पाठ्यक्रम (दो सामान्य और दो आईटी) जोड़े गए हैं। साई इंडिया के सभी कर्मचारियों के पास एलएमएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों तक पहुंच है। इसके अलावा, प्रशिक्षण प्रभाग एलएमएस प्लेटफॉर्म पर अधिक पाठ्यक्रमों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आरटीआई/आरटीसी के साथ काम कर रहा है।

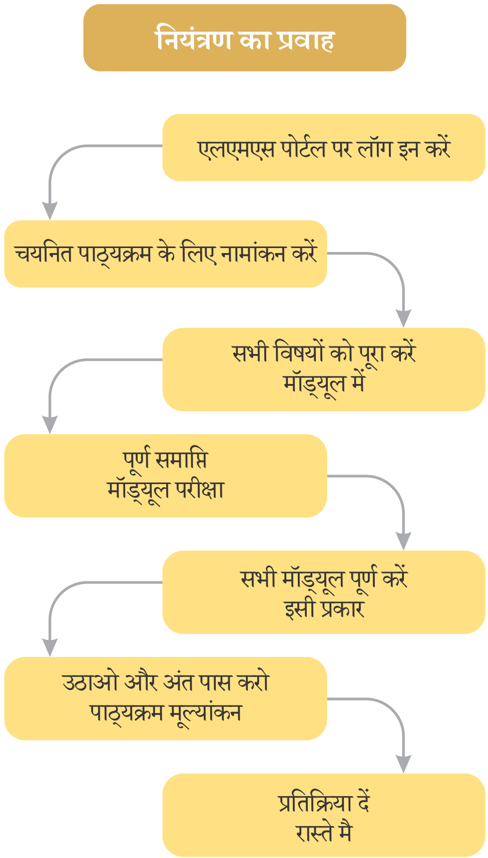

iv) **सीधी भर्ती एएओ के लिए समावेशन प्रशिक्षण:** प्रशिक्षण प्रभाग ने सीधी भर्ती वाले एएओ के समावेशन प्रशिक्षण के लिए मौजूदा पैटर्न (पाँच माह) को निम्नानुसार संशोधित किया:

चरण 1 : चार माह का कक्ष प्रशिक्षण आरटीआई/आरटीसी में।

चरण 2: तीन माह का कार्य पर प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालयों में।

चरण 3: दो माह का कक्ष प्रशिक्षण आरटीआई में।

प्रशिक्षण पूरा होने और एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, शीर्ष 10 एएओ को एनएएए, शिमला में एक सप्ताह का

एक्सपोज़र कोर्स दिया जाता है। इसके अलावा, शीर्ष एएओ को सीएजी पदक से सम्मानित किया जाता है, दूसरे को डीएआई पदक से सम्मानित किया जाता है और तीसरे को डीजी एनएएए प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाता है। अप्रैल 2022 में सीधी भर्ती वाले एएओ (सीजीएलई-2018 बैच) के लिए समावेशन प्रशिक्षण का नया स्वरूप लागू किया गया था। 2022-23 के दौरान, 236 सीधी भर्ती वाले एएओ (एसएससी-सीजीएलई 2018 बैच) को आरटीआई/आरटीसी में प्रशिक्षित किया गया था और अप्रैल 2023 में एनएएए शिमला में एक सप्ताह का एक्सपोजर कोर्स आयोजित किया गया था।

v) **विभागीय रूप से पदोन्नत एएओ/पर्यवेक्षकों के लिए समावेशन प्रशिक्षण:** 2022-23 के दौरान विभागीय रूप से पदोन्नत एएओ (2022 की एसएएस परीक्षा 1 से उत्तीर्ण) और पर्यवेक्षकों के लिए छह सप्ताह का समावेशन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। 2022-23 के दौरान 194 विभागीय पदोन्नत एएओ/पर्यवेक्षकों को आरटीआई/आरटीसी में प्रशिक्षित किया गया।

vi) **लेखा प्रमाणन पर प्रशिक्षण:** सितंबर 2022 में राज्य प्रतिवेदन स्कन्ध का प्रभार संभालने वाले महानिदेशकों/प्रधान निदेशकों और मुख्यालय कार्यालय में लेखा प्रमाणन और वित्तीय सत्यापन लेखापरीक्षा कार्य करने वाले एसएओ/एएओ के लिए " लेखा प्रमाणन" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

vii) **एमसीटीपी लेवल 4 प्रशिक्षण का आरटीआई/आरटीसी से प्रतिष्ठित बाह्य संस्थानों में स्थानांतरित करना:** 46वीं केंद्रीय प्रशिक्षण सलाहकार समिति (सीटीएसी) के निर्णय (अप्रैल 2022) के अनुसार, प्रशिक्षण प्रभाग ने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत हरियाणा और भारत के प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (एएससीआई), हैदराबाद को लेवल 4 एमसीटीपी आयोजित करने हेतु सहयोग किया। 2022-23 के दौरान, इन संस्थानों में 14 लेवल 4 एमसीटीपी में 512 एसएओ/एएओ को प्रशिक्षित किया गया।

viii) **सीधे भर्ती वाले एएओ के समावेशन प्रशिक्षण के लिए हैंडबुक:** सभी आरटीआई/आरटीसी में समावेशन प्रशिक्षण की प्रशिक्षण सामग्री को मानकीकृत करने के लिए 2022-23 से नए भर्ती किए गए एएओ को शामिल करने के लिए तकनीकी और व्यावहारिक कौशल पर समावेशन प्रशिक्षण के लिए एक पुस्तिका तैयार एवं प्रसारित की गई थी।

अध्याय 3

आंतरिक नियंत्रण और गुणवत्ता मूल्यांकन

3.1 निरीक्षण के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन

बोर्ड में साई इंडिया के सभी कार्यात्मक कार्यालयों की परीक्षण जांच करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण और समकक्ष समीक्षा (आईएवंपीआर) विंग में निहित है। विंग व्यावसायिक घोषणाओं और प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन पर आश्वासन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षण कार्य करता है; अंतर विश्लेषण, मानव पूंजी और दक्षता अनुकूलन के इष्टतम उपयोग के लिए पाठ्यक्रम सुधार की सुविधा प्रदान करता है। निरीक्षण अलग-अलग कार्यालयों में पाई गई बेहतर प्रथाओं को साझा करने के लिए एक आधार प्रदान करता है।

अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए विंग, शाखा कार्यालयों सहित क्षेत्रीय कार्यालयों का स्थल निरीक्षण करता है। कार्यालयों का चयन इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए जोखिम मापदंडों पर आधारित एक बिंदु प्रणाली के आधार पर किया जाता है।

मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यात्मक विंग के निरीक्षण और उत्तरदायित्व की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र मौजूद हैं:-

क. निरीक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शी और सहभागी बनाने के लिए, विंग ने संबंधित कार्यात्मक विंगों के प्रमुखों के साथ नियमित संवाद के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ तालमेल में सुधार करने और इसे बनाए रखने का प्रयास किया है;

ख. निरीक्षण दल उपलब्ध सामग्री जैसे पूर्ववर्ती समकक्ष समीक्षा प्रतिवेदन/निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण किए जाने वाले कार्यालयों से मांगी गई विस्तृत जानकारी और नियमित आधार पर कार्यात्मक विंगों से प्राप्त आवधिक विवरणियों/आदानों का डेस्क अध्ययन करते हैं। क्षेत्रीय कार्यों के प्रारम्भ होने से पहले और पूरा होने के बाद दल, उच्चतम स्तर पर ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग सत्रों से गुजरता है;

ग. प्रतिवेदन मानक प्रारूपों में तैयार किए जाते हैं, संक्षिप्त होते हैं, और रचनात्मक तरीके से हितधारकों की भागीदारी के लिए सिफारिशों को शामिल किए हुए होते हैं;

घ. क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण और विशिष्ट मुद्दों पर जांच सूची और संबंधित समूहों के परामर्श से तैयार कार्यात्मक कार्यक्षेत्रों का उपयोग निरीक्षण दलों द्वारा किया जाता है;

ङ. सभी निरीक्षण रिपोर्ट (आईआर), डिजिटल रूप में जारी की जाती हैं और सीएजी की वेबसाइट पर ज्ञान प्रबंधन प्रणाली (केएमएस) पोर्टल के तहत अपलोड भी की जाती हैं। वर्ष 2014-15 से 2021-22 के लिए आईआर, केएमएस पोर्टल पर उपलब्ध हैं;

च. इन अभ्युक्तियों का अनुपालन क्षेत्रीय कार्यालयों से दो श्रेणियों अर्थात् (i) श्रेणी-क-जहां अनुपालन कार्यालय द्वारा ही समयबद्ध तरीके से किया जाना है, और (ii) श्रेणी-ख- जहां अनुपालन राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि जैसी बाह्य एजेंसियों द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर है। अलग-अलग कार्यालयों को सलाह दी गई है कि वे एक समय सीमा तय करें जिसके भीतर आईआर में उठाई गई सभी अभ्युक्तियों का अनुपालन किया जाना है।

3.2 वर्ष 2022-23 के दौरान गतिविधियां

- पिछले वर्ष 2021-22 से अभ्यास जारी रखते हुए निरीक्षण कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए निरीक्षण टीमों की निगरानी एक समूह अधिकारी द्वारा की गई।
- वर्ष के दौरान, 20 (राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय-आठ, केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय-दो, रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय-दो, रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय-दो, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय-दो, ले. एवं हक. कार्यालय-तीन और प्रशिक्षण संस्थान-एक) क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण की योजना बनाई गई। 31 मार्च 2023 तक किए गए निरीक्षण, उठाई गई अभ्युक्तियों, निपटान और बकाया का विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

योजनाबद्ध निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	आई आर की संख्या/2022-23 के दौरान जारी अभ्युक्तियां		2022-23 के दौरान निपटाई गई अभ्युक्तियों की संख्या	पैरा की संख्या/ मार्च 2023 के अंत तक बकाया आई आर की संख्या	
		आईआर	पैरा		पैरा की संख्या	आईआर की संख्या
20	20	18	2,334	1,689	2,626	54

- वर्ष 2020-21 और 2021-22 की निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल अभ्युक्तियों(मुख्य और लघु के रूप में वर्गीकृत) वाली एक पुस्तिका तैयार की गई थी और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित की गई थी ताकि यदि कोई भी अभ्युक्ति उनके कार्यालय के लिए प्रासंगिक हो तो उपचारात्मक कार्रवाई की जा सके।

3.3 आंतरिक समकक्ष समीक्षा

आईएवंपीआर विंग गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के हिस्से के रूप में साई इंडिया में कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा को आयोजित करता है। ये "समकक्ष समीक्षा के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन" पर दिशानिर्देशों द्वारा शासित होते हैं। साई निष्पादन मापन ढ़ाँचा (एसएआई-पीएमएफ) के साथ संरेखित करने के लिए, इन दिशानिर्देशों को वर्ष के दौरान संशोधित किया गया था और इसे लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए समकक्ष समीक्षा दिशानिर्देश 2022' शीर्षक दिया गया था। इन दिशा-निर्देशों का दायरा लेखापरीक्षा कार्यालयों की समीक्षा तक सीमित है।

- वर्ष के दौरान, 15 कार्यालयों (ले. एवं हक. कार्यालय-03 और लेखापरीक्षा कार्यालय-12) की समकक्ष समीक्षा की योजना बनाई गई थी। तीन ले. एवं हक. कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा पूरी कर ली गई है। मार्च 2023 के अंत तक 12 लेखापरीक्षा कार्यालयों समकक्ष समीक्षा प्रगति पर है।
- प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने और समकक्ष समीक्षा रिपोर्टों की अधिक उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए, 2021-22 से समकक्ष समीक्षा रिपोर्टों से सीखे गए महत्वपूर्ण बिंदुओं/सबक के प्रसार की एक नई पहल शुरू की गई थी। 2021-22 के लिए समकक्ष समीक्षा रिपोर्टों की सभी महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को संकलित किया गया और साई इंडिया के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को जारी किया गया ताकि जहां भी उपयुक्त हो, उनके कार्यालयों से संबंधित अभ्युक्तियों का उपयोग सुधारात्मक कार्रवाई के लिए किया जा सके।

3.4 तकनीकी निरीक्षण

तकनीकी निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और समीक्षा किए गए कार्यालय के तकनीकी कार्यों पर मार्गदर्शन प्रदान करना है। 2022-23 से संबंधित कार्यालयों की समकक्ष समीक्षा के साथ सीआरए विंग, रेलवे लेखापरीक्षा विंग और रक्षा लेखापरीक्षा विंग के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों का तकनीकी निरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। आईएवंपीआर विंग को योजना बनाने और तकनीकी निरीक्षण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तकनीकी निरीक्षण के लिए, विशिष्ट दिशानिर्देश प्रकल्पित किए गए हैं एवं कार्यक्षेत्र का ज्ञान रखने वाले अधिकारियों को समकक्ष समीक्षादल के साथ प्रतिनियुक्त किया जा रहा है।

2022-23 के दौरान, दो कार्यालयों अर्थात डीजीए (केंद्रीय), हैदराबाद कार्यालय और डीजीए, पूर्वी रेलवे, कोलकाता कार्यालय को तकनीकी निरीक्षण के लिए चुना गया था। समकक्ष समीक्षा के साथ-साथ इन कार्यालयों का तकनीकी निरीक्षण किया गया था।

अध्याय 4

हमारी आईटी पहल

साई इंडिया विभिन्न पृथकविरासत आईटी एप्लिकेशन से केंद्रीकृत आईटी साधनों में निरंतर विस्थापित कर रहा है। केंद्रीकृत साधनों को व्यवस्थित करना सरल है तथा अत्याधुनिक सुरक्षा सेट अप को लागत प्रभावी तरीके से केंद्रीकृत एप्लिकेशन में तैनात किया जा सकता है। डिजिटल साधनों पर जोर हमारी कार्य प्रक्रियाओं को मानकीकृत करने, प्रदान की गई सेवा की गुणवत्ता को संसाधित करने एवं सुधारने के लिए समय कम करने और लेखापरीक्षा कार्यभार के लिए अन्य सरकारी आईटी एप्लिकेशनों द्वारा उत्पन्न डिजिटल डेटा का लाभ उठाने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है।

साई इंडिया में प्रयुक्तियों को उच्च सेवाओं की उपलब्धता और बेहतर गुणवत्ता/निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। नवीन केंद्रीकृत समाधानों मे उन्नत साइबर हमलों से निपटने के लिए अत्याधुनिक सुरक्षा संरचना शामिल है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, एक स्वतंत्र, बाह्य, सरकारी सूची मे सम्मिलित वाली एजेंसी द्वारा नेटवर्क, बुनियादी ढांचे और आवेदन की सुरक्षा लेखापरीक्षा अनिवार्य रूप से की जाती है।

साई इंडिया में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का प्रयोग निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत व्यापक रूप से समूहित किया जा सकता है:

- आईएएंडएडी के लिए सूचना प्रणाली (आईएस) नीति का निर्माण तथा कार्यान्वयन
- नए आईटी एप्लिकेशनों को डिजाइन करना अथवा लागू करना
- मौजूदा आईटी एप्लिकेशनों को सहायता देना, विशेषकर लेखाकरण और हकदारी कार्यों के संबंध में
- सहायक आईटी अवसंरचना का प्रबंधन और रखरखाव
- लेखापरीक्षा कार्यों की योजना बनाने और निष्पादन करने में सहायता हेतु डेटा विश्लेषण के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करना
- सरकारी और अन्य लेखापरीक्षिति सत्त्वों की आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा

4.1 हाल की पहल एवं विकास

भारत सरकार के आईटी 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में साई इंडियां इसकी व्यावसायिक प्रक्रिया और अभिलेख को पूर्णत: डिजिटल करने की प्रक्रिया में है। 1 अप्रैल 2023 से लेखापरीक्षा प्रक्रिया को विकास, कार्यान्वयन और एक-आईएएंडएडी-एक प्रणाली (ओआईओएस) एप्लिकेशन, आद्योपान्त लेखापरीक्षा प्रक्रिया एवं ज्ञान प्रबंधन प्रणाली – आईएएडी के एक प्रमुख लेखापरीक्षा कार्य – को शुरू करने के साथ पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है| क्षेत्रीय कार्यालय ई-ऑफिस (एनआईसी की फाइल प्रबंधन और अंतरण प्रणाली) अनुप्रयोग पर कार्यरत और प्रशिक्षित थे। हमारे कार्मिकों के लिए एक व्यापक एचआर पैकेज (ई-एचआरएमएस) के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है।

साई इंडिया में एक अलग आईटी लेखापरीक्षा विधि भी है, जो आईटी लेखापरीक्षाओं हेतु लेखापरीक्षिति आईटी प्रणालियों के जोखिम प्रबंधन और वरीयता तथा रिपोर्टिंग की मध्यावधि समीक्षाओं के माध्यम से योजना और डिजाइन से पृथक आईटी लेखापरीक्षा कार्यों के मार्ग दर्शन को लक्ष्य मानते हुए पृथक आईटी लेखापरीक्षा कार्य भी करता है।

4.1.1 एक आईएएंडएडी-एक प्रणाली

4.1.1.1 डिजाइन, ओओआईओएस का विकास और रोल आउट

साई इंडिया एक बड़ा संगठन है - जिसमें लगभग 40,000 लोग कार्यरत हैं, जिसमें से लगभग 29,000 कर्मचारी इसके प्रमुख लेखापरीक्षा कार्यों में शामिल हैं। अब तक, विभागीय जानकारी को विषम और बिखरे हुए तरीके से संग्रहीत किया जा रहा था, जिसमें कागज-आधारित फाइलों, व्यक्तिगत डेस्कटॉप पर संग्रहीत इलेक्ट्रॉनिक फाइलों से लेकर कुछ मामलों में स्थानीय कृतइन-हाउस आईटी प्रणाली तक शामिल थी, जिसमें विभाग के भीतर डेटा के व्यवस्थित साझाकरण के लिए एक प्रभावी तंत्र का अभाव था।

साई इंडिया ने 2019 में लेखापरीक्षा प्रक्रिया स्वचालन और ज्ञान प्रबंधन हेतु एक व्यापक आईटी प्रणाली का विकास, कार्यान्वयन और रोल-आउट की शुरुआत की, जिसे एक आईएएंडएडी-एक प्रणाली (ओआईओएस) कहा जाता है। एक आईएएंडएडी-एक प्रणाली का लक्ष्य एक आईटी आधारित मंच तैयार करना है जो आईएएंडएडी की लेखापरीक्षा गतिविधियों के संबंध में वास्तविकता का एकल स्रोत तैयार करेगा। यह एक कार्यप्रवाह-आधारित आईटी एप्लिकेशन है जहां इसी एप्लिकेशन के भीतर वास्तविक काल में आद्योपान्त सभी गतिविधियां की जाती है। साधनों के चार मुख्य घटक सम्मिलित हैं:

क. व्यवसायिक प्रक्रिया प्रबंधन प्रणाली जिसके माध्यम से लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा डिजाइन, लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग और अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी गतिविधियां की जा सकती हैं। इसमें सभी प्रकार की लेखापरीक्षा (वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा) शामिल है।

ख. ज्ञान प्रबंधन प्रणाली जिसमें लेखापरीक्षितियों (जैसे कि नीतिगत टिप्पणियां, सरकारी आदेश, प्रतिवेदन, अधिनियम, नियमावली, परिपत्र, निर्देश, दिशानिर्देश इत्यादि) से संबंधित असंगठित सूचना और लेखापरीक्षा प्रकियाओं (अधिदेश, विनियम, स्थायी आदेश, दिशानिर्देश, मार्गदर्शन टिप्पणियां, कार्यप्रणाली टिप्पणियां इत्यादि) का अनुरक्षण किया जाता है।

ग. रिपोर्टिंग मॉड्यूल जिसमें एमआईएस रिपोर्ट और डैशबोर्ड को निर्मित और प्रबंधित किया जा सकता है।

घ. आंकड़े एकत्र करने का मंच जहां विभिन्न उद्देश्यों (जिसमें चित्र, वीडियो, भूस्थिति आदि) के लिए संरचित आंकड़े एकत्र किए जा सकते हैं।

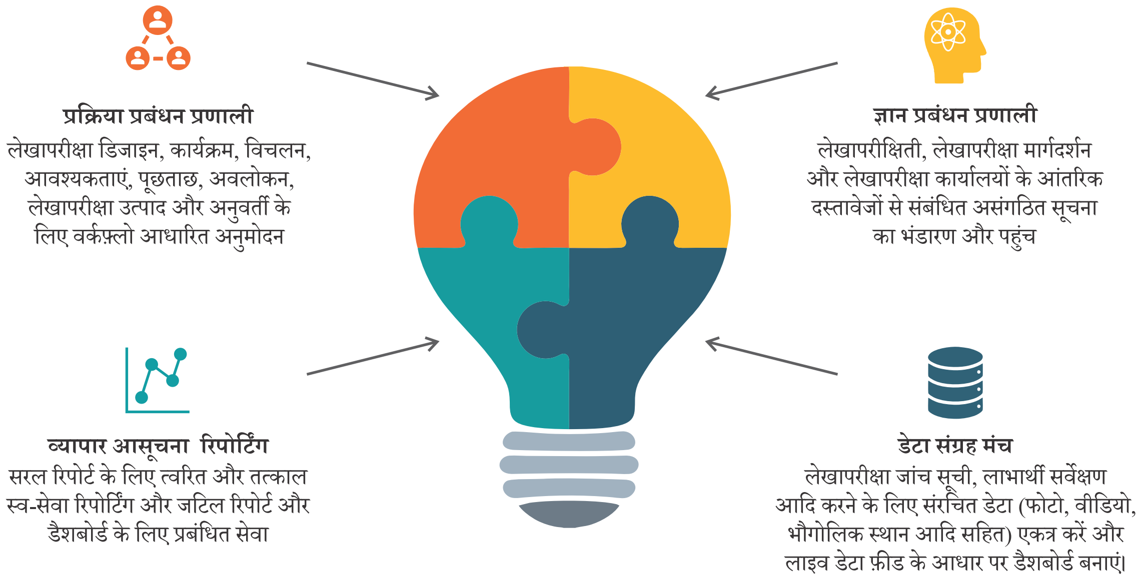

ओआईओएस एप्लिकेशन में मोबाइल स्कैनर एप्लिकेशन शामिल है जो जियो टैग की गई चित्रों, वीडियो और दस्तावेजों को कैप्चर करने में सहायता करता है और उन्हें प्रमुख दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में संलग्न करता है। भौगोलिक स्थानों में लेखापरीक्षा निष्पादन की सुविधा के लिए, जहां कोई इंटरनेट सुविधा नहीं है या बहुत कमज़ोर इंटरनेट सुविधा है, ऑफ़लाइन मॉड्यूल भी ओआईओएस अनुप्रयोग का हिस्सा है।

ओआईओएस एप्लिकेशन के डिजाइन और विकास की प्रक्रिया पुनरावृत्त विकास के लिए एजाइल स्क्रम पद्धति पर आधारित है। इसमें उत्पाद स्वामी (आईएएंडएडी) टीम और तंत्र समेकक टीम के बीच गहन जुड़ाव शामिल है।

साई इंडिया जैसे विशाल संगठन में परिवर्तन प्रबंधन एक चुनौती है। साई इंडिया की प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के दृष्टिकोण से ओआईओएस वर्तमान में अपनाई जाने वाली हस्तचालित प्रक्रियाओं की जगह ले रहा है। ये प्रक्रियाएँ कार्यालय-दर-कार्यालय अलग-अलग होती हैं - कुछ कार्यालय-विशिष्ट आवश्यकताओं के कारण होती हैं, और कुछ केवल प्रथागत होती हैं। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, ओआईओएस पर किसी कार्यालय को ऑनबोर्ड करने के लिए एक विस्तृत ढांचा तैयार किया गया है।

ओआईओएस से दृश्य

4.1.1.2 ओआईओएस एप्लिकेशन के विकास और रोल आउट की स्थिति

ओआईओएस के पहले संस्करण हेतु एप्लिकेशन का विकास पूर्ण हो गया है। प्राथमिक कार्यात्मक मॉड्यूलों (लेखापरीक्षा योजना, क्षेत्रीय लेखापरीक्षा दलों द्वारा लेखापरीक्षा निष्पादन, लेखापरीक्षा प्रस्तुतियों की समीक्षा, संचार एवं अंतिम रूप देना-निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सामग्री, संचार, लेखापरीक्षा अनुवर्ती और लेखापरीक्षा योजना) को विकसित किया गया है। मोबाईल स्कैनर ऐप और ऑफलाइन ऐप भी शुरू किए गए हैं।

आईएएंडएडी कार्यालयों में एप्लिकेशन का आरंभ नवंबर 2020 में शुरू हुआ और यह 1 अप्रैल 2023 से 130 लेखापरीक्षा कार्यालयों (81 मुख्य और 49 शाखा लेखापरीक्षा कार्यालयों) में शत-प्रतिशत परिचालित है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

47 राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय एवं शाखाएं	18 केंद्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय एवं शाखाएं
15 वित्त एवं संचार कार्यालय एवं शाखाएं	11 केंद्रीय व्यय लेखापरीक्षा कार्यालय
17 वाणिज्य लेखापरीक्षा कार्यालय	21 रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय

31 मार्च 2023 तक के समग्र कार्यान्वयन संकेतकों को नीचे दर्शाया गया है:

81 मुख्य कार्यालय	27,926 कर्मचारी	41,204 क्षेत्रीय लेखापरीक्षा
49 शाखा कार्यालय	9,07,467 लेखापरीक्षा सत्तव	3,58,582 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

ओआईओएस कार्यान्वयन के मुख्य डेटा संकेतक

कार्यालय स्तर पर जुडने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, साई इंडिया के विभिन्न क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों/केंद्रों में ओआईओएस कार्यात्मक हेल्पडेस्क के लिए 22 समर्पित पदों की स्थापना की गई थी। प्रत्येक हेल्पडेस्क व्यक्ति कार्यालयों के समूह को संभालता है। यदि उपयोगकर्ता किसी भी समस्या का सामना करता है तो वे संपर्क के पहले स्तर के रूप में काम करते हैं।

4.1.2 सुरक्षित आईएएडी वीएलएएन का कार्यान्वयन

साई इंडिया के मुख्य कार्यालयों को आईएएडी-नेट नामक वर्चुअल नेटवर्क के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है, जो एनआईसी-नेट का हिस्सा है। इस नेटवर्क का प्रबंधन राष्ट्रीय एनआईसी द्वारा किया जाता है। आईएएडी नेट को आईएएंडएडी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आईएएंडएडी की विशिष्ट आईटी एप्लीकेशनों तक पहुंच को उचित रूप से नियंत्रित किया जा सके और एनआईसी के केंद्रीकृत खतरा प्रबंधन समाधान का उपयोग करके इंटरनेट तक पहुंच को सुरक्षित किया जा सके।

यह देखते हुए कि कार्यालय का अधिक कामकाज वेब-आधारित एप्लीकेशनों में किया जा रहा है, अत: आईएएडी-नेट तक सुरक्षित पहुंच होना महत्वपूर्ण है। इसलिए, मौजूदा लैन अवसंरचना के पुनरुद्धार और सुरक्षित आईएएडी वीएलएएन और वाई-फाई पहुंच स्थापित करने के लिए परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है:

- भौतिक एलएएन बुनियादी ढांचे का जीर्णोद्धार – अंतिम उपकरणों में वृद्धि करके उन्हें बढाना, पुराने लैन केबल/राउटर आदि को बदलना।
- कार्यालय-व्यापी निर्बाध वाई-फाई पहुँच प्रदान करना।
- नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी) के माध्यम से सुरक्षा नीतियों का केंद्रीकृत प्रवर्तन।
- एक समर्पित कमान और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से पैच प्रबंधन आदि के लिए आईएएडी नेटवर्क/ अंतिम उपकरणों का केंद्रीकृत रखरखाव।
- आईएएडी वर्चुअल लैन (एनआईसी यूजर लॉग-इन आईडी आधारित पहुँच) के लिए सुरक्षित पहुँच नियंत्रण

4.1.2.1 आईएएडी वीलैन परियोजना के कार्यान्वयन की स्थिति

यह परियोजना एनआईसी की सहायता से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना आवश्यकता निर्धारण के लिए डिजाइन दस्तावेज (कार्यालय-वार) तैयार करने के साथ शुरू होती है। कार्यालय-स्थल पर कार्य में - शिथिल कार्य - फाइबर केबल को भौतिक रूप से बिछाना, और सक्रिय घटकों (स्विच, राउटर) की स्थापना शामिल है। इसके बाद नेटवर्क नीतियों और व्यवस्था के प्रारूप की केंद्रीकृत तैनाती होती है, जो नेटवर्क को सजीव करते है।

आईएएडी वीलैन परियोजना के भाग के रूप में, प्रत्येक अंतिम उपकरण को अब इंटरनेट पर सुरक्षित कनेक्शन के लिए एडवांस एंटी-वायरस सेटअप प्रदान किया गया है। मार्च 2023 तक, 65 कार्यालयों को इस सामान्य नेटवर्क अवसंरचना में लाया गया था। शेष कार्यालयों के लिए शिथिल कार्य पूरा कर लिया गया है और सक्रिय घटकों से संबंधित कार्य प्रगति पर है।

यह परियोजना आईएएंडएडी के 150 कार्यालयों में सामान्य नेटवर्क अवसंरचना सुनिश्चित करेगी।

4.1.3 मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस)

आईएएंडएडी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने और मानव संसाधन/प्रशासन से संबंधित गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए, मानव संसाधन प्रबंधन आईटी एप्लिकेशन (ई-एचआरएमएस) के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। एनआईसी द्वारा विकसित यह अनुप्रयोग शुरू से लेकर सेवानिवृति तक कर्मचारी का इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिलेख रखता है। इसका लक्ष्य साई इंडिया कर्मचारियों के अभिलेख का डिजिटलीकरण करना और मानव संसाधन /प्रशासन कार्यों के लिए आईटी मॉड्यूल शुरू करना है।

यह परियोजना चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें सीएजी मुख्यालय कार्यालय प्रायोगिक कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा है। छुट्टी, सेवा पुस्तिका और प्रतिपूर्ति (समाचार पत्र, टेलीफोन और बाल शिक्षा भत्ता) सहित कई मॉड्यूल पहले से ही क्रियाशील हैं, जबकि एलटीसी और टूर मॉड्यूल प्रक्रिया में हैं।

प्रशिक्षण संस्थान और 32 लेखा और हकदारी कार्यालय भी ई-एचआरएमएस कार्यान्वयन की तैयारी कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, डीओपीटी आईएएंडएडी के लिए उपयुक्तता का विश्लेषण करने के लिए नई विशेषताओं के साथ ई-एचआरएमएस 2.0 का परीक्षण कर रहें है।

4.1.4 ई-ऑफिस का कार्यान्वयन

ई-ऑफिस एक डिजिटल कार्यप्रवाह -आधारित एप्लिकेशन है, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों के आरंभ से अंत तक संचालन/भंडारण की अनुमति देता है। यह एनआईसी द्वारा विकसित एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है और इसे इंटरनेट पर कहीं से भी पहुँचा जा सकता है। ई-ऑफिस का कार्यान्वयन प्रशासनिक गतिविधियों को संसाधित करने पर केंद्रित है।

वर्तमान में आईएएंडएडी के 136 कार्यालय विभिन्न डिग्रियों में ई-ऑफिस का उपयोग कर रहे हैं और 25,325 से अधिक उपयोगकर्ता बनाए गए हैं। आईएएंडएडी के कार्यालयों में ई-कार्यालय के कार्यान्वयन पर वर्ष-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं।

वर्ष	वर्ष के दौरान जहां ई-ऑफिस लागू किया गया था वहां मुख्य/शाखा कार्यालयों की संख्या
2017-2019	57
2020	8
2021	43
2022	28
कुल	**136**

31 मार्च 2023 तक 1,35,478 फाइलें बनाई गई और आईएएंडएडी में 31,55,053 फाइलें ई-ऑफिस में स्थानांतरित की गई। 31 मार्च 2023 को आईएएंडएडी में ई-ऑफिस में बनाई गई /स्थानांतरित की गई फाइलों की संख्या का वर्ष-वार डेटा नीचे दिया गया है।

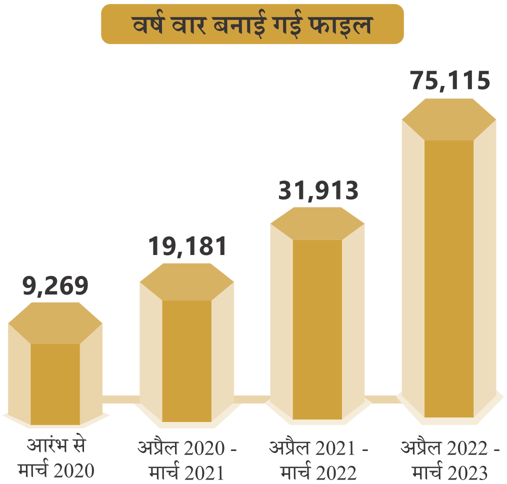

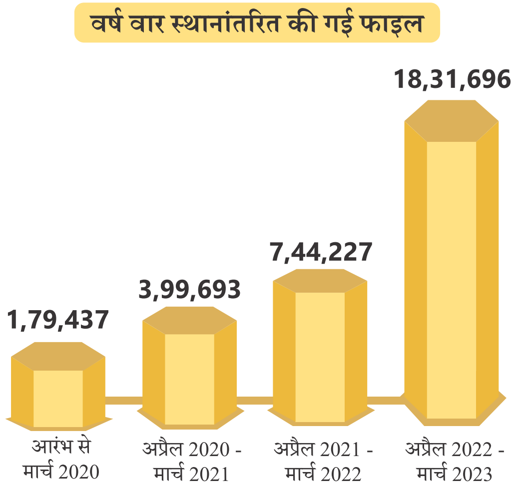

जून 2023 तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ई-ऑफिस के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन की योजना तैयार की गई है।

4.2 आईटी अवसंरचना को समर्थित करने हेतु प्रबंधन और रखरखाव

आईएएंडएडी के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा उपयोग करने हेतु आईटी हार्डवेयर, आईटी-एएमसी, उपभोग्य सामग्रियों और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए निधि का आवंटन का प्रबंधन केंद्रीय स्तर पर किया जाता है। ओआईओएस और अन्य आईटी एप्लिकेशनों के आरंभ होने के साथ, और कोविड महामारी को देखते हुए, जिसने घर से कार्य की सुविधा पर जोर दिया है, आईएएंडएडी अधिकारियों के लिए समर्पित अंतबिन्दु उपकरण (लैपटॉप/डेस्कटॉप) की सुविधा को प्रोत्साहन दिया गया था। यह बड़े पैमाने पर लैपटॉप और डेस्कटॉप की केंद्रीकृत अधिप्राप्ति के माध्यम से किया जा रहा है। इसके अलावा खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान ओआईओएस पर काम करने के लिए लेखापरीक्षा पार्टियों को सक्षम करने के लिए मोबाइल वाई-फाई उपकरण भी प्रदान किए गए हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान भी केंद्रीकृत मोड के माध्यम से कुल 10,065 अंतिम उपकरण (लैपटॉप-5,538 और डेस्कटॉप-4,527) खरीदे गए।

4.2.1 मौजूदा आईटी एप्लिकेशनों को अवलंबन

आईएस विंग विभिन्न विभागीय आईटी एप्लिकेशन के कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करता है। सीएजी के मुख्यालय में स्टाफ विंग, बजट विंग, वाणिज्यिक विंग, जीएएसएबी विंग और निदेशक (पी) विंग जैसे विभिन्न विंगों के लिए नौ मौजूदा एप्लिकेशन चल रहे हैं। आईएस विंग वर्तमान में कई एप्लिकेशनों के रखरखाव और अद्यतन कर रहा है।

लेखा और हकदारी कार्यालय वीएलसी, जीपीएफ, पेंशन और राजपत्रित हकदारी प्रसंस्करण के लिए ओरेकल आधारित आवेदनों का उपयोग करते हैं जैसा कि नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।:

एप्लिकेशन का नाम	राज्यों की संख्या
लेखा (वीएलसी)	28
जीपीएफ	20
पैंशन	19
राजपत्रित हकदारी	9

आईएस विंग एप्लिकेशन के संशोधन और रखरखाव के लिए कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। जब भी आवश्यक हो एचडब्ल्यू/एसडब्ल्यू समर्थन भी प्रदान किया जाता है।

4.3 सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए डाटा प्रबंधन तथा विश्लेषण और लेखापरीक्षा केंद्र

सीएजी के कार्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के लिए डाटा प्रबंधन तथा विश्लेषण(सीडीएमए), आईएएंडएडी में डेटा विश्लेषण गतिविधियों को संचालित करने के लिए नोडल निकाय है। सीडीएमए डेटा विश्लेषण पर क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्ग दर्शन प्रदान करता है और डेटा विश्लेषण की भविष्य की दिशा में अग्रणी अनुसंधान और विकास करता है। यह अन्य सरकारी एप्लिकेशनों और उनके द्वारा उत्पन्न डेटा तक केंद्रीकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है अथवा डेटा विश्लेषण और डेटा बहाली में साई भारत के क्षेत्रीय कार्यालयों की सहायता करता है।

एक सेवा के रूप में सेवा और डेटा विश्लेषण के रूप में अपने डेटा मॉडल के माध्यम से साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालयों का समर्थन करने के लिए सीडीएमए की दृष्टि को इसकी विभिन्न प्रसंगात्मक परियोजनाओं और निरंतर परियोजनाओं के माध्यम से महसूस किया जा रहा है।

4.3.1 विविध परियोजनाएं

विविध परियोजनाओं के तहत प्रमुख सरकारी योजनाएं शुरू की जाती हैं और डेटा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की जाती है। डेटा विज्ञान में नवीनतम मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकों को अंतर्दृष्टि और जोखिम क्षेत्रों को सामने लाने के लिए लागू किया गया था, जिसे पारंपरिक दृष्टिकोणों का उपयोग करके पूरा करना मुश्किल होगा। उच्च जोखिम वाली संस्थाओं की पहचान सामान्य मापदंडों का उपयोग करके की गई थी जिन्हें तब क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था।

बडे डेटा प्रश्नों के तेजी से निष्पादन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग और प्रश्न के अनुकूलन को विभिन्न एनआईसी क्लाउड सर्वरों के माध्यम से अपनाया गया है। वर्ष 2022-23 के दौरान निम्नलिखित डेटा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की गई:

i. डीजीएफटी में भारत की वाणिज्यिक निर्यात योजना (एमईआईएस) और भारतीय सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) योजनाओं का डेटा विश्लेषण - डीजीएफटी में एमईआई और ईआई योजनाओं पर डेटा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई और केंद्रीय राजस्व लेखापरीक्षा रिपोर्ट के लिए उपयोग की गई।

ii. जीएसटी में ई-वे बिल का डेटा विश्लेषण - जीएसटी में ई-वे बिल पर डेटा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई थी और नमूना प्रक्रिया में है।

iii. भारतीय रेलवे ई-अधिप्राप्ति प्रणाली (आईआरईपीएस) - आईआरईपीएसपर डेटा विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की गई और टेबल्यू डैशबोर्ड भी तैयार किए गए और पीडीए (एनआर) के कार्यालय के साथ साझा किए गए।

iv. सेज इकाईयों का आयात-निर्यात - बिक्री खरीद का विश्लेषण, सेज इकाईयों का आयात-निर्यात किया गया था।

4.3.2 सतत परियोजनाएं

सतत परियोजनाओं के तहत, सीडीएमए हर छ: महीने में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से वाहन, सारथी और ई-चालान के अखिल भारतीय डेटा एकत्र करता है। यह डेटा सीडीएमए के क्लाउड सर्वर पर बहाल किया जाता है और अनुरोध के आधार पर सीएसवी प्रारूप में क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा, सीडीएमए क्षेत्र कार्यालयों को उपरोक्त डेटाबेस के डेटा प्रवाह और डेटा संरचना के बारे में विस्तार से बताता है और उन्हें संबंधित तालिकाओं की पहचान करने के साथ-साथ लेखापरीक्षा के दौरान डेटा पर प्रश्नों को निष्पादित करने में मदद करता है।

इसके अलावा, सीडीएमए वाहन, सारथी और ई-चालान से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की जांच भी करता है, जिसमें डेटा विश्लेषण प्रश्नों के अनुकूलित किया जाता है और सुधार का सुझाव दिया जाता है।

4.3.3 क्षमता निर्माण

सीडीएमए आंतरिक और आउटसोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों दोनों के माध्यम से विभिन्न उपकरणों और प्रौद्योगिकियों पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया है:

i. आइडिया, केनीम, टेबल्यू, पावर बीआई, आर प्रोग्रामिंग भाषा जैसे डेटा विश्लेषण टूल्स के लिए डेटा विश्लेषण और विभिन्न उपकरण पर प्रशिक्षण।

ii. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण - साई इंडिया द्वारा साई-ओमान को इलेक्ट्रॉनिक डेटा विश्लेषण पर प्रदान किया गया प्रशिक्षण।

4.3.4 तकनीकी सहायता

सीडीएमए डेटा विश्लेषण और अन्य संबंधित कार्यों में क्षेत्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान की गई ऐसी गतिविधियों की एक उदाहरणात्मक सूची नीचे दी गई है:

i. तमिलनाडु में ई-अधिप्राप्ति की आईटी लेखापरीक्षा में करारों/निविदाओं के चयन के लिए जोखिम निर्धारण मापदंडों का मूल्यांकन प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) तमिलनाडु के कार्यालय के लिए किया गया था।

ii. प्रधान निदेशक (रक्षा लेखापरीक्षा) चंडीगढ़ के कार्यालय के लिए करार प्रबंधन की लेखापरीक्षा के लिए निविदाओं के चयन के लिए नमूना पद्धति की गई थी।

iii. मसौदा रिपोर्ट के अध्याय-III में अभ्युक्तियों के संबंध में छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर मसौदा रिपोर्ट का सत्यापन जो एनआईटी, रायपुर से गूगल अर्थ टूल और ड्रोन सेवाओं का उपयोग करके डेटा विश्लेषण पर आधारित है।

iv. महालेखाकर (लेखापरीक्षा-II), ओडिशा, भुवनेश्वर के कार्यालय के लिए राज्य में ई-अधिप्राप्ति के लेखापरीक्षा के लिए ओडिशा कार्यालय द्वारा तैयार दिशानिर्देशों की जांच।

v. गूगल अर्थ का उपयोग करते हुए जम्मू और कश्मीर में नसरी-बनिहाल राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ जोखिम संभावित स्थलों की पहचान करना और प्रधान निदेशक (इंफ्रा), नई दिल्ली के कार्यालय के आधार के रूप में नामित और गैर-नामित डंपिंग स्थलों पर एनजीटी रिपोर्ट।

4.3.5 अन्य गतिविधियाँ

सीडीएमए वीपीएन लाइसेंस प्राप्त करने/नवीनीकृत करने में क्षेत्रीय कार्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, जिससे इसके स्थानीय सर्वर के साथ-साथ क्लाउड सर्वर पर बड़ी मात्रा में डेटासेट के निर्बाध हस्तांतरण की सुविधा मिलती है। वीपीएन के उपयोग पर एक मार्गदर्शन नोट तैयार किया गया और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को परिचालित किया गया।

सीडीएमए ने विभिन्न विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग के मामलों पर सीडीएमए सपोर्ट वीडियो (सीएसवी) नामक सपोर्ट वीडियो जैसे टेबल्यू, केनीम, आइडिया आदि तैयार किए हैं। ये वीडियो क्षेत्रीय कार्यालयों में अधिकारियों को उनकी तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता करने में बेहद मददगार हैं। आईएएंडएडी के साई एलएमएस पोर्टल पर ऐसे 24 वीडियो होस्ट किये गये है।

साई इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं के संबंध में सीडीएमए निम्नलिखित कार्यों में भी शामिल रहा है:

- उत्तरदायी एआई पर प्रस्तुति दृष्टिकोण पत्र पर चर्चा करने के लिए तैयार की गई, नीति आयोग द्वारा प्रकाशित जिम्मेदार एआई पर अवधारणा नोट और सरकार में जिम्मेदार एआई का कार्यान्वयन। जी20 विषय पर सर्वेक्षण प्रश्नावली–'रिस्पाँन्सिबल एआई' तैयार की गई।
- आईएलओ लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा योजना, आदि पर प्रस्तुतिकरण।
- डब्ल्यूएचओ लेखापरीक्षा पर तैयार आलेख।

उपरोक्त के अलावा, सीडीएमए क्षेत्रीय कार्यालयों के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर आवश्यकताओं के तकनीकी विनिर्देशों का भी मूल्यांकन करता है और तदनुसार आईएस विभाग को इसकी अधिप्राप्ति के लिए सिफारिशें करता है।

4.3.6 आईटी लेखापरीक्षा और संबंधित गतिविधियाँ

आईटी प्रणालियों की लेखापरीक्षा

आईटी प्रणालियों के लेखापरीक्षा के लिए स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, सीटीओ विंग क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों को आईटी लेखापरीक्षा को सौपे गए कार्य के डिजाइन, निष्पादन और मसौदा तैयार करने में सहायता प्रदान करता है।

बहु लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा आईएफएमएस प्रणाली और डीबीटी योजनाओं की लेखापरीक्षा जैसे विषयों को लिया गया था। इस अवधि के दौरान आईसीईएस, सीबीआईसी-एसीईएस, ईआरपी प्रणालियों जैसी कई केंद्रीय प्रणालियों की लेखापरीक्षा की गई है। 2022-23 के दौरान 11 आईटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट को मंजूरी दी गई और विधायिका में प्रस्तुत किया गया।

4.3.7 वेबसाइट/वेब पोर्टल

वर्ष 2020 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए आईएस विंग ने एक मुख्य साइट और सब-साइटों के एक समूह (संख्या133) को विकसित और लॉन्च किया है। केंद्रीय लेखापरीक्षा रिपोर्टों के प्रकाशन के अलावा आईएस विभाग द्वारा मुख्यालय कार्यालय के वेबपेज से संबंधित विषय सामग्री नियमित रूप से अपलोड की जा रही है।

4.4 लेखा और हकदारी कार्यों के लिए आईटी पहल

4.4.1 क्षेत्रीय लेखा और हकदारी कार्यालयों में हकदारी कार्यों के लिए वेब और एसएमएस आधारित सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन के लिए परियोजना

परियोजना की परिकल्पना राज्य सरकार के कर्मचारियों को हकदारी कार्यों (पेंशन, जीपीएफ और जीई) के संबंध में वास्तविक समय सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। एक निर्धारण के आधार पर परियोजना में बारह वेब आधारित सेवाओं और चार एसएमएस आधारित सेवाओं को शामिल किया गया था। परियोजना में हकदारी कार्यों वाले 21 क्षेत्रीय कार्यालयों को शामिल किया गया। 21 कार्यालयों को शामिल करते हुए दो फर्मों को निविदा प्रदान की गई। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर, मणिपुर और नागालैंड जैसे कार्यालयों में कुछ तकनीकी मुद्दों को छोड़कर पूरी हो गई थी, जिन्हें हल किया जा रहा था।

4.4.2 हकदारी कार्यों के अभिलेख के डिजिटलीकरण पर परियोजना

हकदारी कार्यों (पेंशन और जीपीएफ) से संबंधित पुराने अभिलेखों की संशोधन/अद्यतन के समय पर रखना और पुन:प्राप्त करना बहुत कठिन है। इस प्रकार आद्योपान्त दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली की कल्पना की गई थी जो न केवल मामलों को अंतिम रूप देने में लगने वाले समय को कम करेगा, बल्कि निर्णय लेने के लिए एक बहुत ही मजबूत बैक-अप और सूचना की पून:प्राप्ति की सुविधा भी प्रदान करेगा। यह कार्यालय के लिए स्थान बढाएगा, लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल भी होगा। यह व्यवसाय निरंतरता योजना में भी मदद करेगा और कहीं से भी काम की सुविधा प्रदान करेगा।

इस परियोजना की परिकल्पना नौ क्षेत्रीय कार्यालयों में लगभग 10 करोड़ पृष्ठों के डिजिटलीकरण के लिए की गई थी। यह कार्य फरवरी 2021 में प्रदान किया गया था। सभी स्थलों पर अभिलेखों के डिजिटलीकरण का कार्य प्रगति पर है (लगभग 2 करोड़ पृष्ठों का डिजिटलीकरण किया गया है)। इसके अलावा एक विक्रेता द्वारा एकल डेटा प्रबंधन प्रणाली (डीएमएस) विकसित की जा रही है। इसके पूरा होने पर इसे क्लाउड सर्वर पर चलाया जाएगा। एनआईसी क्लाउड पर डिजिटलीकृत डेटा को चलाने के लिए एनआईसी से संपर्क किया गया था।

4.4.3 डिजी लॉकर के माध्यम से नागरिक केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देना

भारत सरकार ने मेरी पहचान नामक राष्ट्रीय "सिंगल साइन ऑन (एसएसओ)" पोर्टल शुरू किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के तहत तीन एसएसओ सेवा प्रदाताओं को एक साथ लाता है। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी कार्यालयों से अनुरोध किया कि वे अपने प्लेटफॉर्म और एप्लिकेशन को किसी भी एसएसओ सेवा प्रदाता अर्थात एनआईसी से जन परिचय, सी-डैक से ई-प्रमाण और एनईजीडी से डिजीलॉकर के साथ एकीकृत करें।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एनईजीडी प्रभाग के अनुरोध के अनुसार, सरकारी लेखा विभाग ने सभी प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) से डिजिटल लॉकर के माध्यम से ई-पीपीओ, ई-जीपीओ, ई-सीपीओ, सामान्य भविष्य निधि और परिवार पेंशन की सुविधा के लिए अनुरोध किया है।

डिजीलॉकर पर जाने की सुविधा के लिए प्रत्येक लेखा एवं हकदारी कार्यालय से एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। पेंशन / जीपीएफ प्राधिकरणों के ऑन बोर्डिंग से नागरिकों को बिना किसी परेशानी के अपने पीपीओ तक पहुंचने में मदद मिलेगी।

4.4.4 राज्यवार विकास

- **आंध्र प्रदेश:** 1997-98 तक के 1.65 करोड़ से अधिक पेंशन अभिलेख को डिजिटल किया गया है और पेंशन डेटा को डीएमएस पैकेज के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। 1998-1999 से 2 जून 2014 तक (राज्य विभाजन तक) पेंशन अभिलेखों का डिजिटलीकरण पीएजी (लेखा एवं हकदारी) तेलंगाना के कार्यालय के साथ संयुक्त रूप से किया गया है जो पूरा होने वाला है।
- **हरियाणा:** 1 जनवरी 2023 से हरियाणा के सभी जिलों के लिए नए पेंशन मामलों की ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की परियोजना लागू की गई है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एचआरएमएस डेटा का उपयोग भरे जाने वाले पेंशन फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है, और सरकारी कर्मचारियों के यूसीपी कोड का उपयोग आसान पंजीकरण के लिए किया जाता है।
- **ओडिशा:** पेंशनभोगियों को देखने और डाउनलोड करने के लिए पीपीओ/जीपीओ/सीपीओ के डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-प्राधिकरण महालेखाकार की कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। ई-पीपीओ/जीपीओ/सीपीओ की खजाने और पीएसए प्रतियां आईएफएमएस पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं। पेंशनरों को एआरपीएएनए पोर्टल पर देखने/डाउनलोड करने के लिए 7वें वेतन आयोग (2016 से पूर्व सेवानिवृत्त) के तहत संशोधित पेंशन प्राधिकरण भी उपलब्ध हैं।
- **पंजाब:** 2.41 करोड़ से अधिक पृष्ठों को डिजिटल किया गया है, और इन अभिलेखों को आसान पुन:प्राप्ति के लिए डीएमएस सर्वर के माध्यम से पहुँचा जाता है। ई-पीपीओ डाउनलोड करने की सुविधा राज्य आईएचआरएमएस के माध्यम से उपलब्ध है।
- **पश्चिम बंगाल:** महालेखाकार की कार्यालय वेबसाइट ने एक ऑनलाइन गुम क्रेडिट समायोजन मॉड्यूल लागू किया है। ग्राहक अपने खाता संख्या के प्रति गुम क्रेडिट देख सकते हैं, दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं, और उक्त लापता क्रेडिट के समायोजन के लिए आवश्यक जानकारी, सभी ऑनलाइन प्रदान कर सकते हैं।

- **त्रिपुरा :** जीपीएफ अंतिम भुगतान प्राधिकार को लाभार्थियों को शीघ्र भुगतान के लिए एचआरएमएस/ईमेल में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित और अपलोड किया जाता है।
- **तमिलनाडु:** मूल पेंशन मामलों के लिए परीक्षण आधार पर ई-एसआर (सेवा अभिलेख) और पेंशन प्रस्ताव दोनों इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त किए जा रहे हैं। भौतिक एसआर के साथ ऑनलाइन पेंशन के मामले प्राप्त होते हैं, और टिप्पणी राज्य सरकार की 'एकीकृत वित्तीय और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली' (आईएफएचआर एमएस) टीम को सूचित की जाती है।

4.4.5 लेखांकन कार्यों के संबंध में राज्यों में आईएफएमएस/सीएफएमएस/आईएफएमआईएस के परिपक्वता स्तर का निर्धारण

आईएफएमएस/सीएफएमएस/पीएफएमएस प्रणाली के साथ संचार करने में सक्षम होने वाली वीएलसी प्रणाली काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा वास्तविक समय और निर्बाध बंधन के संदर्भ में अन्य प्रणालियों के साथ वीएलसी प्रणाली का एकीकरण व्यापक प्रेषण है जिस पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) संगोष्ठी के दौरान उपयुक्त रूप से चर्चा की गई थी।

विभिन्न राज्यों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) के परिपक्वता स्तर का निर्धारण करने के लिए एक प्रश्नावली विकसित की गई थी। यह देखते हुए कि विभिन्न राज्य विभिन्न आईएफएमएस/सीएफएमएस/आईएफएमआईएस प्रणाली का उपयोग करते हैं, आठ मॉड्यूल जो सभी राज्यों के लिए समान थे और पीएफएम चक्र को पूरा करने के लिए आवश्यक थे, डेटा समेकन के लिए चुने गए थे। ये मॉड्यूल हैं: बजट मॉड्यूल, ऑनलाइन बिल/डीडीओ मॉड्यूल, खाता/खजाना मॉड्यूल, रसीद मॉड्यूल, भुगतान मॉड्यूल, ई-कुबेर, एचआरएमएस और ई-वाउचर मॉड्यूल।

अध्याय 5

ऑडिट दिवस 2022

5.1 महत्व

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की संस्था, ब्रिटिश क्राउन द्वारा निर्मित भारत सरकार अधिनियम 1858 के प्रावधानों के तहत बनाए गए, महालेखापरीक्षक के पद की निरंतरता में कार्यरत है। 16 नवंबर 1860 को सर एडवर्ड ड्रममंड ने पहले महालेखापरीक्षक के रूप में कार्यभार संभाला था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद 1950 में भारत के संविधान को अपनाने के साथ ही भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक को संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया था। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की भूमिका ब्रिटिश भारत और स्वतंत्र भारत में कानूनों और प्रथाओं के माध्यम से विकसित हुई है।

साई इंडिया की ऐतिहासिक उत्पत्ति और पिछले 150 से अधिक वर्षों में सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही में इसके द्वारा किए गए योगदान को चिह्नित करने के लिए, वर्ष 2021 में हर साल 16 नवंबर को 'ऑडिट दिवस' के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। द्वितीय ऑडिट दिवस 16 नवंबर 2022 को मनाया गया।

निम्नलिखित गतिविधियों ने 'ऑडिट दिवस 2022' के उत्सव को चिह्नित किया।

5.1.1 इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति का संबोधन

माननीय उपराष्ट्रपति, श्री जगदीप धनखड़ ने 16 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में सीएजी कार्यालय में द्वितीय ऑडिट दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने जवाबदेही और पारदर्शिता को जुड़वां के रूप में वर्णित किया जो हमारी लोकतांत्रिक प्रगति को बनाए रखने में मदद करता है। उन्होंने सार्वजनिक सेवा वितरण में जवाबदेही पर जोर दिया, जो कि सुशासन के लिए अत्यंत आवश्यक है ताकि अंत में लाभ सुनिश्चित किया जा सके। आईएएंडएएस अधिकारियों की एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इन मूल्यों को सुनिश्चित करने में सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका है; अन्यथा भ्रष्टाचार और अकुशलता तंत्र में आ जाएगी।

माननीय उपराष्ट्रपति दूसरे ऑडिट दिवस का उद्घाटन करते हुए

लेखापरीक्षा को सुशासन के एक शक्तिशाली और अपरिहार्य टूल के रूप में बताते हुए, श्री धनखड़ ने कहा कि लेखापरीक्षा या अप्रभावी लेखापरीक्षा की अनुपस्थिति से तंत्र में अवनति आएगी। उन्होंने लंबे समय तक सरकारी संस्थाओं द्वारा बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन जमा नहीं किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाणपत्रों के मामलों पर सीएजी द्वारा ध्यान केंद्रित करने का भी आह्वान किया।

यह देखते हुए कि सीएजी वर्षों से विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बाहरी लेखा परीक्षक रहें हैं, श्री धनखड़ ने वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ एक मजबूत लेखापरीक्षा संगठन के रूप में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए सीएजी की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सीएजी के संवर्धित सक्रिय रुख के साथ, सरकारी योजनाओं की दक्षता और निगरानी तथा पहुंच में सुधार होना तय है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय कदाचारों का समय पर पता लगाना और प्रभावी परिणामी सुधार तंत्र स्थायी सीएजी दायित्व हैं।

माननीय उपराष्ट्रपति ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली जैसे कई नागरिक केंद्रित कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा को प्राथमिकता देने के लिए सीएजी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के लेखापरीक्षा निष्कर्ष नागरिक-केंद्रित योजनाओं की बेहतर योजना और प्रबंधन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इनपुट देंगे। उन्होंने आईटी आधारित संस्थान बनने और लेखा के लिए आँकड़ा विश्लेषण का उपयोग करने के लिए सीएजी की पहल की भी सराहना की।

माननीय उपराष्ट्रपति साई इंडिया के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

इस अवसर पर माननीय उपराष्ट्रपति ने द्वितीय ऑडिट दिवस समारोह के भाग रूप में संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता-2022 के विजेताओं को भी सम्मानित किया। इस पहल की सराहना करते हुए, उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रतिष्ठित संस्थान अपनी प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रिया में जमीनी स्तर पर जनता को शामिल करने के तरीके खोजना जारी रखेगा और भ्रष्टाचार और राजकोषीय अक्षमता के खिलाफ योद्ध्या के रूप में कार्य करेगा।

5.1.2 सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए सीएजी के पुरस्कार, 2022

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने 2021 में सार्वजनिक लेखापरीक्षा, लेखांकन, हकदारी और समर्थन कार्यों के क्षेत्रों में भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए 'सीएजी के इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन पब्लिक ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग' पुरस्कार की योजना शुरू की थी। जबकि सीएजी पुरस्कार योजना 2021 ने योग्यता आधारित वातावरण को उत्पन्न करने वाली विशिष्ट टीम उत्कृष्टता को मान्यता देती है, संगठनात्मक दृष्टिकोण से सर्वांगीण गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देना और भी महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य के साथ उत्कृष्टता और असाधारण कार्य की दिशा में टीम के प्रयासों को पुरस्कृत करने की मौजूदा योजना के अलावा '2022 में सबसे उन्नत कार्यालय' प्रदान करने के लिए पुरस्कारों की एक नई श्रेणी स्थापित की गई थी। पुरस्कारों की यह श्रेणी लेखांकन, लेखापरीक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले उन कार्यालयों को मान्यता देना चाहती है जिन्होंने मूल्यांकन की एक निर्दिष्ट अवधि में प्रदर्शन में अधिकतम सुधार दिखाया।

तदनुसार, वर्ष 2022 में सीएजी के पुरस्कार दो श्रेणियों में प्रदान किए गए थे।(i) श्रेणी I- सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखा में नवाचार और उत्कृष्टता प्रदर्शित करने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना / टीम पुरस्कार और (ii) श्रेणी II- वर्ष 2019-22 की अवधि के लिए सबसे उन्नत कार्यालयों के लिए पुरस्कार।

- **श्रेणी I- सार्वजनिक लेखापरीक्षा और लेखांकन में नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन करने वाली परियोजनाओं के लिए परियोजना / टीम पुरस्कार**

इन पुरस्कारों का उद्देश्य कार्यात्मक क्षेत्रों, कामकाजी माहौल और कल्याण के क्षेत्र में किए गए असाधारण प्रदर्शन

और पहलों द्वारा समर्थित नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है:

- लेखापरीक्षा प्रक्रियां
- हितधारकों की भगीदारी
- लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य लेखापरीक्षा उत्पाद
- सम्प्रेषण और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों / उत्पादों का संचार और अनुवर्ती कार्रवाई
- लेखांकन प्रक्रियाएं और वित्तीय रिपोर्टिंग
- पात्रता प्रक्रिया और दावों का निपटान
- आईटी संचालित और आईटी के नेतृत्व वाली पहल
- मानव संसाधन और क्षमता निर्माण
- प्रशासनिक दक्षता
- शिकायत निवारण तंत्र
- कर्मचारी कल्याण
- कोई अन्य क्षेत्र जो आईएएंडएडी के समग्र मिशन की प्रप्ति में योगदान देता है

योजना की शुरूआत द्वितीय वर्ष में उत्साहजनक प्रतिक्रिया देखी गई जिसमें आईएएंडएडी के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों और सीएजी के कार्यालय में विंगों से कुल 50 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। आठ टीमों को वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार विजेताओं के रूप में घोषित किया गया था। सीएजी द्वारा पुरस्कार विजेताओं को 'ऑडिट दिवस' -16 नवंबर 2022 को पुरस्कार प्रदान किए गए विजेता परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	पुरस्कृत योजना का शीर्षक	कार्यालय	टीम
1.	आफ़-बजट उधार की मात्रा का अनुमान (ओबीबीएस)	कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), तेलंगाना	1. सुश्री सरन्या भास्कर, आईएएंडएएस 2. श्री के. वी. किशोर कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री दिलीप कुमार जेना, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. सुश्री बी वसंतलक्ष्मी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
2.	दरों की अनुसूची तैयार करने के लिए अपनाई गई प्रणाली में खामियां	कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड	1. श्री प्रवीन्द्र यादव, आईएएंडएएस 2. श्री सुधीर श्रीवास्तव, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री धर्मपाल सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री दीपक मालवीया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री लक्ष्मण सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
3.	भारतीय रेलवे पर ट्रेन परिचालन में समय की पाबंदी और यात्रा समय का परिणाम आधारित लेखापरीक्षा	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय, उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज	1. श्री सुमंत नारायण, आईएएंडएएस 2. श्री शिशिर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 3. श्री दिगंबर झा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री प्रफुल्ल कुमार प्रभात, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री आलोक द्विवेदी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री विकल्प तिवारी, वरिष्ठ लेखापरीक्षक

क्र. सं.	पुरस्कृत योजना का शीर्षक	कार्यालय	टीम
4.	तटीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण का निष्पादन लेखापरीक्षा	कार्यालय महानिदेशक (पर्यावरण और वैज्ञानिक विभाग), नई दिल्ली और कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा- II) तमिलनाडु और पुडुचेरी	1. श्री संजय कुमार झा, आईएएंडएएस 2. श्री विश्वनाथ सिंह जादौन, आईएएंडएएस 3. सुश्री स्टेफी सोफी, आईएएंडएएस 4. श्री जे. एस. मोहम्मद अशरफ, आईएएंडएएस 5. श्री गौतम गहलौत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री के. नारायणन, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 7. श्री एम. सेंथिलकुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 8. सुश्री प्रियंका मोहिल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 9. सुश्री दीपा वी.पी., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 10. श्री के. आर. वेंकटसुब्रमण्यन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 11. सुश्री बी. निर्मला, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 12. श्री चार्ल्स डी. सेल्विन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 13. श्री मदिराला लोकेश्वर रेड्डी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 14. श्री अमित दहिया, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
5.	नोएडा में भूमि अधिग्रहण और संपत्तियों के आवंटन की निष्पादन लेखा परीक्षा	महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा-II), उत्तर प्रदेश	1. श्री सौरभ नारायण, आईएएंडएएस 2. सुश्री विनीता मिश्रा, आईएएंडएएस 3. सुश्री हंसा मिश्रा, आईएएंडएएस 4. श्री संजीव कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री गणेश चंद्र झा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री ऋषि माथुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 7. श्री आशुतोष कुमार चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 8. श्री अमित कुमार चौधरी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 9. श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 10. श्री शैलेश कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 11. श्री अवधेश कुमार चौबे, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 12. श्री भारतेंदु विक्रम सोनकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 13. श्री वैभव मिश्रा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 14. श्री सचिन कुमार जैन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

क्र. सं.	पुरस्कृत योजना का शीर्षक	कार्यालय	टीम
6.	केरल में बाढ़ की तैयारी और प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए जीआईएस और सतत अध्ययन का उपयोग	प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा - I), केरल	1. श्री एस. सुनील राज, आईएएंडएएस 2. सुश्री अनु जोस, आईएएंडएएस 3. सुश्री संध्या रामचंद्रन एस., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री सुरेश के., वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री श्रीजीत कुलंगरापरम्बत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री हरि शंकर.एन, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 7. सुश्री आशा दीपा, एस.एम., सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 8. श्री अर्जुन रमेश, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 9. श्री आर. हरिकुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7.	वन विभाग, ओडिशा सरकार में वृक्षारोपण के आकलन में यूएवी प्रौद्योगिकी का उपयोग	प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा- II), ओडिशा	1. श्री बिभुदत्त बसंतिया, आईएएंडएएस 2. श्री के सुरजीत, आईएएंडएएस 3. श्री दीनबंधु बेहेरा-II, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री सरोज कुमार परिदा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 5. श्री दिलीप कुमार हजारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 6. श्री मनोरंजन त्रिपाठी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 7. श्री मोहम्मद इमरान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
8.	आभार-सीजी के तहत वेब आधारित आवेदन ऑनलाइन जीपीएफ अंतिम भुगतान प्रणाली	कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), छत्तीसगढ़	1. श्री राजीव कुमार, आईएएंडएएस 2. सुश्री शीला संतोष, वरिष्ठ लेखा अधिकारी 3. श्री सी संतोष, सहायक लेखा अधिकारी 4. श्री अरविन्द कुमार मौर्या, सहायक लेखा अधिकारी 5. श्री अविनाश कुमार सिन्हा, सहायक लेखा अधिकारी 6. श्री विकाश कुमार महतो, सहायक लेखा अधिकारी

- **श्रेणी II- 2019-22 की अवधि के लिए सबसे बेहतर कार्यालयों के लिए पुरस्कार**

सबसे उन्नत कार्यालयों के लिए सीएजी के पुरस्कार लेखांकन, लेखापरीक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले उन कार्यालयों की पहचान करते हैं जिन्होंने मूल्यांकन की एक निर्दिष्ट अवधि में निष्पादन में अधिकतम सुधार दिखाया है अर्थात तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष। यह प्रयास क्षेत्रीय कार्यालयों को हर वर्ष अपनी प्रणालीगत शक्तियों और कमजोरियों की निष्पक्ष रूप से समीक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करना है और उन्हें अपने स्वयं के निष्पादन में सुधार के लिए खुद से प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रेरित करना है। सर्वाधिक उन्नत क्षेत्रीय कार्यालय की पहचान निश्चित निर्धारित पैरामीटरों के आधार पर स्व-मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से की गई है। कार्यालयों द्वारा स्वयं को सौंपे गए अंकों को कार्यात्मक

स्कंधों द्वारा सत्यापन की कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़ा है और उसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के निरीक्षण और समकक्ष समीक्षा स्कन्ध द्वारा स्वतंत्र रूप से विधि मान्यकरण किया गया है।

ये पुरस्कार क्षेत्रीय कार्यालयों की चार श्रेणियों अर्थात लेखा एवं हकदारी, राज्य लेखापरीक्षा, केंद्रीय लेखा परीक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के तहत दिए गए। 2019-22 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता कार्यालय थे:

क्र. सं.	वर्ग	पुरस्कार विजेता
1	**प्रशिक्षण संस्थान**	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
2	**लेखा एवं हकदारी कार्यालय**	1. कार्यालय प्र.म.ले. (ले. एवं हक.-I) महाराष्ट्र, मुंबई 2. कार्यालय उप.म.ले. (ले. एवं हक.) सिक्किम, गंगटोक
3	**राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय**	1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) गुजरात, अहमदाबाद 2. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) महाराष्ट्र, मुंबई 3. कार्यालय प्र.म.ले. (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान, जयपुर
4	**संघ लेखापरीक्षा कार्यालय**	1. कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (रक्षा सेवाएं), नई दिल्ली 2. कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (शिपिंग) मुंबई 3. कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (दक्षिण रेलवे), चेन्नई

5.1.3 राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता

नागरिक भागीदारी को सार्वजनिक जवाबदेही के मौलिक आयामों के रूप में मान्यता दी गई है। युवा नागरिकों को शामिल करने से न केवल शासन और सार्वजनिक जवाबदेही प्रतिमान की उनकी समझ में सुधार होगा, बल्कि हमें सीएजी की संस्था की उनकी अपेक्षाओं में अंतर्दृष्टि भी प्रदान होगी। तदनुसार, ऑडिट दिवस के लिए हमारी आगे बढ़ने की गतिविधियों के हिस्से के रूप में, तीन क्यूरेटेड समकालीन विषयों पर युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

- सीएजी: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत को पंचामृत-पांच अमृत तत्वों को प्राप्त करने में मदद करना
- सीएजी: संविधान के विजन को साकार करते हुए, आज़ादी का अमृत महोत्सव को सशक्त बनाना
- सीएजी@2047: कल्पना करें कि आप वर्ष 2047 में सीएजी हैं। संस्था के लिए आपकी क्या रणनीति होगी?

प्रतियोगिता भारत में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के सभी नामांकित छात्रों के लिए खुली थी जो अंग्रेजी या हिंदी में निबंधों में भाग ले सकते थे। निबंध प्रतियोगिता ने पूरे देश से 1300 से अधिक कुल प्रस्तुतियों के साथ एक उत्साही प्रतिक्रिया प्राप्त की। सात विजेताओं की घोषणा की गई, चार अंग्रेजी में और तीन हिंदी निबंध श्रेणियों में,जोकि निम्नलिखित है:

अंग्रेज़ी

पुरस्कार वर्ग	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता की प्रोफ़ाइल
प्रथम पुरस्कार	श्री हर्ष	हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, रायपुर, छत्तीसगढ़ का छात्र जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है
दूसरा पुरस्कार	श्री अंकेश	नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ओडिशा का छात्र जो लॉ की डिग्री हासिल कर रहा है
तीसरा पुरस्कार (संयुक्त विजेता)	श्री केतवथ कुमार नाइक	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का छात्र
	श्री ब्रह्मभट्ट योगीराज हितेश कुमार	आदित्य सिल्वर ओक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अहमदाबाद का एक छात्र जो इंजीनियरिंग कर रहा है

हिन्दी

पुरस्कार वर्ग	प्राप्तकर्ता का नाम	प्राप्तकर्ता की प्रोफ़ाइल
प्रथम पुरस्कार	श्री सारंग मुकेशभाई पटेल	गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय में प्राकृतिक चिकित्सा और यौगिक विज्ञान के स्नातक छात्र
दूसरा पुरस्कार	सुश्री साक्षी	राजस्थान के कोटा विश्वविद्यालय की एक छात्रा जो स्नातक की पढ़ाई कर रही है
तीसरा पुरस्कार	सुश्री माधुरी चंद्राकर	छत्तीसगढ़ के रायपुर, स्थित स्वायत्तशासी महाविद्यालय, में स्नातक की पढ़ाई कर रही छात्रा

16 नवंबर 2022 को ऑडिट दिवस में विजेताओं को क्रमशः ₹30,000 (प्रथम पुरस्कार), ₹20,000 (द्वितीय पुरस्कार), ₹15,000 (तृतीय पुरस्कार) का नकद पुरस्कार मिला।

5.1.4 'सीएजी के संगठन में नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का संग्रह' जारी करना

'दा केटलिस्टस इन परसुऐट ऑफ गुड गर्वनैन्स'-सीएजी के संगठन में नई पहलों और अच्छी प्रथाओं का एक संग्रह, जो सीएजी द्वारा जारी किया गया था। यह संग्रह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया गया, जो सीएजी के तहत क्षेत्रीय कार्यालयों और कार्यात्मक स्कंधों में नई पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं का संकलन है। इस पहल में गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जैसे लेखापरीक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, व्यवसाय प्रक्रिया में सुधार, क्षमता निर्माण और वर्ष के दौरान आयोजित प्रभावशाली लेखापरीक्षा। यह संग्रह हमारे हितधारकों को बेहतर मूल्य प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा और लेखांकन के हमारे मानकों को लगातार नया करने और सुधारने के लिए हमारी संस्था के प्रयासों को प्रदर्शित करता है।

5.1.5 डॉक्यू-ड्रामा 'अन्वेषण-ए वॉयेज ऑफ डिस्कवरी' की स्क्रीनिंग

ऑडिट दिवस समारोह के भाग के रूप में 16 नवंबर 2022 को भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान में 'अन्वेषण' नामक एक डॉक्यू-ड्रामा प्रदर्शित किया गया था। इस डॉक्यू-ड्रामा को यूट्यूब(https://www.youtube.com/watch?v=Af5e9vG_uJ4) पर ऑनलाइन भी प्रक्षेपण किया गया था।

अध्याय 6

30वां महालेखाकार सम्मेलन

6.1 महत्व

भारत का सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार, लेखापरीक्षक और लेखाकार दोनों के रूप में अपने पेशेवर कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह वातावरण जिसमें लेखापरीक्षित संस्थाएं, और परिणाम स्वरूप लेखापरीक्षा कार्य बहुत गतिशील हैं - सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन की संरचना और तरीकों के साथ-साथ लेखापरीक्षा और लेखांकन के अभ्यास के संदर्भ में है। इस गतिशील वातावरण के साथ तालमेल रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि साई इंडिया फिर से नवीनीकृत और कायाकल्प करता रहे। एक नियमित आंतरिक और बाहरी परामर्श प्रक्रिया पेशेवर प्रथाओं, संरचनाओं और कार्य करने के तरीकों को अनुकूलित और उन्नत करने के लिए इस प्रयास की सुविधा प्रदान करती है। इसे ध्यान में रखते हुए, साई इंडिया नियमित रूप से संगोष्ठी, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करता है। महालेखाकार सम्मेलन, साई इंडिया के वरिष्ठ पदाधिकारियों के लिए शासन और सार्वजनिक जवाबदेही से संबंधित प्रमुख रणनीतिक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने का एक मंच है। यह अनुभव साझा करने और लेखापरीक्षा प्रथाओं के संपूर्ण विस्तार पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है। महालेखाकार सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य उत्साह, जीवंत, व्यापक भागीदारी के लिए एक सक्षम मंच प्रदान करना है, जो संस्था को आगे और ऊपर ले जाने के लिए कार्रवाई योग्य सिफारिशें देता है। 30वां महालेखाकार सम्मेलन 16 और 17 नवंबर 2022 को सीएजी कार्यालय, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसे 16 नवंबर 2022 को द्वितीय ऑडिट दिवस समारोह के समीपस्थ था।

16-17 नवंबर 2022 को आयोजित 30वें महालेखाकार सम्मेलन में भाग लेने वाले साई इंडिया के अधिकारी

6.1.1 30वें महालेखाकार सम्मेलन का विषय

30वें महालेखाकार सम्मेलन का व्यापक विषय 'साई इंडिया: कंट्रीब्यूटिंग टू इंडिया ऑनवर्ड एंड अहेड' था। तदनुसार सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित चार विषयों पर चर्चा और विचार-विमर्श किया गया:

i. ओआईओएस: परिवर्तन की ओर

ii. स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा को मजबूत करने की दिशा में अगला कदम

iii. सामाजिक रूप से प्रासंगिक लेखापरीक्षा की पहचान करना

iv. राज्य वित्त की संवहनीयता पर रिपोर्टिंग

16 नवंबर 2022 को चर्चा से पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी द्वारा आंकड़ा विश्लेषण पर एक प्रस्तुति दी गई थी।

आंकड़ा विश्लेषण पर प्रस्तुति दे रहे सीटीओ

6.1.2 लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा समापन भाषण

लोकसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला ने 17 नवंबर 2022 को समापन सत्र में भाग लिया। इस अवसर पर श्री ओम बिड़ला ने कहा कि सीएजी दुनिया के सबसे प्रभावी और प्रतिष्ठित लेखापरीक्षा संस्थानों में से एक है। उन्होंने कहा कि सदन और संसदीय समितियों के भीतर सीएजी प्रतिवेदनों पर चर्चा और सकारात्मक सुझाव देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। श्री बिड़ला ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि सीएजी के प्रतिवेदन पर सभा में चर्चा की जाती है और देश के हित में निर्णय लिए जाते हैं।

माननीय लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिड़ला साई इंडिया के अधिकारियों को संबोधित करते हुए

सीएजी की भूमिका पर श्री बिड़ला ने कहा कि संविधान ने इसे एक व्यापक और गतिशील भूमिका दी है और यह सुनिश्चित किया है कि इसकी निष्ठा केवल संविधान और राष्ट्र के प्रति है। संतुष्टि व्यक्त करते हुए, श्री बिड़ला ने जोर देकर कहा कि सीएजी अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं के कारण दुनिया का अग्रणी लेखापरीक्षा निकाय है और सार्वजनिक वित्त और शासन से संबंधित स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित और समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर में जाना जाता है।

बदलते परिदृश्य में सीएजी की बढ़ती भूमिका के संबंध में, श्री बिड़ला ने देखा कि देश में सीएजी प्रतिवेदनों का महत्व और लेखापरीक्षा की प्रासंगिकता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार के कामकाज का आकलन करते समय सीएजी का एक बाहरी दृष्टिकोण है, जिससे वित्तीय बचत और कुशल योजना बनती है। संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला के रूप में शासन की पारदर्शिता और जवाबदेही का वर्णन करते हुए, श्री बिड़ला ने कहा कि सार्वजनिक धन का प्रभावी और कुशल उपयोग का उद्देश्य है संसद और सरकार दोनों का है। इस संबंध में, श्री बिड़ला ने राज्यों के राजकोषीय अनुशासन को सुनिश्चित करने में सीएजी की भूमिका पर प्रकाश डाला।

भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बारे में उल्लेख करते हुए, लोकसभा के माननीय अध्यक्ष ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के युग में, मजबूत डिजिटल बुनियादी ढांचा और डिजिटल वित्तीय रिकॉर्ड सीएजी की भूमिका को और अधिक चुनौती पूर्ण बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों का सामना करने के लिए, नवीनतम तकनीक में कौशल और प्रशिक्षण के साथ-साथ ज्ञान होना आवश्यक है। श्री बिड़ला ने विश्वास व्यक्त किया कि सीएजी देश की जरूरतों के अनुसार लेखापरीक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को अपना रहा है जो इसे अधिक सशक्त और उत्पादक बना देगा।

6.1.3 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का समापन भाषण

सीएजी ने अपने समापन भाषण में कहा कि इसका मुख्य कार्य न केवल तथ्यों और आंकड़ों की जांच करना और गुणवत्ता लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना है, बल्कि लेखापरीक्षा प्राथमिकता के लिए प्रासंगिक मुद्दों का चयन करना भी है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संसदीय समितियों के काम और हमारी अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का यथासंभव सामंजस्य और तालमेल हो। कार्यपालिका पर प्रभावी संसदीय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सीएजी ने कहा कि सरकारें अपने घटकों की सामाजिक-आर्थिक मांगों के जवाब में बड़े पैमाने पर परिवर्तनकारी हस्तक्षेप करती हैं और यह सुनिश्चित करना तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा था कि इन विभिन्न सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ वास्तव में लक्षित समूहों और क्षेत्रों तक पहुंचे। सीएजी ने आगे कहा कि हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा अर्थव्यवस्था, दक्षता और ऐसे हस्तक्षेपों की प्रभावशीलता पर उपयोगी इनपुट प्रदान करती है, जो अंततः विधायी जांच को मजबूत करने में योगदान देती है।

सम्मेलन के विषयों के बारे में बात करते हुए सीएजी ने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने 2021 और 2026 के बीच पांच साल की अवधि के लिए विधिवत गठित स्थानीय सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए ₹ 4,36,361 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है।देश भर में इस विशाल सार्वजनिक निधि वितरण को ध्यान में रखते हुए, चर्चा का एक विषय स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा को मजबूत करने से संबंधित था। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अनुदानों का ठीक से उपयोग किया जाता है और कार्यक्रमों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। इसलिए स्थानीय निकायों के हमारे लेखापरीक्षा को यह सत्यापित करने की आवश्यकता है कि क्या आयोग द्वारा अनुशंसित महत्वपूर्ण राजकोषीय कदम, जैसे (i) राज्य वित्त आयोगों की स्थापना (ii) इसकी सिफारिशों पर कार्य करना (iii) संबंधित राज्य विधान सभाओं को की गई कार्रवाई प्रस्तुत करना (iv) सार्वजनिक डोमेन में स्थानीय निकायों के खातों को डालना और (v) संपत्ति करों के लिए न्यूनतम दरें तय करना को

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का समापन भाषण

पूरा किया गया है। स्थानीय सरकारी अधिकारियों को भी स्वतंत्र रूप से यह सत्यापित करने की आवश्यकता होगी कि क्या बुनियादी सामाजिक सेवाओं के लिए प्रदान किए गए अनुदान, जैसे कि स्वच्छता और खुले में शौच-मुक्त लक्ष्य, ठोस कचरा प्रबंधन, पेयजल प्रावधान, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण, को पूरा करने के लिए प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है जैसा कि सिफारिश की गई है।

सामाजिक रूप से प्रासंगिक लेखापरीक्षा की पहचान के विषय के संबंध में सीएजी ने कहा कि बड़ी संख्या में सरकारी हस्तक्षेपों का जोर हमारे समाज के सबसे वंचित वर्गों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए है। इन कार्यक्रमों की सफलता सुनिश्चित करने और तदनुसार लेखापरीक्षा समीक्षाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। इससे सरकार के साथ-साथ संसद दोनों को कमी वाले प्रदर्शन के क्षेत्रों की पहचान करने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि पहचानी गई कमियों को दूर करने पर कार्यकारी जोर जल्द से जल्द और यथासंभव प्रभावी ढंग से निपटाया जाए। शासन का क्षेत्र आज तेजी से और जटिल परिवर्तनों से गुजर रहा है। इसकी अपनी चुनौतियां हैं, हम सार्वजनिक नीति समाधान प्रदान करने के लिए सार्वजनिक सेवा वितरण और जटिल आईटी प्लेटफार्मों के एप्लिकेशन में कई हितधारकों की भागीदारी देखते हैं। यह अपरिहार्य है कि हम भी इन चुनौतियों को समझें और आत्मसात करें, और तदनुसार विकसित हों। हमने अपने डेटा एनालिटिक्स कौशल पर कार्य करके और देश के प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग के लिए विशेष लेखा मॉडल डिजाइन करके इस दिशा में पहले ही कुछ पहल की हैं।

इस सम्मेलन का अगला विषय राज्य वित्त की संवहनीयता पर रिपोर्टिंग में सुधार पर था। भारतीय राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य एक प्रासंगिक मुद्दा है जिसका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हमारी राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों में, हम लगातार जोखिम कारकों को उजागर कर रहे हैं जो राज्य के वित्त को प्रभावित करते हैं, जैसे कि प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि, बकाया सार्वजनिक ऋण और देनदारियों में वृद्धि, कर और गैर-कर स्रोतों से राजस्व सहित स्वयं के संसाधनों का कम जुटाना और राजस्व संग्रह में उच्च बकाया। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के तहत विभिन्न घाटे के मापदंडों में नकारात्मक रुझान, मध्यम अवधि के राजकोषीय योजना लक्ष्यों की गैर-प्राप्ति अन्य चिंताओं में से हैं। सीएजी ने आगे कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और 15 वें वित्त आयोग ने भारतीय राज्यों के लिए राजकोषीय जोखिमों के संभावित स्रोतों पर भी ध्यान दिया है, जिसमें स्वयं के कर राजस्व में गिरावट, कुछ राज्यों

सम्मेलन में अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएजी

में पुरानी पेंशन योजनाओं को फिर से शुरू करना, घाटे में चल रही बिजली वितरण कंपनियों का बढ़ता बकाया, और समय-समय पर कृषि ऋण माफी और सब्सिडी का वितरण शामिल है।

अन्य मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए, सीएजी ने बताया कि 'प्रणालीगत निरीक्षण और सूक्ष्म स्तर पर कार्यकारी हस्तक्षेपों के समग्र मूल्यांकन के बीच एक संतोषजनक संतुलन बनाने के लिए सूक्ष्म-स्तरीय निरीक्षण के साथ प्रणालीगत निरीक्षण को संतुलित करने की तत्काल आवश्यकता है।

सीएजी ने दूसरे मुद्दे को रेखांकित किया जो सीएजी की निगरानी के माध्यम से संसदीय जांच सुनिश्चित करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सहित सभी रिकॉर्डों तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके महत्व को रेखांकित करते हुए सीएजी ने कहा कि ई-गवर्नेंस के मौजूदा युग में, जिसमें डेटा के बड़े सेट को डिजिटल किया जा रहा है, गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के संबंध में चिंताएं, यदि कोई हों, निस्संदेह उपयुक्त तौर-तरीकों पर काम करके हल किया जा सकता है। हमें समयबद्ध तरीके से रिकॉर्ड प्राप्त करने में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ सक्रिय रूप से काम करने की आवश्यकता है, ताकि कार्यकारिणी कार्रवाई की जांच करने का संसदीय अधिदेश किसी भी तरह से प्रभावित न हो।

सीएजी ने हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को लगातार अपनाने और हमारी पेशेवर क्षमता को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया, उन लेखापरीक्षा प्रथाओं की अंतर्निहित ताकत को बनाए रखते हुए जिन्हें हमने वर्षों से अपनी लेखापरीक्षा पद्धतियों में परिश्रमपूर्वक विकसित और शामिल किया है।

राज्य वित्त की संवहनीयता पर रिपोर्टिंग पर आगे चर्चा करते हुए, सीएजी ने कहा कि 'हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सभी स्तरों पर जटिल हो गया है, विवेकपूर्ण प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक संसाधनों का समयबद्ध तरीके से कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए और धन का अधिकतम मूल्य सरकारी खजाने के लिए उपलब्ध हो। सुपरिभाषित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से समय पर प्राप्त प्रतिक्रिया उपयोगी फीडबैक प्रदान करती है। अतः कार्यपालिका और लेखापरीक्षा के बीच संबंध रचनात्मक होना चाहिए'।

अपने संबोधन का समापन करते हुए, सीएजी ने कहा कि दो दिनों के दौरान विचारों और अनुभवों को साझा करने से मौजूदा लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और इस तरह इस देश के शासन में सुधार होगा।

अध्याय 7

उतनी ही महत्वपूर्ण, अन्य गतिविधियाँ

7.1 राजभाषा को बढ़ावा देने के प्रयास

7.1.1 प्रकाशन

2022-23 के दौरान, राजभाषा अनुभाग (मुख्यालय) के त्रैमासिक ई-पत्रिका के चार अंक (138 वें से 141 वें), "लेखापरीक्षा प्रकाश" प्रकाशित किए गए थे। राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राजभाषा से संबंधित विषयवस्तु तथा पत्रिका की रचनाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा का संवर्धन करने के लिए अपनी राजभाषा पत्रिकाओं का नियमित रूप से प्रकाशन कर रहे हैं।

7.1.2 राजभाषा का कार्यान्वयन

क) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/ अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, राजभाषा, की अध्यक्षता में आयोजित की जानी आवश्यक है। वर्ष के दौरान मुख्यालय में राजभाषा के प्रयोग की समीक्षा के लिए 179वीं, 180वीं, 181वीं और 182वीं तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

ख) भारत सरकार, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के 2022-23 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिये उत्साहजनक वातावरण बनाने एवं हिन्दी में शासकीय कार्य करने में अधिकारियों की हिचकिचाहट को कम करने के लिये इस कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये 16 जनवरी 2023 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला के लिए लगभग 90 अधिकारियों/स्टाफ सदस्यों को नामित किया गया था।

ग) राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यालय ने 14 से 29 सितंबर 2022 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया। इस अवधि के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे नोटिंग और ड्राफ्टिंग, हिंदी टंकण, हिंदी अनुवाद, हिंदी में निबंध लेखन आदि का आयोजन किया गया था। इस हिंदी पखवाड़े के दौरान 75 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों ने भाग लिया। यह साई इंडिया के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में भी सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। इससे राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रति कर्मचारियों में जागरूकता और उत्साह पैदा करने में मदद मिली।

घ) राजभाषा अधिनियमों/नियमों आदि के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक बैठकें राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा आयोजित की जाती हैं। 2022-23 में, 15 नवंबर 2022 को राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा 44वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था। महानिदेशक (राजभाषा) ने इस बैठक में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया।

ङ) हमारे कार्यालय की तिमाही प्रगति रिपोर्टें प्रत्येक तिमाही के पूरा होने से 30 दिनों की लक्ष्य तिथि के भीतर प्रत्येक तिमाही में राजभाषा विभाग को ऑनलाइन प्रस्तुत की गई थीं।

एडीएआई (स्टाफ) द्वारा हिंदी पखवाड़ा का उद्घाटन

हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह में सीएजी, डीएआई (एचआर, आईआर और समन्वय) और एडीएआई (स्टाफ)

7.1.3 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के अनुभागों का निरीक्षण

राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्रीय कार्यालयों तथा मुख्यालय के अनुभागों के न्यूनतम 25 प्रतिशत का निरीक्षण राजभाषा अनुभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष किया जाना अपेक्षित है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, 52 क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के 15 अनुभागों का नियोजित निरीक्षण पूरा किया गया। ये निरीक्षण राजभाषा अधिनियमों/नियमों आदि के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए किए गए थे।

7.1.4 राजभाषा अनुभाग में अनुवाद कार्य

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत अपेक्षित निम्नलिखित दस्तावेजों का प्रसार से पूर्व हिंदी में अनुवाद किया गया था:

(क) संसद के सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक, रेलवे, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर)।

(ख) निष्पादन रिपोर्ट, प्रेस विज्ञप्ति, सामान्य आदेश, नियम, संविदा और समझौते और निविदा सूचनाएं।

7.1.5 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के पत्र दिनांक 21 मार्च 2023 में सराहनीय तरीके से राजभाषा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यालय के प्रयासों की सराहना की और भविष्य के अनुपालन के लिए सीएजी संस्था को प्रोत्साहित किया।

7.1.6 विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में राजभाषा का कार्य

हिंदी भाषा के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए, साई इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय राजभाषा से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं, जिनकी अध्यक्षता राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा की जाती है। हिंदी कार्यशालाएं भी नियमित आधार पर आयोजित की जा रही हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नाराकास) की बैठकों में भाग लेने के अलावा क्षेत्रीय कार्यालय 'हिंदी पखवाड़े' का भी आयोजन कर रहे हैं। अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालय आवधिक हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों ने 165 इन-हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं जिनमें 1,910 कर्मचारियों ने भाग लिया।

7.2 टाउन हॉल बैठकें

मुख्यालय में स्टाफ विंग और क्षेत्रीय कार्यालयों के स्टाफ और प्रशासन के बीच दोनों-तरफ संचार माध्यम स्थापित करने के प्रयास में, पूरे भारत में विभिन्न स्थानों में टाउन हॉल बैठकें शुरू की गई।

टाउन हॉल बैठकें बैंगलुरु में 14-15 जून 2022 को, रायपुर में 12-13 सितंबर 2022 को और त्रिपुरा में 22-23 दिसंबर 2022 को बुलाई गई।

इन बैठकों के दौरान हितधारकों से प्राप्त मुद्दों/शिकायतों/सुझावों की विधिवत जांच की गई और टाउन हॉल बैठकों में दो सौ से अधिक ई-मेल के माध्यम से प्राप्त कर्मचारियों के प्रश्नों का समाधान किया गया। इस पहल ने मुख्यालय को क्षेत्र में कर्मचारियों के साथ संचार का एक सीधा माध्यम स्थापित करने में मदद की।

7.3 अवसंरचना विकास

पूरे भारत में विभिन्न स्टेशनों पर साई के कर्मियों के उपयोग के लिए कार्यालय स्थान के साथ-साथ आवासीय इकाईयों को बढ़ाने के लिए, कई भवन परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

7.3.1 वर्ष के दौरान निम्नलिखित परियोजनाएं पूरी की गईं:

1. गांधीनगर- भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय-सह-आवासीय परिसर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण पूर्ण हो गया।
2. अगरतला, त्रिपुरा में भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया।

7.3.2 निम्नलिखित परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं:

1. सरोजिनी नगर, नई दिल्ली (एनबीसीसी परियोजना) में भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग पूल हाऊस के मामले को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय रूप से कार्रवाई की जा रही है।
2. शिमला, बैंगलुरु और पुणे में भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आवास व्यवस्था हेतु भूमि/भवनों के अधिग्रहण के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा था।
3. आइजोल-आवासीय परिसर का निर्माण।
4. बैंगलुरु -एच सिद्धैया रोड पर कार्यालय भवन का निर्माण।
5. कोलकाता-उल्टाडांगा में आवासीय परिसर का निर्माण।
6. मुम्बई-भांडुप में आवासीय परिसर का निर्माण।
7. रांची-खेल परिसर का निर्माण।
8. रांची-एमएबी के लिए कार्यालय भवन का निर्माण।
9. शिमला-चाडविक हाउस की मुरम्मत, पुनर्वास और सुदृढ़ीकरण तथा सेवा केंद्र का निर्माण।
10. शिमला-गोर्टन कैसल भवन का जीर्णोद्धार कार्य।

7.3.3 निम्नलिखित परियोजनाएं योजना चरण में हैं:

1. गोवा- एनेक्सी और आवासीय भवन का निर्माण।
2. इम्फाल-अतिरिक्त क्वार्टरों का निर्माण।
3. पुरी- धेनकानाल हाउस का जीर्णोद्धार।

4. तिरूवनंतपुरम - आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

5. गांधीनगर-कार्यालय-सह-आवासीय परिसर का निर्माण।

7.4 खेलों में भागीदारी और उपलब्धि

सीएजी की खेल टीमें मुख्य रूप से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में खेल गतिविधियों (भारत और विदेशों दोनों में) में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं और गर्व से कई पुरस्कार जीत चुकी हैं।

- **क्रिकेट** में, टीम ने जनवरी 2023 में ओडिशा के भद्रक में आयोजित प्रदीप मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में विनर्स कप जीता।
- **हॉकी** टीम ने जनवरी 2023 में सिकंदराबाद में आयोजित नेहरू गोल्ड कप जीता।
- **फुटबॉल** टीम ने फरवरी 2023 में ऊना में आयोजित अखिल भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट जीता।
- **टेबल टेनिस** में, सीएजी की वयोवृद्ध पुरुष टीमों (40+ और 50+ आयु वर्ग) को विजेता घोषित किया गया और अगस्त 2022 में श्रीनगर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय मास्टर्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते।
- **बैडमिंटन** टीम ने मार्च 2023 में गोवा में आयोजित वेटरन्स नेशनल में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में दो स्वर्ण, पांच रजत और चार कांस्य पदक जीते। टीम सेमीफाइनल में रेलवे को हराकर सेंट्रल जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची और रजत पदक जीता।

7.5 कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में जागरूकता फैलाना

भारत सरकार ने दिसंबर 2013 में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (आमतौर पर पीओएसएच अधिनियम के रूप में जाना जाता है) को अधिसूचित किया ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को एक सुरक्षित और संरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुदेशों के अनुसार, इस वर्ष विभिन्न कार्यालयों और संगठनों द्वारा महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा और भेदभाव के उन्मूलन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ '16 दिनों का सक्रियतावाद बनाया गया ताकि महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और समग्र सशक्तिकरण सुनिश्चित किया जा सके।

मुख्य अतिथि सुश्री प्रीति मोंगा पीओएसएच अधिनियम पर अपना भाषण देती हुई

निर्देशों के अनुपालन में, 5 से 9 दिसंबर 2022 तक सीएजी के कार्यालय में पाँच दिवसीय 'कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर जागरूकता कार्यक्रम'

आयोजित किया गया था। इस विषय पर जागरूकता पैदा करने के अलावा, इस कार्यक्रम का विषय महिलाओं के खिलाफ हिंसा और भेदभाव का उन्मूलन था। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों का कालक्रम इस प्रकार है:

- इस अधिनियम के अधिदेश के बारे में साई इंडिया के कर्मचारियों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से 5 दिसंबर 2022 को पीओएसएच अधिनियम पर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एसी (एन) ने उद्घाटन समारोह के दौरान कर्मचारियों को संबोधित किया और विभाग के कर्मचारियों ने कर्मचारियों के बीच इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए तैयार की गई प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने विचार प्रस्तुत किए।
- कार्यक्रम के दूसरे दिन: सिल्वर लाइनिंग्स सर्विसेज की संस्थापक और सीईओ सुश्री प्रीति मोंगा समारोह की मुख्य अतिथि ने पीओएसएच अधिनियम पर अपने भाषण के साथ दर्शकों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महानिदेशक (मुख्यालय) ने की।
- 7 दिसंबर 2022 को भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और उसके बाद 8 दिसंबर 2022 को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- यह कार्यक्रम 9 दिसंबर 2022 को पुरस्कार वितरण समारोह के साथ मनाया गया। दोनों प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।
- महानिदेशक (स्टाफ) ने विजेता प्रतिभागियों/टीमों को पुरस्कार वितरित किए।

"कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" पर एक ई-लर्निंग मॉड्यूल तैयार किया गया, और फरवरी 2023 में साई प्रशिक्षण पोर्टल पर अपलोड किया गया।

पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान विजेताओं के साथ डीजी (स्टाफ)

7.6 रिकॉर्ड रखरखाव में नवाचार

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-II, महाराष्ट्र, नागपुर के कार्यालय में पेंशन प्राधिकरण अनुभाग ने पेंशन मामलों के संशोधन के लिए आवश्यक अभिलेखों की ट्रैकिंग को सक्षम करने के लिए पहल की थी और इस प्रकार, तेजी से पहचान के लिए प्रत्येक जिले के पीपीओ रजिस्टरों को अलग-अलग रंग कोड के साथ अनुभाग को एक पूर्ण बदलाव और एक आधुनिक रूप दिया था, ताकि अनुभाग में प्राप्त पुनरीक्षण मामलों के लिए अपेक्षित रिकॉर्ड आसानी से पता लगाया जा सके।

रंग कोडित रिकॉर्ड

खंड 4

हितधारकों के साथ अन्तःक्रिया

- **अध्याय 1**
  विधायी समितियों के साथ हमारी अन्तःक्रिया
- **अध्याय 2**
  लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड
- **अध्याय 3**
  अधिगम की प्रगति

साई इंडिया का मुख्यालय

अध्याय 1

विधायी समितियों के साथ हमारी अन्त:क्रिया

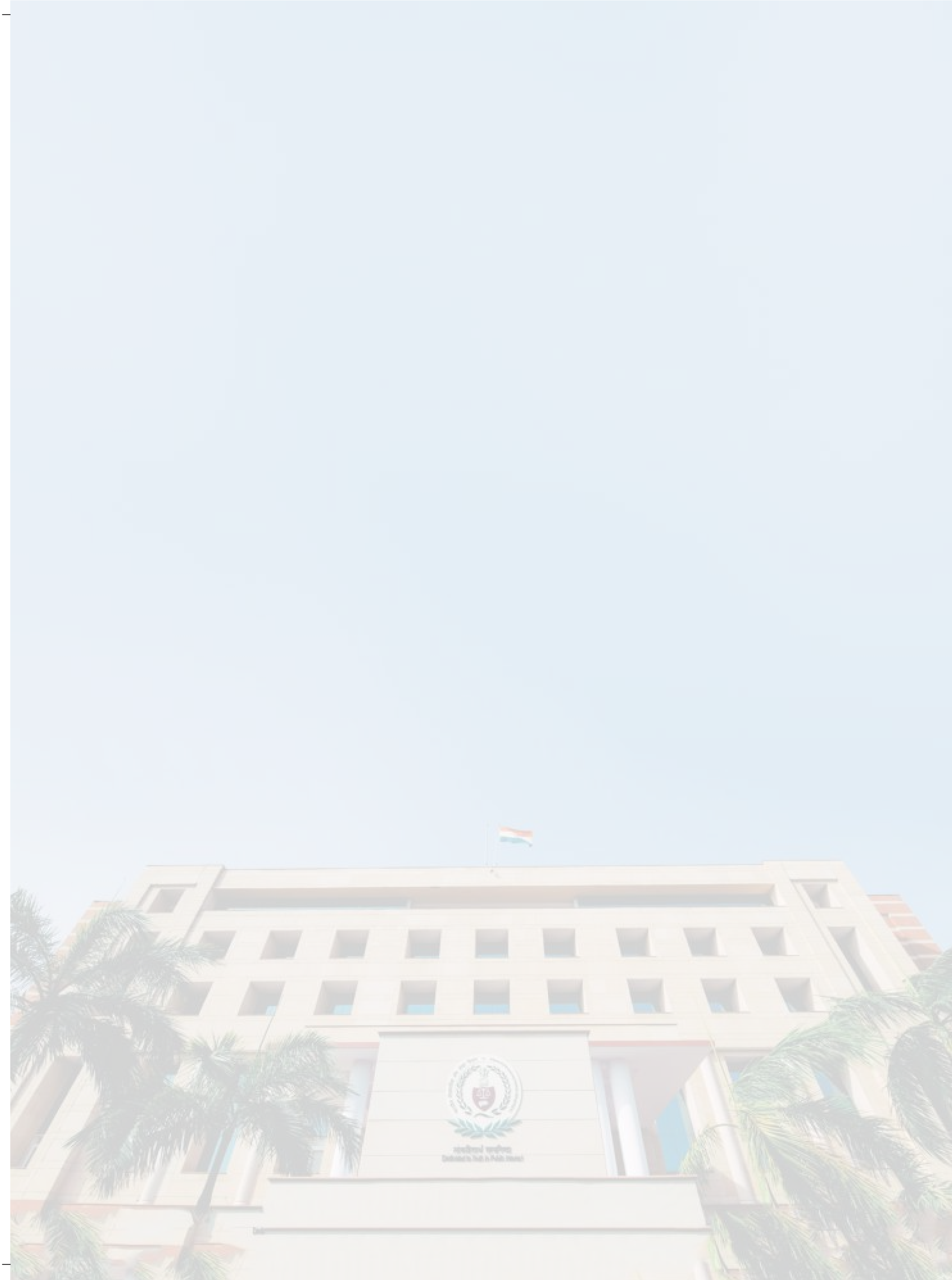

हमारे प्राथमिक हितधारकों में संसद, राज्य विधानमंडल और देश के नागरिक शामिल हैं। संसद और राज्य विधानसभाओं में लोक लेखा समितियां (पीएसी) और सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियां (सीओपीयू) हैं, जो साई इंडिया द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जांच करती हैं। अन्य प्रमुख हितधारकों में सरकारी विभाग और मंत्रालय, साथ ही साई इंडिया द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा के विषयों में विशिष्ट रुचि रखने वाले संगठन, व्यक्ति एवं देश के नागरिक शामिल हैं।

हमारे हितधारकों के साथ संप्रेषण एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है। ग्राहकों और हितधारकों के साथ हमारी बातचीत साई इंडिया से उनकी अपेक्षाओं को समझने में हमारी मदद करती है और हमारे काम के माध्यम से हम जो आश्वासन और जवाबदेही देते हैं उसे अर्थ प्रदान करती है।

1.1 लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ अन्त:क्रिया

सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में संघ और राज्य स्तरों पर लोक लेखा समितियां (पीएसी) और सार्वजनिक उपक्रमों पर समितियां (सीओपीयू) हमारे मुख्य भागीदार हैं। संसद/विधान मंडल में प्रस्तुत किए गए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को पीएसी/सीओपीयू को भेजा जाता है। सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करते है। सीएजी और उनके प्रतिनिधि अपनी बैठकों के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/सीओपीयू की सहायता करते हैं।

कार्यपालिका को समितियों की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके बाद समितियां की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती हैं। यदि बैठकों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर चर्चा नहीं की गई है, तो कार्यपालिका से उन पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्रस्तुत करना अपेक्षित हैं। समिति को प्रस्तुत किए जाने से पहले कार्रवाई की गई रिपोर्टों और की गई कार्रवाई दोनों नोटों की लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जांच की जाती है।

2022-23 के दौरान, केंद्रीय पीएसी/सीओपीयू ने 77 बैठकें कीं जिनमें 49 लेखापरीक्षा पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की गई। पीएसी/सीओपीयू में चर्चा की गई बैठकों और लेखापरीक्षा पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों की विंग-वार स्थिति नीचे दी गई है:

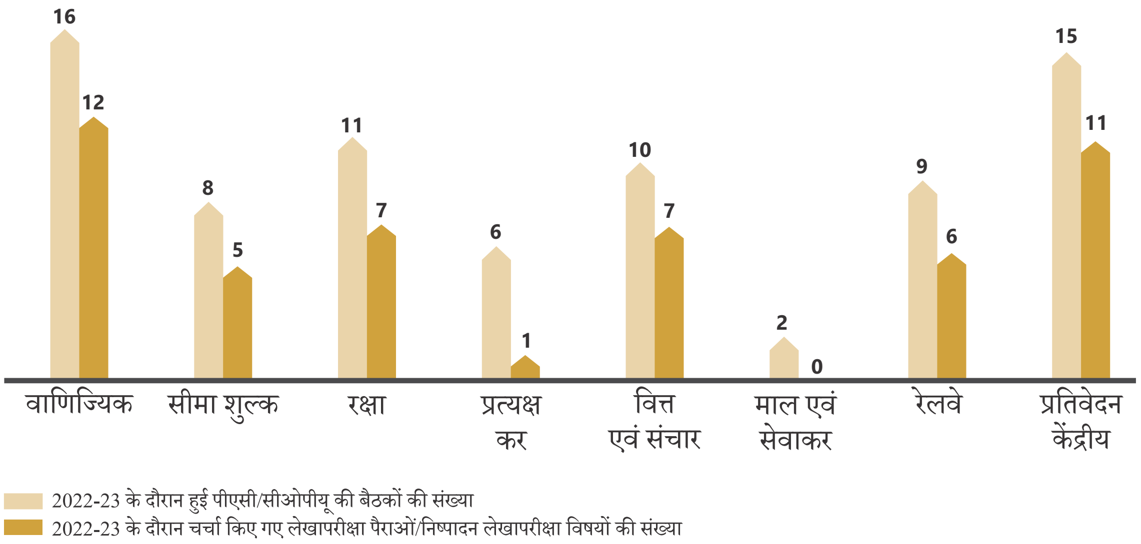

2022-23 के दौरान राज्यों में पीएसी/सीओपीयू की 630 बैठकें हुई और 1,929 लेखापरीक्षा पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा विषयों पर चर्चा की जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

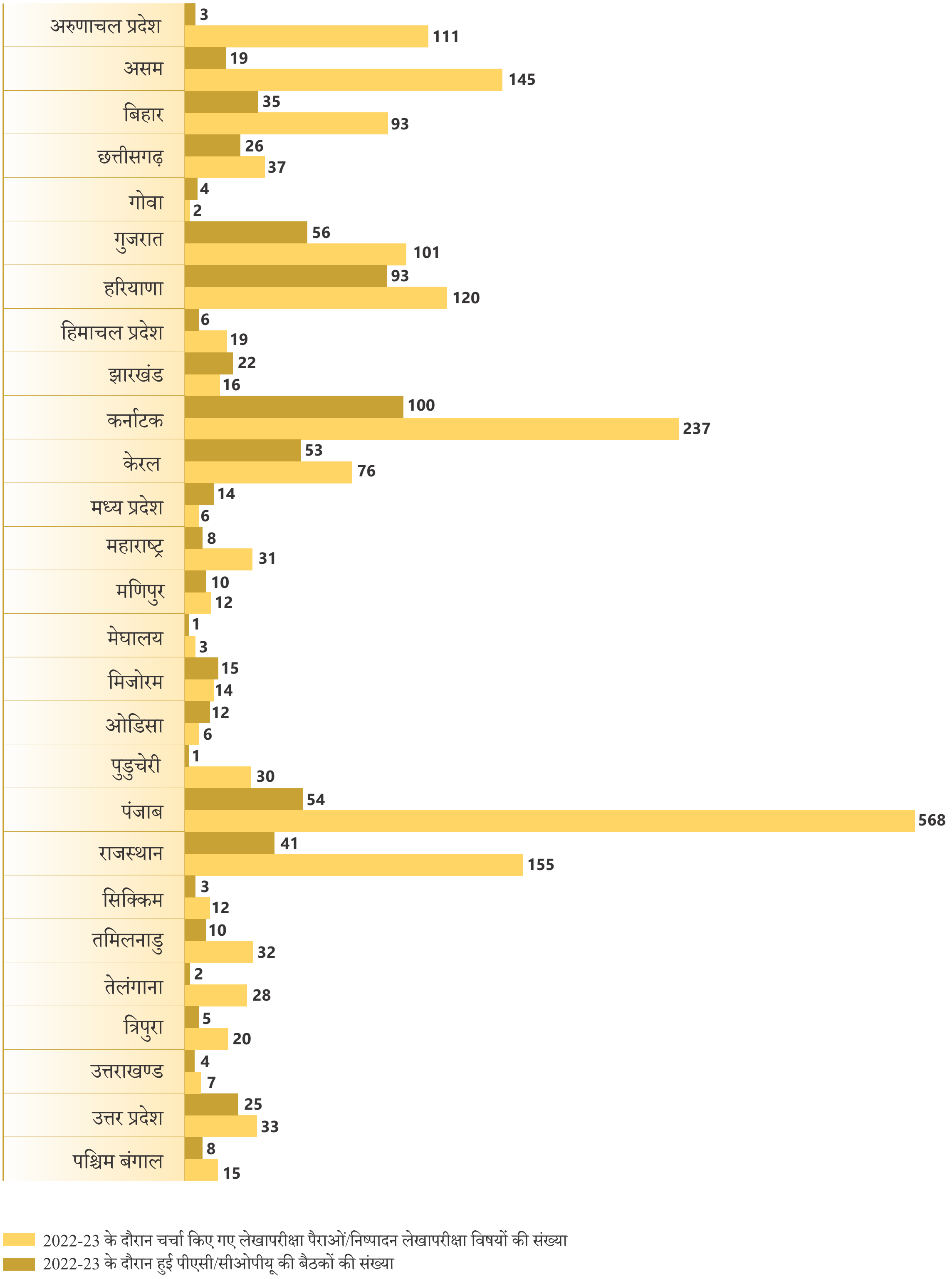

1.2 पंजाब में विधायी समितियों के सदस्यों के साथ अन्त:क्रिया

विधायी समितियों के सदस्यों को 29 नवंबर 2022 को द्वितीय ऑडिट दिवस समारोह के अवसर पर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) पंजाब के कार्यालय में आमंत्रित किया गया था। बैठक में माननीय अध्यक्ष, पंजाब विधान सभा और पीएसी, सीओपीयू और पीआरआई और यूएलबी संबंधी समिति के अधिकारियों सहित विधायी समितियों के सदस्यों ने भाग लिया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इतिहास और अधिदेश; सीएजी के क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना; प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पंजाब के कार्यालय का कार्यकरण; लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा प्रस्तुतीकरण के प्रकार; लेखापरीक्षा योजना और लेखापरीक्षा प्रक्रिया; पंजाब सरकार की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर हाल के मुद्दों और सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही में सीएजी और विधायी समितियों की भूमिका को सदस्यों को दिया गया था।

विधायकों को पंजाब सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के लिए समय पर उत्तर न देने और विधायी समितियों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा में देरी के प्रभाव के बारे में अवगत कराया गया, जो बदले में समय अंतराल के कारण वित्तीय जवाबदेही को कम करता है।

माननीय अध्यक्ष श्री कुलतार सिंह संधवान ने इस बात पर जोर दिया कि विभागों द्वारा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के उत्तर प्रस्तुत न करने के परिणामस्वरूप विभागों की ओर से अपेक्षित सुव्यवस्थित करने के लिए कार्रवाई की कमी है। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि विधायी समितियों को शासन के सबसे निचले स्तर से उच्चतम स्तर तक जवाबदेही तय करनी चाहिए।

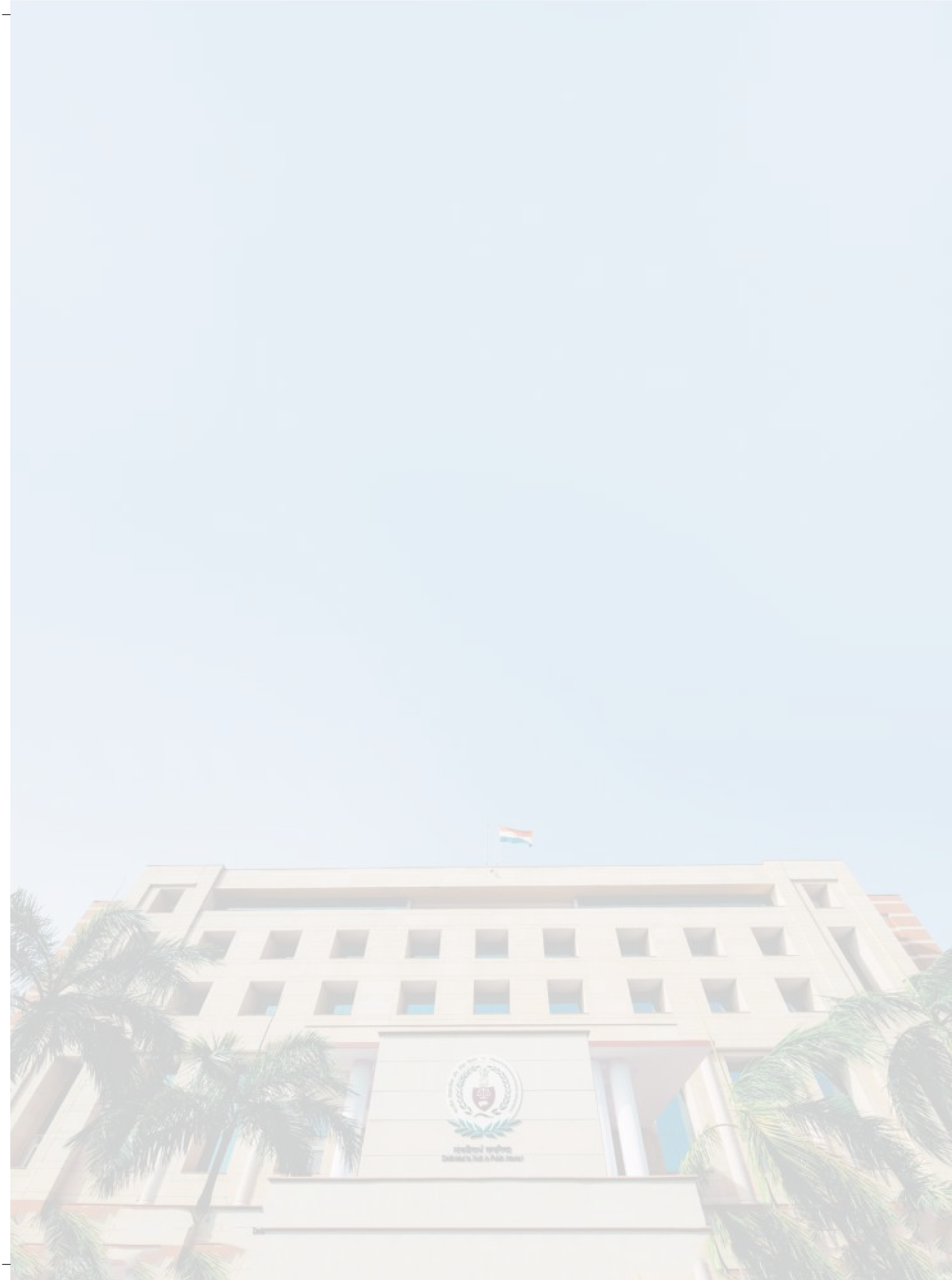

अध्याय 2

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

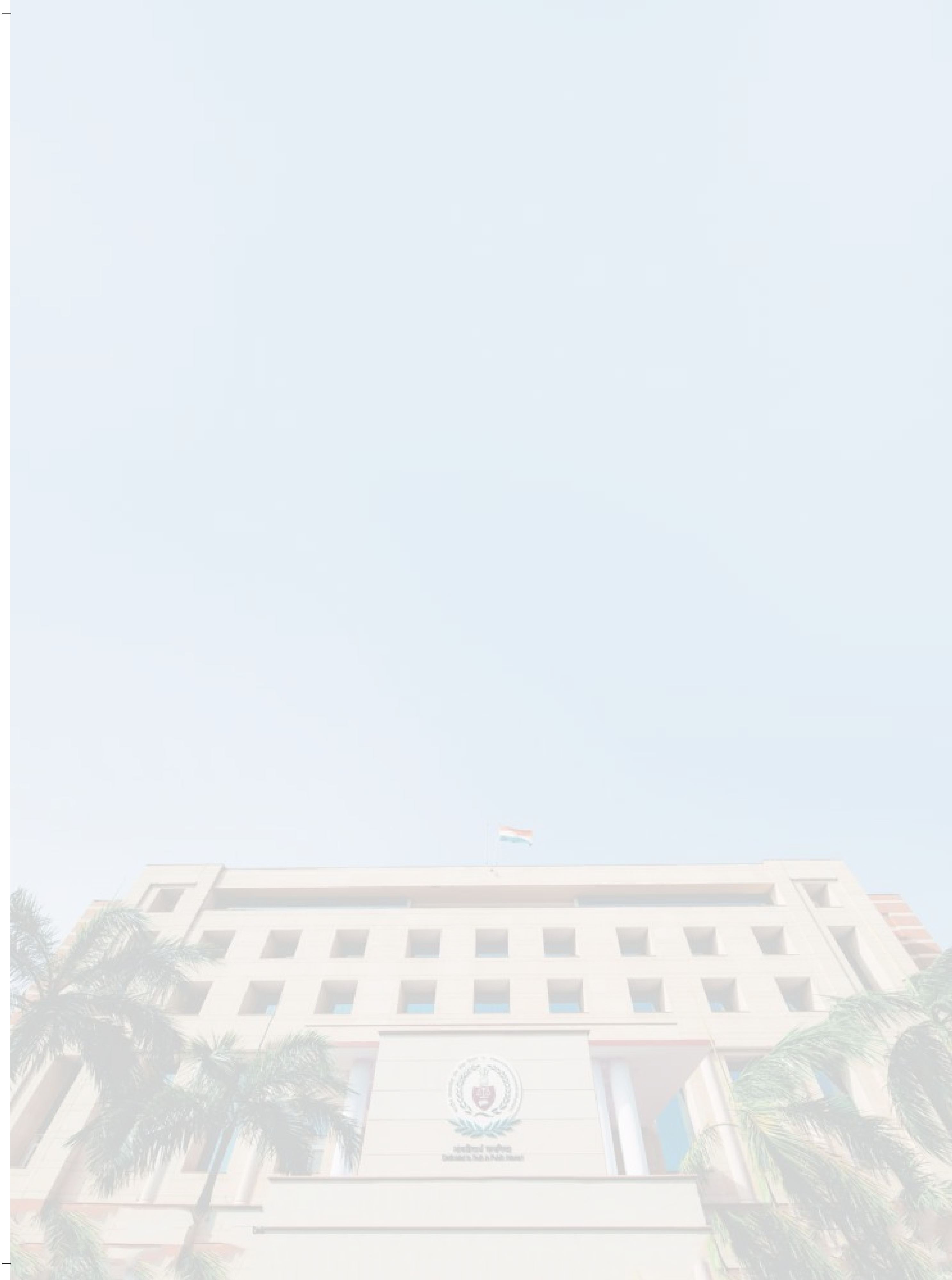

2.1 सीएजी की लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एएबी) सीएजी के संवैधानिक और सांविधिक अधिदेश के ढांचे के भीतर लेखापरीक्षा दृष्टिकोण और तकनीकों से संबंधित सुझावों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के कवरेज, कार्यक्षेत्र और प्राथमिकता सहित लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों पर सीएजी को सलाह देता है।

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों में प्रख्यात व्यक्ति और विभाग के उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक शामिल होते हैं। प्रथम लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन 1999 में किया गया था। तब से, 31मार्च 2023 तक बोर्ड को नौ बार (2001, 2003, 2006, 2009, 2011, 2013, 2015, 2018 और 2021) पुनर्गठित किया गया है। दसवीं लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन अप्रैल 2021 में अधिसूचित किया गया था। बोर्ड की अवधि दो वर्ष तक होगी। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के बाहरी सदस्यों की सूची इस प्रतिवेदन की धारा 1 के अध्याय 3 में दी गई है।

दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की दूसरी बैठक अक्टूबर 2022 में आयोजित की गई थी, जिसमें 'राज्य वित्त की राजकोषीय स्थिरता' पर विचार-विमर्श किया गया था। दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक मार्च 2023 में आयोजित की गई थी, जिसमें दो विषयों पर चर्चा हुई: (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित मुद्दे जिनकी लेखापरीक्षा में जांच की जा सकती है और (ii) वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023-24 शुरू की गई। संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए दोनों विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

दसवीं लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की तीसरी बैठक

मार्च 2023 में अपनी तीसरी बैठक के दौरान सीएजी के दसवें लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य

2.2 राज्य लेखा परीक्षा सलाहकार बोर्ड

राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड (एसएएबी) राज्यों में समान रूप से गठित किए गए हैं। राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी पेशेवरों के साथ चर्चा से लाभ उठाकर हमारे लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। 2022-23 के दौरान, राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठकें बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तराखंड में आयोजित की गई।

राज्य लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड, उत्तराखंड

अध्याय 3

अधिगम की प्रगति

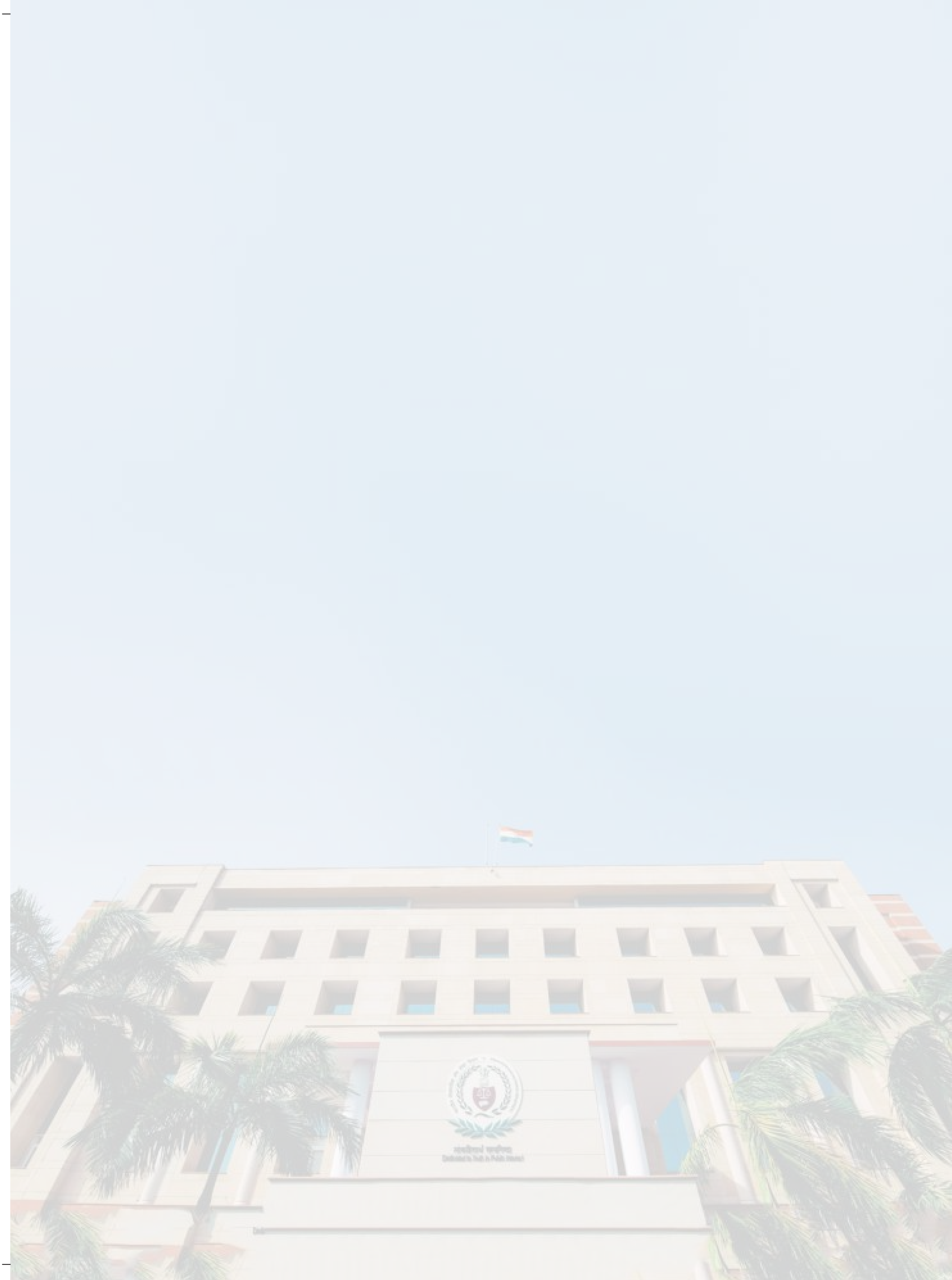

3.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ अन्त: क्रिया

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयां लेखापरीक्षा प्रक्रिया में प्रमुख हितधारकों में से हैं। उनके साथ हमारा संपर्क - लेखापरीक्षा से पहले, दौरान और बाद में निरंतर आधार पर होता है। जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण विकसित करने के लिए लेखापरीक्षित प्रबंधन के वरिष्ठ स्तरों पर संपर्क को प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों को लेखापरीक्षित संस्थाओं को अग्रिम रूप से सूचित किया जाता है। सभी लेखापरीक्षा टीमें लेखापरीक्षा की शुरुआत और समापन पर प्रवेश और प्रस्थान सम्मेलन आयोजित करती हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक चरण पर, लेखापरीक्षित संस्था को लेखापरीक्षा प्रश्नों और निष्कर्षों का उत्तर देने का अवसर दिया जाता है। क्षेत्रीय कार्यालय भी निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में मुद्रित अभ्युक्तियों पर चर्चा करने और उन पर कार्रवाई करने के लिए मंत्रालयों/विभागों द्वारा आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भाग लेते हैं। लेखापरीक्षित संस्थाओं के अधिकारियों को विभाग में आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं और प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है।

हमने वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित संस्थानों के साथ कई बार संपर्क किया। इनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया गया है:

3.1.1 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ अन्त: क्रिया

अक्टूबर 2022 में माननीय मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र पर हाल ही में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर साई इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक प्रस्तुति दी गई। स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित वित्तीय आवंटन, अपूर्ण बुनियादी ढांचे, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, उपकरण, औषधि और मानव संसाधन से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। माननीय मंत्री ने चर्चा की सराहना करते हुए कहा कि यह सुधारात्मक कार्रवाई और लेखापरीक्षा टिप्पणियों के अनुवर्ती के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की दिशा में बहुत उपयोगी होगा।

3.1.2 रेलवे बोर्ड के साथ अन्त: क्रिया

वार्षिक लेखापरीक्षा योजना 2023-24 के संबंध में मार्च 2023 में रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत हुई और रेलवे बोर्ड से उसी पर सुझाव मांगे गए।अधिक प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए मूल्यवान सुझाव प्राप्त किए गए।

3.1.3 राज्य विशिष्ट अन्त: क्रिया

मध्य प्रदेश

विभागों के कामकाज की समझ विकसित करने और उनके तहत चल रही योजनाओं की निगरानी करने के लिए, उनके वित्त पोषण पैटर्न, निरीक्षण तंत्र, आदि, विभागाध्यक्षों, क्षेत्र इकाईयों के प्रमुखों, पीएसयू आदि के साथ बैठकें/प्रस्तुतियां शुरू की गईं, जिससे हमें आगामी लेखापरीक्षा योजना में लेखापरीक्षा के लिए फोकस क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में मदद मिली। इस पहल के तहत, 16 विभागों के साथ 19 बैठकें आयोजित की गईं।

इसके अलावा, प्रधान महालेखाकार और सेवानिवृत्त अतिरिक्त मुख्य सचिव की सह-अध्यक्षता में सितंबर 2022 में अनुपालन लेखापरीक्षा विषय 'सरकारी भूमि का आवंटन और प्रबंधन' पर एक बैठक बुलाई गई थी ताकि इस विषय में शामिल प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके और फील्ड कवरेज में मूल्यवर्धन करने के उद्देश्य से फील्ड लेखापरीक्षा पार्टियों के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

ओडिशा

"खनिज प्राप्तियों के आकलन और संग्रह पर प्रणाली और नियंत्रण" पर प्रदर्शन लेखापरीक्षा के संदर्भ में, औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) गणना और खनन योजना के अनुमोदन पर फरवरी 2023 में भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) के अधिकारियों के साथ चर्चा आयोजित की गई थी।

महाराष्ट्र

हितधारकों के बीच भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग और महालेखाकार कार्यालय की भूमिकाओं और कार्यों के बारे में ज्ञान प्रसार के लिए, नवंबर 2022 में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई थी जिसमें महाराष्ट्र के प्रधान मुख्य संरक्षक को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रदर्शनी में, सीएजी की संस्था, लेखापरीक्षा में अपनाई गई प्रक्रिया और पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्ट और प्रासंगिक सामग्री पर नारे को दर्शाते हुए 50 से अधिक पोस्टर प्रदर्शित किए गए थे। पिछले 20 वर्षों की लेखापरीक्षा रिपोर्टें भी प्रदर्शित की गई। आगंतुकों के लिए एक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी जनता के लिए खुली थी।

राजस्थान

नवंबर 2022 में विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न बाह्य विशेषज्ञों के साथ "सुशासन को बढ़ावा देने में सीएजी की भूमिका" विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई थी। पीएसी के माननीय अध्यक्ष श्री गुलाब चंद कटारिया, एचसीएम आरआईपीए के महानिदेशक श्री सुधांशु पंत, प्रधान नियंत्रक रक्षा लेखा श्री वीके विजय, सीईओ indiatec.org श्री रमेश कैलासम और श्री निखिल डे, एमकेएसएस की अध्यक्षता में क्रमशः पांच अलग-अलग सत्र आयोजित किए गए। संगोष्ठी के दौरान विचार-विमर्श बहुत उपयोगी था और इसने लेखापरीक्षा और अधिकारियों के बीच बातचीत के लिए एक आदर्श मंच प्रदान किया।

केरल

केरल जल प्राधिकरण के संकायों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एएमजी-II विंग के त्रैमासिक सम्मेलन के दौरान केरल जल प्राधिकरण के काम से परिचित होने के लिए व्याख्यान दिए।

तमिलनाडु

निरीक्षण रिपोर्टों, व्याख्यात्मक टिप्पणियों और की गई कार्रवाई टिप्पणियों की आसन्न या लंबित स्थिति पर चर्चा करने के लिए तमिलनाडु सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शीर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई थी। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), तमिलनाडु और पुडुचेरी, सचिवालय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों/सचिवों ने बैठक में भाग लिया। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और सचिवों को निर्देश जारी किए कि वे सहायक दस्तावेजों के साथ-साथ प्रारंभिक चरण में उत्तर देकर नियमित रूप से लेखापरीक्षा पैरा के समाशोधन को प्राथमिकता दें। मुख्य सचिव ने विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के भी निर्देश दिए। विभागीय सचिवों ने लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

3.2 शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ अन्त: क्रिया

हम कई शैक्षणिक और व्यावसायिक संस्थानों के साथ अन्त: क्रिया करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संस्थानों, जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज

ऑफ इंडिया (आईसीएसआई) और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीडब्ल्यूएआई) की केंद्रीय परिषदों में नामित किया जाता है। आईसीएआई के परिषद सदस्य होने के कारण, अधिकारियों को संस्थान की विभिन्न समितियों/बोर्डों, जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण और आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, नैतिक मानक बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, समकक्ष समीक्षा बोर्ड आदि में भी नामित किया जाता है, ताकि इन व्यावसायिक निकायों के साथ निरंतर अन्तःक्रिया सुनिश्चित किया जा सके।

3.3 मीडिया के साथ अन्त: क्रिया

हमारी एक दस्तावेजी संचार नीति है जो बाहरी हितधारकों के साथ परस्पर संवाद का मार्गदर्शन करती है। मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता में मुख्यालय कार्यालय में संचार नीति विंग प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जनता के साथ प्रभावी संचार के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। जिन राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, उन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में मीडिया के साथ प्रभावी संप्रेषण के लिए प्रधान महालेखाकार या वरिष्ठतम महालेखाकार स्तर का अधिकारी जिम्मेदार है।

हम संसद एवं राज्य विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने हितधारकों को लेखापरीक्षा संदेशों को संप्रेषित करने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। संसद/राज्य विधानमंडल में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के पश्चात् उनकी विषय-वस्तु को दर्शाते हुए प्रेस सार जारी किए जाते हैं। रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं।

इस तरह की अन्तःक्रिया का उद्देश्य विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बारे में जानकारी का प्रसार करना और हमारे हितधारकों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, जारी करना या किसी बाहरी एजेंसी द्वारा तथ्यों के विरूपण या गलत व्याख्या को हटाना है।

3.4 कार्यशालाएं, व्याख्यान और अन्य कार्यक्रम

शासन में जवाबदेही मजबूत सार्वजनिक वित्तीय रिपोर्टिंग की नींव पर टिकी हुई है। साई इंडिया का उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाले लेखापरीक्षण और लेखांकन के माध्यम से शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है, जिससे हितधारकों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और जनता को स्वतंत्र आश्वासन मिलता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

इस मिशन को पूरा करने के लिए, साई इंडिया लगातार अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार अपने पेशेवर कर्त्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास करता है, जिसका अर्थ है कि लेखापरीक्षकों को शासन के उन्नयन में भागीदार के रूप में देखा जाता है, इसकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शासन में सहायता के रूप में कार्य करती है। सार्वजनिक क्षेत्र के सेवा वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वह वातावरण जिसमें लेखापरीक्षित सत्त्व और, परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा कार्य, संरचना और सार्वजनिक नीति के कार्यान्वयन के तरीकों के साथ-साथ लेखापरीक्षा और लेखाकरण की प्रथाओं दोनों के संदर्भ में गतिशील हैं। इस प्रकार, इस गतिशील वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए, साई इंडिया के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह स्वयं में नयापन लाता रहे और फिर से स्वयं को जीवंत करता रहे। हितधारकों के साथ नियमित आंतरिक और बाहरी परामर्श पेशेवर प्रथाओं और हमारी संरचनाओं और कामकाज के तरीकों को अनुकूलित/उन्नत करने के इस प्रयास को सरल बनाता है, साथ ही उस वातावरण के प्रति संवेदनशील बनाता

है जिसमें हमारे लेखापरीक्षित संस्थाएं कार्य करते हैं। इस तरह के विचार-विमर्श की सुविधा के लिए, साई इंडिया नियमित रूप से कई कार्यशालाओं, व्याख्यानों और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है जहां डोमेन विशेषज्ञ और वरिष्ठ लोक सेवक भाग लेते हैं और हमारे कर्मियों के साथ अपने ज्ञान को साझा करते हैं।

वर्ष के दौरान बाह्य विशेषज्ञों को शामिल करते हुए निम्नलिखित कार्यशालाएं/व्याख्यान आयोजित किए गए:

i. **चार राज्यों के प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर पहली क्षेत्रीय संगोष्ठी:-** सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) ने अक्टूबर 2022 में वर्ष 2020-21 के लिए खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर परिसंपत्ति खातों का एक संग्रह निकाला। इस संग्रह में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में 107 खनिजों का संकलन शामिल है।आईसीईडी, जयपुर में 10 से 11 जनवरी 2023 को चार राज्यों गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिसंपत्ति खातों से संबंधित सीखे गए सबक और चुनौतियों पर चर्चा की गई।

प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर पहली क्षेत्रीय संगोष्ठी जनवरी 2023 में आईसीईडी में आयोजित की गई

ii. **ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के लेखापरीक्षा पर आंतरिक क्षमता निर्माण** ब्लू इकोनॉमी पर एक नया उत्कृष्टता केंद्र आईसीईडी में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, आईसीईडी "जलवायु परिवर्तन की लेखापरीक्षा में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका पर पुस्तिका" भी तैयार कर रहा है।

आईसीईडी के अधिकारियों के उन्मुखीकरण के लिए आंतरिक क्षमता विकसित करने के लिए, ब्लू इकोनॉमी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर आईसीईडी में व्याख्यान की एक श्रृंखला आयोजित की गई। 2022-23 के दौरान, दो अवधियों में ऐसे बाईस सत्रों का आयोजन किया गया।

इन सत्रों के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (एनआईटीआई) आयोग, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के तहत राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र,भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम, पुणे),

ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टीईआरआई), राष्ट्रीय समुद्री फाउंडेशन (एनएमएफ), विश्व संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआई), मत्स्य प्रबंधन संसाधन केंद्र (फिशमार्क), पांडिचेरी विश्वविद्यालय और एमिटी विश्वविद्यालय जैसे मंत्रालयों और प्रतिष्ठित संस्थानों से विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था।

iii. **भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से लोक धारणा और अपेक्षाएं विषय पर पैनल चर्चा** पैनल चर्चा का आयोजन महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार के कार्यालय द्वारा नवंबर 2022 में किया गया था, जिसमें हितधारकों के बारे में अंतर्दृष्टि के लिए एक मंच प्रदान किया गया था, अर्थात सरकार, राजनीतिक नेता, मीडिया और अन्य वित्तीय क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ-साथ जनता लेखापरीक्षा से आशा करती है कि वे वास्तव में क्या प्राप्त कर रहे हैं।चर्चा में सीएजी की संस्था के महत्व और देश में जवाबदेही, पारदर्शिता और सुशासन को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। बिहार की प्रमुख योजनाओं और परियोजनाओं को कवर करने के लिए सीएजी की तात्कालिकता, परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता, सजातीय परियोजनाओं के लिए राज्यों में लागत का विश्लेषण और रिपोर्ट को छोटा और आसानी से पढ़ने योग्य बनाने जैसे मुद्दों को रेखांकित किया गया था। इंटरैक्टिव चर्चा को ऑनलाइन लाइव-स्ट्रीम किया गया था। इसके अलावा, बिहार में साई इंडिया के विभिन्न कार्यालयों के कर्मचारियों और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के छात्रों ने चर्चा में भाग लिया।

iv. झारखंड में, लेखापरीक्षा सप्ताह के दौरान, लेखापरीक्षा कार्यालय झारखंड द्वारा हितधारकों के साथ बातचीत का आयोजन किया गया था, जिसमें श्री रामेश्वर उरांव, वित्त मंत्री, झारखंड सरकार, श्री सरयू राय, अध्यक्ष, सीओपीयू और सुश्री दीप्ति जयराज, विशेष सचिव, वित्त विभाग, झारखंड सरकार ने भाग लिया। इस अन्त: क्रिया में, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखंड, रांची द्वारा प्रतिनिधियों के साथ सीएजी के संगठन के बारे में जागरूकता फैलाने और मुख्य हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई थी।

v. **झारखंड में प्रमुख एवं गौण खनिजों पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए कार्यशालाएं:** (i) झारखंड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली, (ii) भूविज्ञान, भूवैज्ञानिक मानचित्रण और विभेदक वैश्विक स्थिति प्रणाली (iii) पर्यावरण मंजूरी और (iv) संबंधित डोमेन में विभाग के विशेषज्ञों को आमंत्रित करके खनन योजना और खनन निगरानी प्रणाली के विषयों पर चार कार्यशालाओं का आयोजन (9-20 सितंबर 2022 के बीच) किया गया था। इन कार्यशालाओं ने विषयों के तकनीकी पहलुओं को समझने में अत्यंत सहायक सिद्ध किया।

vi. **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मेघालय** के कार्यालय में सितंबर 2022 और जनवरी 2023 में क्रमशः शहरी क्षेत्रों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर क्षैतिज निष्पादन लेखापरीक्षा के संबंध में एक अभिनव कार्यशाला और एक बाद की मध्यावधि समीक्षा आयोजित की गई। इसमें सीएजी के कार्यालय, छह पूर्वोत्तर राज्यों और सिक्किम के महालेखाकार कार्यालयों के साथ-साथ द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (टीईआरआई), राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (एनआईयूए), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर और सीएसआईआर-उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान (एएमपीआरआई) के विषय विशेषज्ञों की भागीदारी देखी गई। कार्यशाला में योजना चर्चा के परिणामस्वरूप पीए के लिए दिशानिर्देश तैयार करने के लिए एक अनुकूलित दृष्टिकोण मिला, जबकि सदस्यों द्वारा साझा किए गए केस स्टडीज के संग्रह को मानदंडों में शामिल किया गया था।

vii. **कर्नाटक** में, (i) कंपनी लेखापरीक्षक रिपोर्ट आदेश 2020, और (ii) भारतीय लेखा मानक विषयों पर दो कार्यशालाएं आयोजित की गई। कार्यशाला के मुख्य उद्देश्य थे: (क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा

करने वाली टीमों को आईएनडी एएस के नवीनतम संशोधनों और सीएआरओ से संबंधित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचनाओं और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य प्रावधानों के साथ अद्यतन किया गया था; और (ख) प्रमाणन लेखापरीक्षा के दौरान देखी गई नवीनतम अभ्युक्तियों और नए संशोधनों अर्थात इंड एएस 116, सीएआरओ 2020 आदि इंडएएस के दायरे में आने वाली कंपनियों द्वारा अपनाई गई लेखा प्रक्रियाओं के प्रभाव पर चर्चा करने के लिए प्रतिभागियों के बीच बातचीत के लिए मंच प्रदान करना।

viii. **पश्चिम बंगाल में**, वन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जून 2022 के महीने में कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं ताकि राज्य में वनस्पति और जीवों की विविधता और इसके उचित प्रबंधन में सरकार की योजना और प्रयासों पर एक समग्र विचार प्राप्त किया जा सके। एक अन्य कार्यशाला पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थी जिसमें उप अधीक्षण अभियंता, पीएचई विभाग, सरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने प्रतिभागियों को 'राष्ट्रीय जल जीवन मिशन पर विशेष जोर देने के साथ पीएचई विभाग के कार्यकरण'के ज्ञान से अवगत कराया।

खंड 5

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

- **अध्याय 1**
  संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता
- **अध्याय 2**
  सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता
- **अध्याय 3**
  सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता
- **अध्याय 4**
  द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद
- **अध्याय 5**
  अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय लेखापरीक्षा एवं लेखा अकादमी, शिमला

अध्याय 1

संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ हमारी वचनबद्धता

1.1 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक वर्षों से विभिन्न संयुक्त राष्ट्र (यूएन) संगठनों का बाह्य लेखापरीक्षक रहें है। 2022-2023 के दौरान, साई इंडिया ने निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र संगठनों का लेखापरीक्षा किया:

1.1.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)

डब्लूएचओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। डब्लूएचओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।

सीएजी को दिसंबर 2020 में समाप्त अवधि से 2020-2023 में शुरू वित्तीय अवधि के लिए डब्लूएचओ और इसकी पांच गैर-समेकित मेजबान की गई संस्थाओं का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। डब्लूएचओ की पांच गैर-समेकित संस्थाएँ हैं:

i. कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा (एसएचआई)

ii. अंतर्राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान एजेंसी (आईएआरसी)

iii. एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएआईडीएस)

iv. अंतर्राष्ट्रीय अभिकलन केंद्र (यूएनआईसीसी)

v. यूएनआईटीएआईडी (वैश्विक स्वास्थ्य पहल जो प्रमुख बीमारियों को रोकने, निदान और उपचार के लिए नवाचारों को लाने के लिए भागीदारों के साथ काम करती है।)

सात लेखापरीक्षा टीमों ने डब्ल्यूएचओ मुख्यालय, इसके क्षेत्रीय/देश कार्यालयों, वैश्विक सेवा केंद्र और इसकी गैर-समेकित संस्थाओं के वित्तीय, निष्पादन, आईटी और अनुपालन लेखापरीक्षा किए। ये लेखापरीक्षा भागीदारी अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 के दौरान ऑनसाइट किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा में विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक सेवा केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन की व्यवसाय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा शामिल थी।

1.1.2 खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ)

एफएओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। एफएओ का मुख्यालय रोम, इटली में है।

सीएजी दिसंबर 2020 में समाप्त वित्तीय अवधि से 2020-2025 की अवधि के लिए एफएओ का बाह्य लेखापरीक्षक है। पांच लेखापरीक्षा टीमों ने एफएओ मुख्यालय और इसके क्षेत्रीय/देश कार्यालयों के वित्तीय, निष्पादन, आईटी और अनुपालन लेखापरीक्षा किए। ये लेखापरीक्षा भागीदारी नवंबर 2022-मार्च 2023 के दौरान किए गए थे। लेखापरीक्षाओं में निवेश केंद्र और कार्यक्रम बजट की निष्पादन लेखापरीक्षा, कार्य योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन की रिपोर्टिंग शामिल थी। वर्ष 2022 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

1.1.3 अंतर संसदीय संघ (आईपीयू)

आईपीयू राष्ट्रीय संसदों का वैश्विक संगठन है। यह संसदों और सांसदों को शांति, लोकतंत्र और सतत विकास को प्रोन्नत करने की शक्ति देता है।

सीएजी दिसंबर 2020 में समाप्त वित्तीय अवधि से 2020 से 2022 तक तीन वर्षों के लिए आईपीयू के बाह्य लेखापरीक्षक के रूप में कार्यरत है। आईपीयू की लेखापरीक्षा फरवरी 2023 में आयोजित की गई थी।

1.1.4 रासायनिक हथियार निषेध संगठन (ओपीसीडब्लू)

ओपीसीडब्लू का मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है और रासायनिक हथियार कन्वेंशन के लिए कार्यान्वयन निकाय है, जो 29 अप्रैल 1997 से प्रवृत्त हुआ था। ओपीसीडब्लू रासायनिक हथियारों को स्थायी रूप से और सत्यापित रूप से समाप्त करने के वैश्विक प्रयास की देखरेख करता है।

सीएजी दिसंबर 2021 में समाप्त वित्तीय अवधि से 2021-2023 की अवधि के लिए ओपीसीडब्लू का बाहरी लेखापरीक्षक है। ओपीसीडब्लू का बाह्य लेखापरीक्षा अप्रैल 2023 के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा में ओपीसीडब्ल्यू के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रदर्शन लेखापरीक्षा, तकनीकी सहायता और राष्ट्रीय प्राधिकरणों को समर्थन और राष्ट्रीय कार्यान्वयन के लिए क्षमता विकास में वृद्धि शामिल थी। इसके अलावा, ओपीसीडब्ल्यू ईआरपी प्रणाली का आईटी लेखापरीक्षा भी किया गया था।

1.1.5 अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए)

आईएईए परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए वैश्विक केंद्र है, इसका मुख्यालय वियना में है। इसे संयुक्त राष्ट्र परिवार में विश्व के "शांति के लिए परमाणु" संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित, संरक्षित और शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अपने सदस्य राज्यों और कई भागीदारों के साथ काम करती है।

सीएजी 2022 से 2027 तक छह साल की अवधि, जो दिसंबर 2022 को समाप्त होने वाली वित्तीय अवधि से शुरू होता है के लिए आईएईए का बाह्य लेखापरीक्षक है। आईएईए का बाह्य लेखापरीक्षा नवंबर 2022-मार्च 2023 के दौरान किया गया था। लेखापरीक्षा में सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान और विकास का निष्पादन लेखापरीक्षा और परमाणु सुरक्षा कोष की लेखापरीक्षा शामिल थी। इसके अलावा, आईटी अनुप्रयोगों और परियोजनाओं के प्रबंधन की लेखापरीक्षा भी की गई थी। पांच टीमों ने उपरोक्त लेखापरीक्षा संपादित की।

1.2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों की बाह्य लेखापरीक्षा का हस्तांतरण

1.2.1 अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

फरवरी 2023 में, सीएजी को दिसंबर 2024 में समाप्त वित्तीय अवधि से 2024-2027 तक की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। सीएजी आईएलओ के मौजूदा बाह्य लेखापरीक्षक, फिलीपींस के सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन से कार्यभार संभालेगें। आईएलओ एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका अधिदेश अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करके सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाना है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है।

आईएलओ ने बाह्य लेखापरीक्षक की नियुक्ति के लिए एक चयन पैनल का गठन किया था और सुप्रीम ऑडिट संस्थानों (एसएआई) से बोलियां आमंत्रित की थीं। तकनीकी अनुभव और अन्य मानदंडों के आधार पर, आईएलओ ने तकनीकी प्रस्तुतियों के लिए तीन सुप्रीम ऑडिट संस्थानों (भारत, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम) को शॉर्टलिस्ट किया।

जिनेवा में, डीएआई (एचआर, आईआर और समन्वय) की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय टीम ने आईएलओ के त्रिपक्षीय चयन पैनल को ताकत, दृष्टिकोण और कौशल सेट के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लेखापरीक्षा के विशाल अनुभव को प्रस्तुत किया। चयन पैनल आईएलओ के साथ एक रणनीतिक साझेदारी विकसित करने में सीएजी के दृष्टिकोण से प्रभावित था, जिसके माध्यम से इसका उद्देश्य बाह्य लेखापरीक्षक के कार्यों को करने में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और निगरानी बनाए रखते हुए अपने रणनीतिक लक्ष्यों को पूरा करने में आईएलओ की सहायता करना है।

सीएजी की नियुक्ति अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच इसकी स्थिति के साथ-साथ इसके व्यावसायिकता, उच्च मानकों, वैश्विक लेखापरीक्षा अनुभव और मजबूत राष्ट्रीय साख का स्वीकरण है।

1.3 साई इंडिया की सक्रिय भागीदारी से जुड़े प्रमुख कार्यक्रम

1.3.1 10 जून 2022 को श्री क्यू डोंग्यु, डीजी, एफएओ के साथ सीएजी की बैठक

सीएजी ने श्री डोंग्यु के साथ बातचीत करते हुए एफएओ के रणनीतिक ढांचे 2022-2031 की सराहना की और कहा कि बेहतर उत्पादन, बेहतर पोषण, बेहतर पर्यावरण और बेहतर जीवन के 'चार बेहतर' दृष्टिकोण, अधिक कुशल, समावेशी, लचीला और टिकाऊ कृषि-खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए, एक सर्वव्यापी दृष्टिकोण होने के नाते, एफएओ को वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समर्थन प्रदान करना सुनिश्चित करता है।

सीएजी की श्री क्यू डोंग्यु, एफएओ के महानिदेशक के साथ बातचीत

सीएजी ने दूरस्थ लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से साई इंडिया का समर्थन करने के लिए एफएओ प्रबंधन को धन्यवाद दिया, जिसके लिए एफएओ द्वारा अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता थी। सीएजी ने संक्षेप में लेखापरीक्षा सिफारिशों को तैयार करने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जो परामर्शी प्रकृति की हैं, और सूचित किया कि उन्हें व्यावहारिक बनाने और संगठन के संचालन और शासन में मूल्य जोड़ने के लिए उचित विचार किया जा रहा है। सीएजी ने जोर देकर कहा कि बाह्य लेखापरीक्षा एक गलती खोजने की कवायद नहीं थी, बल्कि सिस्टम में सुधार पर केंद्रित थी।

1.3.2 डब्लूएचओ के लिए स्वतंत्र विशेषज्ञ सलाहकार निरीक्षण समिति (आईईओएसी) का दौरा

स्वतंत्र विशेषज्ञ सलाहकार निरीक्षण समिति (आईईओएसी) के सदस्यों और डब्लूएचओ अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर 2022 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल ने सीएजी से मुलाकात की और डब्ल्यूएचओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों और साई इंडिया और डब्ल्यूएचओ के समान हित के क्षेत्रों पर चर्चा की। चर्चा डब्ल्यूएचओ के लिए कुछ व्यापक जोखिम क्षेत्रों पर केंद्रित थी जोकि निम्नलिखित है:

- डब्ल्यूएचओ द्वारा शुरू की गई परिवर्तन प्रक्रिया की संवहनीयता
- जोखिम प्रबंधन
- साइबर सुरक्षा
- सतत वित्तपोषण
- कार्यबल कल्याण और मानसिक स्वास्थ्य सहित नैतिकता
- असंगत भागीदार सहभागिता
- पर्यावरण, सामाजिक और शासन
- परिणाम आधारित प्रबंधन

12 अक्टूबर 2022 को सीएजी के कार्यालय में डब्लूएचओ, आईईओएसी के प्रतिनिधि

1.3.3 तकनीकी समूह और बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक

तकनीकी समूह और बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल की वार्षिक बैठक सैंटियागो में साई चिली द्वारा आयोजित की गई थी। पैनल में 13 सुप्रीम ऑडिट संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं जो संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, फंड और कार्यक्रमों और विशेष एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाह्य लेखापरीक्षाका संचालन करने के लिए निर्वाचित किए गए हैं या चुने गए हैं। बैठक में चिली, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, घाना, फिलीपींस, रूस, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

बाह्य लेखापरीक्षकों के संयुक्त राष्ट्र पैनल की बैठक में भाग लेते हुए सीएजी

पैनल के तकनीकी समूह ने तकनीकी मामलों पर चर्चा करने के लिए 23-25 नवंबर 2022 को बैठक की और पैनल की बैठक में आगामी चर्चाओं के लिए तैयारी की गई। समिति की बैठक में तकनीकी समूह की ओर से साई इंडिया ने वित्तीय लेखापरीक्षा से जुड़े अहम मुद्दों पर सत्र की अगुवाई की गई।

पैनल के सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर आदान-प्रदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव के साथ वर्चुअल मुलाकात की:

(क) जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए आपातकालीन समन्वय कार्य
- संवहनीय रिपोर्टिंग
- सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका

(ख) प्रबंधन के मुद्दे

- लैंगिक समानता (एसडीजी 5)
- परियोजना और कार्यान्वयन भागीदार
- ज्ञान प्रबंधन
- विकास सुधार

(ग) वित्तीय मुद्दे

- नए मानकों (आईपीएसएएस) के कार्यान्वयन से पहले मसौदा मार्गदर्शन की समीक्षा के लिए बाह्य लेखापरीक्षकों के साथ भागीदारी
- वित्तीय साधनों, पट्टों, कर्मचारी लाभों के वर्गीकरण, पूंजीकरण सीमा पर मार्गदर्शन
- जमा ट्रेजरी प्रणाली प्रकटीकरण।

(घ) डिजिटल मुद्दे

- डिजिटल परिवर्तन में चुनौतियाँ
- साइबर खतरे और आईटी सुरक्षा

1.4 एंडरसन स्कूल ऑफ बिजनेस, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लेखापरीक्षा के लिए साई इंडिया प्रशिक्षण

भारत का सीएजी कई प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र संगठनों का बाह्य लेखापरीक्षक है। संयुक्त राष्ट्र संगठन अपने उच्च संरचित और कठोर लेखांकन और वित्तीय प्रबंधन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। लेखापरीक्षकों के रूप में, हमारे लिए वक्र से आगे रहना और वित्तीय प्रबंधन प्रथाओं और उभरते मुद्दों के बारे में अच्छी तरह से सूचित रहना आवश्यक है।

संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लेखापरीक्षा में हमारी तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए, वरिष्ठ लेखापरीक्षा पेशेवरों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम फरवरी 2023 में एंडरसन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (यूसीएलए) में आयोजित किया गया था, जो विश्व स्तर पर शीर्ष क्रम के विश्वविद्यालयों में से एक है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा क्षेत्रों को शामिल किया गया:

- बीमांकिक लेखांकन
- पोर्टफोलियो और जोखिम प्रबंधन
- जोखिम का प्रबंधन करने के लिए डेरिवेटिव
- हेजिंग और बाजार
- निवेश सिद्धांत: इष्टतम आवंटन
- बीमा लाभों के लिए प्रावधान
- मुद्रास्फीति से प्रेरित दुनिया में पेंशन फंड और संपत्ति आवंटन का पुनर्निर्देशन। मूल्यांकन। लेखापरीक्षा टीम समूह कार्य
- पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रिपोर्टिंग

प्रशिक्षण में शामिल बिन्दुओं ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकायों के वित्तीय लेखापरीक्षा की निगरानी में अधिकारियों के ज्ञान को समृद्ध किया।

प्रशिक्षण में चर्चाओं के परिणाम में "भविष्य के लेखापरीक्षा प्रश्न और चुनौतियाँ" शामिल थे - बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा में उपयोग किए जाने वाले व्यावहारिक लेखापरीक्षा प्रश्न।

अध्याय 2

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

2.1 इंटोसाई का अवलोकन

लेखापरीक्षा संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) बाह्य सरकारी लेखापरीक्षा समुदाय के लिए एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में काम करता है। 1953 में स्थापित, इंटोसाई में 195 पूर्ण सदस्य, पांच सहयोगी सदस्य और दो संबद्ध सदस्य हैं। इंटोसाई एक स्वायत्त, स्वतंत्र और गैर-राजनीतिक संगठन है जिसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) के साथ विशेष सलाहकार का दर्जा प्राप्त है। इंटोसाई का सिद्धात 'परस्पर अनुभव, सबका लाभ' है।

इंटोसाई की चार मुख्य समितियां हैं जो इसके चार नीतिगत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इसकी वाहक हैं। ये समितियां हैं:

i. व्यावसायिक मानक समिति

ii. क्षमता निर्माण समिति

iii. ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवा समिति

iv. नीति, वित्त और प्रशासन समिति

2.2 इंटोसाई ज्ञान सहभाजन समिति (केएससी)

ज्ञान सहभाजन और ज्ञान सेवाओं पर इंटोसाई समिति - (केएससी) की स्थापना के बाद से, सीएजी केएससी और इसकी संचालन समिति (केएससी एससी) के अध्यक्ष है।

ज्ञान सहभाजन समिति संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अपनी समर्पित वेबसाइट - इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के सभी पहलुओं में मार्गदर्शन दस्तावेज, हैंडबुक, सर्वोत्तम प्रथाओं और शोध पत्र विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केएससी के पास सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले 12 कार्य समूह[1] हैं।

2.2.1 क़ाहिरा, मिस्र में आयोजित केएससी संचालन समिति की 14 वीं वार्षिक बैठक

केएससी संचालन समिति की 14वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी मिस्र के जवाबदेही राज्य प्राधिकरण द्वारा 12 और 13 सितंबर 2022 को क़ाहिरा, मिस्र में की गई थी। सीएजी ने बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में मिस्र, भारत, केन्या, नाइजर और कतर के साई के प्रमुखों सहित 16 से अधिक साई के 48 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में रूसी संघ के साई प्रमुख और इंटोसाई के अध्यक्ष का एक वीडियो-रिकॉर्डेड संदेश भी शामिल था।

[1] https://cag.gov.in/en/page-involvement-with-intosai

सीएजी 14वीं केएससी एससी बैठक का उद्घाटन करते हुए

सीएजी ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के कई क्षेत्रों में मूल्यवान उत्पादों को लाकर जरूरतों को पहचानने और अंतराल को भरने में केएससी की भूमिका को रेखांकित किया और आगामी इंटोसाई कांग्रेस में केएससी कार्यकारी समूह द्वारा विकसित 11 दस्तावेजों को संभावित रूप से जारी करने की घोषणा की, जिसमें विभिन्न जन-केंद्रित मुद्दों को शामिल किया गया है, जैसे कि प्लास्टिक कचरे का लेखापरीक्षा, संवहनीय परिवहन, जलवायु वित्तपोषण, संवहनीयता के मुद्दों की लेखापरीक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, आईटी गवर्नेंस की लेखापरीक्षा, ऋण प्राधिकरण, चोरी की संपत्ति की वसूली और सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार की रोकथाम के साथ-साथ नवंबर 2022 से पहले, सार्वजनिक खरीद लेखापरीक्षा पर एक मार्गदर्शन।

सीएजी ने याद दिलाया कि आने वाले वर्षों के लिए केएससी की नीतियों को इंटोसाई की प्रतिबद्ध प्राथमिकताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके अनुरूप होना चाहिए, जैसे कि साई व्यावसायिकता का समर्थन करना, अस्थिर राजनीतिक स्थितियों, विपत्तिपूर्ण घटनाओं, वित्तीय बाजारों में बदलाव और जलवायु में बदलाव द्वारा चिह्नित अत्यंत जटिल और तेजी से विकसित वैश्विक परिस्थितियों का सामना करने के लिए तथा समानता और समावेशिता के आदर्शों के लिए भी साई का समर्थन करना। सीएजी ने सदस्यों से वैश्विक मेगाट्रेंड्स से अवगत रहने और नीतिगत रूप से खुद को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु वित्तपोषण, फोरेंसिक लेखापरीक्षा, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन आदि जैसे चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों की लेखापरीक्षा करने के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया, जहां लेखापरीक्षा का अभ्यास कठिन है और प्रक्रियाओं को स्थापित किया जाना बाकी है।

14 वीं वार्षिक केएससी एससी बैठक, कायरो, मिस्र में प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख

2.3 ज्ञान विकास

2.3.1 इंटोसाई मार्गदर्शन

केएससी के अध्यक्ष के रूप में, साई इंडिया के नेतृत्व में निजीकरण के निष्पादन लेखापरीक्षा (जीयूआईडी 5320) पर इंटोसाई गाइडेंस (जीयूआईडी)[2] और साई रूस के नेतृत्व में सार्वजनिक खरीद लेखापरीक्षा (जीयूआईडी 5280) पर मार्गदर्शन के विकास में योगदान दिया है।

इसके अलावा, केएससी के तहत कार्यकारी समूह निम्नलिखित दस्तावेजों के विकास में सफल रहे:

कार्यकारी समूह	दस्तावेज़ का शीर्षक
भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ लड़ाई	• सार्वजनिक निधि पर सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देने पर दिशानिर्देश
	• चोरी की गई संपत्ति की वसूली पर दिशानिर्देश
	• सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार निवारण की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश
आईटी लेखापरीक्षा	• साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण चुनौतियों पर दिशानिर्देश
	• आईटीगवर्नेंस, अनुबंध प्रबंधन एवं संधारणीयता (साई इंडिया) सहित आईटी प्रबंधन कार्यों की लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश
	• आईटी लेखापरीक्षा पर वैश्विक पाठ्यक्रम (साई इंडिया)
	• अद्यतित 2022 डब्ल्यूजीआईटीए –आईडीआइ आईटी लेखापरीक्षा हैंडबुक (साई इंडिया, साई यूएसए, आईडीआइ)
पर्यावरण लेखापरीक्षा	• प्लास्टिक कचरे की लेखापरीक्षा: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए अनुसंधान और लेखापरीक्षा बेंचमार्क (एसडीजी 12)
	• क्लाइमेट वित्तपोषन की लेखापरीक्षा: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के लिए शोध एवं लेखापरीक्षा मापदण्ड
	• संवहनीय परिवहन की लेखापरीक्षा: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए मार्गदर्शन (एसडीजी 11)
	• सतत विकास लक्ष्यों की लेखापरीक्षा: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए नीति सुसंगतता और बहु-हितधारक सहभागीदारी पर प्रमुख सिद्धांत और उपकरण
महत्त्वपूर्ण डेटा	• डेटा एनालिटिक्स के साथ लेखापरीक्षा गतिविधियों के संचालन पर दिशानिर्देश
	• लेखापरीक्षा टेक्नोलॉजीज इनोवेशन पर अनुसंधान कार्यक्रम
निष्कर्षण उद्योगों की लेखापरीक्षा	• सेवा अनुबंध के तहत तेल कंपनियों के लिए सरकारी लेखापरीक्षा का ढांचा
	• निष्कर्षण उद्योग लेखापरीक्षक टूलकिट (ईआइ टूलकिट)

[2] दोनों दस्तावेज यहां उपलब्ध हैं https://www.issai.org/

इंटोसाई नीतिगत योजना 2017-19 के तहत, केएससी साई इंडिया के नेतृत्व में "लेखापरीक्षा संवाद तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों की रेपोर्टिंग" पर अनुसंधान परियोजना चला रहा है। इस शोध के परिणामस्वरूप अनुसंधान विषय पर साई की सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान की जाएगी.

2.4 इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में

साई इंडिया ने इंटोसाई समुदाय में निरंतर बातचीत की सुविधा के लिए एक इंटोसाई सामुदायिक पोर्टल विकसित किया है। पोर्टल को www.intosaicommunity.net या www.intosaiportal.org पर एक्सेस किया जा सकता है। इंटोसाई कम्युनिटी पोर्टल इंटोसाई समुदाय के लिए ज्ञान केंद्र के रूप में कार्य करता है।

2.5 इंटोसाई नीतिगत योजना और नीतिगत विकास योजना

इंटोसाई नीतिगत योजना इंटोसाई के मिशन, दृष्टि, मूल्यों, संगठनात्मक प्राथमिकताओं को स्पष्ट करती है। इंटोसाई की नीतिगत विकास योजना (एसडीपी) का उद्देश्य पेशेवर घोषणाओं के इंटोसाई फ्रेमवर्क (आईएफपीपी) को पेशेवर घोषणाओं के एक स्पष्ट, सुसंगत और प्रासंगिक समूह की ओर विकसित करना है, ऐसा करने में, व्यावसायिकता और ढांचे की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है।

2023-28 की अवधि के लिए इंटोसाई नीतिगत योजना 24वें इंकोसाई 2022 में विकसित और समर्थित की गई है और 2023-2025 की अवधि के लिए इंटोसाई नीतिगत विकास योजना (एसडीपी) तैयार की जा रही है। योजना प्रक्रिया में व्यापक परामर्शी प्रक्रियाएं शामिल हैं जिनमें कार्यकारी समूहों, उपसमितियों, इंटोसाई के कार्य धाराओं के साथ-साथ क्षेत्रों, इंटोसाई के अन्य भागों और बाह्य हितधारकों की भागीदारी शामिल है।

साई इंडिया नें, केएससी अध्यक्ष के रूप में, इंटोसाई नीतिगत योजना 2023-28 के विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया और नीतिगत विकास योजना के लिए प्रारंभिक सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपने कार्यकारी समूहों से परामर्श किया।

2.6 आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीआईटीए)

सीएजी 1989 में अपनी स्थापना के बाद से आईटी लेखापरीक्षा (डब्ल्यूजीआईटीए) पर इंटोसाई कार्यकारी समूह का अध्यक्ष रहे। डब्ल्यूजीआईटीए का उद्देश्य साई को आईटी के उपयोग और लेखापरीक्षा में उनके ज्ञान और कौशल को विकसित करने में सहायता करना है। वर्तमान में, डब्ल्यूजीआईटीए में साई इंडिया और छह पर्यवेक्षकों सहित 57 सदस्य हैं।

2.6.1 इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 31वीं वार्षिक बैठक

डब्ल्यूजीआईटीए की 31वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी 23 मई 2022 को साई इंडिया द्वारा वर्चुअल रूप से की गई थी। बैठक के दौरान, विभिन्न परियोजना समूहों ने अपने कार्य की प्रगति प्रस्तुत की। डब्ल्यूजीआईटीए की टीमें वर्तमान में साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण, आईटी प्रबंधन की लेखापरीक्षा, सूचना प्रणाली के निष्पादन मूल्यांकन आदि से संबंधित परियोजनाओं पर काम कर रही हैं।

सीएजी 31वीं डब्ल्यूजीआईटीए बैठक के लिए उद्घाटन भाषण देते हुए

इंटोसाई विकास पहल के साथ-साथ बिग डेटा पर कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीबीडी) और लेखापरीक्षा पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभाव पर (डब्ल्यूजीआईएसटीए) ने भी अपने काम पर प्रस्तुतियां दीं। 2023-25 के लिए नई डब्ल्यूजीआईटीए कार्य योजना के तहत परियोजनाओं और गतिविधियों पर भी सदस्यों द्वारा विचार-विमर्श किया गया।

कार्यकारी समूह को संबोधित करते हुए, सीएजी ने बताया कि ई-गवर्नेंस[3] परियोजनाओं को परियोजना प्रबंधन के पारंपरिक प्रतिमानों से परे जाना होगा और नागरिक इंटरफेस और बैकएंड प्रौद्योगिकी पर समान ध्यान देना होगा। हालांकि ई-गवर्नमेंट सिस्टम कार्य आसान करते हैं, वे डेटा गोपनीयता, राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करने से संबंधित जोखिमों को भी उठाते हैं।

2.6.2 ई-खरीद की लेखापरीक्षा पर वेबिनार

साई इंडिया ने 24 मई 2022 को इंटोसाई डब्ल्यूजीआईटीए की 31वीं वार्षिक बैठक में ई-खरीद सिस्टम के आईटी लेखापरीक्षा पर एक वेबिनार की मेजबानी की। सीएजी ने वेबिनार का उद्घाटन किया और ई-खरीद सिस्टम के आईटी लेखापरीक्षा आयोजित करने की सामयिकता और इस तरह के लेखापरीक्षा में आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर बात की। सदस्य साई के 220 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ई-खरीद में सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार और किराए की मांग को खत्म करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि साई इंडिया ने एक दशक से अधिक समय से ई-खरीद प्लेटफार्मों और प्रणालियों के आईटी लेखापरीक्षा को प्राथमिकता दी है। इन आईटी लेखापरीक्षा ने आमतौर पर

[3] भाषण का पूरा पाठ पर https://cag.gov.in/uploads/cag_speeches/speeches उपलब्ध है:

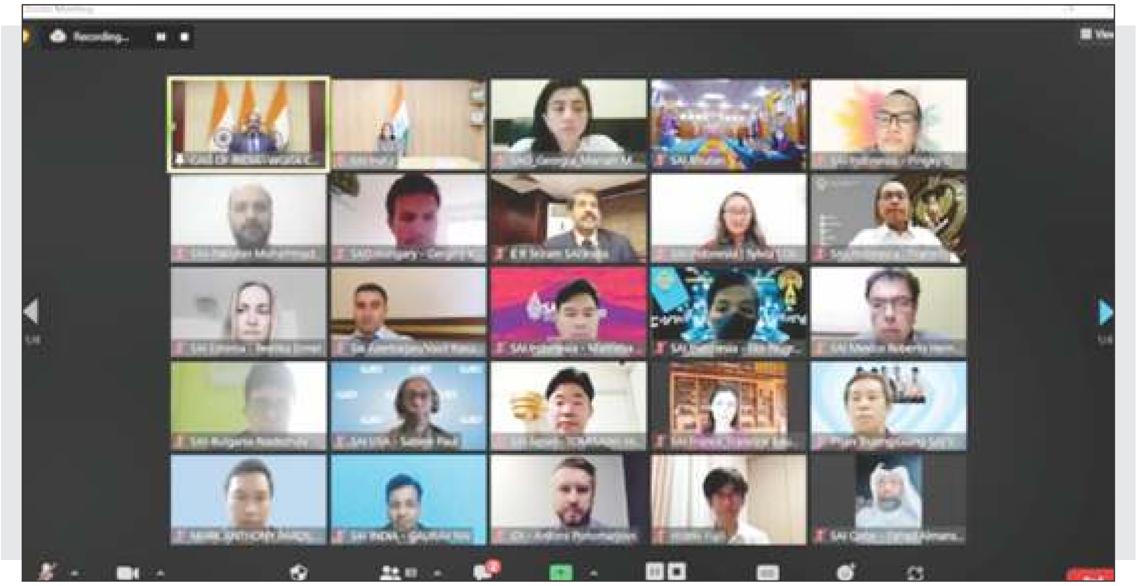

ई-खरीद की लेखापरीक्षा पर वेबिनार के प्रतिभागी

प्लेटफार्मों के प्रबंधन, उपयोगकर्ता अनुभव, गोपनीयता, सुरक्षा सुविधाओं और ई-खरीद सिस्टम के लिए गुणवत्ता आवश्यकताओं के अनुपालन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया है।

2.6.3 डब्ल्यूजीआईटीए ज्ञान विकास

डब्ल्यूजीआईटीए ने निम्नलिखित तीन दस्तावेज विकसित किए:

- साई मेक्सिको के नेतृत्व में साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण चुनौतियों पर दिशानिर्देश
- साई इंडिया के नेतृत्व में आईटी गवर्नेंस, अनुबंध प्रबंधन और संवहनीयता सहित आईटी प्रबंधन कार्यों के लेखापरीक्षा पर दिशानिर्देश
- साई इंडिया के नेतृत्व में आईटी लेखापरीक्षा के लिए वैश्विक पाठ्यक्रम

इसके अलावा, डब्ल्यूजीआईटीए ने इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई) के सहयोग से, साई लेखापरीक्षकों को मानकों और आईटी लेखापरीक्षा पर सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त उपयोगी प्रथाओं को प्रदान करने के लिए 2014 में एक आईटी लेखापरीक्षा हैंडबुक विकसित[4] की। इस परियोजना का नेतृत्व साई इंडिया, साई यूएसए और आईडीआई ने किया था। हैंडबुक का 2022 संस्करण उन प्रमुख क्षेत्रों के स्पष्टीकरण को अद्यतित करता है जिन्हें आईटी लेखापरीक्षा के समय आईटी लेखापरीक्षकों को देखने की आवश्यकता हो सकती है।

2.7 इंटोसाई अनुपालन लेखा परीक्षा उपसमिति (सीएएस)

सीएजी 2017 से इंटोसाई के पहले लक्ष्य अर्थात व्यावसायिक मानक समिति के तहत अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) के अध्यक्ष है। सीएएस को अनुपालन लेखापरीक्षा की अवधारणा को स्पष्टता प्रदान करने, अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना, निष्पादन और रिपोर्ट करने के तरीके पर व्यावहारिक मार्गदर्शन देने और अनुपालन

[4] अद्यतित हैंडबुक को https://idi.no/elibrary/relevant-sais/lota/wgita-idi-handbook-on-it-audit-for-sais/1632-wgita-idi-handbook-on-it-audit-for-sais-2022-en?format=html लिंक पर एक्सेस किया जा सकता है

लेखापरीक्षा के लिए इंटोसाई पेशेवर घोषणाओं को विकसित करने का अधिदेश सौंपा गया था। वर्तमान में, सीएएस में 21 सदस्य और दो पर्यवेक्षक हैं।

2.7.1 इंटोसाई सीएएस की 19 वीं वार्षिक बैठक

इंटोसाई अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) की 19वीं वार्षिक बैठक अगस्त 2022 में बैंगलुरु, भारत में आयोजित की गई थी।

जॉर्जिया, मालदीव, नामीबिया, नॉर्वे, पुर्तगाल, कतर, रूस, यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, फ्रांस, थाईलैंड, चीन, ट्यूनीशिया, अजरबैजान, साऊदी अरब, स्लोवाकिया और रोमानिया के साई के प्रतिनिधियों, इंटोसाई विकास पहल और एएफआरओएसएआई-ई[5] ने बैठक में भाग लिया।

सीएजी ने अनुपालन लेखापरीक्षा उपसमिति (सीएएस) की वार्षिक बैठक के उद्घाटन पर भाषण दिया

सीएजी ने प्रतिनिधियों से प्रौद्योगिकी के सक्षम और विघटनकारी प्रभावों, जलवायु परिवर्तन के परिणामों और संयुक्त राष्ट्र 2030 एजेंडा के कार्यान्वयन का समर्थन करने की आवश्यकता सहित भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सीएएस की नीतियों को तैयार करने का आग्रह किया; तथा धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए और; यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों द्वारा लेखापरीक्षा समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए काम करती है।

बैठक में हैदराबाद में झीलों के संरक्षण पर अनुपालन लेखापरीक्षा, 2030 एजेंडा की उपलब्धि में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) रिपोर्टिंग की भूमिका, अनुपालन लेखापरीक्षा के अभ्यास पर साई की न्यायिक गतिविधियों पर एक नए कानून के प्रभाव आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रस्तुतियां दी गईं।

[5] सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अफ्रीकी संगठन

श्री हुसैन नियाज़ी, मालदीव के महालेखापरीक्षक, डीएआई (रिपोर्ट राज्य-एनआर) और डीएआई (जीए) और अध्यक्ष, गसब 19वें इंटोसाई सीएएस में

19वीं वार्षिक सीएएस बैठक के प्रतिभागी

2.7.2 सीएएस त्रैवार्षिक कार्य योजना 2023-2025

2023-2025 की अवधि के लिए सीएएस की त्रैवार्षिक कार्य योजना को सदस्यों, पर्यवेक्षकों और भागीदारों के सीएएस समुदाय के भीतर व्यापक परामर्श और विचार-विमर्श के माध्यम से आकार दिया गया था। कार्य योजना में समावेशिता और समानता के अनुपालन लेखा परीक्षा पर एक अवधारणा पत्र के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें लिंग, गरीबी आदि जैसे समस्या के कई आयामों को शामिल किया गया है।

2.8 आईडीआई के साथ सहयोग

मई 1999 में स्थापित इंटोसाई विकास पहल (आईडीआई), एक इंटोसाई निकाय है जो विकासशील देशों में साई को

प्रदर्शन, स्वतंत्रता और व्यावसायिकता को स्थायी रूप से बढ़ाने के लिए समर्थन करता है।

- आईडीआई ने साई को अपने प्रौद्योगिकी परिदृश्य की खोज करने, प्रौद्योगिकी की सहायता से लेखापरीक्षण के लिए उपयुक्त पद्धति और उपकरणों को डिजाइन करने और कार्यान्वित करने में सहायता करने के लिए "प्रौद्योगिकी उन्नति का उत्तोलन (एलओटीए)" की पहल शुरू की।
- आईडीआई ने 24-25 नवंबर 2022 को 'आईडीआई लर्निंग फेस्टिवल के लिए संस्थापकों की बैठक' आयोजित की, जिसमें पेशेवरों को यह पहचानने के लिए एक साथ लाया गया कि व्यवसायों का निर्माण कैसे किया जाए, हमें किस प्रकार का नेटवर्क बनाना चाहिए और लोगों को किस प्रकार के निरंतर व्यावसायिक विकास की आवश्यकता है।
- आईडीआई ने 'साई युवा नेता' कार्यक्रम 2017-2018 लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य 'साई में सकारात्मक बदलाव में योगदान देने वाले बदले हुए साई युवा नेताओं' का निर्माण करना है।
- वैश्विक साई जवाबदेही पहल (जीएसएआई) का उद्देश्य साई की क्षमता को मजबूत करना और बनाए रखना है और चुनौतीपूर्ण वातावरण में साई की पहचान करता है और उनकी क्षमताओं और प्रदर्शन को मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जीएसएआई को 2021 में इंटोसाई दाता सहयोग (आईडीसी) के समकक्ष के हिस्से के रूप में उतारा गया था।

साई इंडिया इन आईडीआई पहलों में सक्रिय रूप से भाग लेता है जिसमें परियोजनाओं का नेतृत्व करने के लिए मार्गदर्शक प्रदान करना शामिल है। उदाहरण के लिए, एडीएआई (आईआर एवं समन्वय), ने एक आईडीआई प्रमाणित प्रशिक्षण विशेषज्ञ होने के नाते, विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए सहकर्मियों के लिए एक सलाहकार के रूप में कार्य किया है, और साई लेखापरीक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा (पीईएसए) पहल के लिए उपयोग किए जाने वाले नवीनतम डिजिटल शिक्षा प्रारूप सहित आईडीआई ई-लर्निंग पहल में शामिल रहा है।

2.9 इंटोसाई के अन्य प्रमुख आयोजन

2.9.1 24वें सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस (इंकोसाई) 2022

24वें इंकोसाई 7 नवंबर 2022 -11 नवंबर 2022 के बीच ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में एक्सपोमैग में आयोजित किया गया था। कांग्रेस के दो मुख्य विषय थे: "आपातकालीन स्थितियों में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका"

10 नवंबर 2022 को इंकोसाई विषय I: 'आपातकालीन स्थितियों में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका' पर पूर्ण सत्र और समूह चर्चा में सीएजी

और "वैश्विक आवाज, वैश्विक परिणाम और दूरगामी प्रभाव"।

विषय I: 'आपातकालीन स्थितियों में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका'

चर्चा निम्नलिखित तीन प्रश्नों के आसपास केंद्रित थी:

- सरकार जोखिम का आकलन और प्रबंधन? के संदर्भ में साई सरकारी तैयारियों की लेखापरीक्षा कैसे कर सकती है? साई किस तरीके से यह निर्धारित कर सकते हैं कि सरकार के कार्य या खर्च एक निश्चित आपातकाल के जोखिम के अनुपात में हैं या नहीं?
- इंटोसाई साई को प्रशिक्षण या लेखापरीक्षा पद्धति कैसे प्रदान कर सकता है जो आपातकालीन स्थिति के जवाब में किए गए आपातकालीन खरीद पर व्यय को सत्यापित कर सके?
- इंटोसाई और साई आपात स्थितियों के दौरान संचालन की निरंतरता बनाए रखने और सरकारी तैयारियों और प्रतिक्रिया की प्रभावी निगरानी प्रदान करने के लिए साई लचीलापन और क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या नई साझेदारी की खोज की जा सकती है या खोजी जानी चाहिए? हमारा समुदाय क्षमता निर्माण के प्रयासों को कैसे बढ़ा सकता है?

साई इंडिया ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे अधिक रिकवरी खर्च सार्वजनिक स्वास्थ्य, डिजिटलीकरण, सामाजिक सुरक्षा, निवेश और सार्वजनिक खर्च को प्राथमिकता देने / बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन पैकेज को प्राथमिकता देता है। इस प्रकार, साई की लेखापरीक्षा विभिन्न क्षेत्रों के विघटन के लिए उपायों/कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर सकती है और हस्तक्षेप, त्वरित टर्न अराउंड उपायों की स्थापना के लिए नीतियों के माध्यम से प्रभाव को स्थानीय बनाने का प्रयास कर सकती है - उदाहरण के लिए, अन्य बातों के अलावा - ऑक्सीजन संयंत्र, सुरक्षात्मक किट, टीके निदान, उपचार, टीके, महामारी विज्ञान, विनिर्माण और चिकित्सा और डिजिटल प्रौद्योगिकी, सामान्य समय के दौरान और आपात स्थिति के दौरान सरकारी खरीद नियमों के आवेदन, विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण में तेजी लाना, आपातकाल के लिए संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण आदि।

विषय II: 'वैश्विक आवाज, वैश्विक परिणाम, दूरगामी प्रभाव'

साई इंडिया ने चर्चाओं के दौरान हस्तक्षेप किया और निम्नलिखित पर प्रकाश डाला:

- वैश्विक आवाज और जवाबदेही परिणाम को बढ़ाने के लिए, साई को एक संचार नीति की आवश्यकता है जो जवाबदेही प्रक्रियाओं में नागरिक भागीदारी और लेखापरीक्षित संस्थाओं के साथ निरंतर संचार बनाए रखने के साथ शुरू हो सकती है जो लेखापरीक्षकों को अंतराल की पहचान करने में मदद करेगी। साई को लेखापरीक्षा रिपोर्ट में संचार की भूमिका और भाषा के उपयोग, प्रतिभागियों के बीच विश्वास की भूमिका और यह सुनिश्चित करने में हितधारकों की भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि लेखापरीक्षा सिफारिशें न केवल स्वीकार की जाती हैं बल्कि लागू की जाती हैं।
- ग्लोबल साई उत्पाद किसी देश के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और उच्चतम जोखिमों की पहचान करने में मदद करेंगे, जब यह चयन किया जाएगा कि प्रदर्शन के लिए लेखापरीक्षा करने और उन सिफारिशों को विकसित करने के लिए कौन से लक्ष्य हैं जो मूल्य प्रदान करते हैं और सभी हितधारकों के लिए उपयोगी हैं।
- अतिरिक्त चुनौतियों में 2030 एजेंडा के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाना शामिल है, जैसे कि किसी को पीछे नहीं छोड़ना और एसडीजी की परस्पर संबद्धता और अविभाज्यता।

- लेखापरीक्षा उत्पादों की प्रभावशीलता को बढ़ाने में विभिन्न लक्ष्य पीठों के साथ सहयोगात्मक कार्य भागीदारी महत्वपूर्ण है। साई में क्रॉस कटिंग मुद्दों को संबोधित करना और एक दूसरे के परिणाम से अनुभव का लाभ उठाने से एक मजबूत जवाबदेही ढांचा तैयार होगा।

इंटोसाइ के मौके पर, 5वीं केएससी मुख्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 20 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। केएससी अध्यक्ष के रूप में सीएजी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि केएससी और उसके कार्य समूह, पिछले तीन वर्षों के दौरान, साई की पेशेवर आवश्यकताओं को पहचानने और सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा के मूल्यवान मार्गदर्शन को विकसित करके अंतराल को पाटने में सहायक रहे हैं, जिसमें विभिन्न जन-केंद्रित मुद्दों जैसे प्लास्टिक कचरे की लेखापरीक्षा, संवहनीय परिवहन, जलवायु वित्तपोषण, स्थिरता के मुद्दों की लेखापरीक्षा, साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण, आईटी गवर्नेंस की लेखापरीक्षा, डेटा एनालिटिक्स, प्रौद्योगिकी नवीनीकरण, सार्वजनिक धन का सामाजिक नियंत्रण, चोरी की संपत्ति वसूली, सार्वजनिक खरीद में भ्रष्टाचार की रोकथाम, निष्कर्षण उद्यौग लेखापरीक्षा टूलकिट और सरकारी लेखापरीक्षा मानकों का निष्कर्षण उद्योग फ्रेमवर्क।

इसके अलावा, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सार्वजनिक ऋण की लेखापरीक्षा, आपदा प्रबंधन की लेखापरीक्षा, निजीकरण का प्रदर्शन लेखापरीक्षा और सार्वजनिक खरीद लेखापरीक्षा पर इंटोसाई मार्गदर्शन का विकास है। इस प्रकार, केएससी ने इंटोसाई के सदस्यों की सामूहिक पेशेवर विशेषज्ञता को आकर्षित करके, इंटोसाई के आदर्श वाक्य "पारस्परिक अनुभव, सभी को लाभ" का संचालन किया है।

सीएजी ने रेखांकित किया कि केएससी अब नई इंटोसाई नीतिगत योजना के साथ अतिरिक्त जिम्मेदारियों और नई प्राथमिकताओं के युग में उभर रहा है, जो बदलते समय की चिंताओं, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने में लचीलापन और लेखापरीक्षा के पारंपरिक फोकस के साथ-साथ समानता और समावेशिता के पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता को स्पष्ट करता है। नई केएससी परिचालन योजना यह सुनिश्चित करने का एक प्रयास है कि प्रत्येक साई अपने अधिदेश का पूर्ण संभव तरीके से निर्वहन करने में सक्षम हो।

2.9.2 24वें इंकोसाई 2022 के मौके पर वैज्ञानिक समिति

वैज्ञानिक समिति, 24वें इंकोसाई का एक अकादमिक पक्ष कार्यक्रम 7-10 नवंबर 2022 तक रियो डी जनेरियो, ब्राजील में आयोजित किया गया था। साई इंडिया के अधिकारियों ने वैज्ञानिक समिति के विशेषज्ञों के रूप में भाग लिया और इन विषयों पर प्रस्तुति दी - कैसे सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान (एसडीजी 5); तक पहुंचने में योगदान कर सकते हैं; लैंगिक समानता; बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल के विकास में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका; और सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का डिजिटल परिवर्तन।

डब्ल्यूजीईए ने चार परियोजनाएं शुरू कीं, जिन्हें 24वें इंकोसाई 2022 में अनुमोदित किया गया है। इनमें से, "प्लास्टिक अपशिष्ट की लेखापरीक्षा: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के लिए अनुसंधान और लेखापरीक्षा बेंचमार्क (एसडीजी 12)" पर दस्तावेज के विकास की परियोजना का नेतृत्व साई इंडिया द्वारा किया गया था।

अध्याय 3

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन के साथ हमारी वचनबद्धता

3.1 एसोसाई का अवलोकन

1978 में स्थापित सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के एशियाई संगठन(एसोसाई), इंटोसाई के सात क्षेत्रीय संगठनों में से एक है। 1979 में नई दिल्ली में आयोजित इसके पहले सम्मेलन के साथ यह कार्य करने लगा। भारत एसोसाई का चार्टर सदस्य है। वर्तमान में इसके 47 सदस्य हैं।

एसोसाई के उद्देश्य हैं:

- सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान के माध्यम से सदस्य संस्थानों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देना।
- गुणवत्ता और प्रदर्शन में सुधार की दृष्टि से सरकारी लेखापरीक्षकों के लिए प्रशिक्षण और सतत शिक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- सूचना के केंद्र के रूप में और सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में दुनिया के अन्य हिस्सों में संस्थानों के साथ एक क्षेत्रीय कड़ी के रूप में सेवा करने के लिए।
- संबंधित सदस्य संस्थानों की सरकारों की सेवा में लेखापरीक्षकों के बीच और क्षेत्रीय समूहों के बीच घनिष्ठ सहयोग और भाईचारे को बढ़ावा देना।

3.2 एसोसाई जर्नल

सरकारी लेखापरीक्षा का एसोसाई जर्नल के संपादकों के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को 2021-2024 की अवधि के लिए एसोसाई के शासी बोर्ड (जीबी) की पदेन सदस्यता प्रदान की गई है। एसोसाई जर्नल वर्ष में दो बार प्रकाशित होता है। साई सदस्य एसोसाई पत्रिका के लिए लेखों का योगदान कर रहे हैं।

साई इंडिया ने अगस्त 2021 में एसोसाई पत्रिका की संशोधित वेबसाईट लॉन्च की, जिसमें गुणवत्तापूर्ण ज्ञान सामग्री, उन्नत डिजाइन और पहल सुविधाओं के साथ अपने उपयोगकर्ताओं के पढ़ने के अनुभव को ऊपर उठाने के लिए डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ के साथ फिर से डिज़ाइन करके लॉन्च किया गया था। साई इंडिया ने सार्वजनिक उत्तरदायित्व और लेखापरीक्षा बंधुता के बीच अपनी व्यापक पहुंच और प्रसार के लिए एसोसाई जर्नल @ASOSAIJournal का ट्विटर हैंडल भी लॉन्च किया।

अक्टूबर 2022 में "प्लास्टिक अपशिस्ट की लेखापरीक्षा" विषय पर ई-जर्नल का अंतिम अंक वेबसाइट www.asosaijournal.org पर होस्ट किया गया था।

3.3 एसोसाई गतिविधियों में साई इंडिया की भागीदारी

3.3.1 58वीं एसोसाई शासी बोर्ड की बैठक

एसोसाई शासी बोर्ड की 58वीं बैठक मई 2022 में आयोजित की गई थी। सीएजी ने एसोसाई जर्नल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए जीबी सदस्यों को संशोधित एसोसाई जर्नल वेबसाइट के बारे में अवगत कराया। एसोसाई पत्रिका ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाने और संचार को बढ़ाने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है।

सीएजी ने जीबी सदस्यों को ट्विटर पर एसोसाई पत्रिका की सोशल मीडिया उपस्थिति के बारे में भी सूचित किया, जो अंतर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और उत्तरदायी बंधुता में बेहतर पहुँच और दृश्यता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और फौलोवरों की संख्या में लगातार वृद्धि देख रहा है।

सीएजी ने एसोसाई के लिए आईटी लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स पर एक कार्यकारी समूह की स्थापना का प्रस्ताव रखा और नए समूह की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में आईटी लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स पर एक नए एसोसाई वर्किंग ग्रुप की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एसोसाई सदस्यों से मिलकर एक विशेष समिति बनाने के लिए शासी बोर्ड के सदस्यों का समर्थन मांगा गया है। रिपोर्ट में आईटी लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक कार्यकारी समूह की स्थापना के उद्देश्य और लाभों पर प्रकाश डाला गया है।

एसोसाई शासी बोर्ड की 58वीं बैठक में भाग लेते हुए सीएजी

3.3.2 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना

उभरते क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर जोर देने के मद्देनजर, साई इंडिया एसोसाई की सभी अनुसंधान परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देता है। 8 सितंबर 2021 को आयोजित एसोसाई की 57वीं शासी बोर्ड की बैठक के दौरान, "साई के लिए रिमोट लेखापरीक्षा: भविष्य एवं चुनौतियाँ" विषय को 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना के विषय के रूप में चुना गया था। साई इंडोनेशिया द्वारा आयोजित 13वीं एसोसाई अनुसंधान परियोजना की पहली बैठक 12 मई 2022 को परियोजना की रूपरेखा, इसमें शामिल सभी सदस्यों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, कार्य वितरण, साथ ही इस परियोजना की समयरेखा पर चर्चा करने और सहमत होने के लिए आयोजित की गई थी।

3.3.3 अन्य एसोसाई कार्यक्रम

3.3.3.1 वार्षिक एसोसाई संगोष्ठी

7 फरवरी 2023, 14 फरवरी 2023 और 15 फरवरी 2023 को साई जापान द्वारा "आईटी लेखापरीक्षा में चुनौतियां और उनसे कैसे निपटें" विषय पर एसोसाई ज्ञान वर्धक संगोष्ठी की मेजबानी की गई थी।

3.3.3.2 संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीसीएमए)

बीएआई कोरिया के नेतृत्व में यह कार्यकारी समूह, संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा के क्षेत्र में ज्ञान और अनुभव का आदान-प्रदान करके भविष्य के संकटों का बेहतर जवाब देने के लिए उन्नत क्षमताओं को प्राप्त करने का एक मंच है। बीएआई कोरिया ने 11 मई 2022 को एसोसाई संकट प्रबंधन लेखापरीक्षा पर कार्यकारी समूह (डब्ल्यूजीसीएमए) के लिए किक-ऑफ बैठक आयोजित की।

3.3.3.3 राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (डब्ल्यूजीएसओई) पर कार्यकारी समूह की स्थापना पर एसोसाई विशेष समिति

इस कार्य समूह का नेतृत्व साई मलेशिया द्वारा किया जाता है और आभासी रूप से 25 अप्रैल 2022 को डब्ल्यूजीएसओई पर एसोसाई विशेष समिति की किक-ऑफ बैठक आयोजित की गई।

3.3.3.4 सतत विकास लक्ष्यों पर एसोसाई कार्यकारी समूह

इस कार्यकारी समूह का नेतृत्व कुवैत के राज्य लेखापरीक्षा ब्यूरो द्वारा किया जाता है। साई इंडिया का कार्यकारी समूह में प्रतिनिधित्व किया गया और 24 मई 2022 को आयोजित पहली बैठक में भाग लिया।

3.3.3.5 साई की भूमिका पर पर्यावरण लेखापरीक्षा सहकारी अनुसंधान पर एसोसाई कार्यकारी समूह की दूसरी बैठक और जलवायु वित्त जवाबदेही का समर्थन 28-29 मार्च 2023 तक थाईलैंड में नेशनल सेंटर फॉर ऑडिट प्रोफेशन डेवलपमेंट (एनसीएएंडडी) में आयोजित की गई थी। विचार-विमर्श 'सतत वित्त सूचकांक', परियोजना लीड से प्रगति रिपोर्ट और चर्चा सत्र, जलवायु वित्त जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों की भूमिका सहित विषय से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित किया गया था।

अध्याय 4

द्विपक्षीय/बहुपक्षीय परस्पर संवाद

4.1 ब्रिक्स

ब्रिक्स पांच प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का बहुपक्षीय मंच है। सीएजी ब्रिक्स साई सहयोग के एक सक्रिय सदस्य है। साई इंडिया ने 10 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में 'सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षा में नागरिक जुड़ाव' विषय पर तीसरी ब्रिक्स साई नेताओं की बैठक की मेजबानी की।

साई रूस की उपाध्यक्षा सुश्री गैलिना इज़्रोटोवा के नेतृत्व में साई रूस के एक प्रतिनिधिमंडल ने व्यक्तिगत रूप से बैठक में भाग लिया, जबकि ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साई वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुए।

उपर्युक्त बैठक की मेजबानी के पश्चात्, सीएजी ने दो वर्षों के लिए ब्रिक्स साई सहयोग की अध्यक्षता संभाली।

ब्रिक्स साई नेताओं की तीसरी बैठक में निम्नलिखित दस्तावेजों को मंजूरी दी गई:

1. बैठक के लिए नई दिल्ली घोषणा;

2. 2023-2024 के लिए ब्रिक्स कार्य-योजना जिसमें सदस्य साई ज्ञान और अनुभव साझा करने के लिए बैठक के दौरान सहमत विषयों पर आभासी या आमने-सामने सेमिनार/वेबिनार आयोजित करते हैं।

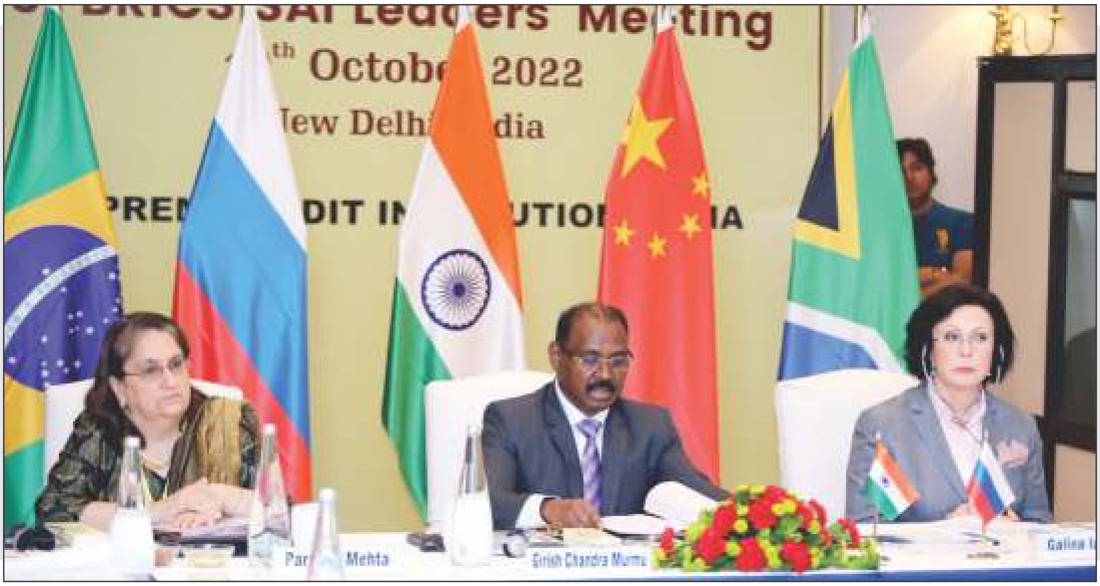

सीएजी 10 अक्टूबर 2022 को साई इंडिया द्वारा आयोजित तीसरी ब्रिक्स साई लीडर्स बैठक में उद्घाटन भाषण देते हुए। उनके बाईं ओर सुश्री गैलिना इज़्रोटोवा हैं, जो रूसी संघ के लेखा चैंबर की उपाध्यक्षा हैं

4.2 शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ)

भारत की एससीओ अध्यक्षता की व्यापक छत्रछाया के अंतर्गत, सीएजी ने एससीओ साई की अध्यक्षता ग्रहण की। एससीओ भौगोलिक दायरे और जनसंख्या में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। एससीओ के सदस्य देशों में चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।

साई इंडिया ने बैठक के दो उपविषयों के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और साइबर सुरक्षा के साथ "लेखापरीक्षा में उभरती प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करना" विषय पर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में 6-7 फरवरी 2023 तक छठी एससीओ साई प्रमुखों की बैठक की मेजबानी की। बैठक में सभी सदस्य साई ने भाग लिया।

सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उपयोग की जाने वाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उन्नत तकनीकों की लेखापरीक्षा सुशासन को बढ़ावा देने, सामाजिक और आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करने और आवश्यक निगरानी प्रदान करने के लिए आवश्यक था। इसके अलावा, उन्होंने कुशल और प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए अग्रणी प्रौद्योगिकियों के उपयोग में सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों को लैस करने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

वे इस बात पर सहमत हुए कि सार्वजनिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी से हुई प्रगति ने साइबर सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को सबसे आगे ला दिया है। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि साई के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता विकसित करना अनिवार्य होता जा रहा है।

लखनऊ, भारत में आयोजित एससीओ के साई के प्रमुखों की छठी बैठक में कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, सीएजी (6-7 फरवरी, 2023)

4.3 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान -20 (साई-20)

जी20 (ग्रुप 20) एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें दुनिया की अधिकांश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं। इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं।

जी20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए महत्त्वपूर्ण मंच बन गया है और वैश्विक आर्थिक संरचना और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है और एक समावेशी और संवहनीय दुनिया बनाने के उद्देश्य से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने का प्रयास करता है।

जी20 की भारतीय अध्यक्षता के तहत, साई इंडिया ने साई20 सहयोग समूह की अध्यक्षता ग्रहण की।

4.3.1 सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान 20 (साई20) सहयोग समूह का हस्तांतरण

साई इंडोनेशिया ने 2022 में जी-20 (ग्रुप 20) की इंडोनेशियाई अध्यक्षता के दौरान, निगरानी, अंतर्दृष्टि और दूरदर्शिता प्रदान करके जी-20 सदस्य देशों की सरकारों के लिए नीतिगत भागीदार के रूप में साई द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान 20 (साई20) सहयोग समूह (ईजी) की स्थापना की।

31 जनवरी 2023 को साई इंडोनेशिया से साई इंडिया को साई 20 सहयोग समूह की अध्यक्षता औपचारिक रूप से सौंपने के लिए साई इंडोनेशिया के साथ एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। साई इंडिया ने साई20 की भारतीय अध्यक्षता के लिए ब्लू इकोनॉमी और रिस्पॉन्सिबल एआई को प्राथमिकता वाले विषयों के रूप में चुना, जो स्थिरता, इक्विटी, आजीविका, नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही के प्रासंगिक मुद्दों से जुड़ा हुआ है।

4.3.2 'रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' पर संगोष्ठी

सीएजी द्वारा 22 फरवरी 2023 को सीएजी कार्यालय, नई दिल्ली में "रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" पर एक सेमिनार की मेजबानी की गई। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को "रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" विषय पर बोलने और अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यशाला में व्यक्त तेज़ तकनीकी प्रगति, डिजिटल परिवर्तन और एआई के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए ध्यान का केंद्र बनने के इस युग में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

सीएजी "रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस" पर साई20 सहयोग समूह सेमिनार में अधिकारियों को संबोधित करते हुए

4.3.3 'ब्लू इकोनॉमी' पर संगोष्ठी

सीएजी द्वारा 27 फरवरी 2023 को सीएजी कार्यालय, नई दिल्ली में "ब्लू इकोनॉमी" पर एक सेमिनार की मेजबानी की गई थी। कार्यशाला में ब्लू इकोनॉमी प्रणाली पर प्रकाश डाला गया जिसका उद्देश्य समुद्री और मीठे पानी के संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना होना चाहिए, जिसमें खाद्य और ऊर्जा का उत्पादन, आजीविका का समर्थन और आर्थिक प्रगति और कल्याण को बढ़ाने के उद्देश्य से नीतियों और परिचालन आयामों को शामिल किया जाना चाहिए।

सीएजी के कार्यालय में आयोजित "ब्लू इकोनॉमी" पर साई20 सहयोग समूह संगोष्ठी

4.3.4 साई20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक (एसओएम)

साई20 सहयोग समूह के अध्यक्ष के रूप में, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने गुवाहाटी, असम में मार्च 2023 तक साई20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी की। प्राथमिकता वाले विषयों पर विचार-विमर्श किया गया। यह बैठक साई20 शिखर सम्मेलन के लिए एक उत्साहजनक अग्रदूत के रूप में काम करेगी और जी20 में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा देने में इसकी प्रासंगिकता होगी।

गुवाहाटी, असम में आयोजित साई20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक के सभी प्रतिभागियों के साथ सीएजी

13-14 मार्च, 2023 को गुवाहाटी, असम में आयोजित साई20 वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में सीएजी

बैठक के दौरान, सीएजी ने जोर देकर कहा कि साई20 सदस्य साई को इन दो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के लिए व्यावहारिक जवाबदेही ढांचे को डिजाइन करने के लिए आम सहमति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आग्रह किया कि हमें अपने साई20 उद्देश्यों की योजना बनाते समय और महासागर शासन के लिए अपने लेखापरीक्षा मॉडल का निर्माण करते समय और आजीविका, लिंग समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के साथ-साथ जिम्मेदार एआई की सुविधा के लिए यथार्थवादी सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि साई20 समुदाय को भविष्य की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगातार अनुसंधान, नवाचार, कौशल उन्नयन और लेखापरीक्षा कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना है।

सीएजी ने निष्कर्ष निकाला कि साई के लिए वक्र से आगे रहने के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता निर्माण का एकीकरण महत्वपूर्ण होने जा रहा था।

4.3.5 अन्य जी20 समूहों के साथ सहयोग

जी20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह (एसीडब्ल्यूजी) ने भ्रष्टाचार से निपटने में लेखापरीक्षा की भूमिका बढ़ाने पर 2022 के उच्च स्तरीय सिद्धांत तैयार किए थे, जिसमें भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के महत्व और भ्रष्टाचार और संबंधित आर्थिक अपराधों को रोकने में लेखापरीक्षकों और साई की भूमिका पर प्रकाश डाला गया था।

पहली जी20 एसीडब्ल्यूजी बैठक 1-4 मार्च 2023 को गुरुग्राम में आयोजित की गई थी। जी20 एसीडब्ल्यूजी की बैठक में "भ्रष्टाचार को रोकने और उससे निपटने में लेखापरीक्षा की भूमिका बढ़ाने पर अच्छे अभ्यास" विषय पर सीएजी ने अपने मुख्य भाषण में इस बात पर जोर दिया कि साई को भ्रष्टाचार विरोधी कार्य योजना 2022-2024 के कार्यान्वयन को मजबूत करने की दिशा में जी-20 की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण हितधारक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए कमर कसनी होगी और मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को और मजबूत करना होगा।

इन पर आधारित, जी20 एसीडब्ल्यूजी का उद्देश्य जी20 देशों में साई द्वारा अपनाए गए भ्रष्टाचार से लड़ने में लेखापरीक्षा की भूमिका को बढ़ाने के लिए अच्छी प्रथाओं पर एक संग्रह विकसित करना है। सीएजी कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के समन्वय में अन्य अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों के रूप में ओईसीडी और यूएनओडीसी के साथ इस परियोजना का नेतृत्व कर रहे हैं।

4.4 साई इंडिया की द्विपक्षीय भागीदारी

2022-23 के दौरान, साई इंडिया ने विभिन्न साई के साथ चार नए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए और एक[1] समझौता ज्ञापन बढ़ाया। इन समझौता ज्ञापनों का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सूचना और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान द्वारा मौजूदा मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करना है।

[1] साई कंबोडिया के साथ

4.4.1 साई मोरक्को के साथ समझौता ज्ञापन

सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए मोरक्को में 16 सितंबर 2022 को कोर्ट ऑफ अकाउंट्स, किंगडम ऑफ मोरक्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य संबंधित संस्थान की पेशेवर क्षमता को मजबूत करने और सार्वजनिक वित्त के लेखापरीक्षा के क्षेत्र में कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए साई के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और विकसित करना है।

4.4.2 साई चिली के साथ समझौता ज्ञापन

संयुक्त राष्ट्र तकनीकी समूह और पैनल की बैठक के मौके पर 27-28 नवंबर 2022 को सैंटियागो, चिली में एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें सैंटियागो में चिली गणराज्य के नियंत्रक जनरल के कार्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। बैठक का महत्व संस्थागत और पेशेवर क्षमताओं को मजबूत करना और एक-दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखना और क्षमता निर्माण का समर्थन करना और सार्वजनिक लेखापरीक्षा में कार्यप्रणाली साझा करना और नए समझौते के तहत अपने संबंधित देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना था।

4.4.3 साई कजाकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन

छठी एससीओ साई प्रमुखों की बैठक के साथ, 6 फरवरी 2023 को लखनऊ में कजाकिस्तान गणराज्य के सुप्रीम ऑडिट चैंबर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य लेखापरीक्षा पद्धतियों और बाह्य सार्वजनिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रियाओं के क्षेत्र में अनुभव का आदान-प्रदान करना था।

4.4.4 साई ताजिकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन

छठी एससीओ साई प्रमुखों की बैठक के साथ, 6 फरवरी 2023 को लखनऊ में ताजिकिस्तान गणराज्य के लेखा चैंबर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया ताकि समानता और पारस्परिक लाभ के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में पार्टियों के बीच सहयोग और कुशल बातचीत के लिए एक रूपरेखा को बढ़ावा दिया जा सके और विकसित किया जा सके।

4.4.5 दक्षिण अफ्रीका के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा सीएजी से शिष्टाचार भेंट

दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधिमंडल ने 1 फरवरी 2023 को सीएजी से शिष्टाचार भेंट की, जिसमें उन्होंने सीएजी के साथ-साथ लोक लेखा समिति (पीएसी) के कामकाज पर एक ब्रीफिंग की।

4.4.6 साई पोलैंड के साथ द्विपक्षीय बैठक

सीएजी और पोलैंड के सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय के अध्यक्ष श्री मैरियन बनास के बीच 19 अक्टूबर 2022 को सीएजी कार्यालय में एक द्विपक्षीय बैठक हुई। द्विपक्षीय बैठक के दौरान, दोनों साई के प्रमुखों ने दोनों साई के बीच ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने के रास्ते पर चर्चा की।

पोलैंड के सर्वोच्च लेखापरीक्षा कार्यालय के अध्यक्ष श्री मैरियन बनास ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा करने के लिए सीएजी के साथ बैठक की

4.4.7 साई मालदीव के अधिकारियों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण

साई मालदीव के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। साई मालदीव के अधिकारियों को प्रशिक्षण निम्नलिखित तीन कार्यक्रमों में प्रदान किया गया था:

- एनएए, शिमला में एजीओ, मालदीव-फैलोशिप कार्यक्रम के लिए दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- एजीओ स्टाफ के लिए प्रशिक्षण और ज्ञान साझा करने के कार्यक्रम (आईसीसा द्वारा आयोजन)
- एजीओ कॉर्पोरेट स्टाफ के लिए ज्ञान वृद्धि (आईसीसा द्वारा आयोजित)

4.4.8 साई ओमान को प्रदान किया गया प्रशिक्षण

साई इंडिया के अधिकारियों ने साई ओमान के अधिकारियों को "इलेक्ट्रॉनिक डाटा विश्लेषण" विषय पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साई ओमान का दौरा किया। निदेशक (सीडीएमए) ने अपनी टीम के साथ साई ओमान के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए साई ओमान का दौरा किया।

अध्याय 5

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

साई इंडिया अन्य साई को उनके स्टाफ सदस्यों के लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण में सहायता करता है। साई इंडिया कार्यक्रमों की पाठ्यक्रम सामग्री वास्तविक जीवन लेखापरीक्षा परिदृश्यों से ली गई है और सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के वितरण में प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। 2022-23 के दौरान ऐसे प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है।

5.1 राष्ट्रीय लेखापरीक्षा और लेखा अकादमी (एनएएए)

साई इंडिया और साई भूटान ने साई इंडिया द्वारा आयोजित भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा सेवा (आईएएंडएएस) पाठ्यक्रमों के माध्यम से साई भूटान के अधिकारी प्रशिक्षुओं की क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। 2022-23 के दौरान, रॉयल ऑडिट अथॉरिटी, भूटान के चार अधिकारियों (आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के 2021 और 2022 बैच के साथ दो-दो) ने एनएएए में प्रशिक्षण प्राप्त किया।

साई इंडिया और साई मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन (24 अक्टूबर 2021 को हस्ताक्षरित) के अंतर्गत, साई इंडिया ने फरवरी 2022 में मालदीव के महालेखापरीक्षक की भारत यात्रा के दौरान साई मालदीव को क्षमता निर्माण और लेखापरीक्षा पद्धतियों को मजबूत करने पर प्रशिक्षण प्रदान करने की पेशकश की। तदनुसार, साई मालदीव के दो अधिकारी एनएएए, शिमला में आईएएंडएएस अधिकारी प्रशिक्षुओं के 2022 बैच के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

5.2 अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा के लिए केंद्र (आईसीसा)

आईसीसा दुनिया भर में साई के अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। आईसीसा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रम अधिकारियों को सर्वोत्तम पेशेवर प्रथाओं के अनुरूप प्रभावी लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक उपकरण और तकनीक प्रदान करते हैं। आईसीसा साई इंडिया के लिए आईटी लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख संसाधन केंद्र के रूप में भी कार्य करता है।

'आईएस लेखापरीक्षा और डेटा एनालिटिक्स' पर ऑनलाइन ई-आईटीईसी बहुपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

'आईटी एनवायरनमेंट की लेखापरीक्षा ' पर ऑनलाइन ई-आईटीईसी बहुपक्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

2022-23 के दौरान, आईसीसा ने 'आईएस लेखापरीक्षा एंड डेटा एनालिटिक्स' और 'आईटी एनवायरनमेंट की लेखापरीक्षा" पर ई-आईटीईसी के तहत दो बहुपक्षीय ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें क्रमशः 12 देशों के 25 प्रतिभागियों और 14 देशों के 18 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

साई इंडिया और साई मालदीव ने सार्वजनिक लेखापरीक्षा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद II में साई इंडिया द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से साई मालदीव के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण का प्रावधान है। एमओयू के अंतर्गत, साई मालदीव के अधिकारियों के लिए दो आवासीय आईटीईसी अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 11 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

इसके अलावा, आईसीसा ने आईटीईसी के तत्वावधान में 'निष्पादन लेखापरीक्षा', 'ई-गवर्नेंस की लेखापरीक्षा' और 'आईटी एनवायरनमेंट की लेखापरीक्षा' पर तीन आवासीय अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) आयोजित किए जिनमें 24 देशों, 28 देशों और 25 देशों में से प्रत्येक से क्रमश 36 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

'ई-गवर्नेंस की लेखापरीक्षा' पर 153वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

'आईटी एनवायरनमेंट की लेखापरीक्षा' पर 154 वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.3 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी)

आईसीईडी का अधिदेश दुनिया भर में साई के विविध समुदाय को पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, ज्ञान और अनुभव-साझाकरण प्रदान करने तक फैला हुआ है। 2022-23 के दौरान, आईसीईडी ने 38 साई और 11 आईएएंडएएस अधिकारियों के 188 प्रतिभागियों के लिए तीन ऑन-साइट अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम और तीन ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन्हें सभी प्रतिभागियों द्वारा बहुत सराहा गया। कार्यशालाओं में जलवायु परिवर्तन शमन, हरित वित्त, स्वच्छ जल और स्वच्छता (इंटोसाई डब्ल्यूजीईए) पर अनुकूलन नीतियों तथा निष्कर्षण उद्योग की लेखापरीक्षा (इंटोसाई डब्ल्यूजीईआई) पर सत्र शामिल थे, जिनका आयोजन डोमेन विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा किया गया, जिनमें वैश्विक साई के पंद्रह संकाय शामिल थे जैसेकि यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, साई फिनलैंड, साई इंडोनेशिया, साई जाम्बिया, साई युगांडा, एएफआरओएसएआई-ई आदि।

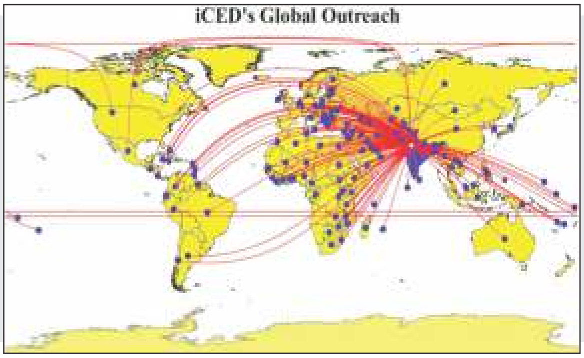

38 साई से 188 प्रतिभागी

प्रतिभागियों की संख्या

अफ़ग़ानिस्तान	11	01	जमैका
एलजीरिया	03	21	केन्या
ऑस्ट्रेलिया	01	03	मेडागास्कर
बोत्सवाना	06	10	मालदीव
ब्राज़िल	02	04	मॉरीशस
बुल्गारिया	03	05	मोरक्को
कोस्टा रिका	01	03	मोज़ाम्बिक
इक्वेडोर	09	02	नेपाल
मिस्र	13	01	नाइजीरिया
इस्वातिनी	05	01	पापुआ न्यू गिनी
इथियोपिया	05	03	कतर
यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स	01	09	सूडान
फ़िजी	01	05	तंजानिया
घाना	03	02	ट्यूनीशिया
गुयाना	01	19	युगांडा
भारत	11	05	वियतनाम
इंडोनेशिया	01	03	यमन
ईरान	01	10	जाम्बिया
इटली	01	02	ज़िम्बाब्वे

दिसंबर 2022 में आईसीईडी, जयपुर में पर्यावरण लेखापरीक्षा पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

आईसीईडी- उत्कृष्टता के लिए प्रयास अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों द्वारा दी गई प्रतिक्रिया

"मुझे इस पाठ्यक्रम के दौरान पर्यावरण लेखापरीक्षा के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी मिली परिसर हरियाली से परिपूर्ण है और भोजन, खेल और अनुसंधान के लिए सुविधाओं से भरपूर है। छात्रावास साफ है और कमरा आरामदायक है। संपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम सार्थक और अद्यतन है। यह साई के बीच अनुभव साझा करने का अच्छा मौका था।

सुश्री न्गोथीन्गोकतू
साई वियतनाम
दिसंबर-2022

"विषय प्रासंगिक और विविध थे। बहुत कम समय में बहुत सारे क्षेत्रों को कवर किया गया था। आईसीईडी में सब कुछ बहुत अच्छा है, भोजन, कर्मचारी गण, कमरे और उपलब्ध मनोरंजन गतिविधियां। परिसर का वातावरण भी बहुत अच्छा है और कमरे विशाल और साफ हैं। यहां आकर मुझे खुशी हुई और मुझे फिर से आने की उम्मीद है। हमें रखने के लिए धन्यवाद।"

सुश्री अमीनाथ शुआउ मोहम्मद
साई, मालदीव
दिसंबर-2022

"इस तरह के एक विविध और जुड़े हुए समूह का हिस्सा बनना खुशी की बात है। मैंने सत्रों और भागीदारी चर्चाओं का आनंद लिया। मैं आईसीईडी द्वारा दी गई गर्म जोशी से स्वागत से भी प्रभावित हुई। उत्कृष्ट कार्य जारी रखें, प्रासंगिक कार्यशालाओं का आयोजन करें और ज्ञान प्राप्त करने और साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करें।"

सुश्री रमोना बोर्तनोव्स्की
प्रधान प्रबंधक, प्राकृतिक संसाधन का सतत उपयोग
निदेशालय, यूरोपीय कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स
फ़रवरी-2023

"धन्यवाद, आईसीईडी और सभी कर्मचारियों को प्रतिभागियों को एक ऐसे विषय वस्तु पर इस तरह के दिलचस्प पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए जो दुनिया भर के सभी समाजों को प्रभावित करते हैं। उन सभी प्रस्तुतकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद जिनके पास अपने क्षेत्र में बहुत व्यापक अनुभव था।

भारत सरकार को धन्यवाद।
श्री सदानंद बूधू,
मॉरिशस
मार्च-2023

"प्रशिक्षण कार्यक्रम असाधारण था और बहुत अच्छे एवं अनुभवी संकाय द्वारा व्याख्यान दिया गया। प्रशिक्षण ने निष्कर्षण उद्योग सेक्टर के बारे में मेरी समझ विस्तृत कर दी है और सीखा गया ज्ञान मेरे लेखापरीक्षा कार्य में आगे तक काम आएगा। स्थानीय भ्रमण विशेष रूप से जयपुर के आमेर किले में लाइट एंड साउंड शो बेहतरीन था। परिसर में अध्ययन बहुत अच्छा था। कर्मचारी बहुत मेहमान नवाज थे और हमारी जरूरतों पर तुरंत ध्यान दिया। अच्छा काम करते रहें।"

श्री अब्दिरहीम अली मालिम,
साई केन्या,
मार्च-2023

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

https://www.cag.gov.in